VISIONIAS

www.visionias.in

समसामयिकी

दिसम्बर - 2017

VISION IAS

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS

विषय सूची

1. राजव्यवस्था और संविधान.....6

1.1. मिशन अंत्योदय.....6

1.2. नगर निकाय संबंधी सुधार.....8

1.3 नेताओं से सम्बंधित मुकदमों की सुनवाई हेतु विशेष न्यायालय.....9

1.4 जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 29A.....11

1.5. उम्मीदवारों का दो सीटों से चुनाव लड़ना.....12

1.6. खुली जेल.....12

1.7. न्यायिक जवाबदेहिता और सूचना का अधिकार अधिनियम.....13

1.8 व्यभिचार कानून पर पुनर्विचार.....15

1.9. मेघालय का सामाजिक लेखा परीक्षा कानून.....16

1.10. पूर्वोत्तर क्षेत्र (NER) के लिए योजनाएँ.....16

2. अंतरराष्ट्रीय संबंध.....18

2.1. भारतीय डायस्पोरा की संख्या विश्व में सर्वाधिक.....18

2.2. भारत वासेनार अरेंजमेंट का सदस्य बना.....19

2.3. अमेरिका की नई सुरक्षा रणनीति.....20

2.4. अमेरिका ने यरुशलम को इजरायल की राजधानी के रूप में मान्यता दी.....21

2.5. अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन.....22

2.6. अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन.....22

2.7. मालदीव एवं चीन.....23

2.8. अमेरिका वैश्विक प्रवसन समझौते से अलग हुआ.....24

2.9. परमानेंट स्ट्रक्चर्ड को-ऑपरेशन ऑन डिफेन्स.....24

3. अर्थव्यवस्था.....26

3.1. संसाधन दक्षता रणनीति.....26

3.2. विश्व व्यापार संगठन का 11वाँ मंत्रिस्तरीय सम्मेलन.....28

3.3. विदेश व्यापार नीति की मध्यावधि समीक्षा.....30

3.4. वित्तीय समाधान एवं जमाराशि बीमा (FRDI) विधेयक 2017.....32

3.5. RBI की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट.....34

3.6. उपभोक्ता संरक्षण बिल 2018.....35

VISION IAS

3.7. अनुबंध कृषि 36
3.8. उर्वरक क्षेत्र 38
3.9.एनर्जी एक्सेस 39
3.10. मेथेनॉल इकॉनमी 41
3.11. ऊर्जा क्षेत्र में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण 43
3.12. पवन ऊर्जा की खरीद हेतु दिशा-निर्देश 43
3.13. सस्टेनेबल रूफटॉप इम्प्लीमेंटेशन फॉर सोलर ट्रांसफिगरेशन ऑफ़ इंडिया (सृस्टि - SRISTI) 45
3.14. विश्व के शीर्ष LPG आयातक के रूप में चीन को भारत की चुनौती 46
3.15. राष्ट्रीय राजमार्ग निवेश संवर्धन प्रकोष्ठ 47
3.16. पिछड़े जिलों के लिए योजनाएं 48
3.17. पोत भंजक उद्योग 49
3.18. चमड़ा उद्योग 50
3.19. वस्त्र उद्योग क्षेत्र में क्षमता निर्माण संबंधी योजना 51
3.20. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की समीक्षा 52
3.21. वित्तीय प्रणाली स्थिरता आंकलन (FSSA) और वित्तीय क्षेत्रक आंकलन (FSA) 52
4. सुरक्षा 54
4.1 नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर-कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम का गठन (NIC-CERT Setup) 54
4.2 सीमा सुरक्षा ग्रिड 54
4.3 एंडो-एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्टर मिसाइल का सफल परीक्षण 55
4.4 आईएनएस कलवरी (INS Kalvari) 55
4.5 सैन्य अभ्यास 55
5. पर्यावरण 56
5.1. दिल्ली में वायु प्रदूषण: नवीनतम पहलें 56
5.1.1. दिल्ली सरकार की कार्य योजना 56
5.1.2. दिल्ली के वायु प्रदूषण से निपटने हेतु NGT की कार्य योजना 56
5.1.3. केंद्र की "वायु कार्य योजना(एयर एक्शन प्लान) - दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण में कमी" 57
5.1.4. कृषि अवशेष जलाने से निपटने के लिए पर्यावरण मंत्रालय की क्षेत्रीय परियोजना 58
5.2. वायुमंडल में अतिशय नाइट्रोजन 58
5.3. विद्युत चालित वाहन 60
5.4. पर्यावरण प्रभाव आकलन 62
5.5. वैश्विक ई-अपशिष्ट निगरानी रिपोर्ट 63

VISION IAS

5.6. चीन द्वारा राष्ट्रीय कार्बन बाजार की शुरुआत....64
5.7. आक्रामक विदेशी प्रजातियाँ....65
5.8. माजुली द्वीप के संरक्षण के लिए योजना....66
5.9. पशुओं के लिए गर्भ निरोध....66
5.10. बाघों की संयुक्त गणना....67
5.11. CITES द्वारा भारत को सम्मानित किया गया....68
5.12. ओखी चक्रवात....68
5.13. शहरी आगजनी....70
5.14. समुद्री तट (Sea Beach) को साफ़ करने के लिए 'ब्लू फ्लैग' परियोजना....70
5.15 कचरा मुक्त शहरों के लिए स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल....71
6. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी....72
6.1. ब्रेन गेन: भारतीय वैज्ञानिकों का भारत की ओर वापस लौटना....72
6.2. फ्री स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन....73
6.3. नासा का सोफ़िया मिशन....74
6.4. 'एक्साइटोनियम' नामक पदार्थ के नये रूप की खोज....74
6.5. जेमिनिड उल्का वर्षा....74
6.6. इटकोओशन....75
7. सामाजिक मुद्दे....77
7.1. स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रेन रिपोर्ट 2017....77
7.2. राष्ट्रीय पोषण मिशन....79
7.3 राष्ट्रीय सामरिक योजना (2017-24) और मिशन संपर्क....80
7.4. राष्ट्रीय ट्रेकोमा सर्वेक्षण रिपोर्ट :2014-17....81
7.5. मनरेगा का मूल्यांकन....82
7.6. गंगा ग्राम परियोजना....83
7.7. अंतर्जातीय विवाह के लिए योजना....83
7.8. अल्पसंख्यक टैग....84
7.9. गेमिंग डिसऑर्डर....85
7.10 उत्कृष्ट इंपैक्ट बॉन्ड....85
8. संस्कृति....87
8.1.कुंभ मेला....87

VISION IAS

8.2 हॉर्नबिल त्योहार 88
9. नीतिशास्त्र 89
9.1. हितों का टकराव 89
9.2. निजता से संबंधित नैतिकता 89
10. विविध 91
10.1. दर्पण परियोजना 91
10.2 किम्बर्ली प्रक्रिया प्रमाणन योजना 91
10.3 इको-निवास पोर्टल 92
10.4. MSME के लिए सार्वजनिक खरीद पोर्टल 92
10.5. सऊदी अरब के स्थान पर इराक भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बना 93
10.6. वेनेजुएला की आभासी मुद्रा 93
10.7. समीप 94

1. राजव्यवस्था और संविधान

(POLITY AND CONSTITUTION)

1.1. मिशन अंत्योदय

(Mission Antyodaya)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा मिशन अंत्योदय के अंतर्गत ग्राम पंचायतों की रैंकिंग जारी की गयी।

योजनाओं के समेकन (Convergence) के उदाहरण-

- भौतिक परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए ग्रामीण विकास विभाग की **MNREGA** योजना तथा आजीविका संवर्धन हेतु सामाजिक पूंजी निर्माण के लिए **DAY-NRLM योजना**।
- जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जनजातीय लोगों की सहायता हेतु गैर-काष्ठ वन उपज के लिए **न्यूनतम समर्थन मूल्य** का अनुमोदन किया। ये **DAY-NRLM** के तहत, सामूहिक खरीद और भुगतान प्रक्रिया का समन्वय करते हैं।

संदर्भ

- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243G पंचायतों को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाओं के निर्माण का अधिदेश प्रदान करता है। इस प्रक्रिया के माध्यम से पंचायतों से स्थानीय स्वशासन संस्थानों के रूप में विकसित होने की अपेक्षा की गयी है।
- हालांकि, अभाव (बुनियादी आवश्यकताओं की अनुपलब्धता जैसी समस्या) की समस्या से निपटने के लिए नियोजन, प्रशासन और संसाधन आवंटन के अनेक स्तरों के कारण, प्रायः समन्वित प्रयास नहीं हुए हैं। अतः ईष्ट या उच्च गुणवत्ता के परिणाम प्राप्त नहीं होते।
- योजनाओं हेतु चयन मानदंडों में भिन्नता और समान व्यक्तियों/परिवारों को सुविधा प्रदान करने के प्रयासों में स्थानिक एवं सामयिक विभेद के कारण भिन्न-भिन्न व्यक्तियों/परिवारों के लिए भिन्न-भिन्न योजनायें लागू करने की समस्या उत्पन्न होती है। इस समस्या के परिणामस्वरूप योजना की क्षमता का अपेक्षित उपयोग नहीं हो पाता जिससे इसके ईष्टतम परिणाम सामने नहीं आ पाते।

- ग्रामीण अर्थव्यवस्था और गरीबों की आजीविका के आधार को सुदृढ़ करने हेतु पर्याप्त सार्वजनिक निवेश किए जाने के बावजूद; **बहुआयामी निर्धनता** विद्यमान है। अतः **अंतर-क्षेत्रीय दृष्टिकोण** के माध्यम से प्रभावी प्रयास किये जाने की आवश्यकता है।
- अतः, 'प्रत्येक वंचित परिवार के लिए सतत आजीविका' प्रदान करने में संसाधनों का प्रभावी प्रयोग सुनिश्चित करना आवश्यक है। इस हेतु कन्वर्जेन्स, जवाबदेही और मापन योग्य परिणामों के आधार पर उन्नत वित्तीय आवंटन के साथ-साथ एक मॉडल फ्रेमवर्क का विकास किया जाना चाहिए।

ग्राम पंचायत (GP) स्तर पर योजनाओं के निर्माण का महत्व

- यह स्थानीय आवश्यकताओं की बेहतर समझ और स्थानीय क्षमता हेतु बेहतर मूल्यांकन प्रदान करता है। साथ ही यह संसाधनों, अधिकारों और सेवाओं तक सुगम पहुँच सुनिश्चित करता है।
- यह स्थानीय विकास के प्रयासों में लोगों के ज्ञान और बुद्धिमत्ता के समेकन हेतु अवसर प्रदान करता है।
- यह सभी वर्गों को एकजुट करते हुए विभिन्न समूहों की भिन्न-भिन्न आवश्यकताओं के सम्बन्ध में प्रतिक्रिया देता है और स्थानीय शासन में उनकी सहभागिता को प्रोत्साहित करता है।
- यह उत्तरदायी प्रशासन सुनिश्चित करते हुए पंचायत और स्थानीय नागरिकों के मध्य बेहतर संबंध बनाने में सहायता करता है।
- यह समग्र सेवा वितरण में सुधार करता है और स्वेच्छा से कार्य करने को प्रेरित करता है।

मिशन अंत्योदय के क्रियान्वयन हेतु फ्रेमवर्क

- यह फ्रेमवर्क सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग द्वारा यह सुनिश्चित करता है कि लाभ SECC आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक योग्य व्यक्तियों तक पहुँचे।
- योजनाओं के आंकड़ों से सम्बद्ध एक सुदृढ़ प्रबंधन सूचना प्रणाली के माध्यम से, आधार रेखा पर हुई प्रगति के मापन हेतु परिभाषित संकेतकों के समूह के आधार पर एंड टू एंड टार्गेटिंग सुनिश्चित करना संभव होगा।
- इस मिशन में केंद्र और राज्य सरकारों के 25 से अधिक विभाग और मंत्रालय भाग लेंगे।
- पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न योजनाओं के संग्रहित डेटा को पब्लिक डोमेन में प्रस्तुत किया जाएगा।
- राज्यों द्वारा उन ग्राम पंचायतों (GPs)/क्लस्टर्स का चयन किया गया है जो या तो खुले में शौच मुक्त (ODF) हैं, या अपराध/विवाद मुक्त हैं, ऐसे ग्राम पंचायत जिनको या जिनके ग्राम प्रधान को पुरस्कार मिला है या अन्य योजनाओं के तहत कवर ग्राम पंचायत।

ग्राम पंचायतों की रैंकिंग

- इसमें प्रयुक्त व्यापक मानदंड हैं-
  - अवसंरचनात्मक मानदंड
  - आर्थिक विकास और आजीविका
  - स्वास्थ्य, पोषण और स्वच्छता
  - महिला सशक्तिकरण
  - वित्तीय समावेशन
- तेलंगाना की तिलापुर ग्राम पंचायत को देश का सर्वश्रेष्ठ गाँव घोषित किया गया है। आंध्र प्रदेश के परापाल्ला (Parapatla) को द्वितीय स्थान प्रदान किया गया है।
- सबसे विकसित पंचायतों में आंध्र प्रदेश की 33 और तमिलनाडु की 21 पंचायतें शामिल हैं।
- उत्तर भारत की केवल 7 ग्राम पंचायतें शीर्ष 83 पंचायतों में शामिल हैं।

अभिकल्पित किये गए प्रमुख परिणाम

- GPDPs/क्लस्टर डेवलपमेंट प्लान के अनुरूप योजनाओं को प्राथमिकता से लागू करके चयनित ग्राम पंचायतों/क्लस्टर्स के लिए सुदृढ़ अवसंरचनात्मक आधार प्रदान करना।
- GP/क्लस्टर में व्यापक हितधारकों को आकर्षित करने वाली योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन और सामाजिक पूंजी में वृद्धि हेतु सहभागी योजना निर्माण।
- गैर-कृषि क्षेत्र, ग्रामीण युवाओं और महिलाओं का कौशल विकास, मूल्य श्रृंखलाओं (वैल्यू चैन) का विकास और उद्यमों को प्रोत्साहन देने सहित विभिन्न आजीविकाओं के सृजन के माध्यम से आर्थिक अवसरों को बढ़ावा देना।
- PRIs की क्षमता के विकास, सार्वजनिक प्रकटीकरण, GP स्तर के औपचारिक और सामाजिक जवाबदेही उपाय (जैसे सामाजिक लेखापरीक्षा) के माध्यम से लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करना।

मिशन अंत्योदय के तहत प्रमुख कार्यविधियाँ

- परिवारों का आधारभूत (बेसलाइन) सर्वेक्षण करना और समय-समय पर प्रगति की निगरानी करना।
- ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु लक्षित कार्यक्रमों/योजनाओं के समेकन को सुनिश्चित करना।
- PRIs, सामुदायिक संगठनों, NGOs, SHGs, संस्थानों और विभिन्न विभागों (जैसे ASHA कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आदि) के क्षेत्रीय स्तर के कार्यकर्ताओं के मध्य ग्राम पंचायत/क्लस्टर साझेदारी को संस्थागत बनाना।
- संस्थानों और पेशेवरों के साथ भागीदारी के माध्यम से उद्यम को बढ़ावा देना।

VISION IAS

1.2. नगर निकाय संबंधी सुधार

(Municipal Reforms)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने नगरीय निकायों से संबंधित सुधारों के लिए एक व्यापक रोडमैप तैयार किया है।

पृष्ठभूमि

- 2005 में शुरू हुए जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (JnNURM) के पश्चात्, भारत में शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) ने अपने अवसंरचनात्मक ढांचे और सेवा वितरण में सुधार हेतु केंद्र और राज्य सरकारों का ध्यान आकृष्ट किया है।
- 2015-17 के दौरान ***अटल मिशन फॉर रिजूवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन*** *(AMRUT)* के अंतर्गत 500 शहरों में विभिन्न बुनियादी सुधारों को प्रारंभ किया गया है जैसे-
  - 14 राज्यों के 104 शहरों ने 90% से अधिक **उपयोगकर्ता शुल्क** संगृहीत किया,
  - 21 राज्यों ने **नगर पालिका कैडरों (municipal cadres)** की स्थापना की है,
  - 256 शहरों ने **ऑनलाइन सिटीजन सर्विसेज** प्रारंभ की हैं,
  - 21 राज्यों द्वारा **राज्य वित्त आयोगों** की स्थापना की गई है और
  - 363 शहरों ने **क्रेडिट रेटिंग** पूर्ण की है।
- **14वें वित्त आयोग** द्वारा तय किया गया है कि लेखांकन, अंकेक्षण, रिपोर्टिंग इत्यादि क्षेत्रों में विभिन्न सुधारों के आधार पर ULBs को दिए गये **निष्पादन अनुदान** के व्यय की एक विस्तृत प्रक्रिया निश्चित की जाएगी।

AMRUT के बारे में-

- यह पाँच वर्ष की अवधि में 500 शहरों और कस्बों को सक्षम शहरी निवास स्थान में परिवर्तित करने पर केंद्रित है।
- स्मार्ट सिटी मिशन के क्षेत्र आधारित दृष्टिकोण के विपरीत यह **परियोजना उन्मुख विकास दृष्टिकोण** का अनुपालन करता है।
- यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे केन्द्र से 80% बजटीय समर्थन प्राप्त होता है।
- इसके उद्देश्य हैं:
  - सभी परिवारों की निश्चित जलापूर्ति और सीवेज कनेक्शन तक पहुँच सुनिश्चित करना।
  - हरियाली और सुव्यवस्थित खुले स्थानों (जैसे-पार्क) के विकास द्वारा शहरों के रमणीयता महत्व (amenity value) में वृद्धि करना और ;
  - सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग करके या नॉन-मोटोराइज्ड ट्रांसपोर्ट (जैसे पैदल चलना और साइकिल चलाना) के लिए सुविधाओं का निर्माण करके प्रदूषण को कम करना।

शहरी प्रशासन के समक्ष चुनौतियां

- **वित्तीय संसाधनों की कमी (Financial paucity)-** इनकी आय के मुख्य स्रोत विभिन्न प्रकार के कर हैं जिनमें से अधिकांश संघ और राज्य सरकारों द्वारा आरोपित किए जाते हैं। इस प्रकार शहरी निकायों द्वारा संग्रहित कर प्रदत्त सेवाओं के व्यय को कवर करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।
- **भ्रष्टाचार-** इन स्थानीय निकायों के नियंत्रण हेतु प्रशासनिक तंत्र अपर्याप्त और अप्रभावी है। कम भुगतान प्राप्त करने वाले ये कर्मचारी प्रायः भ्रष्ट प्रथाओं में लिप्त होते हैं जिसके कारण आय का ह्रास होता है।
- **राज्य का अत्यधिक नियंत्रण-** राज्य सरकारों को कुछ परिस्थितियों में नगरीय निकायों के अधिक्रमण और उन्हें भंग करने की शक्ति प्राप्त है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकारों को निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त हैं-
  - वे नगरपालिका के बजट को स्वीकृति प्रदान करती हैं (निगम को छोड़कर)।
  - स्थानीय कर संरचना को संशोधित करने के लिए सरकार की पूर्व स्वीकृति तथा बाद में अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है।
  - लेखांकन और लेखा परीक्षा प्रणाली के माध्यम से नियंत्रण आदि।
- **अनियोजित शहरीकरण-** नगरपालिका सेवाएँ, गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों प्रकार से, जनता की बढ़ती आवश्यकताओं को पूर्ण करने में विफल रही हैं। ग्रामीण जनसंख्या के कस्बों और शहरों में अन्तःप्रवाह के कारण वे तेजी से अविकसित एवं मलिन बस्तियों/पृथक्कृत समुदाय विशिष्ट बस्तियों के रूप में परिवर्तित हो गए हैं। इससे स्थिति और अधिक विकृत हो रही है।
- **एजेंसियों की बहुलता-** सामान्यतः कार्य को अलग-अलग एजेंसियों के मध्य स्पष्ट रूप से आवंटित नहीं किया जाता है। यह प्राधिकार एवं जिम्मेदारी के अतिव्यापन का कारण बनता है। साथ ही इससे जवाबदेहिता भी कमजोर होती है।
- **प्रयासों की प्रभावशीलता में कमी-** अभाव/बुनियादी आवश्यकताओं की समस्या से निपटने के लिए नियोजन, प्रशासन और संसाधन आवंटन के विविध स्तरों के कारण, प्रायः समन्वित प्रयास नहीं किये जाते हैं। इससे उप-ईष्टतम (suboptimal) परिणाम उत्पन्न होते हैं।
- **नौकरशाहों का नेतृत्व-** सभी एकल उद्देशीय एजेंसियों पर नौकरशाहों का प्रभुत्व होता है, जो स्थानीय शासन के मूल दर्शन के विरुद्ध है। नौकरशाहों के प्रभुत्व के कारण जन प्रतिनिधियों द्वारा गौण भूमिका निभाई जाती है।

VISION IAS

- **विशेषज्ञता का अभाव-** शहरी शासन को विशेषज्ञों की पेशेवर सेवाओं की अत्यधिक आवश्यकता होती है।
- **शहरी क्षेत्रों में भू-स्वामित्व-** एक अध्ययन के अनुसार भारत में 90% से अधिक भू-स्वामित्व 'अस्पष्ट' है। साथ ही भूमि बाजार विकृतियों तथा अस्पष्ट भू-स्वामित्व से होने वाली हानि भारत के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 1.3% है।
- **जन भागीदारी का निम्न स्तर-** शासन व्यवस्था में भागीदारी के प्रति लोगों की उदासीनता से ऐसे संस्थानों की आत्मसंतुष्टता और दायित्वहीनता की स्थिति में वृद्धि हुई है।
- **पारिस्थितिक चुनौतियां -** जनसंख्या वृद्धि और उद्योगों का विकास पारिस्थितिकीय ह्रास और जल, वायु तथा भूमि के प्रदूषण की एक अभूतपूर्व चुनौती प्रस्तुत करता है।

Stages	Purpose	Steps taken/Reforms
Tier I	To accelerate ongoing key financial and service delivery reforms	Cities have to: • Submit **financial year audited accounts** for the two years preceding the claim for performance grant, • Show an **increase in their revenue** over the preceding year, as reflected in the audited accounts • Measure and publish service levels for water supply
Tier II	To further fine-tune the reform process.	• Formulating and implementing **value-capture financing policy,** • Ensuring that all ULBs undergo **credit rating** and cities with investible- grade rating issue municipal bonds, • **Professionalize municipal cadres,** filling up posts and allowing **lateral entry** of professionals, • Implementing the trust and verify model, & Enacting and implementing a **land-titling law** using information technology.
Tier III	Rapid and even more transformational reforms.	• Deepening decentralization and strengthening ULBs through greater **devolution of funds, functions and functionaries,** • Own **source revenue mobilization** for self-reliance, and • Flexibility in urban planning, particularly aligning master plans to changing socio-economic conditions in cities.

ट्रस्ट एंड वेरीफाई मॉडल

- वर्तमान **वेरीफाई एंड ट्रस्ट** मॉडल में, सामान्यतः पहले शहर की जाँच की जाती है तत्पश्चात उसे स्वीकृति प्रदान की जाती है। इसके परिणामस्वरूप समय और लागत में वृद्धि होती है। साथ ही यह मुनाफाखोरी के अवसर सृजित करता है।
- इस प्रक्रिया के विपरीत **ट्रस्ट एंड वेरीफाई** मॉडल में पहले स्वीकृति प्रदान की जाती है, तत्पश्चात जाँच की जाती है। इसके तहत सभी आवश्यक दस्तावेज पहले ही ऑनलाइन जमा करा लिए जाते हैं।

रोडमैप के बारे में

इस रोडमैप के तहत तीन मुख्य अवसरों के साथ सुधार की तीन श्रेणियां सम्मिलित हैं:

- शासन,
- योजना, और
- वित्त

1.3 नेताओं से सम्बंधित मुकदमों की सुनवाई हेतु विशेष न्यायालय

(Special Courts for Trying Politicians)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- उच्चतम न्यायालय ने 12 फास्ट ट्रैक न्यायालयों की स्थापना के लिए केंद्र सरकार की योजना को स्वीकार कर लिया है। इन न्यायालयों की स्थापना का उद्देश्य एक वर्ष के भीतर सांसदों और विधायकों के विरुद्ध लंबित 1,581 आपराधिक मामलों पर विशेष रूप से मुकदमा चलाना और उनका निपटान करना है।

राजनीति का अपराधीकरण

राजनीति के अपराधीकरण का अर्थ उस स्थिति से है जब स्वार्थी व्यक्ति द्वारा आर्थिक लाभ अथवा अन्य अनेक अनुचित लाभों हेतु राजनीति या राजनीतिक शक्ति का प्रयोग किया जाये। इनके अंतर्गत प्रशासन में विशेष स्थिति प्राप्त करने या प्रशासन में उच्च स्तर तक पहुँचने के लिए किये जाने वाले अनुचित प्रयास सम्मिलित हैं।

महत्वपूर्ण डाटा (ADR) - (2014 लोकसभा चुनाव)

- इसके तहत कुल 542 निर्वाचित सांसदों का विश्लेषण किया गया जिससे यह ज्ञात हुआ कि कुल 185 (34%) सांसदों ने स्वयं अपने विरुद्ध

दर्ज़ आपराधिक मामलों की उद्घोषणा की है।

- निर्वाचित सांसदों में से 112 (21%) द्वारा अपने विरुद्ध गंभीर आपराधिक मामलों की उद्घोषणा की गई है जिनमें हत्या, हत्या का प्रयास, सांप्रदायिक दंगे, अपहरण, महिलाओं के विरुद्ध अपराध इत्यादि शामिल हैं।
- आँकड़ों के अनुसार चुनावों में ऐसे उम्मीदवारों के जीतने की संभावना 13% होती है, जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जबकि एक स्वच्छ छवि वाले उम्मीदवार के जीतने की सम्भावना 5% है।

अपराधीकरण का प्रभाव

- **कानून के उल्लंघनकर्ता का कानून निर्माता के रूप निर्वाचित होना-** ऐसे व्यक्तियों को संपूर्ण देश के लिए कानून बनाने का अवसर प्राप्त होता है जिन पर विभिन्न अपराधों के लिए मुकदमा चल रहा है। इससे संसद की शुचिता भंग होती है।
- **न्यायिक तंत्र में लोगों के विश्वास में कमी-** यह स्पष्ट है कि राजनीतिक प्रभाव वाले व्यक्ति अपनी शक्तियों का अनुचित लाभ प्राप्त करते हैं। वे न्यायिक प्रक्रिया में किसी भी अर्थपूर्ण प्रगति को रोकने के लिए सुनवाई में देरी, बार-बार स्थगन और असंख्य इंटरलॉक्यूटरी (वादकालीन) पिटीशन दायर करने जैसे कदम उठाते हैं। यह न्यायपालिका की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिन्ह लगाता है।
- **राजनीति में बाहुबल और धनबल का प्रभुत्व-** जहां कानून का शासन अप्रभावी तथा सामाजिक विभाजन अधिक प्रभावी होता है; वहां एक उम्मीदवार की आपराधिक पृष्भूमि को प्रतिष्ठा के रूप में माना जाता है। इससे राजनीति में बाहुबल और धनबल के प्रभुत्व की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है।
- **संसद की कार्यदक्षता पर प्रभाव-** ऐसे आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति प्राय: संसद के कार्य को बाधित करते हैं। इससे संसद की कार्यदक्षता नकारात्मक रूप से प्रभावित होती है।
- **अपराधीकरण की प्रवृत्ति का स्थायीकरण (Self-perpetuating) -** चूंकि राजनीतिक दलों द्वारा उम्मीदवार की जीतने की क्षमता पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जाता है (ये दलों के आंतरिक लोकतंत्र को भी बाधित कर रहे हैं)। अतः वे अधिक से अधिक प्रभावशाली व्यक्तियों को अपने दल में शामिल करते हैं। इस प्रकार, राजनीति का अपराधीकरण स्वयं को स्थायी बना देता है और समग्र चुनावी संस्कृति को दूषित कर देता है।

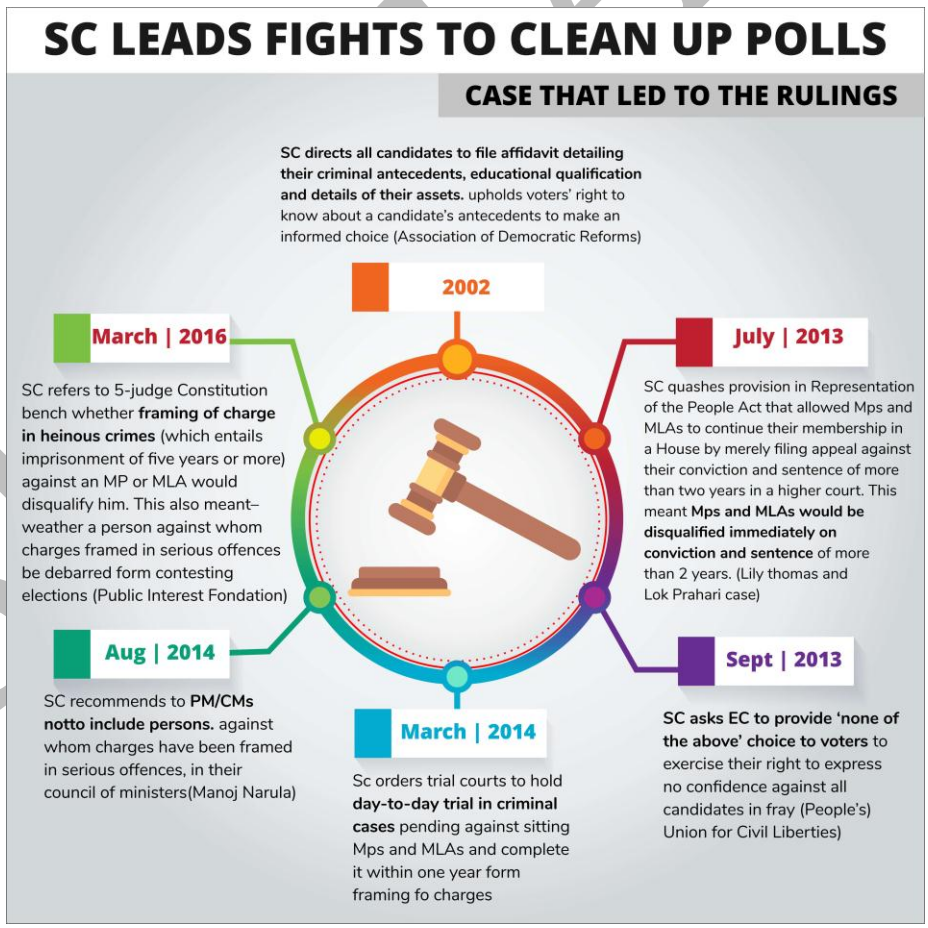

विश्लेषण

- नेताओं के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना करने का उच्चतम न्यायालय का निर्णय एक सकारात्मक प्रयोजन से लिया गया निर्णय है। इनके द्वारा प्रभावशाली राजनेताओं के मामलों में शीघ्रता से न्याय सुनिश्चित किया जा सकेगा, जिनमें अन्यथा अनेक वर्ष लगते हैं। इसके अतिरिक्त, यह नेताओं के हित में भी होगा, क्योंकि मामलों में शीघ्रता से निर्णय दिए जाने से निर्दोष नेताओं की छवि में सुधार होगा।
- इस योजना का समयबद्ध स्वरूप मतदाताओं को भी उनके प्रतिनिधियों के बारे में बेहतर जानकारी प्रदान करेगा।
- हालांकि, व्यक्ति की किसी विशिष्ट श्रेणी यथा नेताओं के लिए एक पृथक न्यायालय की स्थापना करना एक भेदभावपूर्ण कदम है। इसके अतिरिक्त, ऐसे कदम से नियमित न्यायालयों की विश्वसनीयता पर भी प्रश्न चिन्ह लगेगा, क्योंकि ऐसा समझा जायेगा कि नियमित न्यायालयों द्वारा न्याय नहीं प्रदान किया जा सकता है।
- चिंता का एक विषय यह भी है कि ऐसे विशेष न्यायालयों के निर्णयों को अपील के बाद पलट दिया जाना एक अतिसंवेदनशील स्थिति उत्पन्न करेगा।
- भारत में फास्ट ट्रैक न्यायालयों की स्थापना पहले भी की गई है, लेकिन इससे न्याय वितरण की गुणवत्ता में वास्तविक परिवर्तन नहीं किया जा सका है।

1.4 जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 29A

(Section 29A of RPA)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने दोषी ठहराए गए व्यक्तियों को राजनीतिक दल बनाने या दलों के पदाधिकारी बनने से वंचित करने के सन्दर्भ में चुनाव आयोग की शक्तियों की समीक्षा करने का निर्णय लिया है।

धारा-29A से संबंधित तथ्य

- जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29A के तहत, भारत में राजनीतिक दलों के पंजीकरण और मान्यता के संबंध में विभिन्न प्रावधान किये गये हैं।
- जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1988 द्वारा इस धारा को अंतःस्थापित किये जाने से पूर्व, यह प्रक्रिया पूर्ण रूप से चुनाव चिह्न (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 के प्रावधानों के आधार पर निर्वाचन आयोग द्वारा संचालित होती थी।
- चुनाव चिह्न (आरक्षण एवं आवंटन) आदेश के अनुसार, पंजीकरण के लिए आवेदन करने वाले किसी संगठन द्वारा पंजीकृत होने के लिए वैध मतों का 1% प्राप्त करना आवश्यक था।

- 1951 के अधिनियम की धारा 8, 8A , 9, 9A , 10 और 11 के आधार पर निर्धारित किया गया है कि आपराधिक कानूनों के तहत दोषी ठहराए गए उम्मीदवारों को तत्काल प्रभाव से चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।

सम्बंधित मुद्दे

- गोस्वामी समिति (1990) द्वारा इस धारा से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर प्रकाश डाला गया।
  - वर्तमान व्यवस्था के अनुसार किसी संगठन को एक राजनीतिक दल के रूप में पंजीकृत होने के लिए केवल संविधान (विशेष रूप में प्रस्तावना) के अनुरूप होना चाहिए। इस प्रकार चुनाव चिह्न (आरक्षण एवं आवंटन) आदेश के आधार पर राजनीतिक दलों के पंजीकरण के संबंध में चुनाव आयोग की शक्तियों को वापस ले लिया गया है।
  - इसके कारण देश में राजनीतिक दलों की संख्या में अनियंत्रित रूप से वृद्धि हुई क्योंकि चुनाव आयोग के पास पंजीकरण के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं था। इस स्थिति के कारण चुनाव के दौरान अनेक व्यावहारिक और प्रशासनिक समस्याएँ तथा कठिनाइयाँ उत्पन्न हुई हैं।
- **वर्तमान मुद्दे -**
  - यह तर्क दिया जाता है कि यदि एक आपराधिक मामले में किसी दोषी व्यक्ति को चुनाव में भाग लेने हेतु अयोग्य घोषित किया जाता है, तो उसे किसी राजनीतिक दल के अध्यक्ष बनने की अनुमति भी नहीं दी जानी चाहिए। हालाँकि यह स्थिति धारा 29A के तहत विवाद का विषय रही है।
  - एक दोषी व्यक्ति को पदाधिकारी बनने की अनुमति देना, दीर्घकालिक रूप में दल के आंतरिक लोकतंत्र के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है।
  - यह धन और बाहुबल की शक्ति (राजनीति का अपराधीकरण) का प्रयोग करके अनुच्छेद 19 के तहत प्रदत्त मौलिक अधिकारों के समक्ष भी चुनौती उत्पन्न करता है।
  - चुनाव आयोग में पंजीकृत राजनीतिक दलों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है तथा ये कर में छूट और राजनीतिक निधि योगदान जैसी सभी सुविधाओं का लाभ प्राप्त करते हैं। जबकि नियमित रूप से चुनाव लड़ने वाले राजनीतिक दलों की संख्या कुछ पंजीकृत राजनीतिक दलों की संख्या तक सीमित हो गयी है।

2009 में चुनाव आयोग में पंजीकृत 1100 से अधिक राजनीतिक दलों में से केवल 360 ने ही वास्तव में उस वर्ष के आम चुनाव में भाग लिया था।

आगे की राह

- दिनेश गोस्वामी समिति के अनुसार, धारा 29A में अंतःस्थापित प्रावधान देश में निर्वाचन व्यवस्था में सुधार के किसी भी उद्देश्य की पूर्ति नहीं करते हैं। अतः, इस धारा को समाप्त करने की सिफारिश की गयी है।
- इसके अतिरिक्त, वर्तमान में धारा 29A के तहत, एक अन्य खंड शामिल किया जा सकता है। इसके अंतर्गत निर्वाचन आयोग को राजनीतिक दलों के पंजीकरण करने और इसे रद्द करने का विनियमन करने के लिए आवश्यक आदेश जारी करने हेतु अधिकृत किया जा सकता है।

1.5. उम्मीदवारों का दो सीटों से चुनाव लड़ना

(Candidates Contesting from Two Seats)

सुर्ख़ियों में क्यों?

चुनाव आयोग ने जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम (RPA) की **धारा 33(7)** में संशोधन का समर्थन किया है। RPA की **धारा 33(7)** किसी उम्मीदवार को एक ही समय में दो सीटों से चुनाव लड़ने की अनुमति प्रदान करती है।

पृष्ठभूमि

- स्वतन्त्रता के बाद से राजनीतिक दलों के नेताओं द्वारा कितनी भी सीटों से चुनाव लड़ने के प्रावधान का अनुचित लाभ उठाया गया है।
- **1990 में दिनेश गोस्वामी समिति** ने सिफारिश की थी कि एक व्यक्ति को समान वर्ग के दो से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
- **दिनेश गोस्वामी समिति, 1990** की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए **RPA** में **धारा 33(7)** को शामिल किया गया।
- इसके अतिरिक्त, RPA की **धारा 70** के अनुसार उम्मीदवार द्वारा दोनों सीटों पर विजय प्राप्त करने के उपरांत किसी एक सीट को रिक्त करना होगा तथा रिक्त की गयी सीट पर पुनः उप-चुनाव करवाया जायेगा।
- **विधि आयोग (170वीं तथा 255वीं रिपोर्ट)** द्वारा भी उम्मीदवारों के एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की गयी है।

इसका विरोध क्यों है?

- यदि, **'एक व्यक्ति एक मत'** लोकतंत्र की कसौटी है, तो **'एक उम्मीदवार एक निर्वाचन क्षेत्र'** को भी लोकतंत्र का आदर्श माना जाना चाहिए।
- यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त **नागरिकों के जानने के अधिकार** का उल्लंघन करता है क्योंकि नागरिक, उम्मीदवार के चरित्र, योग्यता, आपराधिक रिकॉर्ड आदि ज्ञात होने के पश्चात ही उसे अपना मत देते हैं। जब उम्मीदवार बाद में सीट खाली कर देता है तो जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती है।
- किसी सीट रिक्ति के परिणामस्वरूप आयोजित होने वाला उप-चुनाव से राजकोष, सरकारी कार्यबल तथा अन्य स्रोतों पर **अतिरिक्त वित्तीय दबाव** डालता है।
- यह उन **भावी नेताओं के लिए भी अनुचित है**, जिन्हें अपना स्थान रिक्त करना होता है ताकि बड़े नेता अपनी दूसरी सीटें प्राप्त कर सकें।
- यह निर्दलीय उम्मीदवारों तथा अपेक्षाकृत निम्न वित्तीय क्षमता वाले उम्मीदवारों के लिए **भेदभावपूर्ण** है।

1.6. खुली जेल

(Open Prisons)

सुर्ख़ियों में क्यों?

सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र को खुली जेलों की स्थापना के संबंध में विचार करने हेतु राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के जेल अधिकारियों की एक बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया है।

खुली जेल का अर्थ

खुली जेल को न्यूनतम-सुरक्षायुक्त जेल, ओपन कैंप तथा बिना सलाखों वाली जेल के रूप में भी जाना जाता है। इसमें चार प्रकार से खुलापन होता है:

- **कैदियों के लिए खुलापन,** अर्थात कैदी दिन के समय बाहर जा सकते हैं, किन्तु शाम को निर्धारित समय से पूर्व वापस आना अनिवार्य है।
- **सुरक्षा में खुलापन,** अर्थात यहाँ भागने से रोकने हेतु प्रयुक्त सावधानियों, जैसे दीवारें, सलाखें, ताले और सशस्त्र सुरक्षाकर्मी आदि का अभाव रहता है।
- **संगठन में खुलापन** अर्थात इसकी कार्यप्रणाली कैदी के आत्म-उत्तरदायित्व, आत्म-अनुशासन और आत्मविश्वास की भावना पर आधारित है।
- **जनता के लिए खुलापन**, अर्थात लोग जेल में जा सकते हैं और कैदियों से मिल सकते हैं।

भारत में खुली जेलों की स्थिति

- भारत में, पहली खुली जेल 1905 में बंबई प्रेसीडेंसी में तथा स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश में स्थापित की गई थी।
- भारत में जेलें, जेल अधिनियम, 1900 द्वारा प्रशासित होती हैं। 'जेल' राज्य सूची का विषय होने के कारण विभिन्न राज्यों द्वारा स्वयं के लिए जेल नियमों को भी अधिनियमित किया गया है।
- वर्तमान में 17 राज्यों में लगभग 69 खुली जेलें क्रियाशील हैं जहाँ 6000 कैदियों को रखा जा सकता है। इनमें राजस्थान में 29 ऐसे जेल हैं जो किसी भी अन्य राज्य की तुलना में सर्वाधिक हैं। हाल ही में सिर्फ **महिलाओं के लिए प्रथम खुली जेल पुणे, महाराष्ट्र** में स्थापित की गयी।

VISION IAS

खुली जेलों से संबंधित सिफारिशें

- **अखिल भारतीय जेल सुधार समिति, 1980** ने सरकार से राजस्थान के सांगानेर ओपन कैंप की तर्ज पर प्रत्येक राज्य और UT में खुली जेलों को स्थापित तथा विकसित करने की सिफारिश की थी।
- **यूनाइटेड नेशन्स स्टैण्डर्ड मिनिमम रूल्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ़ प्रिजनर्स (नेल्सन मंडेला नियम)** द्वारा रेखांकित किया गया है कि खुली जेलों में सावधानीपूर्वक चयनित कैदियों के पुनर्वास के लिए अनुकूल परिस्थितियां उपलब्ध कराई जाएँ।

खुली जेलों के लिए पात्र कौन हैं?

- प्रत्येक राज्य का कानून कैदियों को खुली जेल में रखने के संदर्भ में आवश्यक पात्रता मानदंड को परिभाषित करता है, किन्तु इस सन्दर्भ में कैदी को एक अपराधी होना चाहिए न कि विचाराधीन (under trial)।
- जिन अपराधियों द्वारा अपनी सजा की अवधि के दौरान अच्छे आचरण का प्रदर्शन किया गया है और वे शारीरिक एवं मानसिक रूप से कार्य करने में सक्षम हैं, उन्हें शेष अवधि के लिए खुली जेल में भेजा जा सकता है। हालांकि बलात्कारी, आतंकवादियों और दोबारा अपराध करने वाले अपराधियों को यह व्यवस्था उपलब्ध नहीं हो सकती।

खुली जेलों का प्रभाव

- **अत्यधिक भीड़ को कम करना:** दिसंबर 2014 तक जेलों में *ऑक्यूपेंसी रेट (*अधिभोग दर) लगभग 117.4% रही। अतः खुली जेल इस समस्या के निराकरण में सहायक होगी।
- **पुनर्वास संबंधी दृष्टिकोण:** खुली जेल कैदियों के लिए उनके अच्छे आचरण का पुरस्कार होता है और यह उन्हें आत्मनिर्भरता का प्रशिक्षण देता है। इससे दंडात्मकता से पुनर्वास की ओर बढ़ने में सहायता प्राप्त होगी।
- **आर्थिक लाभ:** ये बांध, सड़क निर्माण आदि जैसे सार्वजनिक कार्यों के लिए विश्वसनीय स्थायी श्रम प्रदान कर सकते हैं। साथ ही साथ इससे कैदियों को आय की भी प्राप्ति होती है।
- **मनोवैज्ञानिक लाभ:** इन जेलों में प्रदत्त स्वतंत्रता और खुलापन, दीर्घकालिक कैदियों में कुंठा या निराशा को रोकने और आशा का संचार करने में सहायक होगा। इसके अतिरिक्त यह कैदियों में सकारात्मक आत्मसम्मान की भावना को बढाकर, असुरक्षा की भावना और अपराध बोध को कम करता है। इस प्रकार इससे व्यक्तिगत समस्याओं का बेहतर समायोजन संभव होगा और इसके अन्य कैदियों एवं अधिकारियों के प्रति अधिक सहयोगी रवैया अपनाने की प्रवृति विकसित होगी।
- **कौशल प्रशिक्षण:** यहाँ कैदियों को कृषि, उद्योग या किसी अन्य व्यावसायिक क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान किया जा सकता है ताकि वे जेल से स्वतंत्र होने पर उपयुक्त रोजगार प्राप्त कर सकें।
- **जेल से स्वतंत्र होने के लिए उपयुक्तता:** खुली ज़ेल, अपनी सजा की अवधि समाप्त होने से पूर्व अपराधियों को स्वतंत्र करने की उपयुक्तता की जाँच करने में सहायक होंगी।
- पारंपरिक जेल प्रणाली की तुलना में इसकी निर्माण और परिचालन लागत कम होती है, क्योंकि इनका निर्माण और रख-रखाव करना अपेक्षाकृत सरल होता है।

सुझाव

सभी राज्यों में खुली जेलों में अपराधियों के लिए प्रवेश, रियायत और सुविधाएं प्रदान करने के लिए सामान्य नियम तैयार किए जाने चाहिए।

- अधीक्षक द्वारा खुली जेलों में भेजे जाने वाले कैदियों की सूची तैयार करने में पक्षपात, दबाव और भ्रष्टाचार से संबंधित गतिविधियों पर नियंत्रण रखा जाना चाहिए।
- कुछ प्रकार के अपराधियों को सीधे खुली जेलों में भेजने के लिए अदालतों को अधिकार प्रदान करना।

(नोट: कृपया जेल सुधार के सम्बन्ध में सामान्य जानकारी के लिए, जुलाई 2017 के Visionlas के करेंट अफेयर्स का संदर्भ लें।)

1.7. न्यायिक जवाबदेहिता और सूचना का अधिकार अधिनियम

(Judicial Accountability & RTI Act)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में उच्च न्यायालय द्वारा केंद्रीय सूचना आयुक्त के उस आदेश को निरस्त कर दिया गया जिसमें कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के नियम RTI अधिनियम के सन्दर्भ में असंगत है।

पृष्ठभूमि

- केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा यह कहा गया था कि सर्वोच्च न्यायालय के नियम सूचना के अधिकार अधिनियम से असंगत हैं अतः रजिस्ट्री ऑफ़ कोर्ट्स (registry of courts) को केवल सूचना के अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत ही उत्तर देना चाहिए।
- इससे पूर्व, सर्वोच्च न्यायालय रजिस्ट्री (SC Registry) द्वारा RTI आवेदनों को निरस्त करते हुए आवेदनकर्ताओ को यह निर्देश दिया गया था कि किसी भी प्रकार की सूचना की माँग सर्वोच्च न्यायालय के नियमों के अंतर्गत की जानी चाहिए। केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा यह आदेश SC रजिस्ट्री की इस कार्यवाही के बाद जारी किया गया था।

- SC रजिस्ट्री द्वारा 2011 में दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट दायर की गई थी, जिसके आधार पर उच्च न्यायालय ने केंद्रीय सूचना आयोग के आदेशों पर RTI की धारा 23 को संदर्भित किये बिना रोक लगा दी। अंततः नवम्बर 2017 में, उच्च न्यायालय ने केन्द्रीय सूचना आयोग के उस आदेश को निरस्त कर दिया।

RTI अधिनियम की धारा 23 के अनुसार, इस अधिनियम के तहत दिए गए किसी भी आदेश के संदर्भ में किसी भी वाद, आवेदन या अन्य कार्यवाही पर न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया जा सकता है ।

न्यायपालिका और RTI अधिनियम

- RTI के अंतर्गत न्यायपालिका से सूचना प्राप्त करने हेतु दायर की गयी अनेक याचिकाओं के संबंध में भी SC के नियमों को लागू करने के लिए कहा गया है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न न्यायालयों द्वारा इस संबंध में स्वयं की नियमावली स्थापित की गयी है जिसके तहत अनेक प्रतिबंधों का प्रावधान किया गया है।
- हालांकि, न्यायपालिका को RTI की धारा 2 (h) के तहत सार्वजनिक प्राधिकरणों (Public Authorities) की परिभाषा में शामिल किया गया था किन्तु अधिनियम के लागू होने के काफी समय बाद भी अधिकांश उच्च न्यायालयों द्वारा जनसूचना अधिकारियों (PIOs) की नियुक्ति नहीं की गई है। जोकि लोगों के सूचना के अधिकार का उल्लंघन है।
- हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय के नियमों ने चार प्रमुख आधारों पर RTI को सीमित किया है। RTI अधिनियम के विपरीत, ये नियम निम्नलिखित का प्रावधान नहीं करते:
  - सूचना प्राप्त करने के लिए नियत समय सीमा
  - एक याचिका तंत्र
  - विलम्ब से या गलत सूचना देने के लिए दंड का प्रावधान
  - गुड कॉज शो (Good cause show) के अंतर्गत प्रासंगिक विषयों की सूचना

  संक्षेप में, न्यायपालिका द्वारा अपने विवेक से दी जाने वाली सूचनाओं के कारण निश्चित रूप से RTI के नियमों का उल्लंघन होता है।
- RTI एक्ट की धारा 23 के अनुसार किसी भी न्यायालय को यह अधिकार नहीं है की वह किसी वाद याचिका की सुनवाई करे परन्तु विरोधाभास यह है कि संविधान उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय को ये शक्ति प्रदान करता है की वह किसी भी प्रकार की याचिका पर सुनवाई कर सकते हैं।
- वहीं सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल का निर्णय अंतिम होगा। यह निर्णय केंद्रीय सूचना आयोग को की गई किसी भी स्वतंत्र अपील के अधीन नहीं होगा।

इन मुद्दों ने न्यायाधीशों की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिन्ह लगा दिए हैं।

न्यायपालिका को RTI अधिनियम के दायरे में लाना

सकारात्मक पक्ष :

- इससे न्यायपालिका में भाई-भतीजावाद और स्वेच्छाचारिता की गतिविधियों पर अंकुश लगाकर न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में पारदर्शिता में वृद्धि होगी।
- न्यायालय में लंबित मामलों की सदैव आलोचना होती रही है। लंबित मामलों के समयबद्ध निपटान के लिए RTI सहायक सिद्ध हो सकता है।
- इसके माध्यम से न्यायपालिका की जवाबदेही में वृद्धि होगी क्योंकि न्यायाधीश अपने निर्णयों के लिए उत्तरदायी होंगे।
- न्यायपालिका की कार्यपद्धति के विषय में सूचना प्राप्त करने से न्यायपालिका पर जन-सामान्य के विश्वास में वृद्धि होगी।

नकारात्मक पक्ष:

- कुछ विषयों में यह गोपनीयता और सुरक्षा के लिए चुनौती उत्पन्न कर सकता है, जो देश के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है।
- यह संविधान द्वारा निर्दिष्ट न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सीमित कर सकता है और न्यायपालिका के राजनीतिकरण को बढ़ावा दे सकता है।
- इससे न्यायालयों के कार्य में अतिरिक्त वृद्धि हो सकती है और न्यायिक नियुक्तियों एवं स्थानांतरण में विलम्ब हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि संघर्ष से बचने के लिए न्यायपालिका द्वारा अधिक सतर्कतापूर्ण दृष्टिकोण अपनाया जा सकता है।

निष्कर्ष

- प्रसिद्ध राज नारायण बनाम इंदिरा गाँधी मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह निर्देश देते हुए सूचना के अधिकार की नींव रखी गयी कि, 'जन सामान्य को सभी प्रकार के सार्वजनिक विषयों पर सूचना प्राप्त करने का अधिकार है, जो उसे अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता की अवधारणा से प्राप्त होता है'। हालांकि, न्यायपालिका द्वारा स्वयं सूचना के अधिकार को सीमित किया गया है। अतः यह आवश्यक है कि सर्वोच्च न्यायालय इस वाद में दिए गये अपने निर्देश के अनुरूप कार्य करे।
- न्यायपालिका को विधायिका और कार्यपालिका द्वारा नियंत्रित और विनियमित किये जाने की अनुमति देना भी गंभीर स्थिति उत्पन्न कर सकता है, वहीं न्यायपालिका की कार्यपद्धति पर किसी सार्वजनिक समीक्षा और जवाबदेही का अभाव भी हानिकारक सिद्ध हो सकता है।

VISION IAS

- **RTI** एक्ट द्वारा यह निर्दिष्ट किया गया है कि किसी नियम, कानून या विनियम के इस अधिनियम के प्रावधानों से असंगत होने पर, RTI अधिनियम के प्रावधान प्रभावी होंगे। इसलिए कानून में कमियाँ निकालने और सूचना के प्रकटीकरण से बचने के तरीके ढूंढने की अपेक्षा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसे इसके वास्तविक अर्थ में लिया जाना चाहिए। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी भी प्रकार की सूचना के प्रकटन को विधिसम्मत मानते हुए RTI के प्रावधानों को अपनाया जाना चाहिए ।
- वर्तमान समय में यह आवश्यक है कि उच्च न्यायपालिका को भी निम्नलिखित सीमाओं के साथ RTI एक्ट के अंतर्गत लाया जाए:
  - विचाराधीन मामले, जिनके संबंध में दी गई सूचना न्यायाधीश के निर्णय को प्रभावित कर सकती है।
  - राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए आवश्यक गोपनीय सूचनाएँ।
  - ऐसी सूचना जो सार्वजनिक महत्व की न हो और जो किसी भी प्रकार से व्यक्ति को प्रभावित न करती हो।

1.8 व्यभिचार कानून पर पुनर्विचार

(Adultery Law to be Revisited)

सुर्खियों में क्यों?

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भारत में व्यभिचार से संबंधित IPC की धारा 497 और CrPC की धारा 19 की संवैधानिक वैधता की जाँच करने हेतु सहमति व्यक्त की गयी है।

IPC की धारा 497- व्यभिचार

यदि कोई पुरुष किसी अन्य विवाहित महिला के साथ उसके पति की सहमति के बिना शारीरिक संबंध बनाता है, तो वह पुरुष व्यभिचार के अपराध का दोषी होगा। ऐसे शारीरिक संबंध बलात्कार के अपराध की श्रेणी में शामिल नहीं हैं। ऐसे मामले में पत्नी को अपराध में सहभागी के रूप में दण्डित किये जाने का प्रावधान नहीं है।

CrPC की धारा 198 - विवाह के विरुद्ध अपराध हेतु अभियोजन

केवल महिला का पति (कोई अन्य व्यक्ति नहीं) धारा 497 के तहत वर्णित किसी दंडनीय अपराध से पीड़ित समझा जायेगा।

अन्य पर्सनल लॉ

व्यभिचार सभी पर्सनल लॉ के तहत तलाक के लिए एक प्रमुख आधार है, उदाहरण के लिए हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13(1), मुस्लिम विवाह अधिनियम की धारा 2 (viii) (B), पारसी विवाह और तलाक अधिनियम, 1936 की धारा 32(d), आदि।

धारा 497 और धारा 198 के पुनर्निरीक्षण की आवश्यकता :

- यह धारा **लैंगिक समानता और लैंगिक तटस्थता के विरुद्ध** है, क्योंकि व्यभिचार के अपराध हेतु दोषी पुरुष को 5 वर्ष के कारावास का दंड दिया जा सकता है, जबकि महिला को समान कृत्य के लिए किसी भी आपराधिक दायित्व से मुक्त रखा गया है।
- केवल "बाहरी व्यक्ति" को दंडित करने का प्रावधान इस **लैंगिक रूढ़िवादिता** को और अधिक सशक्त करता है कि पुरुष सेक्सुअल एजेंट होते है जबकि महिला निष्कपट, सरल प्रकृति की और निष्क्रिय सेक्सुअल पार्टनर होती है।
- महिला के पति को व्यभिचारी पर मुकदमा चलाने का एकमात्र अधिकार प्रदान किया जाना एक तरह से महिलाओं को पुरुषों की संपत्ति के रूप में प्रस्तुत करता है। इस प्रकार यह एक प्रकार की **"अव्यावहारिक पितृसत्तात्मकता"** को भी दर्शाता है।
- यह पत्नी को व्यभिचार के दोषी अपने पति या उस महिला जिसके साथ पति द्वारा व्यभिचार किया गया हो, पर मुकदमा चलाने के अधिकार से वंचित करता है।
- व्यभिचार को प्रतिबंधित करने के उद्देश्य से किये गये वैधानिक प्रयास उस समय अप्रभावी हो जाते हैं जब ये अप्रत्यक्ष रूप से पति को एक अविवाहित, तलाकशुदा या विधवा स्त्री के साथ विवाहेत्तर संबंध रखने की स्वीकृति प्रदान करते हैं।
- यह धारा एक महिला के **स्वामित्व और स्वाभिमान** (संविधान के अनुच्छेद 21) के विरुद्ध है, जो उसे अपने शरीर पर उसके स्वयं के अधिकार से वंचित करती है।

विभिन्न समितियों और आयोगों द्वारा दी गयी सिफारिशें:

- **विधि आयोग, 1971 द्वारा अपनी 42वीं रिपोर्ट में** कानून को लैंगिक रूप से निष्पक्ष बनाने और कारावास के दंड को पाँच वर्ष से कम करके दो वर्ष करने की सिफारिश की गई।
- **मलिमथ समिति, 2003** ने पुरुष और महिला दोनों के लिए व्यभिचार संबंधी अपराधों के लिए समान व्यवहार किये जाने की सिफारिश की है।
- **राष्ट्रीय महिला आयोग** ने **2006 में** अनुशंसा की है कि व्यभिचार को अपराध की श्रेणी से हटाया जाना चाहिए।
- **संयुक्त राष्ट्र कार्य समूह द्वारा 2012** में महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव करने वाले उन कानूनों को निरस्त करने के लिए कहा गया जो व्यभिचार को अपराध मानते हैं।

VISION IAS

1.9. मेघालय का सामाजिक लेखा परीक्षा कानून

(Meghalaya's Social Audit Law)

सुर्खियों में क्यों?

मेघालय, **सामाजिक लेखा परीक्षा कानून- 'मेघालय सामुदायिक भागीदारी एवं लोक सेवा सामाजिक लेखा परीक्षा, अधिनियम 2017'** ('The Meghalaya Community Participation and Public Services Social Audit Act, 2017') को लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य बन गया है।

अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषताएँ

- एक **सोशल ऑडिट फैसिलिटेटर (social audit facilitator)** की नियुक्ति की जाएगी जो प्रत्यक्ष रूप से जनता से ऑडिट करके ऑडिट के परिणामों को ग्राम सभा के समक्ष प्रस्तुत करेगा। तत्पश्चात ग्राम सभा के इनपुट को शामिल करके उसे लेखा परीक्षक के पास भेजा जायेगा।
- सरकारी कार्यक्रमों की उनके कार्यान्वयन के दौरान समीक्षा हेतु एक पैनल के रूप में **सोशल ऑडिट काउंसिल (SAC)** की स्थापना की गई है।
- इस अधिनियम के अंतर्गत ऑडिट किये जाने वाले कार्यक्रमों, योजनाओं और परियोजनाओं की एक सूची सम्मिलित की गयी है।

सोशल ऑडिट काउंसिल (SAC) के प्रमुख कार्य

- एक व्यवस्थित लेखा परीक्षा से संबंधित नियमों का निर्धारण।
- इस अधिनियम के कार्यान्वयन से संबंधित सभी विषयों पर राज्य सरकार को सलाह देना।
- समय-समय पर निगरानी एवं शिकायत निवारण तंत्र की समीक्षा करना और आवश्यक सुधारों की सिफारिश करना।
- कार्यक्रमों और योजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति पर विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत होने वाली वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना।
- इस अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी।

इस कदम का महत्व

- इसके माध्यम से किसी योजना की दिशा और कार्यवाही में सरलता और तीव्रता से सुधार किया जा सकेगा क्योंकि इसे योजना के साथ संचालित किया जायेगा।
- अब तक, सोशल ऑडिट नागरिक समाज संगठनों की पहल के आधार पर किये गये थे, जिन्हें आधिकारिक स्वीकृति प्राप्त नहीं थी।
- यह अधिनियम विकास की योजनाओं और अन्य विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों में नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए एक वैधानिक ढाँचा प्रदान करता है।
- यह सोशल ऑडिट कानून के निर्माण हेतु अन्य राज्यों के समक्ष एक आदर्श प्रस्तुत करता है।

(कृपया सोशल ऑडिट के संबंध में अधिक जानकारी के लिए जुलाई करेंट अफेयर्स 2017 देखें)

1.10. पूर्वोत्तर क्षेत्र (NER) के लिए योजनाएँ

(Schemes for North Eastern Region)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 2017-18 से केंद्रीय क्षेत्र की एक नई योजना - **"पूर्वोत्तर विशेष अवसंरचना विकास योजना (North East Special Infrastructure Development Scheme (NESIDS)"** को प्रारंभ करने के लिए स्वीकृति प्रदान की गई।
- **केन्द्रीय पूंजीगत निवेश सब्सिडी योजना** और **नॉन -लैप्सेबल सेंट्रल पूल ऑफ़ रिसोर्सेज (NLCPR)** योजनाओं को वर्ष 2020 तक जारी रखने के लिए भी स्वीकृति प्रदान की गयी है।

पूर्वोत्तर विशेष अवसंरचना विकास योजना (NESIDS)

- यह **केन्द्रीय क्षेत्र की एक योजना** है। इसे केंद्र सरकार द्वारा **100% वित्तपोषण** के साथ अवसंरचनाओं के निर्माण में विद्यमान अंतराल को भरने के लिए प्रारम्भ किया गया है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया है-
  - जलापूर्ति, विद्युत, संपर्क (कनेक्टिविटी) और विशेष रूप से पर्यटन को बढ़ावा देने वाली परियोजनाओं से संबंधित **भौतिक अवसंरचना** :
  - शिक्षा और स्वास्थ्य से सम्बंधित **सामाजिक क्षेत्र अवसंरचना** :

पूर्वोत्तर औद्योगिक और संवर्द्धन नीति (North Eastern Industrial and Promotion Policy (NEIPP)

- NEIPP को पूर्वोत्तर राज्यों में औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिए 2007 में आरम्भ किया गया था। यह पूर्वोत्तर औद्योगिक नीति,1997 का संशोधित रूप है।
- इसमें सम्पूर्ण पूर्वोत्तर क्षेत्र को शामिल किया गया है तथा इसमें केंद्र द्वारा प्रदत्त निम्नलिखित अनुदान भी समाविष्ट हैं:
  - केंद्रीय पूंजी निवेश सब्सिडी
  - केंद्रीय ब्याज सब्सिडी
  - केंद्रीय व्यापक बीमा

VISION IAS

- मूल्य संवर्धन के आधार पर उत्पाद शुल्क में छूट
- 10 वर्ष की अवधि के लिए 100% आयकर छूट

नॉन-लैप्सेबल सेंट्रल पूल ऑफ़ रिसोर्सेज स्कीम (Non Lapsable Central Pool of Resources Scheme (NLCPR)

यह, मंत्रालयों/विभागों द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए अनिवार्य 10% बजटीय आवंटन के अंतर्गत खर्च न हो पायी राशि का संचय है। इसका निर्माण 90:10 के वित्तपोषण प्रारूप के आधार पर 1997-98 में किया गया था। इसके प्रमुख उद्देश्य थे -

- बजटीय संसाधनों के लक्षित प्रवाह में वृद्धि करके **पूर्वोत्तर क्षेत्र (NER) का तीव्र विकास** सुनिश्चित करना।
- संविधान की संघ और समवर्ती सूची के विषयों से संबंधित **सामाजिक और भौतिक अवसंरचना** परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना।
- पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (DoNER) द्वारा दो योजनाओं **NLCPR - राज्य** (पूर्वोत्तर राज्यों की प्राथमिकता परियोजनाओं को वित्तीय सहायता) और **NLCPR - केन्द्रीय** (केंद्रीय मंत्रालयों की राष्ट्रीय और क्षेत्रीय महत्व की परियोजनाओं को वित्तीय सहायता) के अंतर्गत इसका उपयोग किया गया है|
- हाल ही में, मिजोरम में एक NLCPR-केन्द्रीय के माध्यम से वित्त पोषित **ट्युरिअल जलविद्युत परियोजना (Tuirial Hydro Electric Project)** का उद्घाटन किया गया था।

केंद्रीय पूंजी निवेश सब्सिडी योजना (Central Capital Investment Subsidy Scheme)

- **पूर्वोत्तर औद्योगिक और निवेश संवर्धन नीति, 2007** को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 2007 में **केन्द्रीय पूंजी निवेश सब्सिडी योजना** प्रारंभ की गयी थी।
- यह **नई औद्योगिक इकाइयों के साथ-साथ पहले से विद्यमान औद्योगिक इकाइयों के विकास को** बढ़ावा देती है।
- यह संयंत्र एवं मशीनरी अथवा किसी भी अतिरिक्त मद में **किये गये पूंजी निवेश पर 30% सब्सिडी** प्रदान करती है।

2. अंतरराष्ट्रीय संबंध

(INTERNATIONAL RELATIONS)

2.1. भारतीय डायस्पोरा की संख्या विश्व में सर्वाधिक

(Indian Diaspora Largest in the World)

सुर्ख़ियों में क्यों

वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2018 के अनुसार अन्य देशों के प्रवासियों की तुलना में भारतीय प्रवासियों (डायस्पोरा) की संख्या विश्व में सर्वाधिक है।

अन्य संबंधित तथ्य:

- इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन द्वारा प्रकाशित **'वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट (2018)'** के अनुसार, भारतीय डायस्पोरा **विश्व की कुल प्रवासी जनसंख्या** का 6% है।
- प्रवासी भारतीयों की संख्या 1990 की 67 लाख से बढ़कर 2015 में 1 करोड़ 60 लाख हो गई। यदि इसकी गणना **विश्व की जनसंख्या के प्रतिशत** के रूप की जाए, तो भारतीय डायस्पोरा की वृद्धि लगभग स्थिर ही रही है, जोकि 2010 के 3.2% से बढ़कर 2015 में मात्र 3.3% ही है।
- अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की जनसंख्या का लगभग 72% भाग 20 से 64 वर्ष के मध्य की **कार्यशील आयु वर्ग** से सम्बंधित है।

इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन (IOM)

- इसकी स्थापना 1951 में हुई थी और इसका मुख्यालय जेनेवा (स्विट्ज़रलैंड) में स्थित है।
- 2016 में यह संयुक्त राष्ट्र का एक संबद्ध संगठन बना।
- यह प्रवासन के क्षेत्र में कार्यरत एक अंतरसरकारी संगठन है जो सभी के लाभ हेतु मानवोचित और व्यवस्थित प्रवासन को बढ़ावा देता है।
- भारत 2008 में इसका सदस्य देश बना।

भारत के लिए डायस्पोरा के निहितार्थ

भारतीय डायस्पोरा भारत को निम्नलिखित लाभ पहुँचाता है:

- यह भारत को उसके चालू खाते के घाटे को कम करने हेतु आवश्यक **विदेशी मुद्रा** उपलब्ध करवाता है। प्रवासियों द्वारा भारत को विप्रेषित विदेशी मुद्रा 2014 में $70 बिलियन थी वहीं 2016 में ये गिरकर $ 62.7 बिलियन के स्तर पर पहुँच गयी। प्रवासी देशवासियों द्वारा सर्वाधिक धन प्राप्त करने वाले देशों में भारत विश्व में प्रथम स्थान पर है।
- डायस्पोरा **अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश के गौरव का प्रतीक** है। अपनी अप्रतिम उपलब्धियों के बल पर भारतीय डायस्पोरा ने वैश्विक मंच पर अपनी एक अलग पहचान स्थापित की है।
- अनेक प्रवासी अपने देश के घरेलू वित्तीय, रियल एस्टेट, सेवा और प्रौद्योगिकीय क्षेत्रों में **बड़ी मात्रा में निवेश** करते हैं। इससे पूँजी का भारी मात्रा में अंतर्वाह होता है जो स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने के साथ-साथ बड़ी संख्या में नौकरियों के सृजन में भी सहायता करता है।

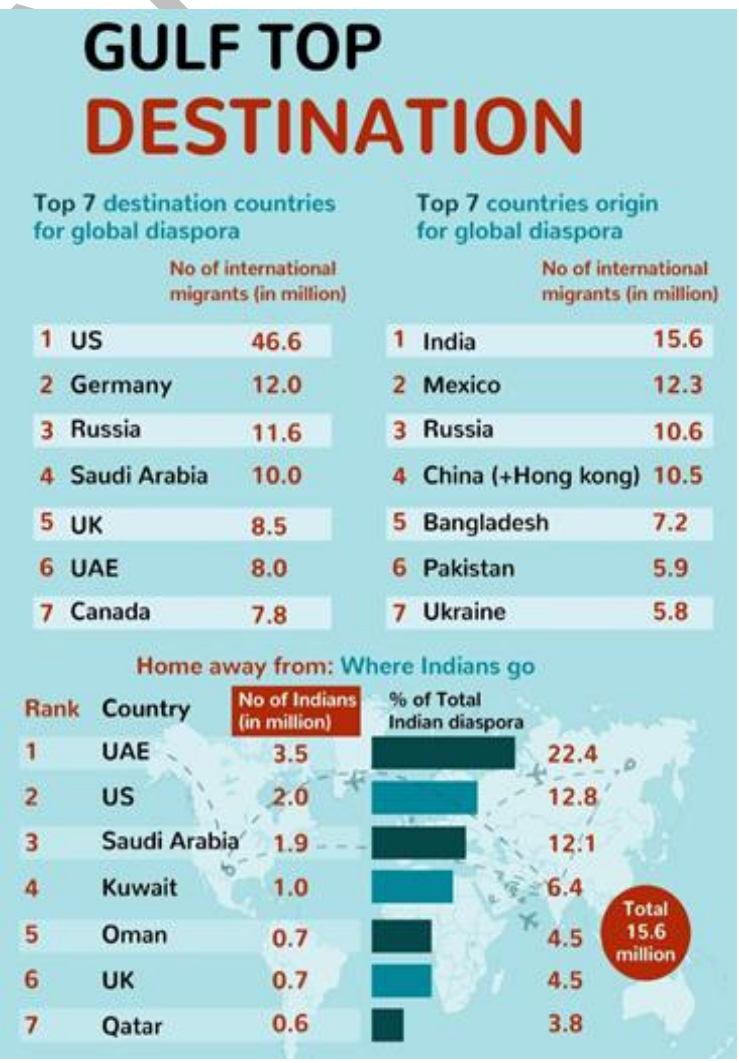

प्रवासन तथा ग्लोबल गवर्नेंस के अन्य क्षेत्र

- **प्रवासन और विकास:** प्रवासन और विकास के मध्य संबंधों को स्वीकृति प्रदान करने हेतु प्रवासन को सतत विकास एजेंडा 2030 में शामिल किया गया है। सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) के **लक्ष्य-10** का उद्देश्य "देशों के अन्दर तथा देशों के मध्य असमानता को कम करना" है।
- **प्रवासन और जलवायु परिवर्तन:** जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाले मानवीय विस्थापन को UNFCCC, पेरिस समझौते जैसे जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक परिणाम आधारित घोषणापत्रों में स्थान दिया गया है।

VISION IAS

- **प्रवासन और आपदा जोखिम न्यूनीकरण**: आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क 2015-2030 के अंतर्गत विस्थापन को आपदाओं के विनाशकारी प्रभावों में से एक माना गया है।
- **प्रवासन और शहरीकरण:** 2016 का आवास और सतत शहरी विकास पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन "नियोजित और सुव्यवस्थित प्रवासन नीतियों के माध्यम से सुरक्षित, व्यवस्थित और नियमित प्रवासन सुनिश्चित करने" हेतु प्रतिबद्ध है।

प्रवासन को अभिशासित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन

- **शरणार्थियों की स्थिति (स्टेटस ऑफ़ रिफ्यूजीज़) से संबंधित 1951 का कन्वेंशन** और इसका 1967 का प्रोटोकॉल (शरणार्थी समझौता) शरणार्थियों को अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा प्रदान करने हेतु एक फ्रेमवर्क उपलब्ध कराता है।
- अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध के विरुद्ध कन्वेंशन (UNCTOC) का **पलेर्मो प्रोटोकॉल** मानव दुर्व्यापार व तस्करी से संबंधित है।
- प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों और उनके परिवार के सदस्यों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन (ICRMW), 1990

निष्कर्ष

अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन एक महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दा है जिसे एक अधिक प्रभावी वैश्विक शासन प्रणाली की आवश्यकता है। **संरक्षणवाद व विदेशी लोगों से भय की भावना (xenophobia)** के माहौल में, आपसी विचार-विमर्श, सहयोग और विश्वास बहाली की एक चरणबद्ध प्रक्रिया ***ग्लोबल माइग्रेशन गवर्नेंस*** की दिशा में सर्वोत्तम कदम है।

2.2. भारत वासेनार अरेंजमेंट का सदस्य बना

(India Gets Entry into Wassenaar Arrangement)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में वासेनार अरेंजमेंट (WA) ने भारत को नए सदस्य के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया।

वासेनार अरेंजमेंट क्या है?

- यह एक बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्था (MECR) है। यह परंपरागत हथियारों और दोहरे उपयोग वाली सामग्रियों एवं प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण में **पारदर्शिता तथा अधिक जवाबदेही को बढ़ावा** देती है।
- इसे 1996 में शीत युद्ध काल के बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण हेतु समन्वयक समिति (CoCom) के परवर्ती के रूप में स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया में स्थित है।
- नवीनतम सदस्य भारत सहित इसकी कुल सदस्य संख्या 42 है। चीन को छोड़कर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सभी स्थायी सदस्य देश वासेनार अरेंजमेंट के हस्ताक्षरकर्ता हैं।
- यह **वासेनार नियंत्रण सूची** के अनुसार कार्य करता है जिसके अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि सदस्य देशों द्वारा संवेदनशील दोहरे उपयोग वाली सामग्रियों एवं प्रौद्योगिकियों पर सूचनाओं का आदान-प्रदान किया जाएगा। साथ ही इसके तहत गैर-भागीदारों को किये जाने वाले ऐसे हस्तांतरणों व नियंत्रित सामग्रियों के हस्तांतरण से मना करने के विषय में रिपोर्ट देना आवश्यक है।

अन्य प्रमुख निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाएं

- **ऑस्ट्रेलिया ग्रुप:** यह 42 देशों का एक अनौपचारिक समूह है। इसका उद्देश्य रासायनिक और जैविक हथियारों के प्रसार को नियंत्रित करना है।
- **परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (NSG):** यह 48 परमाणु सामग्री आपूर्तिकर्ता देशों का एक समूह है। यह परमाणु सामग्री के प्रसार को नियंत्रित करने के विचार से परमाणु उपकरणों के निर्यात से संबंधित नियमों का निर्माण और उनका क्रियान्वयन करता है।
- **मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था (MTCR):** यह 35 देशों की परस्पर स्वैच्छिक साझेदारी है। इसका उद्देश्य 500 किग्रा. से अधिक के पेलोड को 300 किमी. से अधिक दूरी तक ले जाने में सक्षम मिसाइलों व मानवरहित विमानों (UAVs) के निर्माण वाली प्रौद्योगिकी के प्रसार को रोकना है।

चीन NSG के अतिरिक्त अन्य निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाओं का सदस्य नहीं है।

पृष्ठभूमि

- भारत ने पिछले वर्ष अप्रैल में *स्पेशल केमिकल, ऑर्गेनिज़्म, मैटेरियल्स, इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजीज* ***(SCOMET)*** की सूची घोषित की थी।
- SCOMET सूची के माध्यम से भारत ने अपनी विदेश व्यापार नीति के अंतर्गत दोहरे उपयोग की प्रौद्योगिकियों को सूचीबद्ध किया ताकि भारत के निर्यात नियंत्रणों को वासेनार अरेंजमेंट के समकक्ष लाया जा सके।

भारत के वासेनार अरेंजमेंट में प्रवेश के निहितार्थ

- **दोहरे उपयोग की प्रौद्योगिकियों तक पहुँच** जिसका असैन्य और सैन्य दोनों उद्देश्यों हेतु उपयोग किया जा सकता है।
- **NSG सदस्यता की दावेदारी को मजबूती:** इन दोनों निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाओं में प्रवेश के फलस्वरूप भारत के लिए परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह का सदस्य बनने हेतु आवश्यक समर्थन प्राप्त करना आसान हो जाएगा जिसका चीन द्वारा लगातार विरोध किया जाता रहा है।

- **भारत की विश्वसनीयता में वृद्धि:** इससे परंपरागत हथियारों के हस्तांतरण के साथ-साथ दोहरे उपयोग वाली सामग्रियों व प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में एक ज़िम्मेदार राष्ट्र के रूप में भारत की प्रतिष्ठा की पुनर्पुष्टि हुई है।
- **रक्षा व अंतरिक्ष क्षेत्रों को प्रोत्साहन:** DRDO और ISRO की पहुँच क्रायोजेनिक व ICBM प्रौद्योगिकी आदि तक सीमित थी। अब, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी तक भारत की पहुँच सुनिश्चित करने वाली निर्यात नियंत्रण व्यवस्था का पुनर्निर्माण किया जाएगा।
- **औद्योगिक संबंध:** वासेनार अरेंजमेंट में प्रवेश प्राप्त करने के बाद यह अपेक्षित है कि इससे भारत को कुछ लाइसेंसिंग छूट मिलेगी। इस छूट के फलस्वरूप भारतीय उद्योग अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रौद्योगिकी का लाभ उठा सकेंगे।

2.3. अमेरिका की नई सुरक्षा रणनीति

(The New US Security Strategy)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनी नई सुरक्षा रणनीति (NSS) की घोषणा की है।

मुख्य बिंदु

- **इंडो-पैसिफिक क्षेत्र -** इस दस्तावेज़ में भारत को स्पष्ट रूप से इंडो-पैसिफिक (हिंद-प्रशांत महासागर) क्षेत्र की परिभाषा में शामिल किया गया है। यह क्षेत्र "भारत के पश्चिमी तट से संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी तट" तक विस्तृत है।
- **चीन और रूस से मुकाबला -** चीन और रूस को अपने स्वयं के आदर्शों के अनुरूप विश्व को ढालने की सोच रखने वाली "संशोधनवादी शक्तियाँ (revisionist powers)" माना गया है।
- **भारत के साथ बढ़ता गठबंधन -** यह नीति भारत के साथ एक गहन साझेदारी को बढ़ावा देती है तथा पाकिस्तान को अपनी भूमि से संचालित होने वाले "पारदेशीय आतंकवाद" के विरुद्ध कार्यवाही करने का निर्देश देती है।
- **द्विपक्षीय व्यापार की ओर झुकाव-** यह नीति बहु-पक्षीय व्यापार लेन-देन के स्थान पर द्विपक्षीय लेन-देन का समर्थन करती है क्योंकि वर्तमान में देश एक दूसरे के साथ तीव्र प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं।
- इसमें संयुक्त राष्ट्र व अन्य अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों को अमेरिकी हितों के प्रति अहितकर होने के स्थान पर समझौतावादी दृष्टिकोण अपनाने की बात कही गई है।

मूल्यांकन

- **"अमेरिका फर्स्ट" के एजेंडे** पर आधारित यह रणनीति प्रबल रूप से अमेरिका के आर्थिक क्रियाकलापों पर केन्द्रित है। इस रणनीति के अनुसार अमेरिका की आर्थिक सुरक्षा उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा का मूल आधार है।
- यह रणनीति, जीवाश्म ईंधनों के दोहन के साथ-साथ अमेरिका के लिए **"ऊर्जा के क्षेत्र में प्रभुत्व"** स्थापित करना और उसे बनाए रखना आवश्यक मानती है। इसके साथ ही पेरिस जलवायु समझौते से पीछे हटने की अमेरिकी नीति के अनुरूप ही यह **जलवायु परिवर्तन के दावे को नकारती है।**
- यह ISIS जैसे आतंकवादी समूहों के विरुद्ध **अमेरिका की सैन्य कार्यवाही** पर बल देती है तथा साथ ही साइबर सुरक्षा व आव्रजन प्रवर्तन पर भी बल देती है।

भारत के लिए महत्त्व

- यह रणनीति भारत को एक **"लीडिंग ग्लोबल पावर" (प्रमुख वैश्विक शक्ति)** व **"स्ट्रांगर स्ट्रेटेजिक एंड डिफेन्स पार्टनर" (मजबूत रणनीतिक एवं रक्षा सहयोगी)** के रूप में मान्यता प्रदान करती है तथा जापान, ऑस्ट्रेलिया व भारत के साथ आपसी सहयोग (quadrilateral cooperation) बढ़ाने की माँग करती है।
- इसके पूर्व 2015 में भारत को केवल "क्षेत्रीय सुरक्षा प्रदाता **(रीजनल प्रोवाइडर ऑफ़ सिक्यूरिटी)** और 2010 में "21वीं सदी के प्रभाव केन्द्रों में से एक" **(21st सेंचुरी सेंटर्स ऑफ़ इन्फ्लुएंस)** का दर्जा दिया गया था। जबकि वर्तमान रणनीति में भारत को दिया गया यह दर्जा भारत-अमेरिका संबंधों के एक नए और उन्नत चरण को दर्शाता है।
- यह रणनीति, अपनी परमाणु परिसंपत्तियों के "जिम्मेदार प्रबंधक" के रूप में **पाकिस्तान पर** उसके आतंकवाद रोधी प्रयासों को और अधिक तेज़ करने का **दबाव** बनाती है। यह भारत-पाकिस्तान संबंधों के परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण है।
- यह चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (जिसका भारत समर्थन नहीं करता) का अप्रत्यक्ष रूप से संदर्भ प्रस्तुत करते हुए **दक्षिण एशियाई देशों की संप्रभुता का समर्थन** करती है।
- अमेरिका ने प्रतिबद्धता जताई है कि वह समृद्धि बढ़ाने के लिए मध्य और दक्षिण एशिया के **आर्थिक समेकन** का समर्थन करेगा तथा भारत को भी इस क्षेत्र में अपना आपसी सहयोग बढ़ाना चाहिए।

आगे की राह

हालाँकि यह रणनीति भारत का पूर्ण रूप से समर्थन करती है, तथापि इस सन्दर्भ में निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए–

- जहाँ इंडो-पैसिफिक का विचार सुनने में भव्य एवं आकर्षक प्रतीत होता है, वहीं भारत को यह नहीं भूलना चाहिए कि उसकी चिंता का प्राथमिक विषय उसका निकटवर्ती पड़ोसी देश है।
- अत: इस क्षेत्र में अपनी स्थिति को मजबूत करना किसी अन्य क्षेत्र पर ध्यान केन्द्रित करने की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है।

VISION IAS

- भारत को अमेरिका द्वारा उसे चीन के विरुद्ध उपयोग किए जाने के किसी भी प्रयास से सावधान रहना चाहिए क्योंकि इससे भारत-चीन संबंध खतरे में पड़ सकते हैं।
- भारत को अपने पड़ोस में ही क्षमता निर्माण करने की आवश्यकता है क्योंकि चीन अफ्रीका, पश्चिम एशिया और हिंद महासागर में अपने विदेशी सैन्य ठिकानों के निर्माण की संभावनाएं तलाश रहा है।

2.4. अमेरिका ने यरुशलम को इजरायल की राजधानी के रूप में मान्यता दी

(US Recognises Jerusalem as Capital of Israel)

सुर्ख़ियों में क्यों?

अमेरिकी राष्ट्रपति ने यरुशलम को इजरायल की राजधानी के रूप में मान्यता प्रदान की है तथा अपने दूतावास को तेल-अवीव से यरुशलम स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है।

यरुशलम के सन्दर्भ में ट्रम्प के निर्णय के निहितार्थ क्या हैं?

- **एक मध्यस्थ के रूप में अमेरिका की विश्वसनीयता में कमी:** अमेरिका का यह निर्णय लंबे समय से तटस्थ बने रहने की उसकी नीति के विपरीत है। इसके साथ ही स्पष्ट रूप से इजरायल का पक्ष लेने से फ़िलिस्तीन, पश्चिम एशिया व अफगानिस्तान में शांति स्थापक के रूप में उसकी भूमिका प्रभावित हो सकती है।
- ***टू स्टेट सॉल्यूशन* को जटिल बनाना:** यह *टू स्टेट सॉल्यूशन* के लिए मैड्रिड सम्मेलन और ओस्लो समझौतों जैसे वर्षों के कूटनीतिक प्रयासों को कमजोर कर सकता है।
- **धार्मिक तनावों में वृद्धि:** यरुशलम पर मुस्लिमों के दावों की कथित अवहेलना मुस्लिम जगत में तीव्र विरोध को जन्म दे सकती है। यरुशलम न केवल यहूदी धर्म का पवित्रतम स्थल माना जाता है अपितु यह इस्लाम का तीसरा सबसे पवित्र स्थान तथा एक प्रमुख ईसाई धार्मिक स्थल भी है।
- **क्षेत्रीय संघर्ष:** हमास (HAMAS) ने तीसरा इंतिफादा (स्वत:स्फूर्त विरोध प्रदर्शन) घोषित कर दिया है। इसके साथ ही ईरान एवं सीरिया खुलकर फिलिस्तीन के समर्थन में आ गए हैं, जिससे इस क्षेत्र में उथल-पुथल और अस्थिरता बढ़ गई है।

इजरायल फिलिस्तीन मुद्दे का *टू स्टेट सॉल्यूशन:*

इसके अंतर्गत जॉर्डन नदी के पश्चिम में इजरायल के निकट एक स्वतंत्र फिलिस्तीन राज्य की कल्पना की गई है।

- **1937:** यह पील आयोग की रिपोर्ट के आधार पर प्रस्तावित किया गया था परन्तु अरबों द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया।
- **1948:** संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रस्तुत विभाजन योजना के अंतर्गत यरुशलम को अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण में रखा गया।
- **ओस्लो समझौता, 1991:** इसने वर्तमान में विद्यमान राजनीतिक सीमाओं का आधार प्रदान किया।
- **1991 का मेड्रिड सम्मेलन** वार्ताओं के माध्यम से इजरायल-फ़िलिस्तीन शांति प्रक्रिया को पुनर्जीवित करने हेतु इस शांति सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसे अमेरिका और रूस का समर्थन प्राप्त था।
- **सुरक्षा परिषद प्रस्ताव 1397:** अमेरिका के समर्थन से वर्ष 2000 में इस पर सहमति बनी। *टू स्टेट सॉल्यूशन* पर सहमति प्रदान करने वाला सुरक्षा परिषद का यह प्रथम प्रस्ताव था।

UN की प्रतिक्रिया और इस मुद्दे पर भारत का रुख

- अमेरिका के इस कदम के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यरुशलम को इजरायल की राजधानी मानने वाले अमेरिकी प्रस्ताव के विरुद्ध 128-9 के बहुमत से मतदान कराया। इसने पुष्टि की कि यरुशलम का अंतिम समाधान संयुक्त राष्ट्र के उचित प्रस्तावों के अनुरूप वार्ताओं के माध्यम से किया जाएगा।
- भारत ने अमेरिका की दबाव बनाने की रणनीति के बावजूद मतदान से अनुपस्थित रहने की अपेक्षा अमेरिकी प्रस्ताव के विरुद्ध मतदान किया। इससे निम्नलिखित संकेत प्राप्त होते हैं:
  - यह भारत की **गुट-निरपेक्ष नीति** और फिलिस्तीन को उसके समर्थन के अनुरूप है।
  - यह कदम अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत के एक संतुलनकारी शक्ति से एक अग्रणी शक्ति की तरफ बढ़ने का प्रतिनिधित्व करता है। इससे पूर्व भी भारत ने चागोस द्वीपसमूह पर मॉरीशस की संप्रभुता का समर्थन किया था और अमेरिका की आपत्तियों के बावजूद वह ICJ में सीट प्राप्त करने में सफल रहा।
  - फिलिस्तीन का समर्थन कर भारत ने SCO, BRICS जैसे बड़े समूहों व प्रमुख यूरोपीय देशों के पक्ष का समर्थन किया है।
  - पश्चिम एशिया की शांति एवं स्थिरता के साथ भारत के महत्त्वपूर्ण हित जुड़े हुए हैं। अपने हितों की रक्षा के लिए भारत द्वारा यह कदम उठाया जाना आवश्यक था।

VISION IAS

2.5. अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन

(International Maritime Organisation: IMO)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत को दो वर्षों (2018-19) के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) की परिषद में पुनः निर्वाचित किया गया है। इसे श्रेणी "B" के अंतर्गत सदस्यता प्रदान की गयी है।

अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन

- IMO **संयुक्त राष्ट्र की एक विशेषीकृत एजेंसी** है। यह स्वच्छ महासागर में **सुरक्षित, सुदृढ़ और कुशल पोत-परिवहन** हेतु प्रतिबद्ध है। यह उचित, प्रभावी व वैश्विक रूप से स्वीकृत विनियामकीय रूपरेखा के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- इसका मुख्यालय **लंदन** में स्थित है। **IMO में 172 सदस्य व तीन सहायक सदस्य** हैं।

महत्वपूर्ण सम्मेलन

- ***इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ़ शिप्स' बैलास्ट वाटर एंड सेडिमेंट्स (BWM):*** यह सितंबर 2017 में प्रभाव में आया। इसका उद्देश्य जहाजों के बैलास्ट वाटर (जहाज़ों को स्थिर बनाए रखने हेतु भार के रूप में रखा गया जल) एवं गाद के प्रबंधन हेतु मानक स्थापित करना है। इन मानकों द्वारा हानिकारक जलीय जीवों को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में प्रसारित होने से रोका जा सकेगा।
- ***इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सिविल लिबर्टी फॉर बंकर ऑइल पोल्यूशन डैमेज (BUNKER):*** इसका उद्देश्य बंकरों में तेल ले जाने वाले जहाज़ों से हुए तेल के रिसावों के कारण होने वाली क्षति से प्रभावित लोगों को पर्याप्त, त्वरित व प्रभावी क्षतिपूर्ति उपलब्ध करवाना है।
- ***इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द सेफ्टी ऑफ़ लाइफ एट सी (SOLAS),* 1974:** इसका उद्देश्य जहाजों की सुरक्षा के लिए उपयुक्त न्यूनतम मानकों का निर्धारण करना है। इसके अंतर्गत जहाज निर्माण, संबंधित उपकरणों व जहाज संचालन हेतु मानकों का निर्धारण सम्मिलित है।

भारत तथा IMO

- भारत IMO के आरंभिक सदस्यों में से एक है। इसने 34 से अधिक IMO सम्मेलनों व प्रोटोकॉल्स का अनुसमर्थन किया है। इसने 1959 में IMO की सदस्यता प्राप्त की थी।
- भारत, IMO को आवश्यकता पड़ने पर **विशेषज्ञ मानव बल** प्रदान करता है। उदाहरण के लिए भारतीय लेखा परीक्षक, ***वालंटियरी आईएमओ मेम्बर स्टेट ऑडिट स्कीम (VIMSAS)*** में अपनी सेवाएँ प्रदान करते हैं।
- भारत के लिए IMO निम्नलिखित कारणों से महत्वपूर्ण है-
  - भारतीय व्यापार के कुल व्यापार का 95% (मात्रा में) तथा 70% (मूल्य में) समुद्री परिवहन के माध्यम से किया जाता है।
  - भारत में 12 प्रमुख और 200 छोटे बंदरगाह हैं। इन पर वर्ष 2015 में 1,052 MMT कार्गो का प्रबंधन किया गया। इसके वर्ष 2017 तक 1,758 MMT तक होने की संभावना थी।

भारत की समुद्री पहलें

- व्यापारिक जहाज़ों की सुरक्षा हेतु **SOLAS कन्वेंशन** की पुष्टि।
- IMO तथा कांटेक्ट ग्रुप ऑन पायरेसी ऑन द कोस्ट ऑफ़ सोमालिया (CGPCS) के साथ मिलकर हिंद महासागर के उच्च जोखिम क्षेत्र में सक्रिय पहल।
- भारत ने ILO को **सीफेरर आइडेंटी डाक्यूमेंट्स कन्वेंशन (संशोधित), 2003** व **मेरीटाइम लेबर कन्वेंशन, 2006** के संदर्भ में *इंस्ट्रूमेंट ऑफ़ रेटीफिकेशन* प्रस्तुत किया है।

2.6. अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन

(International Solar Alliance)

सुर्ख़ियों में क्यों?

अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, 6 दिसंबर को एक **संधि आधारित अंतरसरकारी संगठन** बन गया। इस दिन को **वैश्विक ऊर्जा पहुँच दिवस** के रूप में मनाया जाता है।

अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) के बारे में

- नवंबर 2015 में **भारत व फ्रांस द्वारा** संयुक्त रूप से इसका **उद्घाटन** संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन (COP-21) के दौरान पेरिस में किया गया था।
- इसका मुख्यालय भारत में है। इसका **सचिवालय गुरुग्राम (हरियाणा) के राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान में** अवस्थित है।
- यह कर्क रेखा व मकर रेखा के बीच पूर्ण अथवा आंशिक रूप से अवस्थित सौर प्रकाश समृद्ध देशों की माँग, प्रौद्योगिकी और नवाचार को एकीकृत कर बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देगा।
- इसके द्वारा 2030 तक 1,000 GW अतिरिक्त सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है।
- अब तक 46 देशों द्वारा ISA के फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर तथा 19 देशों द्वारा इसका अनुमोदन किया जा चुका है।
- ISA द्वारा **तीन कार्यक्रम** प्रारम्भ किए गए हैं- कृषिगत उपयोग हेतु सौर अनुप्रयोगों को बढ़ावा देना, वहनीय वित्तीय सेवाएँ उपलब्ध कराना तथा सोलर मिनी-ग्रिड्स का विकास करना।

महत्त्व

- यह सौर ऊर्जा पर पहला विशेषीकृत अंतरसरकारी निकाय है जिसके द्वारा **सौर ऊर्जा पर अनुसंधान एवं विकास** (विद्युत उत्पादन से उसके संग्रहण तक) **को गति** प्रदान की जाएगी।
- इसके अंतर्गत सौर ऊर्जा के विकास हेतु विभिन्न स्रोतों से **निवेश जुटाया जाएगा**। इसके लिए इसने पहले ही विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक एवं यूरोपीय बैंक जैसी बहुपक्षीय एजेंसियों से सम्पर्क स्थापित किया है।
- यह पहला अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मुख्यालय स्थायी रूप से भारत में बनाया गया है। यह भारत को सौर ऊर्जा में निवेश हेतु और आकर्षक गंतव्य बनाएगा। साथ ही यह 2022 तक 175 GW नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करेगा।

2.7. मालदीव एवं चीन

(Maldives and China)

सुर्ख़ियों में क्यों?

मालदीव ने चीन के साथ अपने प्रथम **मुक्त व्यापार समझौते (FTA)** पर हस्ताक्षर किए हैं।

FTA के बारे में

- FTA द्वारा 95 से अधिक द्विपक्षीय व्यापार मदों को प्रशुल्कों से छूट प्रदान की जाएगी तथा साथ ही वित्त, औषधि, पर्यटन और मत्स्यन जैसे क्षेत्रों में आपसी सहयोग में वृद्धि की जाएगी।
- हालांकि इस संबंध में कुछ चिंताएँ भी हैं, जैसे–
  - FTA को संसद ने रिकॉर्ड एक घंटे में बिना किसी चर्चा के पारित कर दिया। साथ ही इस मुद्दे को जनता के समक्ष भी नहीं रखा गया।
  - चीन-मालदीव व्यापार संतुलन अधिकांशत: चीन के पक्ष में ही रहा है। इस बात की चिंता व्यक्त की जा रही हैं कि FTA इस **घाटे में और वृद्धि करेगा** तथा मालदीव को **श्रीलंका की भांति ऋण जाल की ओर धकेल देगा**।

दक्षिण एशिया में चीन की बढ़ती उपस्थिति

FTA की घोषणा दक्षिण एशिया में चीन की बढ़ती पहुँच का एक और संकेत है।

- चीन ने पहले ही पाकिस्तान के साथ FTA पर हस्ताक्षर किये हैं। इसके साथ ही वह बांग्लादेश, श्रीलंका व नेपाल के साथ भी ऐसे ही FTAs पर हस्ताक्षर किए जाने की संभावनाएं तलाश रहा है तथा इस सम्बन्ध में वार्ताएं कर रहा है।
- मालदीव ने **चीन के समुद्री रेशम मार्ग (maritime silk route)** में साझेदार बनने की सहमति भी व्यक्त की है।

भारत के लिए चिंताए

- भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता यह है कि FTA मालदीव को चीन के सुरक्षा जाल (security net) के और अधिक निकट ले जाएगा।
- राष्ट्रपति यामीन ने दिल्ली की अपनी यात्रा के दौरान कहा था कि मालदीव पहले भारत के साथ FTA पर हस्ताक्षर करेगा लेकिन फिर भी उसने चीन के साथ FTA पर हस्ताक्षर किए।

2.8. अमेरिका वैश्विक प्रवसन समझौते से अलग हुआ

(US Withdraws from Global Compact on Migration)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में अमेरिका **संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक प्रवसन समझौते** को अपनी प्रवसन नीतियों के साथ असंगत मानते हुए इससे अलग हो गया।

संयुक्त राष्ट्र का वैश्विक प्रवसन समझौता क्या है?

- यह **अंतरसरकारी वार्ता पर आधारित प्रथम समझौता** है। इसे **सतत विकास एजेंडा 2030 के लक्ष्य 10.7** के अनुरूप तैयार किया गया है। इसके तहत सदस्य देश **सुरक्षित, व्यवस्थित व नियमित प्रवसन** हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता व्यक्त करते हैं।
- इसके निम्नलिखित मुख्य उद्देश्य हैं-
    - मानवीय, विकासात्मक, मानवाधिकार सहित अंतर्राष्ट्रीय प्रवसन के अन्य सभी पहलुओं को सम्बोधित करना।
    - वैश्विक अभिशासन (ग्लोबल गवर्नेंस) में महत्वपूर्ण सहयोग करना तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रवसन पर समन्वय को बढ़ावा देना।
    - प्रवसन तथा मानव गतिशीलता (mobility) पर व्यापक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की एक रूपरेखा प्रस्तुत करना।
    - अंतर्राष्ट्रीय प्रवसन के सभी आयामों के सन्दर्भ में सदस्य देशों के मध्य व्यवहार्य प्रतिबद्धताओं, इसके कार्यान्वयन के साधनों तथा निगरानी व समीक्षा हेतु एक रूपरेखा निर्धारित करना।
- इसे सितम्बर 2016 में **न्यूयॉर्क डिक्लरेशन फॉर रिफ्यूज़ीज एंड माइग्रेंट्स** (जिसे संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्यों द्वारा अपनाया गया था) के तहत संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में तैयार किया गया था। इस घोषणा की **प्रकृति गैर-बाध्यकारी** है।
- भारत ने भी इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं।
- इसे 2018 में अपनाया जाना है। इस समझौते को **प्रवसन से संबंधित शासन (गवर्नेंस) में सुधार करने तथा** वर्तमान की प्रवसन सम्बन्धी चुनौतियों के समाधान हेतु एक महत्वपूर्ण अवसर के रूप में देखा जा रहा है।
- इसके माध्यम से संधारणीय विकास के लिए प्रवसन एवं प्रवासियों के योगदान को प्रोत्साहन दिया जाएगा।

2.9. परमानेंट स्ट्रक्चर्ड को-ऑपरेशन ऑन डिफेन्स

(Permanent Structured Cooperation on Defence: PESCO)

सुर्ख़ियों में क्यों?

यूरोपीय यूनियन ने एक *परमानेंट स्ट्रक्चर्ड को-ऑपरेशन ऑन डिफेन्स* नामक यूरोपीय यूनियन रक्षा समझौते की स्थापना का निर्णय लिया है।

लिस्बन संधि- यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इसके द्वारा संवैधानिक आधार पर यूरोपीय यूनियन को गठित करने के लिए मास्ट्रिच संधि व रोम की संधि में संशोधन किया गया। 2007 में EU के सदस्य देशों द्वारा इस पर हस्ताक्षर किए गए।

समझौते के बारे में

- यह एक अंतरसरकारी, बाध्यकारी एवं स्थायी फ्रेमवर्क है तथा यूरोपीय यूनियन ढ़ांचे के अंतर्गत रक्षा सहयोग को उत्तरोत्तर गहन बनाने हेतु एक संरचित प्रक्रिया (structured process) है।
- इसका उद्देश्य संयुक्त रूप से रक्षा क्षमताओं का विकास करना तथा इन क्षमताओं को EU के सैन्य अभियानों हेतु उपलब्ध करवाना है।
- सदस्य देश PESCO के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र के साथ-साथ NATO को भी ये सैन्य क्षमताएं उपलब्ध करवा सकते हैं।

- **PESCO का महत्त्व–**
  - यह EU की सामरिक स्वायत्तता और आवश्यकता पड़ने पर अकेले कार्यवाही करने के अधिकार को पुन: स्थापित करता है।
  - यह सदस्य राष्ट्रों की राष्ट्रीय सुरक्षा व संप्रभुता को अक्षुण्ण बनाए रखने के साथ PESCO के अंतर्गत विकसित की गई सैन्य क्षमताओं का प्रयोग करने की अनुमति प्रदान करता है।
  - साथ ही यह यूरोप में विभिन्न हथियार प्रणालियों में कमी कर सदस्यों के मध्य परिचालन सहयोग, पारस्परिकता और औद्योगिक प्रतिस्पर्धा को मजबूत करता है।

डेनमार्क, माल्टा व ब्रिटेन को छोड़कर, अभी तक EU के 25 सदस्यों द्वारा इस समझौते पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। नाटो के सदस्य भी PESCO के सदस्य बन सकते हैं। हालांकि **गैर- EU नाटो सदस्यों** को इसमें सम्मिलित करने का **कोई प्रावधान नहीं है**।

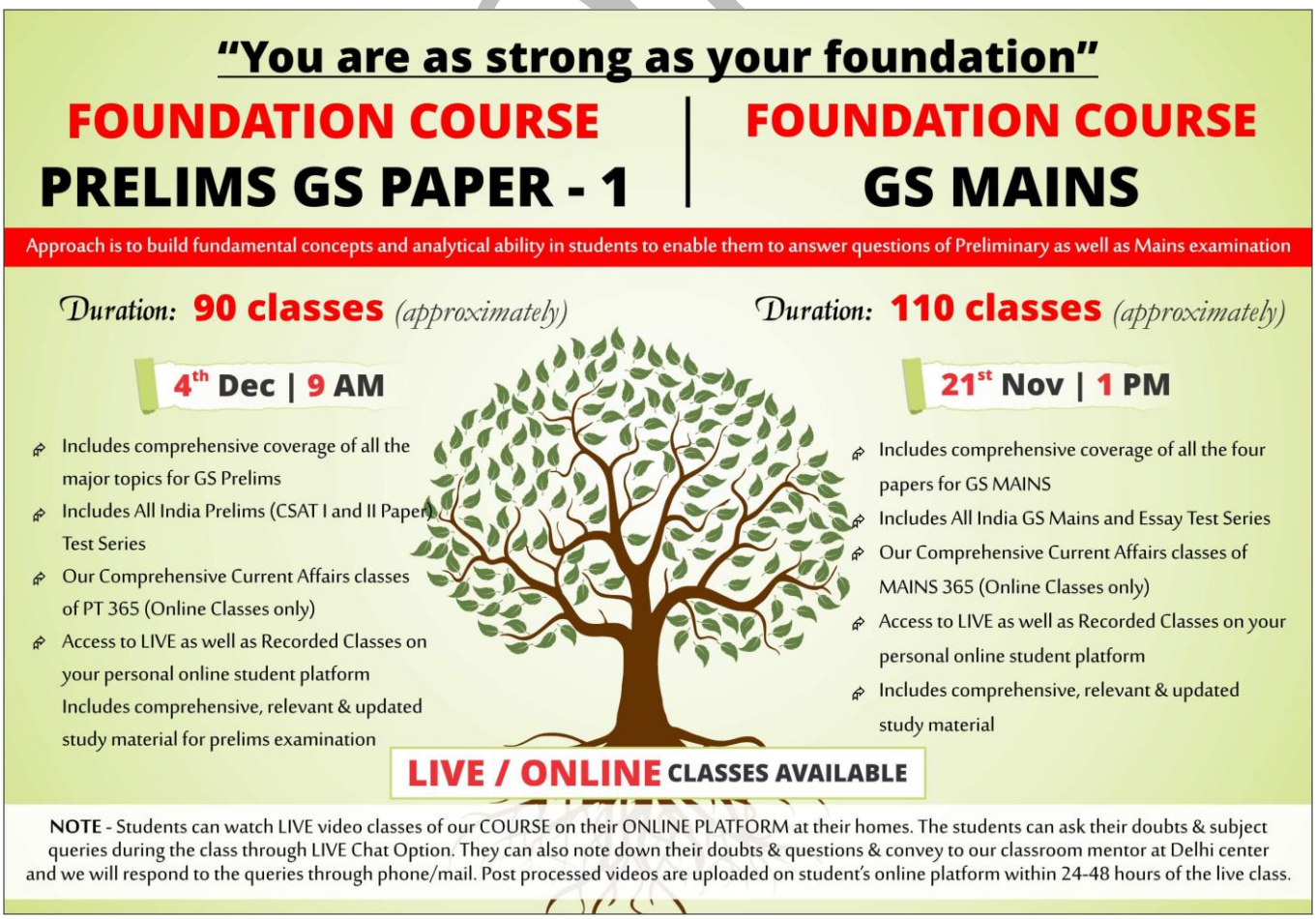

3. अर्थव्यवस्था

(ECONOMY)

3.1. संसाधन दक्षता रणनीति

(Strategy on Resource Efficiency)

सुर्खियों में क्यों?

नीति आयोग ने 'भारत में यूरोपियन यूनियन के शिष्टमंडल' के सहयोग से संसाधन दक्षता (RE) पर रणनीति जारी की है।

परिचय

- संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) द्वारा 2007 में **इंटरनेशनल रिसोर्स पैनल (IRP)** की स्थापना की गयी। इसका उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों के संधारणीय उपयोग एवं उनके पर्यावरणीय प्रभावों व नीतिगत दृष्टिकोण पर स्वतंत्र वैज्ञानिक आकलन प्रदान करने के लिए केंद्रीय संस्थान के रूप में कार्य करना है।
- विभिन्न देशों ने संसाधन दक्षता (RE) पर प्रासंगिक कदम उठाए हैं। इससे भारत द्वारा इस दिशा में इसी प्रकार के कदम उठाए जाने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। उदाहरण के लिए -
  - जर्मन रिसोर्स इफिशन्सी प्रोग्राम (ProgRess), एवं
  - रिसोर्सेज इफिशन्ट यूरोप के लिए यूरोपियन कमीशन द्वारा जारी रोडमैप
- भारतीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) तथा इंडियन रिसोर्स पैनल (InRP) (अप्रैल 2017 में),ने **इंडियन रिसोर्स इफिशन्सी प्रोग्राम (IREP)** प्रारंभ किया है। इसका लक्ष्य संसाधन उपयोग को आर्थिक और पर्यावरणीय दृष्टि से संधारणीय बनाना है।
- IREP द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था और उद्योग में संसाधन-उपयोग दक्षता के संवर्द्धन हेतु **संसाधन दक्षता रणनीति विकसित** करने की अनुशंसा की गयी है।
- यह रणनीति दो रणनीतिक क्षेत्रों- निर्माण एवं गतिशीलता (mobility) के अजैविक पदार्थ संसाधनों (**abiotic material resources)** पर फोकस करती है। इन क्षेत्रों में उच्च वृद्धि दर दर्ज की गई है। इनका सकल घरेलू उत्पाद एवं रोजगार में महत्वपूर्ण योगदान है तथा ये पदार्थों के सबसे बड़े उपभोक्ता क्षेत्र भी हैं।

भारत में संसाधनों का उपयोग

भारत में पदार्थों के उपभोग में वृद्धि को प्रदर्शित करने वाली विभिन्न प्रवृत्तियाँ निम्नलिखित हैं-

- देश में उपभोग किये जाने वाले लगभग 97% पदार्थों का निष्कर्षण घरेलू स्तर पर ही किया जाता है। इनमें जैविक और गैर-नवीकरणीय पदार्थ भी शामिल हैं।
- 1970 से 2010 के मध्य प्राथमिक कच्चे माल के निष्कर्षण में लगभग 420% प्रतिशत की वृद्धि हुई।
- 2010 में, **भारत में पदार्थों की माँग (India's material demand) वैश्विक स्तर पर** चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद तीसरी सबसे बड़ी माँग थी। भारत द्वारा उस वर्ष विश्व के कुल निष्कर्षित कच्चे मालों के लगभग 7.2% का उपभोग किया गया।
- भारत की उपभोग पद्धति अत्यधिक विभेदित रही है। इसके कारण उच्च एवं मध्यम वर्ग को संसाधनों एवं पदार्थों की अति-आपूर्ति तथा निम्न वर्ग को निम्न आपूर्ति एवं उनकी आधारभूत न्यूनतम संसाधनों तक पहुँच के अभाव के मध्य सामंजस्य स्थापित करने की आवश्यकता है।

वैश्विक संदर्भ

- वैश्विक स्तर पर प्राथमिक पदार्थों के निष्कर्षण में 1970 में 24 मिलियन टन से बढ़कर 2010 में 70 बिलियन टन की वृद्धि हुई (UNDP 2016)।
- प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग में सर्वाधिक वृद्धि एशिया में देखी जा सकती है। यहाँ विशेषकर 1990 के बाद से केवल 40 वर्षों में प्राथमिक पदार्थों का निष्कर्षण पाँच गुना से अधिक हो गया है।

संसाधन दक्षता (RE) रणनीति की आवश्यकता

- उच्चतर आर्थिक विकास, उन्नतिशील मध्यम वर्ग, तीव्र शहरीकरण और बढ़ती जनसंख्या की पृष्ठभूमि में **संसाधन उपयोग की व्यापकता एवं तीव्रता में वृद्धि** हुई है।
- अतः **वृहद् आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और पर्यावरणीय परिणाम यथा** संसाधनों का क्षरण, कीमतों में उतार-चढ़ाव एवं प्राकृतिक संसाधनों के भंडारों में त्वरित कमी जैसी समस्याएँ उत्पन्न हुई हैं। ये संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग की तात्कालिक आवश्यकता पर बल देती हैं।

VISION IAS

- SDG-12 (**उत्तरदायित्व के साथ उपभोग और उत्पादन**) भी मानव जाति की समग्र सुरक्षा के संवर्धन हेतु, विकास एवं पर्यावरणीय संधारणीयता के मध्य अल्पकालिक दुविधा के समाधान के लिए संसाधन दक्षता की क्षमता को मान्यता प्रदान करता है।

संसाधन दक्षता

- **यह प्रदत्त लाभ या परिणाम तथा इसके लिए प्रयुक्त आवश्यक प्राकृतिक संसाधनों का अनुपात है।**
- इसका अर्थ पृथ्वी के सीमित संसाधनों का संधारणीय उपयोग करने के साथ-साथ पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों को कम करना है।
- यह **चक्रीय अर्थव्यवस्था** की अवधारणा से घनिष्ठ रूप से जुड़ा है। चक्रीय अर्थव्यवस्था से आशय संभावित संसाधनों को व्यर्थ करने के स्थान पर अपशिष्ट को नए उत्पादों एवं उपयोग में पुनःप्रयोग करने से है।
- हालाँकि, संसाधन दक्षता में उत्पादों के संपूर्ण जीवन-चक्र के माध्यम से रणनीतियों की व्यापक श्रंखला को सम्मिलित किया जाता है। ये है- **उत्खनन/निष्कर्षण → डिजाइन → विनिर्माण/उत्पादन → उपयोग/उपभोग → निपटान/ पुन:प्राप्ति।**
- यह रणनीति भारत के लिए आरंभिक अवस्था में संसाधन दक्षता के मापन हेतु **GDF प्रति घरेलू पदार्थ उपभोग (GDP per Domestic Material Consumption)** का उपयोग करने की अनुशंसा करती है। इसका कारण सार्वभौमिक रूप से किसी एकल प्रयोज्य संकेतक का विद्यमान न होना है।

संसाधन दक्षता के लाभ

आर्थिक:

- संसाधन उपलब्धता में सुधार करना, जिससे आपूर्ति अवरोधों के कारण कीमतों में होने वाली वृद्धि नियंत्रित होगी।
- औद्योगिक प्रतिस्पर्धा और लाभप्रदता में सुधार करना, क्योंकि पदार्थ लागत विनिर्माण क्षेत्रों के लिए सामान्यतः सबसे बड़ी लागत होती है।
- पुन:चक्रण क्षेत्र के साथ ही नवोन्मेषी डिजाइन एवं विनिर्माण में संलग्न नए उद्योगों का निर्माण।
- आयात पर निर्भरता कम कर देश के व्यापार संतुलन में सुधार करना। यह आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देने में सहायक है।

सामाजिक:

- संसाधन दक्षता, निष्कर्षण/खनन संबंधी दबावों को कम करेगी। इससे खनन क्षेत्रों में संघर्ष और विस्थापन में कमी लाने तथा स्थानीय समुदायों के स्वास्थ्य और कल्याण में सुधार करने में सहायता मिलेगी। क्योंकि भारत के खनिज समृद्ध क्षेत्र सघन वनों में विद्यमान हैं और यहाँ पर स्थानिक समुदाय निवास करते हैं।
- यह गरीबी उन्मूलन और मानव विकास के लिए आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता तथा संसाधनों तक पहुँच सुनिश्चित करने में सहायता प्रदान करेगी।
- इससे न केवल *रीसाइक्लिंग सेक्टर* में रोजगार का सृजन होता है बल्कि डिजाइन एवं विनिर्माण क्षेत्रों में भी उच्च कौशल रोजगार का सृजन होगा।
- भावी पीढ़ियों के लिए संसाधनों के संरक्षण की दिशा में सहायता प्राप्त होगी।

पर्यावरणीय:

- संसाधन दक्षता खनन से होने वाले पारिस्थितिक निम्नीकरण एवं प्रदूषण को कम करने में सहायक होगी।
- यह भू-दृश्य के जीर्णोद्धार (landscape restoration) एवं निम्नीकृत खनन क्षेत्रों के पुनर्नवीनीकरण के अवसर प्रदान करेगी।
- इससे अपशिष्ट पदार्थों के उत्पादन में कमी आएगी। यह कमी न केवल निपटान के कारण होने वाले प्रदूषण को कम करेगी अपितु संबंधित लागतों की भी बचत करेगी।
- चूँकि संसाधन का उत्खनन एवं उपयोग अत्यधिक ऊर्जा गहन गतिविधि है, अतः संसाधन दक्षता ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाएगी।

संसाधन दक्षता रणनीति हेतु अनुशंसाएँ

- इको लेबलिंग, मानक, प्रौद्योगिकी विकास, हरित सार्वजनिक खरीद नीति, औद्योगिक संकुल, जागरूकता इत्यादि के माध्यम से **प्रोत्साहन (Promotion)**।
- भौतिक उपभोग से आर्थिक विकास को पृथक करने हेतु व्यवहार्य तरीकों की सुविधा प्रदान करने के लिए **विनियमन (Regulation)**। इसमें व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण (viability gap funding), जीवन चक्र अवस्था के दौरान नीतिगत सुधार इत्यादि आर्थिक उपकरणों का उपयोग किया जाए।
- क्षमता विकास, संस्थागत स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण, डाटाबेस एवं संकेतक, आर्थिक सर्वेक्षण के भाग के रूप में संसाधन सूचकांक जैसे **संस्थागत विकास (Institutional development)**।

भारत में मौजूदा नीतिगत संदर्भ

- वर्तमान में विद्यमान अनेक नीतियाँ संसाधन-उपयोग को उनके जीवन चक्र में विभिन्न चरणों पर प्रभावित करती हैं। जैसे:
- **उत्खनन चरण-** राष्ट्रीय खनिज नीति, राष्ट्रीय लक्ष्य के रूप में शून्य-अपशिष्ट खनन को सम्मिलित करती है। साथ ही यह खनन प्रौद्योगिकी को उन्नत करने की आवश्यकता पर बल देती है।
- **डिज़ाइन चरण**- राष्ट्रीय आवास एवं पर्यावास नीति, 2007 एवं प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY), 2015 जैसी नीतियाँ, भवन अवयवों, सामग्रियों और निर्माण विधियों के लिए उपयुक्त पारिस्थितिकी डिज़ाइन मानकों का विकास करने पर बल देती हैं।

VISION IAS

- **विनिर्माण चरण** - "मेक इन इंडिया", प्रौद्योगिकी अधिग्रहण और विकास निधि (TADF) के माध्यम से ऊर्जा एवं जल दक्ष और प्रदूषण नियंत्रण संबंधी प्रौद्योगिकियों को विशेष सहायता प्रदान करता है।
- **उपयोग चरण/जीवन चक्र का अंतिम चरण**- खतरनाक अपशिष्ट, शहरी ठोस अपशिष्ट (MSW), निर्माण एवं विध्वंस (C&D) अपशिष्ट, प्लास्टिक अपशिष्ट और ई-वेस्ट के निपटान हेतु नीतियाँ।
- हालांकि, संसाधन दक्षता (RE) के लक्ष्यों को प्राप्त करने के संदर्भ में उनके डिजाइन, प्रभाव , एकीकरण या कार्यान्वयन प्रायः पूर्णतः उपयोगी नहीं होते हैं।

संसाधन दक्षता (RE) रणनीति के घटक

- संसाधन दक्षता मानकों के प्रभावों का आकलन (विविध अवधारणाओं एवं संकेतकों के माध्यम से) करना।
- चयनित क्षेत्रों में पदार्थ उपयोग का **आकलन** करना।
- चयनित क्षेत्रों में पदार्थ दक्षता में वृद्धि करना।

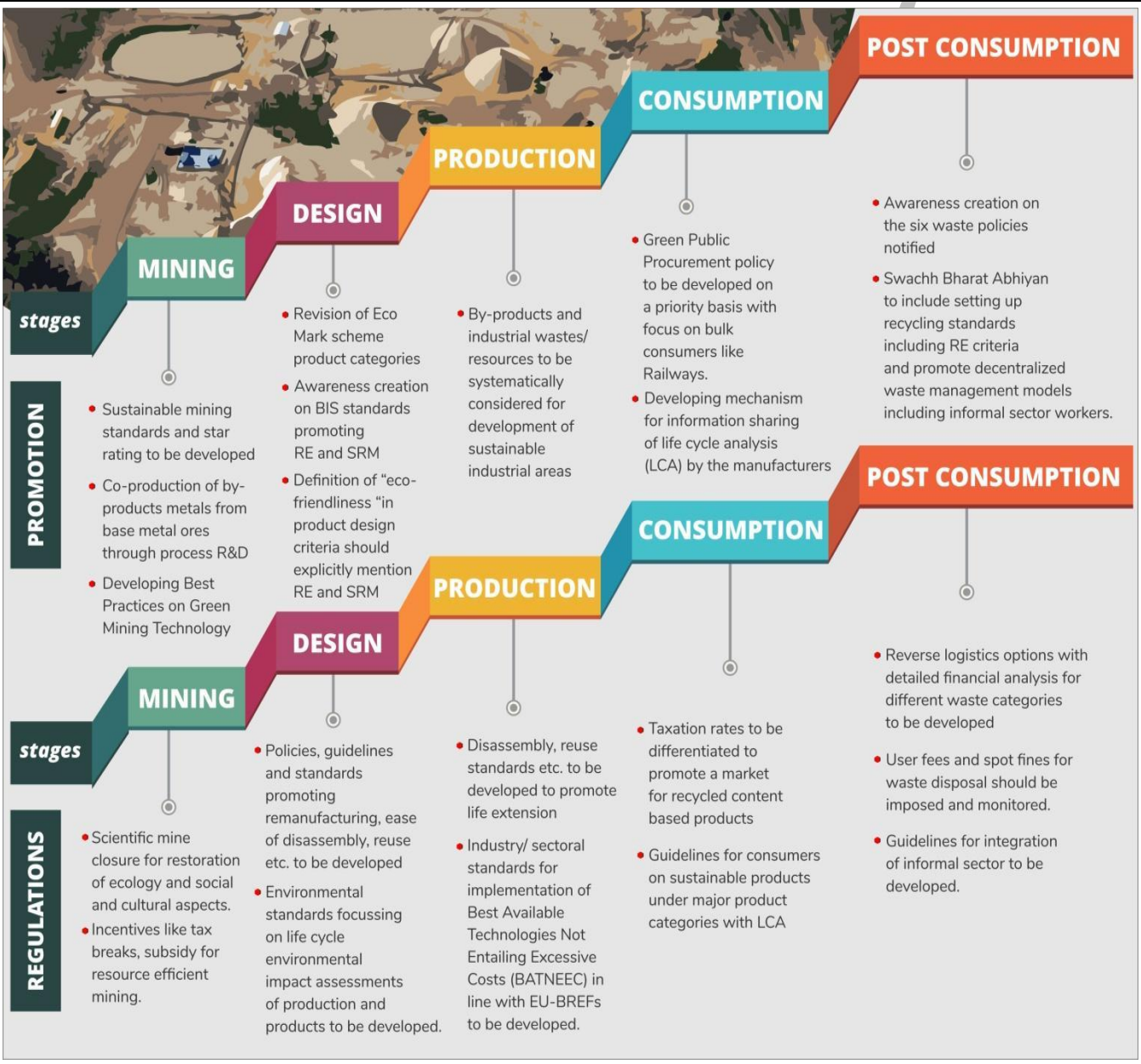

3.2. विश्व व्यापार संगठन का 11वाँ मंत्रिस्तरीय सम्मेलन

(WTO Ministerial Conference 11)

सुर्खियों में क्यों?

- विश्व व्यापार संगठन (WTO) का 11वाँ मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (MC11) दिसंबर, 2017 में अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में संपन्न हुआ। हालाँकि MC11 के अंत में सदस्य मंत्रिस्तरीय घोषणा पर सहमत होने में विफल रहे।

संधारणीय विकास लक्ष्य, लक्ष्य 14.6

2020 तक, निम्नलिखित को WTO मत्स्यन सब्सिडी समझौता वार्ता में अभिन्न भाग के रूप में स्वीकृति प्राप्त होनी चाहिए:

- मत्स्यन सब्सिडी के कुछ ऐसे प्रकारों को निषिद्ध करना जो ओवर कैपेसिटी और अतिमत्स्यन में योगदान करते हैं,
- ऐसी सब्सिडियों को समाप्त करना,जो अवैध, असूचित और अविनियमित मत्स्यन में योगदान करती हैं; तथा
- विकासशील एवं अल्प-विकसित देशों हेतु उपयुक्त और प्रभावी, विशिष्ट व विभेदक उपचार को मान्यता प्रदान करते हुए नई सब्सिडी को प्रारंभ करने से परहेज करना।

प्रमुख निष्कर्ष:

मत्स्यन सब्सिडी

- सदस्य राष्ट्रों ने मत्स्यन सब्सिडी पर समझौता सुनिश्चित करने हेतु प्रतिबद्धता व्यक्त की। इस समझौते का उद्देश्य 2019 के अंत तक अवैध, असूचित और अविनियमित (IUU) मत्स्यन हेतु प्रदान की जाने वाली सब्सिडी पर रोक लगाना है। यह संधारणीय विकास लक्ष्य 14.6 के तहत निर्धारित किया गया है।
- उन्होंने वर्तमान मत्स्यन सब्सिडी कार्यक्रमों की रिपोर्टिंग में सुधार करने हेतु भी प्रतिबद्धता व्यक्त की।

पब्लिक स्टॉक होल्डिंग (सार्वजनिक खाद्य भंडारण)

- खाद्य सुरक्षा प्रयोजन हेतु सार्वजनिक खाद्य भंडारण या कृषि सम्बन्धी अन्य मुद्दों पर कोई समाधान नहीं प्राप्त हो पाया। अतः भारत का खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम और इसकी वर्तमान सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रभावित नहीं होगी।
- यद्यपि, पीस क्लॉज का उपयोग करने के लिए भारत को पिछले वर्ष तक के अपने खाद्य सब्सिडी बिल के विवरण के सन्दर्भ में WTO को सूचना देनी होगी।

ई-कॉमर्स

- एक अन्य परिणाम **1998 के *ई-कॉमर्स* पर कार्यक्रम** को जारी रखने के रूप में प्राप्त हुआ। जहाँ कुछ देशों द्वारा इस मुद्दे पर समझौता वार्ताएँ आरंभ करने हेतु अत्यधिक दबाव बनाया जा रहा था, भारत द्वारा इसका विरोध किया गया।
- सर्वसम्मति से गैर-समझौताकारी प्रारूप (non-negotiating mode) में वार्ताएँ जारी रखने का निर्णय लिया गया- जो भारत के रुख की पुष्टि करता है।

गैर-व्यापारिक मुद्दे

- विकसित देशों द्वारा वार्ताओं में **लघु एवं मध्यम उद्यमों** हेतु **नियमों से लेकर वैश्विक व्यापार में लैंगिक अधिकारों** तक विभिन्न मुद्दों को लाने का प्रयास किया गया। इन मुद्दों को भारत द्वारा गैर-व्यापारिक मुद्दों के रूप में वर्गीकृत किया गया।
- इनमें से कई प्रस्ताव भारत के हितों के विरुद्ध हैं। साथ ही यदि मानकों को पहले से निर्धारित कर लिया जाए तो ये सरकारों के लिए नीतिगत संभावनाओं को भी कम करते हैं।

अन्य ऐसे मुद्दे जिनमें कोई समझौता नहीं हो पाया, निम्नलिखित हैं:

- कृषि उत्पादों के आयात में अप्रत्याशित वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए विकासशील देशों हेतु **विशेष सुरक्षा प्रणाली (SSM)** से संबंधित कार्यक्रम।
- विकासशील देशों के लिए **विशिष्ट एवं विभेदक उपचार** में सुधार हेतु 10 अनुबंध-विशिष्ट प्रस्तावों पर आधारित कार्यक्रम।
- लम्बे समय से विद्यमान **कपास का मुद्दा**, जिसके कारण 2005 के हांगकांग मंत्रिस्तरीय सम्मेलन से ही निर्यात सब्सिडी को समाप्त करने की माँग की जा रही है।

सार्वजनिक खाद्य भंडारण का मुद्दा

- WTO के कृषि समझौते (*अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर*) के अनुसार, किसी विकासशील देश का खाद्य सब्सिडी बिल उत्पादन मूल्य के 10% की सीमा से अधिक नहीं (1986-88 को आधार वर्ष मानते हुए) होना चाहिए।
- भारत और अन्य विकासशील देश खाद्य सब्सिडी पर लगाई गई उच्चतम सीमा के आकलन के सूत्र एवं आधार वर्ष में सुधार करने हेतु माँग करते रहे हैं। इसका कारण इस सीमा का घरेलू खाद्य सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने के लिए कम होना है।
- अंतरिम उपाय के रूप में, दिसंबर 2013 में बाली में आयोजित मंत्रिस्तरीय बैठक में WTO के सदस्यों ने ***पीस क्लॉज* नामक** एक कार्य प्रणाली स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की। साथ ही इस बैठक में ब्यूनस आयर्स में होने वाली 11वीं मंत्रिस्तरीय बैठक में स्थायी समाधान के लिए समझौता वार्ता करने पर प्रतिबद्धता व्यक्त की गयी।
- ***पीस क्लॉज*** के अंतर्गत, WTO के सदस्यों ने विकासशील देशों द्वारा निर्धारित उच्चतम सीमा के किसी उल्लंघन को WTO के विवाद निपटान फोरम में चुनौती न देने पर सहमति व्यक्त की थी। यह *क्लॉज़* खाद्य भंडार मुद्दे पर स्थायी समाधान होने तक जारी रहेगा।

VISION IAS

'महिलाओं तथा व्यापार' पर ब्यूनस आयर्स घोषणा -

यह घोषणा आइसलैंड और सिएरा लियोन की सरकारों के नेतृत्व में की गई थी। यह घोषणा व्यापार हेतु बाधाओं को शीघ्रता से समाप्त कर महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की माँग करती है। भारत ने इस घोषणा का समर्थन नहीं किया है।

भारत के लिए WTO की प्रासंगिकता

- क्षेत्रीय व्यापार समूह एकमात्र विकल्प नहीं हो सकते हैं,क्योंकि ये कुछ स्थानों में ही सफल हुए हैं। साथ ही द्विपक्षीय व्यापार समझौतों के सम्बन्ध में भारत का अनुभव सदैव अच्छा नहीं रहा है।
- द्विपक्षीय एवं क्षेत्रीय समझौते, व्यापार विचलन के जोखिम से ग्रस्त होते हैं। राजनीतिक रूप से उत्पन्न किये गए व्यापारिक संरक्षण में अंतर द्वारा वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह उस दिशा की ओर प्रोत्साहित हो सकता है, जो बाजार के परिप्रेक्ष्य से कुशल नहीं होती है।
- द्विपक्षीय एवं क्षेत्रीय संधियाँ पेटेंट जैसे कुछ चयनित क्षेत्रों में अधिक कठोरता से **"WTO प्लस"** परिस्थितियों के लिए भी मार्ग प्रशस्त करती हैं।
- प्रमुख कृषि निर्यातकों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा एवं ऑस्ट्रेलिया के साथ पृथक समझौता वार्ता के स्थान पर WTO के अंतर्गत समझौते द्वारा, भारत अपनी खाद्य खरीद और सार्वजनिक खाद्य भंडार नीतियों का संरक्षण बेहतर तरीके से कर सकता है।

निष्कर्ष

- हाल ही में ब्यूनस आयर्स में संपन्न हुई मंत्रिस्तरीय बैठक की विफलता, WTO के अस्तित्व के समक्ष उपस्थित संकट और इसके महत्व में आई कमी की परिचायक है।
- MC 11 की विचार-विमर्श की प्रकृति, परिवर्तित होती वैश्विक शक्ति की गतिशीलता की अभिव्यक्ति है।
- यद्यपि कुछ विकसित देश (इस मामले में संयुक्त राज्य अमेरिका) परिणामों को अपने हित के विरुद्ध जाने से रोक सकते हैं तथापि कुछ विकासशील देश अब बहुपक्षीय स्तर पर इसके प्रभुत्व का दृढ़ता से विरोध करने की स्थिति में हैं।
- इसलिए, WTO की कार्य प्रणाली में संरचनात्मक सुधार समय की आवश्यकता हैं; क्योंकि बाजार की उपलब्धता, सीमा शुल्क आदि पारस्परिक रूप से स्वीकृत सिद्धांतों पर आधारित, WTO द्वारा प्रस्तुत की गई बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली, वैश्विक रूप से परस्पर निर्भरता बनाए रखने हेतु महत्वपूर्ण बनी हुई है।

11वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन की असफलता के बाद भारत, विश्व व्यापार संगठन के कुछ सदस्यों की एक बैठक का आयोजन फरवरी 2018 में करेगा। इसका लक्ष्य,

- समान विचारधारा वाले राष्ट्रों को एकजुट करना,
- साझे हित के मुद्दों पर उपस्थित चिंताओं की व्याख्या तथा भारत की स्थिति स्पष्ट करना; तथा
- खाद्य सुरक्षा और अन्य मुद्दों के लिए समर्थन प्राप्त करना है।

3.3. विदेश व्यापार नीति की मध्यावधि समीक्षा

(Mid-Term Review of Foreign Trade Policy)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में, सरकार द्वारा विदेश व्यापार नीति (FTP) 2015-20 की मध्यावधि समीक्षा जारी की गई है।

GST का निर्यात पर प्रभाव:

- अल्पावधि में, अनेकों *रिटर्न फॉर्म* भरने के सन्दर्भ में GST का निर्यातकों पर नकारात्मक प्रभाव होता है।
- प्रोत्साहनों को वापस लेना: **ड्यूटी ड्रॉबैक योजना** (सीमाशुल्क को छोड़ कर) की अचानक वापसी से श्रम-गहन उद्योगों में रोज़गार कम हुए है।
- कपास के रेशे और मानव निर्मित वस्त्रों के लिए GST के अंतर्गत अप्रयुक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट रिफंड हेतु कोई व्यवस्था न होने के कारण संबंधित वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हुई है और वैश्विक बाजार में वस्त्र अप्रतिस्पर्धी बन गये हैं।
- निर्यातक की *GST रिटर्न* में दी गयी जानकारी और सीमाशुल्क प्राधिकारियों को प्रस्तुत किये गये शिपिंग बिलों में विसंगति होने के कारण रिफंड प्राप्ति में विलम्ब हो रहा है।
- GST के अंतर्गत, निर्यात पर वायु, समुद्र और रेलवे परिवहन द्वारा माल भाड़े की उच्च दरों के कारण निर्यातकों पर अतिरिक्त लागत का भार पड़ता है।
- *डीम्ड एक्सपोर्टर्स* को GST फ्रेमवर्क द्वारा मान्यता प्रदान नहीं की गई है। जिससे वे टैक्स-रिफंड लाभ की पात्रता से वंचित हो जाते हैं। परिणामस्वरूप ये निर्यातकों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को नकारात्मक रूप में प्रभावित करता है।

निर्यात पर GST के प्रभाव पर संसदीय समिति की अनुशंसाएं:

- **रिफंड प्रणाली के संबंध में –** इनपुट टैक्स क्रेडिट के रिफंड का दावा करने की अर्ध-स्वचालित प्रणाली को पूर्णतः स्वचालित प्रणाली में

परिवर्तित किया जाना चाहिए।

- **शिकायत निवारण के संबंध में–** निर्यातकों की शिकायत निवारण के लिए औपचारिक तन्त्र होना चाहिए, विशेषकर दावों को प्रस्तुत करने और रिफंड प्रणाली हेतु।
- **ड्यूटी ड्राबैक के संबंध में–** GST के लागु होने से पूर्व विद्यमान ड्यूटी ड्राबैक दरें 30 जून 2018 तक या जब तक राजस्व विभाग इन दरों को संशोधित नहीं करता है, यथावत बनी रहेंगी।
- **डीम्ड एक्सपोर्ट के संबंध में** – सरकार को डीम्ड एक्सपोर्ट के लिए, आपूर्ति की पात्रता के सम्बन्ध में अधिक स्पष्टीकरण देना चाहिए और वर्तमान GST फ्रेमवर्क के अंतर्गत निर्यात सम्बन्धी लाभों का विस्तार करना चाहिए।
- **रिवर्स चार्ज तन्त्र के संबंध में –** इसे हटाया जाना चाहिए या सरकार को एक वैकल्पिक तन्त्र की स्थापना की सम्भावनाओं का पता लगाना चाहिए, जहाँ SEZ इकाई को रिफंड प्राप्त करने की अनुमति प्रदान की जा सकती है।
- **माल-भाड़े के संबंध में –** वायु, समुद्र और रेल परिवहन के निर्यात माल-भाड़े पर छूट प्रदान की जानी चाहिए या उन्हें तर्कसंगत बनाना चाहिए।

मध्यावधि समीक्षा के प्रमुख बिंदु :

FTP नीति की मध्यावधि समीक्षा के तहत कुछ नए प्रोत्साहनों और नीतिगत कदमों का सुझाव दिया गया है, जैसे:

प्रोत्साहनों से संबंधित – श्रम-गहन MSME क्षेत्रों के लिए MEIS के अंतर्गत निर्यात प्रोत्साहनों में 2% की वृद्धि की गयी है।

- श्रम-गहन वस्त्र क्षेत्र में तैयार वस्त्रों (Ready-made) और वस्त्रों के अतिरिक्त विनिर्मित अन्य वस्तुओं (Made Ups) के लिए MEIS के प्रोत्साहनों को 2 से बढ़ाकर 4 प्रतिशत करना।
- SEIS के अंतर्गत प्रोत्साहनों में **2%** की वृद्धि।
- GST फ्रेमवर्क में अपनी उपयोगिता बढ़ाने के लिए 18 महीने से 24 महीने तक *ड्यूटी-फ्री क्रेडिट स्क्रिप्स* की वैधता की अवधि में वृद्धि और इन स्क्रिप्स पर GST की दरों को हटाने का प्रयास किया गया है।

***इज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नस* से संबंधित -** यह विदेशी व्यापार के लिए एकल संपर्क बिंदु (single point of contact) की स्थापना करता है।

- वाणिज्य मंत्रालय के तहत एक **लॉजिस्टिक्स शाखा** की स्थापना और **डाटा आधारित नीतिगत कार्रवाइयों** के लिए एक व्यापार विश्लेषणात्मक प्रभाग की स्थापना तथा निर्यातकों के समक्ष आने वाली नकदी संबंधी समस्याओं के समाधान हेतु एक **ई-वालेट** स्थापित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।
- **अधिकृत आर्थिक ऑपरेटर (AEOs)** के अंतर्गत निर्यातकों द्वारा शुल्क मुक्त कच्चे माल/आगत की आवश्यकता का स्व-प्रमाणन किया जाएगा।

अन्य सहायक उपाय:

- किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए **कृषि उत्पादकों** के निर्यात को प्रोत्साहित किया जाएगा।
- **सोने की उपलब्धता के मुद्दे** के समाधान हेतु विशिष्ट नामित एजेंसियों को IGST के भुगतान के बिना सोना आयात करने की अनुमति प्रदान की जाएगी।
- **निर्यात ऋण गारंटी निगम** को सहायता प्रदान की जाएगी ताकि निर्यातकों, विशेषकर MSMEs द्वारा खोजे जा रहे नए अथवा दुर्गम बाजारों के लिए बीमा कवर में वृद्धि की जा सकें।
- **पेशेवर लोगों** की सहायता से निर्यातकों की निर्यात संबंधी समस्याओं हेतु मार्गदर्शन, सहायता और समर्थन के लिए सीमा-पार **व्यापार में सुगमता** पर फोकस किया जायेगा।

बाह्य क्षेत्रक का अवलोकन

- 20 अक्टूबर 2017 को, भारत का **विदेशी मुद्रा भंडार** 399.921 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।
- 2016-17 में, भारत में कुल संस्थागत विदेशी निवेश 60.1 बिलियन डॉलर के उच्चतम स्तर पर था।
- भारत के कुल **वस्तु निर्यात** में 10.29% की वार्षिक वृद्धि हुई है, जबकि अप्रैल-अगस्त, 2017 के मध्य समग्र व्यापार घाटा 12.72 बिलियन से बढ़कर 39.87 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्रतिवर्ष रहा है।

विदेश व्यापार नीति 2015-20

- **लक्ष्य:** निर्यात (वस्तु और सेवाएँ दोनों) को दोगुना कर 900 मिलियन डॉलर के स्तर पर पहुँचाना और कुल वैश्विक निर्यात में भारत की हिस्सेदारी को वर्ष 2019-20 तक 3.5% करना।
- यह 'मेक-इन-इण्डिया' कार्यक्रम के उद्देश्यों के अनुरूप, वस्तु और सेवाओं के निर्यात में वृद्धि के साथ-साथ देश में रोजगार में वृद्धि और मूल्य संवर्धन के लिए एक रुपरेखा प्रदान करता है।
- इसके अंतर्गत दो योजनाओं को प्रारंभ किया गया है- विशिष्ट बाजारों में विशिष्ट वस्तुओं के निर्यात के लिए *'भारत से वस्तु निर्यात योजना (MEIS)'* और अधिसूचित सेवाओं के निर्यात संवर्धन हेतु *'भारत से सेवा निर्यात योजना (SEIS)'*।

- FTP में विनिर्मित वस्तुओं के निर्यातकों की *एप्रूव्ड एक्सपोर्टर सिस्टम* के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक त्वरित पहुँच सुनिश्चित करने हेतु प्रयास किये जाएँगे।
- द्विपक्षीय और क्षेत्रीय व्यापार से संबंधित प्रक्रियाओं का सरलीकरण, जैसे आयात-निर्यात फॉर्म को सरल बनाना, स्टेटस होल्डर विनिर्माता द्वारा स्व-प्रमाणन।

3.4. वित्तीय समाधान एवं जमाराशि बीमा (FRDI) विधेयक 2017

(Financial Resolution and Deposit Insurance (FRDI) Bill 2017)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में वित्तीय समाधान और जमाराशि बीमा (FRDI) विधेयक 2017 संसद के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

वर्तमान में प्रत्येक जमाकर्ता को **निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (DICGC)** से 1 लाख रूपये की सीमा तक सुरक्षित किया जाता है। 31 मार्च, 2017 तक 90% जमा खातों को पूरी तरह से इस विधि से सरंक्षित किया गया था, क्योंकि इन खातों में 1 लाख रुपयों से कम जमा हैं।

FRDI विधेयक के मुख्य प्रावधान:

- यह वर्तमान निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (DICGC) के स्थान पर **समाधान निगम (Resolution Corporation)** की स्थापना करना चाहता है।
- समाधान निगम बैंकों और बीमा कम्पनियों जैसी वित्तीय कम्पनियों की निगरानी करेगा एवं उनकी वित्तीय विफलता के संकट का पूर्वानुमान लगाते हुए आवश्यक सुधारात्मक कार्यवाहियों को संचालित कर उनका समाधान करेगा। बैंक की विफलता की स्थिति में यह निगम एक निश्चित सीमा तक जमाराशि पर बीमा भी उपलब्ध कराएगा।
- निगम द्वारा वित्तीय कम्पनियों को उनकी **विफलता के संकट के आधार पर**– कम, मध्यम, मटीरियल, आसन्न, या अत्यधिक संकटग्रस्त (क्रिटिकल) श्रेणियों में **वर्गीकृत किया जाएगा**। कम्पनी की स्थिति अत्यधिक संकटग्रस्त होने पर यह कम्पनी के प्रबन्धन को अपने नियंत्रण में लेकर एक वर्ष के भीतर (एक और वर्ष के लिए और बढ़ाया जा सकता है) कम्पनी का समाधान (resolve) करेगा।

- समाधान के लिए तीन **विधियों** का उपयोग किया जा सकता है: (i) विलय या अधिग्रहण (ii) परिसम्पत्तियां, देनदारियां और प्रबंधन संबंधी क्षेत्राधिकार एक अस्थाई फर्म को हस्तांतरित किए जाते हैं, या (iii) फर्म की परिसंपत्तियों का विक्रय। यदि समाधान दो वर्ष की अवधि में पूर्ण नहीं होता है तो फर्म की परिसंपत्तियों का विक्रय (liquidation) कर दिया जायेगा।
  विधेयक के तहत परिसंपत्तियों के विक्रय से प्राप्त आय के वितरण के क्रम को भी निर्दिष्ट किया गया है।
- इसमें **समाधान के लिए अनेक उपकरण भी** उपलब्ध कराये गये है, जैसे **बेल-इन, ब्रिज-इन्स्टिट्यूशन, और बीमा के लिए रन ऑफ़ एन्टिटी।** ये साधन विलय और विक्रय जैसे वर्तमान उपकरणों के अतिरिक्त हैं।
- विधेयक में, केंद्र सरकार द्वारा कुछ वित्तीय सेवा प्रदाताओं को **प्रणालीगत रूप से महत्त्वपूर्ण वित्तीय संस्थान" (SIFIs)** के रूप में, वर्गीकृत किये जाने का प्रावधान है। इनके आकार, जटिलता और अन्य वित्तीय इकाईयों से परस्पर सम्बद्धता के कारण इनकी विफलता पूरी वित्तीय व्यवस्था को बाधित कर सकती है।
- इसमें असफल बैंक के वरिष्ठ प्रबन्धन से **प्रदर्शन प्रोत्साहन** को वापस वसूलने की शक्ति भी प्रदान की गयी है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि विफलता के लिए उत्तरदायी ऐसे व्यक्तियों को कोई लाभ प्राप्त न हो, जिनके निर्णय से यह स्थिति उत्पन्न हुई है।
- यह विधेयक बैंकों, बीमा कम्पनियों, स्टॉक एक्सचेंज, डिपॉजिटरी, भुगतान व्यवस्थाओं, गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों और उनकी मूल कम्पनियों पर लागू होगा।

ब्रिज-इन्स्टिट्यूशन– एक निर्दिष्ट सेवा प्रदाता के समाधान के उद्देश्य से निगम द्वारा बनाई गई ब्रिज सर्विस प्रोवाइडर (सहायक सेवा प्रदाता) है। ब्रिज सर्विस प्रोवाइडर, शेयरों द्वारा परिसीमित (लिमिटेड) एक कम्पनी है।

रन ऑफ़ एन्टिटी– समाधान के अंतर्गत एक बीमा इकाई को *रन ऑफ़ एन्टिटी* के रूप में वर्गीकृत किया जाता है ताकि वर्तमान बीमा नीतियों को उनकी समाप्ति तिथि तक चलाया जा सके।

VISION IAS

बेल-इन से संबंधित प्रावधान

- बेल-इन वित्तीय समाधान का एक साधन है, जिसमें किसी वित्तीय संस्था की विफलता के मामले में ऋणदाता और जमाकर्ता कुछ क्षति उठाते हैं।
- यह बेल-आऊट से भिन्न है ,क्योंकि उसमें सार्वजनिक निधियों का उपयोग रुग्ण कम्पनियों में पूँजी डालने के लिए किया जाता है।
- वर्तमान में, वित्तीय कम्पनियों के समाधान को नियंत्रित करने वाले कानूनों में *बेल-इन* के प्रावधान शामिल नहीं होते हैं और यदि कोई बैंक विफल हो जाता है, तो उसका या तो किसी अन्य बैंक के साथ विलय किया जाता है या उसकी परिसम्पतियों का विक्रय कर दिया जाता है।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर *बेल-इन* से संबंधित प्रावधानों की स्थिति:

- बेल-आउट में पुनर्पूंजीकरण के लिए करदाताओं के धन का उपयोग किया जाता है। बेल-इन के माध्यम से अब इसे बैंक के शेयर धारकों और जमाकर्ताओं का उत्तरदायित्व बनाया गया है। इस प्रकार बेल-इन करदाताओं की संपत्ति का उपयोग किये जाने (बेल-आउट प्रक्रिया में) के नैतिक संकट से बचाता है।
- वित्तीय स्थिरता बोर्ड (FSB) ने अपने समाधान ढांचे में बेल-इन सम्बन्धी कानूनों की संस्तुति की है।
- UK और जर्मनी जैसे देशों ने अपने कानूनों में बेल-इन का प्रावधान किया है, परन्तु इस प्रावधान का शायद ही कभी उपयोग किया गया है।

वित्तीय समाधान कानून का महत्त्व:

- **प्राथमिकता क्रम–** वर्तमान में गैर-बीमित जमाकर्ताओं को असुरक्षित जमाकर्ताओं के समकक्ष और अधिमान्य भुगतान (जिनमें सरकारी दावे भी सम्मिलित हैं) से एक स्तर नीचे माना जाता है। विधेयक गैर-बीमित जमा के प्राथमिकता क्रम को बेहतर बनाता है।
- **जमाकर्ताओं के हितों का संरक्षण–** यह उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण में है, क्योंकि यह लम्बी समाधान कार्यवाही या वित्तीय व्यवस्था में अस्थिरता के कारण उपभोक्ता को होने वाली क्षति को कम करता है।
- **वैधानिक रिक्ति को भरता है–** यह भारत में समर्पित वित्तीय समाधान प्राधिकरण की स्थापना का प्रावधान करता है। अभी तक बैंकिंग और बीमा क्षेत्रों में यह कार्य RBI और IRDAI द्वारा तथा म्यूचुयल फंड्स और पेंशन फंड आदि के लिए SEBI और IRDAI द्वारा किया जाता था।

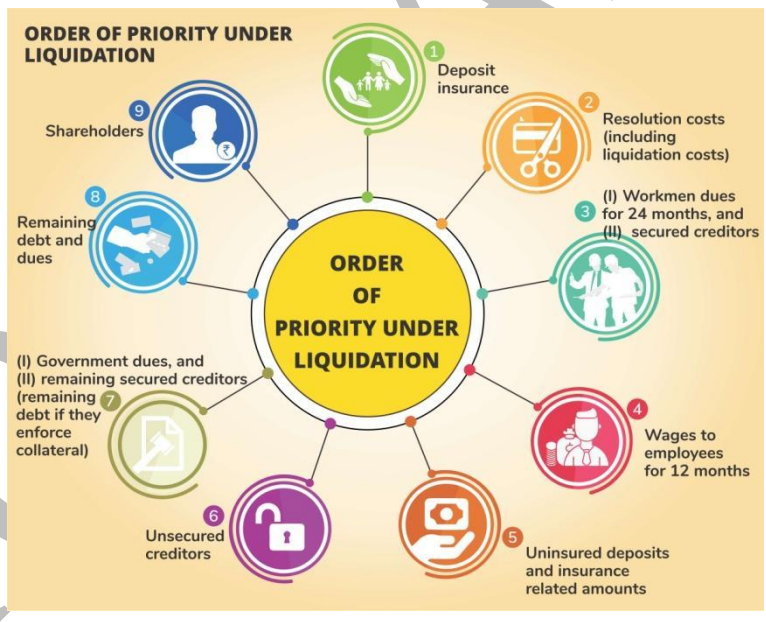

- **वैश्विक रुझानों के अनुरूप–** यह भारत के विधायी प्रावधानों को, वित्तीय स्थिरता बोर्ड के (जिसमें भारत सहित G-20 के देश सम्मिलित हैं) 2011 में स्वीकृत "न्यू इंटरनेशनल स्टैण्डर्ड फॉर रेजोलूशन रिज़ीम " के अनुरूप बनाता है।
- **NPAs का समाधान–** जून 2017 में जारी, RBI की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के अंतर्गत मार्च 2017 में सभी बैंको के सकल गैर-निष्पादक अग्रिम (GNPAs) अनुपात को 9.6% के स्तर पर रखा गया है।
- **अन्य प्रयासों की सफलता में सहायक–** दिवाला और दिवालियापन संहिता, PSU बैंको का पुनःपूंजीकरण और बीमा में FDI के साथ-साथ इस विधेयक को वित्तीय क्षेत्र में सुधार हेतु अत्यधिक महत्वपूर्ण सुधारात्मक प्रयास के रूप में वर्णित किया जा रहा है।

FRDI (वित्तीय समाधान एवं जमाराशि बीमा) विधेयक के सम्बन्ध में चिंताएं:

- प्रस्तावित विधेयक की धारा 52 (बेल-इन) के अनुसार, बैंकों और बीमा कम्पनियों की परिसम्पतियों के विक्रय के मामलों में जमाकर्ता अपनी बचत प्राप्त करने का उनका यथोचित अधिकार खो सकते हैं। इसलिए, जमाकर्ताओं के बीच एक चिंता है कि वे अपनी जमा राशि खो सकते हैं।
- विधेयक में पीड़ित व्यक्तियों द्वारा समाधान निगम के निर्णय को चुनौती देने के लिए किसी समीक्षा या अपील तन्त्र का प्रावधान नहीं किया गया है।
- विधेयक के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि समाधान निगम को 'अत्यधिक संकटग्रस्त' श्रेणी में वर्गीकृत की गई वित्तीय फर्म का दो वर्षों के भीतर समाधान करना पड़ेगा। हालाँकि, जिस बिंदु पर यह समाधान प्रक्रिया समाप्त होती है, उस बिंदु को विधेयक में निर्दिष्ट नहीं किया गया है।

- इस विधेयक के अंतर्गत, समाधान निगम 'अत्यधिक संकटग्रस्त' श्रेणी में वर्गीकृत फर्म को अपने अधिकार में ले लेगा। हालाँकि, यह उस फर्म की परिसंपत्तियों के विक्रय का विकल्प भी अपना सकता है। यह स्पष्ट नहीं है कि निगम को समाधान के संदर्भ में विकल्प क्यों दिया गया है।
- वर्तमान में, एक लाख रुपये तक की जमा राशि का बीमा DICGC द्वारा किया जाता है, लेकिन विधेयक में बीमा राशि का और दिवालिया होने की स्थिति में जमाकर्ता को भुगतान की जाने वाली राशि का निर्धारण नहीं किया गया है।

FRDI विधेयक में किये गये सुरक्षा उपाय

- समाधान निगम, **जमा बीमा की राशि निर्धारित करने हेतु RBI से परामर्श** करेगा और परिणामस्वरूप यह DICGC अधिनियम के अंतर्गत प्रदान की गयी वर्तमान 1 लाख रुपये की बीमा सीमा से अधिक हो सकता है। इसलिए वर्तमान विधेयक में राशि निर्दिष्ट नहीं की गयी है।
- यह भी निर्दिष्ट किया गया है कि बेल-इन से संबंधित प्रावधानों का उपयोग तभी किया जायेगा जब ऋणदाता ने इसके लिए **सहमति** प्रदान कर दी हो और इसके अतिरिक्त, मानदंडों के अनुपालन की विफलता की स्थिति में **मुआवजे का प्रावधान** भी किया गया है।

आगे की राह

- कुछ विशेषज्ञों ने विधेयक को पूरी तरह रद्द करने का तर्क दिया है क्योंकि यह भारतीय परिदृश्य के अनुरूप नहीं है। चूंकि पश्चिमी देशों के विपरीत (जहां निजी बैंकों का वर्चस्व है) भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का वर्चस्व विद्यमान है। यह बेल-इन जैसे संकटमय समाधान प्रावधानों द्वारा सॉवरेन गारंटी को कमजोर कर सकता है।
- दूसरी ओर, **RBI के कार्यकारी दल** द्वारा भी समाधान व्यवस्था के संबंध में संस्तुति की गयी। इसके अनुसार, विधेयक को रद्द करने के स्थान पर, जमा-देयता, अंतर-बैंक देयताएं और लघु अवधि के ऋण को पूरी तरह बेल-इन संबंधी प्रावधानों से बाहर रखा जाना चाहिए।
- इसके अतिरिक्त, जमाकर्ताओं के विश्वास में वृद्धि और प्रणालीगत स्थिरता को और सुदृढ़ करने हेतु **जमाराशि बीमा कवर सीमा में महत्त्वपूर्ण वृद्धि** होनी चाहिए।

3.5. RBI की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट

(RBI's Financial Stability Report)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में, **भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)** ने अपनी **द्विवार्षिक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (FSR)** जारी की है।

RBI की परिभाषा के अनुसार **बैंकिंग स्थिरता सूचकांक (BSI)** "किसी एक बैंक के संकटग्रस्त हो जाने पर भविष्य में संकटग्रस्त हो सकने वाले कुल बैंकों की अपेक्षित संख्या है।"

रिपोर्ट के प्रमुख अंश:

- **प्रणालीगत जोखिमों का समग्र आकलन:** भारत की वित्तीय प्रणाली स्थिर रहती है। जबकि विकसित अर्थव्यवस्थाएं उदार एवं समझौतापरक हैं, और भू-राजनीतिक जोखिम में वृद्धि से वस्तुओं की कीमतें अस्थिर हो सकती हैं।
- **वैश्विक और घरेलू समष्टि-वित्तीय जोखिम:**
  - संरचनात्मक परिवर्तन के संदर्भ में, प्रौद्योगिकी-आधारित विकास से विश्व में अधिक असमानताएं उत्पन्न हो रही हैं।
  - GST और विमुद्रीकरण के बाद हुए सुधारों के बावजूद, समग्र निवेश का माहौल चुनौतीपूर्ण रहा है।
- **वित्तीय संस्थान: निष्पादन और जोखिम**
  - मार्च से सितंबर 2017 के मध्य अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (SCBs) की क्रेडिट ग्रोथ में सुधार हुआ है। वहीं सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (PSBs) अपने निजी क्षेत्र के समकक्षों की तुलना में पीछे रहे हैं।

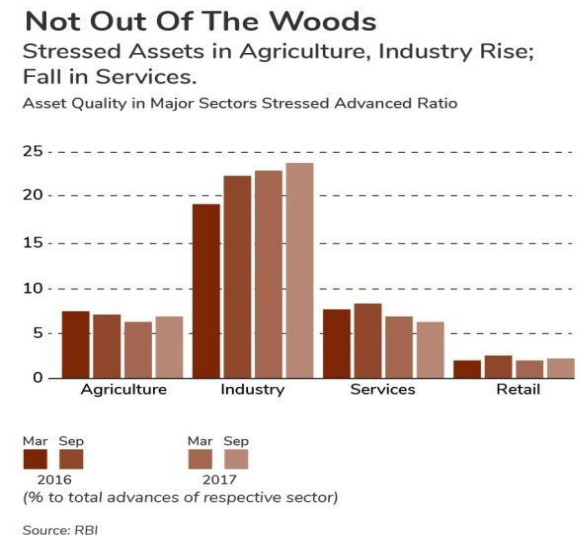

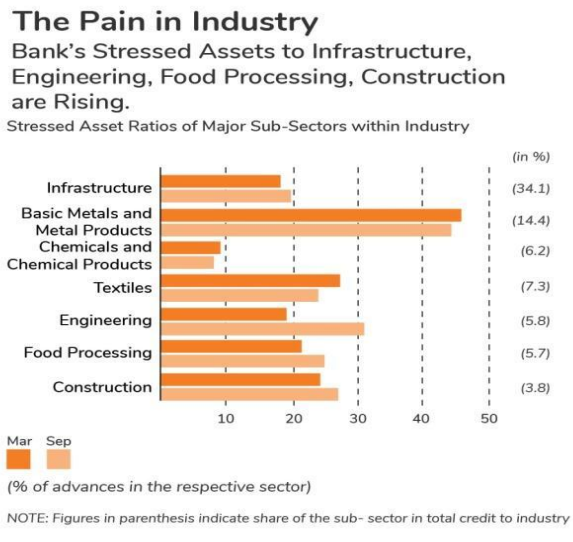

- **सकल गैर-निष्पादक अग्रिम (GNPA) अनुपात** जून 2017 के 9.6 प्रतिशत से बढ़कर **सितंबर 2017 में 10.2 प्रतिशत हो गया है।** दबाव परीक्षण (स्ट्रेस टेस्ट) में यह अनुमान लगाया गया है कि इसमें मार्च 2018 में 10.8 प्रतिशत और आगे सितंबर 2018 में 11.1 प्रतिशत तक वृद्धि हो सकती है।
- इसके साथ ही अधिक कार्यकुशल माने जाने वाले निजी क्षेत्र के ऋणदाताओं ने GNPAs में, सरकारी बैंकों की 17 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में 40.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है।
  - NBFC क्षेत्रक के GNPAs में कुल अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में, मार्च 2017 से सितंबर 2017 के मध्य वृद्धि हुई।
- **बैंकिंग स्थिरता संकेतक (BSI)** में यह सम्भावना प्रदर्शित की गयी है कि परिसंपत्ति गुणवत्ता में और अधिक गिरावट के कारण जोखिम स्तर उच्च बना रहेगा।
- समग्र रूप से, जोखिम-भारित परिसंपत्ति अनुपात (CRAR) मार्च 2017 से सितंबर 2017 के मध्य 13.6 प्रतिशत से बढ़कर 13.9 प्रतिशत हो गया।
- मार्च से सितंबर, 2017 के मध्य कुल SCB के ऋणों और GNPAs दोनों में बड़े उधारकर्ताओं के हिस्से में कमी हुई है।

चुनौतियाँ

- GNPAs में हो रही वृद्धि, बैंकिंग प्रणाली की वित्तीय स्थिरता के लिए प्रणालीगत जोखिम उत्पन्न करती है। इसी प्रकार BSI में वृद्धि भी इस जोख़िम को बढ़ाती है।
- निवेश प्रस्तावों में गिरावट दर्ज की गयी है। इसके कारण देश की क्रेडिट ग्रोथ प्रभावित होती है।
- ऋणदाताओं, विशेषकर निजी ऋणदाताओं द्वारा उनके NPAs को कम करके दर्शाने के कारण भारत में NPA की समस्या के समाधान के समक्ष एक गंभीर बाधा उत्पन्न हो रही है।
- मार्च 2017 से कृषि में दबाव जनित ऋण (stress loan) में वृद्धि हुई है। यह वृद्धि ग्रामीण संकट की ओर संकेत करती है।

आगे की राह

- NPA में हो रही वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए अवरुद्ध परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से निपटाने की आवश्यकता है।
- पुनर्पूंजीकरण के साथ कठोर विनियामकीय सुधारों को लागू किया जाना चाहिए।
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण पर विचार किया जाना चाहिए।
- सम्पूर्ण देश में कृषि क्षेत्रक में सूखा सहित अन्य व्यवधानों का समाधान किये जाने की आवश्यकता है।

3.6. उपभोक्ता संरक्षण बिल 2018

(Consumer Protection Bill 2018)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- **हाल ही में** लोक सभा में **उपभोक्ता संरक्षण बिल, 2018** प्रस्तुत किया गया।

पृष्ठभूमि

- नया कानून, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम (CPA) 1986 को **प्रतिस्थापित** करेगा। साथ ही यह उपभोक्ता संरक्षण पर **संयुक्त राष्ट्र के संशोधित दिशा-निर्देशों** के अनुरूप भी होगा।
- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 द्वारा प्रावधान किया गया है कि **केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद्** निम्नलिखित छः अधिकारों को प्रोत्साहन प्रदान करेगी:

  (i) **सुरक्षा का अधिकार**

  (ii) **सूचना का अधिकार**

  (iii) **चयन का अधिकार**

  (iv) **सुनवाई का अधिकार**

  (v) **अनुचित व्यापार पद्धतियों अथवा प्रतिबंधित व्यापार पद्धतियों तथा उपभोक्ताओं के अनैतिक शोषण के विरुद्ध निपटान का अधिकार**

  (vi) **उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार।**
- **शिकायत तंत्र: त्रिस्तरीय शिकायत** निवारण तंत्र, जैसे- ज़िला, राज्य और राष्ट्र स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण तंत्र की स्थापना।

उपभोक्ता संरक्षण के संबंध में संयुक्त राष्ट्र के दिशा-निर्देश, 2016

- उपभोक्ता संरक्षण पर एक **राष्ट्रीय नीति** अधिनियमित करना।
- **सुरक्षात्मक उपाय:** उपभोक्ता के लिए कानूनी, भौतिक व स्वैच्छिक मानक अपनाना।
- **आर्थिक हित:** उपभोक्ता के वित्तीय हितों के प्रतिकूल व्यवसायिक गतिविधियों से बचना।
- वस्तुओं और सेवाओं की गुणवत्ता तथा सुरक्षा हेतु **मानकीकृत मानदंडों की स्थापना करना।**
- ***ई-कॉमर्स:*** *ई-कॉमर्स* को समाविष्ट करने के लिए नीतियों के मौजूदा ढांचे में संशोधन एवं संवर्धन।

VISION IAS

- **वित्तीय सेवा:** वित्तीय उपभोक्ता संरक्षण विनियामक एवं प्रवर्तन नीतियां, वित्तीय डाटा के संरक्षण हेतु उचित नियंत्रण व्यवस्था और हितों के टकराव के संबंध में नीति का निर्माण।

नए उपभोक्ता संरक्षण कानून की आवश्यकता

- 1986 के अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को प्रशासित करते समय कई कमियों को चिह्नित किया गया है। उदाहरण के लिए, विभिन्न बाधाओं के कारण मामलों का निपटान शीघ्रता से नहीं हो पाता है।
- 1986 के अधिनियम के लागू होने के बाद से वस्तु और सेवाओं के लिए उपभोक्ता बाजारों में अत्यधिक परिवर्तन हुआ है। आधुनिक बाजार में अत्यधिक मात्रा में उत्पाद और सेवाएँ विद्यमान हैं।
- वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के उद्भव, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि और *ई-कॉमर्स* के तीव् विकास के परिणामस्वरूप वस्तुओं और सेवाओं के लिए नई वितरण प्रणाली का विकास हुआ है। इसके अतिरिक्त, इसने जहाँ एक ओर आधुनिक नियामक तंत्र की आवश्यकता पर बल दिया है वहीं दूसरी ओर उपभोक्ताओं को नए विकल्प और अवसर भी प्राप्त हुए हैं।
- भ्रामक विज्ञापनों, *टेली-मार्केटिंग,* बहु-स्तरीय विपणन, प्रत्यक्ष विक्रय और *ई-कॉमर्स* ने उपभोक्ता संरक्षण के लिए नई चुनौतियां उत्पन्न की हैं। इसके कारण उपभोक्ता के हितों के संरक्षण के लिए उचित और तीव्र कार्यकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता होगी।

उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2018 की महत्वपूर्ण विशेषताएँ

- **राष्ट्रीय विनियामक**- केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण एक राष्ट्रीय प्राधिकरण के रूप में कार्य करेगा। यह उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन को रोकेगा एवं उसे विनियमित करेगा तथा उत्पादों के *रिकॉल, रिफंड* आदि सहित अन्य 'क्लास एक्शन (class action)' की पहल करेगा।
- **उत्पाद उत्तरदायित्व कार्रवाई (Product Liability Action)**– यह उपभोक्ता को खराब उत्पाद या सेवा में कमी के कारण होने वाली क्षति के लिए किसी उत्पाद निर्माता, सेवा प्रदाता या विक्रेता के विरुद्ध उत्पाद उत्तरदायित्व कार्रवाई के प्रावधानों पर विचार करता है।
- **अनुचित व्यापार प्रथाएं**– *ई-कॉमर्स* और प्रत्यक्ष विक्रय में अनुचित व्यापार प्रथाओं को रोकने के लिए, यह विधेयक केंद्र सरकार को उपभोक्ताओं के हितों और अधिकारों के संरक्षण हेतु कदम उठाने का अधिकार प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, यह विधेयक "ई-कॉमर्स" की एक विशिष्ट परिभाषा भी प्रस्तुत करता है।
- **अपराध और सज़ा**– यह नकली या भ्रामक विज्ञापनों (सेलेब्रिटी द्वारा भी), मिलावटी और नकली उत्पादों को बेचने या वितरित करने अथवा उनके आयात के लिए अर्थदंड का प्रावधान करता है।
- **वैकल्पिक विवाद तंत्र**– उपभोक्ता मध्यस्थता सेल की स्थापना द्वारा वैकल्पिक विवाद तंत्र का प्रावधान किया जाएगा। साथ ही यह मध्यस्थता की प्रक्रिया को भी निर्धारित करेगा।
- **अनुचित अनुबंध**– यह कुछ परिस्थितियों को प्रमाणित करता है जहाँ अनुबंध को अनुचित या अन्यायपूर्ण माना जाएगा, जैसे कि अत्यधिक *सिक्योरिटी डिपाजिट* का भुगतान आदि।

भारत में उपभोक्ता संरक्षण हेतु अन्य विधायी पहलें

- ***एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स (ग्रेडिंग और मार्केटिंग) एक्ट (एगमार्क)* 1937:** यह कृषि उत्पाद की गुणवत्ता के कुछ मानकों को निर्धारित करता है। साथ ही यह किसी उत्पाद को एगमार्क से चिह्नित किए जाने हेतु प्रमाणित करता है।
- **आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955:** यह आवश्यक वस्तुओं की समय पर आपूर्ति को सुनिश्चित करता है।
- ***ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड एक्ट 2016:*** यह वस्तुओं की प्रक्रिया के मानकीकरण, अंकन तथा प्रमाणन को सुनिश्चित करता है।
- ***रियल एस्टेट एक्ट 2016:*** इसे रियल एस्टेट में उपभोक्ता के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए अधिनियमित किया गया।

3.7. अनुबंध कृषि

(Contract Farming)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सरकार द्वारा मॉडल अनुबंध कृषि (कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग) अधिनियम जारी किया गया।

अनुबंध कृषि के बारे में

- इसके अंतर्गत, क्रेताओं (जैसे- खाद्य प्रसंस्करण इकाईयां और निर्यातक) और उत्पादकों (किसान या कृषक संगठनों) के बीच एक **फसल-पूर्व समझौते** के आधार पर कृषि उत्पादन (पशुधन और पोल्ट्री सहित) किया जाता है।
- **लाभ:** उत्पादक बाज़ार मूल्य और माँग में उतार-चढ़ाव के जोखिम को कम कर सकते हैं जबकि क्रेता गुणवत्तापूर्ण (उत्तम किस्म के) उत्पाद की अनुपलब्धता के जोख़िम को कम कर सकते हैं।
- इसे संविधान की सातवीं अनुसूची की **समवर्ती सूची** के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। हालांकि कृषि राज्य सूची का विषय है।
- अनुबंध कृषि पर वर्तमान कानूनों में केवल एक या दो कृषि जिंस सम्मिलित हैं। यह केवल विपणन तक ही सीमित है।

भारत में अनुबंध कृषि की आवश्यकता

- **कृषि की संकटपूर्ण स्थिति:** फसलों की कीमतों में गिरावट के विरुद्ध तथा ऋण माफ़ी की माँगों को लेकर कई राज्यों में किसान समूहों द्वारा आंदोलनों की प्रवृत्ति बढ़ रही है।
- **राष्ट्रीय कृषि नीति** में अनुबंध कृषि और भूमि पट्टा समझौतों (लैंड लीजिंग अग्रीमेंट्स) के माध्यम से निजी भागीदारी को प्रोत्साहन देने की परिकल्पना की गई है।
- **कम मूल्य निर्धारण:** कृषि उत्पाद पर कृषि उत्पाद बाजार समिति (APMC) का एकाधिकार है और किसानों से प्रत्यक्ष खरीद पर प्रतिबंध है।
- **नीति आयोग ने यह अवलोकन किया** है कि APMC द्वारा 'अनुबंध कृषि' के लिए शोषणकारी कर लगाए जाते हैं। इस संदर्भ में, **कृषि सुधारों पर राज्य स्तरीय मंत्रियों की समिति** द्वारा अनुशंसा की गयी है कि अनुबंध कृषि APMC के दायरे से बाहर होनी चाहिए।

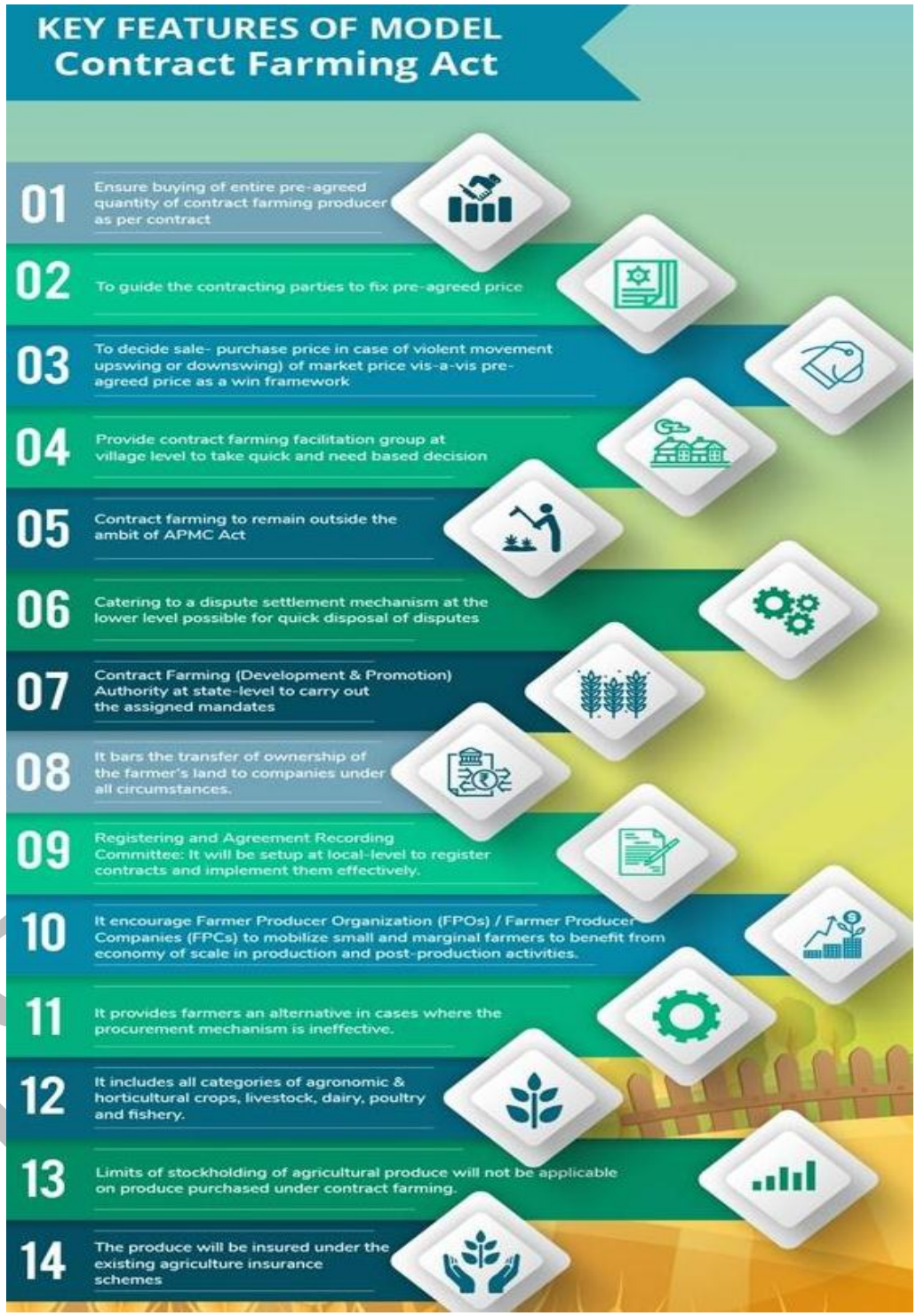

अनुबंध कृषि की चुनौतियाँ

- **राज्य की अनिच्छा:** राजस्व हानि के भय से राज्य इन सुधारों को आगे बढ़ाने के प्रति अनिच्छुक रहे हैं।
- आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत **अनुबंधित उत्पादन पर स्टॉकहोल्डिंग सीमाएं** प्रतिबंधित हैं। ये क्रेताओं को अनुबंध के प्रति हतोत्साहित करती हैं।
- उत्पाद की किस्मों, परिस्थितियों आदि के संदर्भ में, विभिन्न राज्यों के कानूनों में **समानता या एकरूपता का अभाव** है। यह एकरूपता अनुबंध कृषि की अनुमति हेतु आवश्यक है।
- **क्षेत्रीय असमानता को बढ़ावा:** वर्तमान में यह कृषि क्षेत्र में विकसित राज्यों (पंजाब, तमिलनाडु आदि) में व्यवहार में लाया गया है। वहीं अधिकांशतः छोटे और सीमांत किसानों की आबादी वाले राज्य इसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं।
- **आपूर्ति पक्ष से संबंधित मुद्दे:** लेन-देन और विपणन की उच्च लागतों के कारण खरीददारों को बड़ी संख्या में छोटे और सीमांत किसानों **(जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कृषि-जोत का औसत आकार 1.1 हैक्टेयर था)** के साथ कृषि अनुबंध के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता है। इस कारण बड़े किसानों को प्राथमिकता दी जा रही है और सामाजिक-आर्थिक विकृतियां उत्पन्न हो रही हैं।

- **यह कृषि की एक पूंजी-सघन और कम संधारणीय पद्धति है** चूँकि यह उर्वरकों और कीटनाशकों के अधिक उपयोग को बढ़ावा देती है। ये प्राकृतिक संसाधनों, पर्यावरण, मानव और पशुओं पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं।
- **एकल कृषि (मोनोकल्चर फार्मिंग) को प्रोत्साहन:** यह केवल भूमि की उर्वरता पर ही प्रभाव नहीं डालेगा बल्कि खाद्य सुरक्षा और खाद्यान्नों के आयात के लिए भी संकट उत्पन्न करेगा।
- यह आगतों (इनपुट्स) में निवेश के लिए **कॉर्पोरेट संगठनों पर किसानों की निर्भरता को बढ़ाता है**। इससे किसानों की सुभेद्यता में वृद्धि होगी।
- पूर्व निर्धारित कीमतें, **किसानों को उपज के लिए बाजार में प्रचलित उच्च मूल्यों के लाभों से वंचित** कर सकती हैं।

महत्व

- **कृषि में निजी भागीदारी:** यह कृषि में निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहित करता है ताकि नई कृषि तकनीकों, अवसंरचना के विकास आदि को बढ़ावा दिया जा सके।
- **किसानों की उत्पादकता में सुधार:** यह बेहतर आगतों, वैज्ञानिक विधियों और ऋण सुविधाओं तक पहुँच में सुधार करके कृषि क्षेत्र की उत्पादकता और दक्षता को बढ़ाती है। इससे किसानों की आय में वृद्धि, रोज़गार के नए अवसर और बड़े पैमाने पर खाद्य सुरक्षा को प्रोत्साहन मिलता है।
- यह कृषि को एक संगठित गतिविधि का स्वरूप प्रदान करती है तथा उत्पादन की गुणवत्ता और मात्रा में सुधार लाने में सहायक है।
- **फसल कटाई के पश्चात् क्षति हेतु बीमा:** यदि फसल कटाई के पश्चात् कोई क्षति होती है, तो पूर्व निर्धारित कीमतें उस क्षति की भरपाई करने का अवसर प्रदान करती हैं।
- **निर्यात में वृद्धि:** यह किसानों को खाद्य-प्रसंस्करण उद्योग हेतु आवश्यक फसलों के उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करती है। साथ ही यह भारतीय किसानों को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं (विशेष रूप से उच्च मूल्य वाले बागवानी उत्पाद के मामले में) से जोड़ती है। यह खाद्यान्न अपव्यय को भी उल्लेखनीय ढंग से कम करती है।
- **उपभोक्ता को लाभ:** विपणन दक्षता में वृद्धि, मध्यस्थों का उन्मूलन, विनियामक अनुपालन में कमी आदि उत्पादन में लायी जाने वाली कृत्रिम कमी को उल्लेखनीय रूप से कम कर सकते हैं। साथ ही यह खाद्य कीमतों से सम्बंधित मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर सकते हैं।

3.8. उर्वरक क्षेत्र

(Fertilizer Sector)

सुर्खियों में क्यों?

- हाल ही में, सरकार ने वर्ष 2022 तक यूरिया उर्वरक की खपत को आधा करने की आवश्यकता पर बल दिया है।

नीतिगत और विधायी पहल

- **पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना 2010:** यह 22 उर्वरकों (यूरिया को छोड़कर) के लिए लागू की गई है। इन उर्वरकों के लिए अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) का निर्धारण फास्फेट और पोटाश (P&K) उर्वरकों की अंतरराष्ट्रीय और घरेलू कीमतों, विनिमय दरों और देश में स्टॉक के स्तर को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा।
- **नई यूरिया नीति 2015:** यह नीति, घरेलू यूरिया को ऊर्जा कुशल बनाने और सब्सिडी के बोझ को कम करने पर फोकस करती है।
- **नीम लेपित यूरिया** (NCU): NCU का 100% उत्पादन अनिवार्य है, इनके लाभों में शामिल हैं:
  - मृदा में यूरिया का विघटन मंद गति से होता है, जिससे यूरिया की कम मात्रा की आवश्यकता होती है।
  - NCU, रासायनिक उद्योग, विस्फोटकों आदि जैसे गैर-कृषि कार्यों में संघटक सामग्री के रूप में यूरिया के अवैध उपयोग को रोकता है।
- **गैस पूलिंग:** री-गैसीफाइड LNG (जिसका आयात किया जाता है) के साथ घरेलू गैस की पूलिंग की जाती हैं। इससे प्राकृतिक गैस ग्रिड से जुड़े सभी यूरिया विनिर्माण संयंत्रों को **एकसमान वितरण मूल्य** पर प्राकृतिक गैस उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी।
- **उर्वरक उद्योग में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT)**: इस प्रणाली के अंतर्गत, किसान द्वारा उर्वरक की खरीद पॉइंट ऑफ सेल (PoS) मशीनों पर दर्ज की जाएगी, इसके बाद उर्वरक कंपनियों को सब्सिडी जारी की जाएगी।
- सिंगल सुपर फॉस्फेट (SSP) के निर्माताओं के लिए **न्यूनतम उत्पादन मानदंड को समाप्त करना** जिससे वे कृषि प्रयोजनों के लिए SSP की उत्पादित मात्रा और बिक्री के बावजूद सब्सिडी के पात्र बन जाएँगे।
- **मृदा स्वास्थ्य कार्ड:** किसान इसके द्वारा उर्वरकों के अतार्किक प्रयोग से बचने के लिए उर्वरक की अपनी स्वनिर्धारित आवश्यकता को प्राप्त कर सकते हैं ।

भारत में उर्वरक उद्योग

- भारत, चीन के बाद यूरिया उर्वरक का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है।
- भारत नाइट्रोजनी उर्वरकों के उत्पादन में दूसरे और फास्फेटिक उर्वरकों के उत्पादन में तीसरे स्थान पर है, जबकि देश में पोटाश के सीमित भंडार होने के कारण पोटाश की आवश्यकता आयात के माध्यम से पूरी की जाती है।
- यह **आठ आधारभूत उद्योगों में से एक है।**

VISION IAS

संबंधित मुद्दे

- उर्वरक क्षेत्र के मुद्दों में कई हितधारक शामिल हैं, जैसे कि:

उर्वरक कंपनियां

- **महंगा फीडस्टॉक**-वर्तमान यूरिया क्षमता का लगभग 20 प्रतिशत अभी भी फीडस्टॉक के रूप में नेफ्था या ईंधन तेल पर निर्भर है। नेफ्था की पूंजीगत लागत प्राकृतिक गैस की तुलना में अधिक होती है।
- यूरिया आयात का **उच्च कैनलाइजेशन** (उर्वरक कंपनियों को केवल तीन एजेंसियों के माध्यम से इसे आयात करना पड़ता है ये एजेंसियाँ हैं; राज्य व्यापार निगम, MMTC और इंडियन पोटाश लिमिटेड)। जिससे प्राय: उद्योग के लिए यूरिया की माँग और आपूर्ति में असंतुलन पैदा हो जाता है।

सरकार

- **वित्तीय स्थिति**: उर्वरक के क्षेत्र में अत्यधिक वित्तीय सब्सिडी (लगभग 0.73 लाख करोड़ रुपये या GDP का 0.5 प्रतिशत) प्रदान की जाती है। इस पर खाद्य पदार्थों के बाद दूसरी अधिकतम सब्सिडी खर्च की जाती है और कुल सब्सिडी का केवल 35% ही अपेक्षित लाभार्थियों तक पहुँच पाता है।
- **काला बाजारी:** भारत में यूरिया की अत्यंत कम कीमत के कारण गैर-कृषि कार्यों में इसका प्रयोग होता है और साथ ही पड़ोसी देशों जैसे कि बांग्लादेश, नेपाल में इसकी तस्करी की जाती है।

किसान/कृषि

- **उच्च लागत**: उर्वरकों की काला बाजारी के कारण प्रायः लघु एवं सीमांत किसानों के लिए कृषि निवेश की लागत बढ़ जाती है।
- **अवैज्ञानिक उपयोग**: अन्य उर्वरकों, विशेषकर P&K के सापेक्ष यूरिया की कम कीमत इसके अत्यधिक उपयोग /अवैज्ञानिक उपयोग को प्रोत्साहित करती है। परिणामस्वरूप मृदा की गुणवत्ता में गिरावट आती है साथ ही पर्यावरणीय निम्नीकरण भी होता है।

उठाए जा सकने वाले कदम

- यूरिया आयात की **डी-कैनलाइजिंग** आवश्यक है, जिससे उर्वरक आपूर्ति-माँग में परिवर्तन के प्रति परिस्थितियों के अनुरूप और शीघ्रता से प्रतिक्रिया देने में सक्षम हो सके।
- **दीर्घकालिक उर्वरक आपूर्ति सुनिश्चित करना**-ओमान में उर्वरक मंत्रालय के संयुक्त उपक्रम के उदाहरण का अनुसरण करते हुए ईरान जैसे स्थानों से दीर्घकालिक उर्वरक आपूर्ति सुनिश्चित करना, जहां ऊर्जा की कीमत कम है।
- **सब्सिडी को तर्कसंगत बनाना** -विभिन्न उत्पादों पर सब्सिडी का निर्धारण इस प्रकार किया जाना चाहिए ताकि संबंधित खुदरा कीमतें किसानों को संतुलित अनुपात में उर्वरकों के उपयोग के लिए प्रोत्साहित करें।
- जोत के आकार या किसी अन्य आधार पर किये गए गरीबी के आकलन के अनुरूप काश्तकारों और बटाईदारों के लिए उर्वरक सब्सिडी हेतु **बेहतर लक्ष्यीकरण समय की माँग** है।
- **जैविक उर्वरक को प्रोत्साहन:**यह प्रोत्साहन उर्वरक क्षेत्र में सभी प्रकार के हितधारकों के लिए दोहरी जीत की स्थिति उत्पन्न करेगा जैसे - किसान के उत्पादों की बेहतर उपज, पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव को दूर करना, सरकार पर सब्सिडी के बोझ में कटौती और अर्थव्यवस्था के राजकोषीय विवेक में सुधार।

3.9.एनर्जी एक्सेस

(Energy Access)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी (IEA) ने 'वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक (WEO)' के साथ 'एनर्जी एक्सेस आउटलुक (EAO)' जारी किया है।

वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएँ

- 2040 तक वैश्विक ऊर्जा माँग में, वर्तमान की तुलना में 30% वृद्धि होने का अनुमान है। साथ ही यह रिपोर्ट वैश्विक ऊर्जा से संबंधित कार्बन उत्सर्जन में 5% वृद्धि को भी दर्शाता है।
- 2040 तक कुल विद्युत उत्पादन में नवीकरणीय ऊर्जा का योगदान बढ़कर 40% हो जायेगा।
- विद्युत वाहनों में वृद्धि से भी 2040 तक तेल की माँग पर विशेष प्रभाव नहीं होगा।

भारत के संबध में

- 2040 तक, भारत कुल वैश्विक ऊर्जा वृद्धि में लगभग एक-तिहाई अंशदान करेगा। इसके साथ ही 2040 तक भारत की वैश्विक हिस्सेदारी बढ़कर 11% हो जाएगी।
- विद्युत् उत्पादन में कोयले की हिस्सेदारी 2040 तक 50% से भी कम हो जाएगी।
- 2020 तक सार्वभौमिक विद्युतीकरण सुनिश्चित करना जो वर्तमान में 82% के स्तर पर है।
- भारत की परिशोधन क्षमता में 2040 तक लगभग दो-तिहाई की वृद्धि हो जाएगी, जिससे अमेरिका और चीन के बाद भारत तीसरा सबसे बड़ा शोधन केंद्र बन जाएगा।

इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी (IEA) के संबंध मे

- 1974 में स्वायत्त एजेंसी के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। यह तेल आपूर्ति में भौतिक व्यवधानों के प्रति सामूहिक अनुक्रिया के माध्यम से सदस्य देशों में ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देता है। इसके साथ ही यह विश्वसनीय, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा सुनिश्चित करने के तरीकों पर आधिकारिक अनुसंधान और विश्लेषण प्रदान करता है।
- चार फोकस क्षेत्र: ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक विकास, पर्यावरणीय जागरूकता, वैश्विक संलग्नता।
- भारत IEA का सहयोगी सदस्य (associated member) है।

एनर्जी एक्सेस से संबंधी परिदृश्य

- **परिभाषा:** एनर्जी एक्सेस के लिए IEA द्वारा प्रदत्त परिभाषा के अनुसार "प्रत्येक परिवार की स्वच्छ खाना पकाने की सुविधाओं और विद्युत तक विश्वसनीय और वहनीय पहुँच होनी चाहिए। प्राथमिक स्तर पर इसे परिवार की आधारभूत ऊर्जा सेवाओं की पूर्ति हेतु पर्याप्त होना चाहिए। तत्पश्चात समय के साथ विद्युत आपूर्ति को बढ़ाया जाना चाहिए ताकि क्षेत्रीय औसत के समान आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।"
- अमेरिका और चीन के बाद भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता देश है।
- 2014 में, विद्युत उपलब्धता के अभाव में रहने वाले लोगों की संख्या 1.06 बिलियन थी, जिसमे से 270 मिलियन भारत में थे।
- विश्व में भारत का एनर्जी एक्सेस डेफिसिट सर्वाधिक है। इसके बाद नाइजीरिया और इथियोपिया का स्थान है। हालांकि, भारत विद्युत ऊर्जा अधिशेष देश है और 2016-17 में यह विद्युत का शुद्ध निर्यातक देश भी था।
- भारत में 25% (45 मिलियन) ग्रामीण घरों में विद्युत उपलब्ध नहीं है।
- वर्तमान में, 2.8 बिलियन लोग स्वच्छ भोजन पकाने की सुविधाओं से वंचित हैं और 2030 तक यह संख्या 2.3 बिलियन तक बने रहने की सम्भावना है।

एनर्जी एक्सेस को बढ़ाने के लाभ

- **संधारणीय विकास लक्ष्य:** मानव विकास को उन्नत करने, समाज के निर्धनतम परिवारों और सुभेद्य वर्गों के सामाजिक समावेशन में वृद्धि तथा SDGs के अनेक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ऊर्जा सेवाओं तक पहुँच महत्वपूर्ण है।
- **जीवन स्तर में सुधार**: सभी के लिए ऊर्जा उपलब्धता सुनिश्चित करने से ऊर्जा से वंचित वर्गों के जीवन स्तर और आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
- **भोजन पकाने के लिए स्वच्छ ईंधन:** सभी के लिए स्वच्छ भोजन पकाने तक पहुँच उपलब्ध कराने से वर्तमान में होने वाली 2.8 मिलियन लोगों की समय पूर्व मृत्यु 2030 तक घटकर प्रति वर्ष 1.8 मिलियन रह जाएगी। यह महिला सशक्तिकरण में भी सहायक होगा क्योंकि उन्हें उत्पादक गतिविधियों में शामिल होने के साथ ही नवीन ज्ञान और कौशल प्राप्त करने के अधिक अवसर प्राप्त हो सकेंगे।

एनर्जी एक्सेस में वृद्धि के समक्ष विद्यमान चुनौतियाँ

- **वित्त:** सभी के लिए ऊर्जा उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 2030 तक की अवधि में 786 बिलियन डॉलर के संचयी निवेश की आवश्यकता होगी। यह निवेश इस अवधि के दौरान ऊर्जा क्षेत्र के कुल निवेश के 3.4% के बराबर होगा। वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी तथा भारतीय अर्थव्यवस्था पर NPA के बढ़ते दबाव को देखते हुए यह लक्ष्य कठिन प्रतीत होता है।

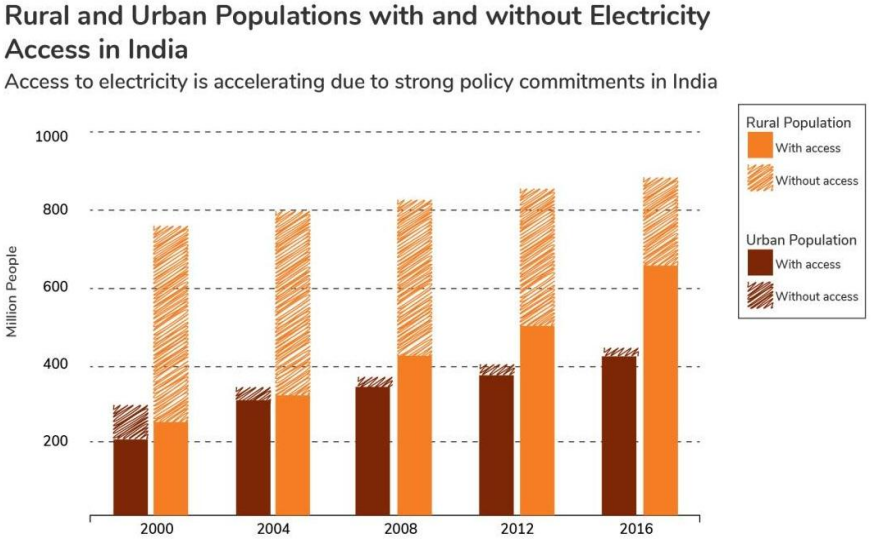

- **निम्नस्तरीय ग्रिड कनेक्टिविटी:** नवीकरणीय ऊर्जा की बढ़ती भूमिका के साथ, अंतिम व्यक्ति तक कनेक्टिविटी को सुनिश्चित करने के लिए ग्रिड कनेक्टिविटी अवसंरचना का विस्तार करने की आवश्यकता है।
- **एनर्जी एक्सेस की गुणवत्ता:** एनर्जी एक्सेस वहनीयता और विश्वसनीयता से संबंधित है, जबकि अभी भी भारत में कुछ राज्य परिवारों को प्रति दिन न्यूनतम दस घंटे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराने में समर्थ नहीं हैं।
- **एनर्जी एक्सेस में ग्रामीण-शहरी अंतर:** भारत में केवल **71% परिवार** विद्युतीकृत हैं। अतः इस क्षेत्र में एक व्यापक ग्रामीण-शहरी अंतर विद्यमान है (इन्फोग्राफिक देखें)।

VISION IAS

आगे की राह

- **नीतिगत प्रोत्साहन:** समाधानों और व्यापार मॉडल की विस्तृत श्रृंखला को प्रोत्साहित करने वाली और नए विचारों के साथ नए प्रवेशकों को प्रोत्साहित करने वाली नीतियां लागू करना।
- **ग्रामीण विद्युत उपलब्धता में वृद्धि:** ऑफ-ग्रिड निवेश, मिनी-ग्रिड के लिए उपयुक्त परिवेश का निर्माण करके और ग्रिड से विकेंद्रीकृत समाधानों के अंतर्गत अनुवर्ती कनेक्शन हेतु प्रावधान करके ग्रामीण विद्युत उपलब्धता में वृद्धि करना।
- **नवीकरणीय ऊर्जा का दोहन:** नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों की कम होती लागत और पर्याप्त ऊर्जा दक्षता उपाय देशों के लिए स्वच्छ ऊर्जा तक पहुँच को विस्तारित करने के लिए रचनात्मक कदम उठाने का अवसर प्रदान करते है।
- **हाइब्रिड सिस्टम:** यूनिवर्सल एनर्जी एक्सेस प्राप्त करने के लिए बैटरियों या डीजल जनरेटर के साथ नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करना।
- **निजी निवेश को प्रोत्साहित करना:** स्वच्छ ऊर्जा अवसंरचना की निवेश संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने और बेहतर ऊर्जा दक्षता प्राप्त करने के लिए सार्वजनिक वित्त के साथ निजी निवेश की आवश्यकता होगी।
- एनर्जी एक्सेस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कृषि, वाणिज्यिक और औद्योगिक गतिविधियों में **विद्युत के उत्पादक उपयोग की आवश्यकता** है।
- ऊर्जा निवेश लागत कम करने और एनर्जी एक्सेस कार्यक्रमों (UJALA कार्यक्रम) की वहनीयता में वृद्धि के लिए **ऊर्जा कुशल उपकरणों** को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।

एनर्जी एक्सेस में सुधार हेतु भारत द्वारा उठाए गए कदम

- **दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (DDUGJY)**: DDUGJY विद्युत मंत्रालय के प्रमुख कार्यक्रमों में से एक है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में सभी स्तरों पर मीटरिंग सहित फीडर पृथक्करण (ग्रामीण घर और कृषि) और उप-पारेषण तथा वितरण अवसंरचना को मजबूत बनाने पर ध्यान केंद्रित करता है।
- राज्य विद्युत वितरण कंपनियों (DISCOM) की वित्तीय और परिचालन दक्षता में सुधार लाने के लिए UDAY (**उज्जवल डिस्कॉम आश्वासन योजना**)।
- **प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य योजना)**: दिसंबर 2018 तक सभी परिवारों को विद्युत की आपूर्ति करना। इसका उद्देश्य सम्पूर्ण भारत में सर्वत्र विद्युत कनेक्शन की सहायता से पर्यावरण, सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा और कनेक्टिविटी में सुधार लाना है।
- **UJALA (उन्नत ज्योति बाई अफोर्डेबल LEDs फॉर ऑल) योजना**: इसके अंतर्गत जनता में सब्सिडी प्राप्त LED बल्बों को वितरित करना शामिल है। इसे ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड (EESL) द्वारा कार्यान्वित किया गया है।
- **प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना**- BPL परिवारों की महिलाओं को निशुल्क LPG कनेक्शन उपलब्ध कराने से संबंधित योजना।
- देश के ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में घरेलू बायोगैस संयंत्रों की स्थापना के लिए **राष्ट्रीय बायोगैस और खाद प्रबंधन कार्यक्रम (NBMMP)**।
- भारत सरकार द्वारा आरंभ किए गए **राष्ट्रीय बायोमास कुकस्टोव पहल (NBCI)** का उद्देश्य उन्नत बायोमास कुकस्टोव के उपयोग को बढ़ाना है।

3.10. मेथेनॉल इकॉनमी

(Methanol Economy)

सुर्खियों में क्यों?

- हाल ही में, सरकार द्वारा **जीवाश्म ईंधन के विकल्प** और **ऊर्जा सुरक्षा के आधार** के रूप में **"मेथेनॉल"** को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया गया है।

मेथेनॉल के संबंध में

- इसे काष्ठ एल्कोहल (वुड एल्कोहल) के रूप में जाना जाता है। यह रंगहीन होता है और प्राकृतिक व कृत्रिम दोनों रूप से प्राप्त किया जाता है। यह जैव निम्नीकरणीय, ज्वलनशील, जहरीला और ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है।
- यह लकड़ी के भंजक आसवन से बनने वाला एक कार्बनिक यौगिक है और साथ ही कोयला, प्राकृतिक गैस, बायोमास (अर्थात सिनगैस उत्पादित करने में सक्षम उत्पाद) से भी उत्पादित किया जाता है।
- उपयोग: कार्बनिक संश्लेषण में, ईंधन, विलायक और एंटीफ्रीज़र के रूप में।
- भारतीय मानक ब्यूरो 2016 द्वारा ईंधन के रूप में प्रमाणित।
- मेथेनॉल के गैसीय रूप-DME (डाइमिथाइल ईथर) को LPG के साथ मिश्रित किया जा सकता है।

पृष्ठभूमि

- **घरेलू उत्पादन इकाइयों की कमी** और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कम कीमतों पर मेथेनॉल की उपलब्धता के कारण देश में मेथेनॉल की 90% माँग को आयात द्वारा पूरा किया जाता है।

VISION IAS

- भारत ईरान और सऊदी अरब से अपना 99% मेथेनॉल आयात करता है जहां आसानी से और सस्ते में उपलब्ध प्राकृतिक गैस से मेथेनॉल का उत्पादन किया जाता है।
- विश्व में मेथेनॉल का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है।
- भारत में 5वां सबसे बड़ा कोयला भंडार (मेथेनॉल का फीडस्टॉक) है, जिसका उपयोग मेथेनॉल और DME (डाइमिथाइल ईथर) उत्पादन के लिए किया जा सकता है।

सरकार की पहलें

- ऐसी नीति की दिशा में प्रयास आरंभ किए गए हैं, जिसमें **पेट्रोल में 15%** मेथेनॉल **मिश्रण** पर बल दिया गया है।
- कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) ने **पश्चिम बंगाल में कोयला आधारित** मेथेनॉल **संयंत्र** स्थापित करने की अपनी योजना का अनावरण किया है।
- भारत ने दोपहिया इंजन, जेनेसेट, पावर वीडर (कृषि उपकरण) इत्यादि को मेथेनॉल के उपयोग हेतु सफलतापूर्वक संशोधित किया है। इसके साथ ही रेलवे एवं समुद्री पोत सहित कई आंतरिक दहन इंजन भी परिवर्तन की इस प्रक्रिया में शामिल हैं

मेथेनॉल की आवश्यकता

- **जीवाश्म ईंधन की अत्यधिक खपत :** भारत जीवाश्म ईंधन का 6ठां सबसे बड़ा उपभोक्ता है। यह 2030 तक तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता बन जाएगा। मेथेनॉल अपनाने से जीवाश्म ईंधन का उपभोग कम होगा। उदाहरण के लिए, आगामी 5-7 वर्षों तक मेथेनॉल के उपयोग के फलस्वरूप डीजल की खपत 20% कम हो जाएगी।
- आगामी 3 वर्षों में कच्चे तेल और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों के 5000 करोड़ रुपये के वार्षिक आयात व्यय (Bill) में कमी।
- **पर्यावरण:** जीवाश्म ईंधन से GHG उत्सर्जन में वृद्धि होती है। वहीं दूसरी ओर, मेथेनॉल कणिकीय पदार्थ एवं कालिख (soot) का उत्सर्जन नहीं करता है तथा लगभग नगण्य मात्रा में Sox और NOx उत्सर्जित करता है।

मेथेनॉल इकोनॉमी के लिए NITI आयोग का रोड मैप

- **मेथेनॉल इकोनॉमी फंड**- स्वच्छ ईंधन के उत्पादन और उपयोग को प्रोत्साहित करने हेतु 4,000-5,000 करोड़ रुपये का कोष बनाया गया है।
- **स्वदेशी प्रौद्योगिकी**- स्वदेशी तकनीक से भारत के अधिक राख वाले कोयले से अत्यधिक मात्रा में मेथेनॉल के उत्पादन और क्षेत्रीय उत्पादन रणनीतियों को अपनाए जाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
- **अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पादन**: मेथेनॉल उत्पादन के लिए कृषि अवशेष, दबी हुई (Stranded) गैस और नगरपालिका ठोस अपशिष्ट आदि के उपयोग द्वारा मेथेनॉल उत्पादन का लगभग 40% प्राप्त किया जा सकता है। यह **स्वच्छ भारत मिशन** के पूरक के रूप में भी कार्य करेगा।
- **परिवहन में उपयोग को बढ़ाना**: मेक इन इंडिया पहल के अंतर्गत ऑटोमोबाइल कंपनियों द्वारा मेथेनॉल अर्थव्यवस्था की अवधारणा का लाभ उठाया जा सकता है। इसके परिणामस्वरूप FDI के अधिक प्रवाह और रोजगार में वृद्धि होगी।
- **स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन लक्ष्य हेतु मेथेनॉल**: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) जैसे कार्यक्रम के कारण LPG आयात में होने वाली वृद्धि के भार में कमी करने के लिए, NITI आयोग द्वारा LPG के साथ मेथेनॉल या DME मिश्रित का उपयोग और खाना पकाने के ईंधन के रूप में पूर्णतः मेथेनॉल को अपनाए जाने की कल्पना की गई है।
- **अन्य उपयोग** -जैसे औद्योगिक बॉयलरों और दूरसंचार टॉवरों के जेनसेट्स में ईंधन के रूप में मेथनॉल, इसके द्वारा फार्मल्डिहाइड और एसिटिक अम्ल जैसे विभिन्न रसायनों का उत्पादन।

आगे की राह

- **अवसंरचना में अत्यधिक निवेश** –मेथेनॉल ईंधन के रूप में, एल्युमिनियम सहित कुछ धातुओं के लिए संक्षारक है।
- **मेथेनॉल का क्रमिक अंगीकरण**- सबसे पहले पर्याप्त मात्रा में मेथेनॉल का उत्पादन और उद्योगों को इसकी आपूर्ति अनिवार्य है। दूसरा, स्थिरता का स्तर प्राप्त करने के पश्चात्, मेथेनॉल/DME ईंधन मिश्रण द्वारा संचालित होने वाले फ्लेक्सि-फ्यूल वाहनों का भी साथ में विकास होना चाहिए।
- ईरान या कतर में मेथनॉल/DME के लिए विनिर्माण सुविधाओं को आउटसोर्स किया जाना चाहिए, क्योंकि इन दोनों देशों में प्राकृतिक गैस का विशाल भंडार विद्यमान होने के कारण यह सेवाएँ बहुत कम कीमतों पर उपलब्ध हो सकती है।
- **एकीकृत ऊर्जा उत्पादन:** सरकार को एकीकृत ढंग से विद्युत, मेथेनॉल और उर्वरक के उत्पादन के लिए एक मेगा कोल-बेस्ड काम्प्लेक्स की स्थापना की जानी चाहिए, जिसके परिणामस्वरूप उत्पादित की जाने वाली विभिन्न वस्तुओं की लागत काफी कम हो जाएगी।

VISION IAS

3.11. ऊर्जा क्षेत्र में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण

(DBT In Power Sector)

सुर्खियों में क्यों?

- भारत सरकार द्वारा **ऊर्जा क्षेत्र में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण** को कार्यान्वित करने का निर्णय लिया गया है।

प्रस्तावित सुधार

- **लक्षित दृष्टिकोण-** प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) द्वारा सक्षम विद्युत् उपभोक्ताओं को मिलने वाले लाभों को सीमित करते हुए सब्सिडी संरचना को समाज के निर्धनतम वर्गों की आवश्यकताओं के प्रति लक्षित किया जाएगा। इसी प्रकार, LPG संभाग में, उपभोक्ताओं के कुछ चिन्हित वर्गों (सामान्य एवं कृषिगत) को उनके खातों में नकद राशि प्राप्त होगी।
- **आकलन**- यह नकद भुगतान राज्य सरकार द्वारा विद्युत की प्रति इकाई उपभोग के लिए घोषित सब्सिडी के स्तर के समतुल्य होगा। राज्य द्वारा सब्सिडी का निर्धारण उपभोक्ताओ के विशिष्ट समूह के औसत खपत संबधी आकड़ों के अनुसार किया जाएगा।
- **कार्यान्वयन**- प्रारम्भ में, इसे पायलट परियोजना के रूप में क्रियान्वित किया जाएगा। 2019 तक इसका पूर्ण कार्यान्वयन किया जाना तभी संभव है जब राज्य की विद्युत् वितरण कम्पनियाँ (डिस्कॉम) अपने घाटों को समाप्त कर लें और उदय (UDAY) योजना के अंतर्गत लाभ सृजन करने में सक्षम हो जाएँ।
- **डिस्कॉम को उत्तरदायी बनाना**- डिस्कॉम को अधिक उत्तरदायी बनाने के लिए विद्युत में आने वाले किसी भी व्यवधान पर मार्च 2019 के बाद दण्ड आरोपित किया जाएगा।
- **उपभोक्ता संबंधी कार्यों में सुधार-** दक्षता बढ़ाने एवं हानियों को कम करने के लिए, 100% मीटरिंग किया जाना शेष है एवं सरकार द्वारा उपभोक्ताओं संबंधी कार्यों जैसे मीटरिंग, बिलिंग एवं कलेक्शन में मानवीय इंटरफ़ेस को समाप्त किया जा रहा है।

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण की आवश्यकता

- **घाटे वाली डिस्कॉम- UDAY (उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना)** के आरम्भ के बावजूद भी, वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) को घाटा हो रहा हैं। प्रशुल्क संरचनाओं में अधिक परिवर्तन नहीं हुए हैं और यह संपूर्ण लागतों की वसूली करने में विफल रही हैं। साथ ही, डिस्कॉम्स को मार्च 2019 के बाद प्रशुल्कों में बढ़ोतरी के माध्यम से 15% से अधिक घाटों की क्षतिपूर्ति करने की अनुमति नहीं होगी।
- **क्रॉस-सब्सिडी की प्रक्रिया-** डिस्कॉम क्रॉस-सब्सिडी की पद्धति के माध्यम से सब्सिडी प्रदान करती हैं। अन्य शब्दों में, राज्य सरकारें, वाणिज्यिक एवं औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए प्रशुल्क की उच्च दरों को बनाए रखते हुए सभी घरेलू उपभोक्ताओं को विद्युत प्रशुल्कों पर सब्सिडी प्रदान करती हैं।
- **अनुचित मूल्य निर्धारण-** जहाँ एक ओर पूर्णतः समृद्ध व्यक्तियों द्वारा (जो प्रशुल्कों का भुगतान करने में सक्षम है) क्रॉस-सब्सिडी की प्रक्रिया से लाभ प्राप्त किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर उच्च इनपुट लागतों के कारण व्यापार वृद्धि बाधित हो रही है।
- नीति आयोग ने 2016 में विद्युत वितरण में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण का आरंभ करने की अनुशंसा की थी।

लाभ

- इसके द्वारा समाज के निर्धनतम वर्गों तक सब्सिडी की पहुँच सुनिश्चित होगी तथा सब्सिडी के अनुचित उपयोग को रोका जा सकेगा।
- प्रशुल्कों के प्रस्तावित युक्तिकरण से डिस्कॉम को घाटों को कम करने एवं इनपुट लागतों की वसूली करने में सहायता प्राप्त होगी।
- इसके परिणामस्वरूप उद्योग द्वारा वहन की जाने वाली क्रॉस-सब्सिडी में भी कमी होगी, जिससे व्यापार में वृद्धि होगी और मेक इन इंडिया अभियान को बल मिलेगा।

चुनौतियाँ

- विशेष रूप से पिछड़े एवं ग्रामीण क्षेत्रों (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण हेतु लक्षित उपभोक्ता) में व्यापक पैमाने पर मीटरिंग किया जाना शेष है।
- निर्धन वर्गों की बायो-मीट्रिक पहचान (AADHAAR) की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। साथ ही, अभी भी अनेक स्थानों में वित्तीय समावेशन का अभाव है।
- अवास्तविक लाभार्थीयों की पहचान करते हुए उनको पृथक किए जाने की आवश्यकता है।

3.12. पवन ऊर्जा की खरीद हेतु दिशा-निर्देश

(Guidelines for Procuring Wind Power)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में सरकार ने **विद्युत अधिनियम, 2003** की धारा 63 के अंतर्गत **पवन ऊर्जा की खरीद के लिए दिशा निर्देश** जारी किए हैं।

पवन ऊर्जा से संबंधित तथ्य

- भारत की समग्र स्थापित क्षमता 329.4 गीगावाट है, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा का योगदान 57.472 गीगावाट का है। (अप्रैल 2017)
- देश के नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों में पवन ऊर्जा का योगदान 56.2% (32.3 गीगावाट) और सौर ऊर्जा का योगदान 21.8 % (12.5 गीगावाट) है।

- भारत पवन ऊर्जा की स्थापित क्षमता की दृष्टि से चीन, अमेरिका और जर्मनी के बाद चौथे स्थान पर है।
- **राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान** के अनुसार 100 मीटर की ऊँचाई वाले टावरों के साथ भारत की संभावित पवन ऊर्जा क्षमता 302 गीगावाट है।
- **भारत की एकीकृत ऊर्जा नीति** 2031-32 तक 800 गीगावाट स्थापित क्षमता का अनुमान व्यक्त करती है, जिसमें से 40% (320 गीगावाट) विद्युत् नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त होगी।

पृष्ठभूमि

- भारत सरकार ने वर्ष 2022 तक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से 175 गीगावाट की स्थापित क्षमता प्राप्त करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है जिसमे सौर ऊर्जा के माध्यम से 100 गीगावाट एवं पवन ऊर्जा के माध्यम से 60 गीगावाट उत्पादन शामिल हैं।
- पहले, संबंधित राज्यों के विद्युत विनियामक आयोग उन मूल्यों का निर्धारण करते थे, जिस पर पवन ऊर्जा कम्पनियों द्वारा ऊर्जा की बिक्री की जा सकती थी। यह सामान्यत: 4-6 रुपए प्रति यूनिट होता था।
- **पवन ऊर्जा समवर्ती सूची के अंतर्गत वर्णित:** विगत समय में विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 के अंतर्गत वांछित केन्द्रीय दिशा-निर्देशों के अभाव में राज्य सरकारों द्वारा की गई अनेक नीलामी पहलें विफल हो गई थी।

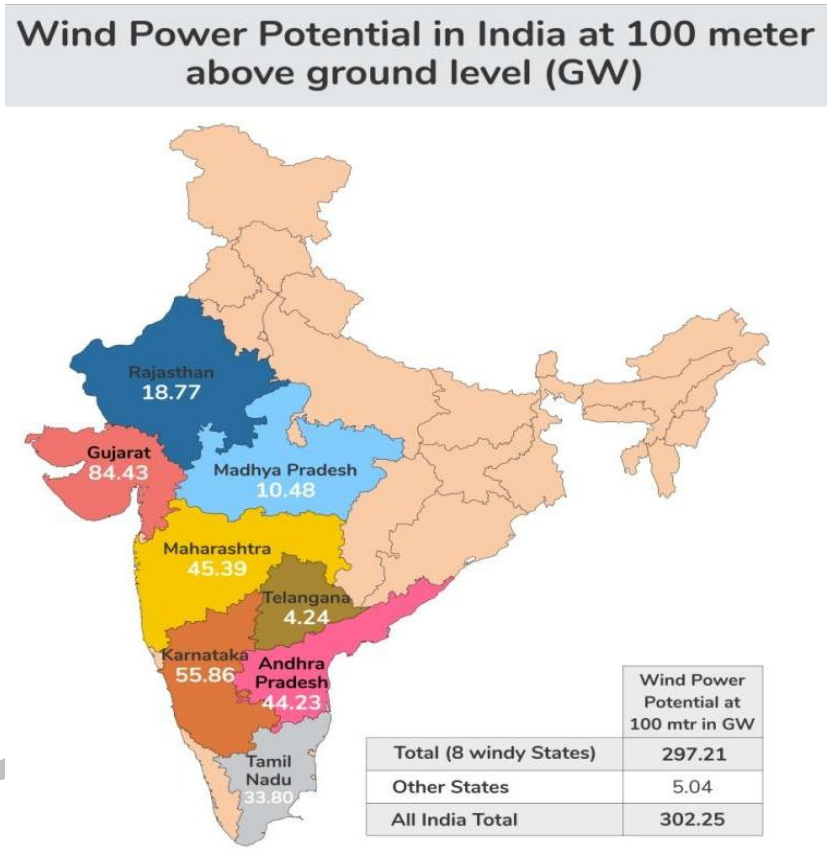

	Wind Power Potential at 100 mtr in GW
Total (8 windy States)	297.21
Other States	5.04
All India Total	302.25

दिशा-निर्देश के महत्वपूर्ण बिन्दु

- यह **बोली लगाने की पारदर्शी प्रक्रिया** के माध्यम से पवन ऊर्जा की खरीद हेतु एक फ्रेमवर्क प्रदान करता है। इस फ्रेमवर्क में प्रक्रिया का मानकीकरण एवं विभिन्न हितधारकों की भूमिकाओं और उत्तरदायित्वों को परिभाषित करना शामिल है।
- इसका उद्देश्य वितरण लाइसेंस धारकों को लागत प्रभावी रूप से प्रतिस्पर्धी दरों पर पवन ऊर्जा की खरीद हेतु सक्षम बनाना है।
- ये दिशा-निर्देश निम्नलिखित परियोजनाओं से पवन ऊर्जा की खरीद पर लागू हैं:
  - अंत:राज्यीय परियोजनाओं हेतु 25 मेगावाट की न्यूनतम बोली क्षमता के साथ किसी स्थान पर 5 मेगावाट या उससे अधिक की ग्रिड से जुड़ी पवन ऊर्जा परियोजनाएँ।
  - अंतर्राज्यीय परियोजनाओं हेतु न्यूनतम 50 मेगावाट बोली क्षमता के साथ किसी स्थान पर 50 मेगावाट एवं उससे अधिक की परियोजना।
- इसने एक ऐसे **भुगतान सुरक्षा तन्त्र** की शुरुआत की है जो ग्रिड को विद्युत का पारेषण न किए जाने पर भी पवन विद्युत विकासकर्ताओं को आंशिक क्षतिपूर्ति की गारंटी देता है।
- विद्युत खरीद अनुबंध पर हस्ताक्षर करते समय तय किए गए **क्षमता उपयोग कारक (न्यूनतम 22%)** को प्रदान करने में विफल रहने पर पावर डेवेलपर्स पर अर्थदण्ड का प्रावधान।
- ये विनियमन केवल नई परियोजनाओं के लिए लागू होंगे।

चुनौतियाँ

- **भूमि उपलब्धता**: नवीकरणीय ऊर्जा पर बल दिए जाने के बाद परियोजनाओं हेतु आदर्श स्थलों के मूल्यों में वृद्धि हो गई है।
- **निम्न स्तरीय संचरण एवं विद्युत पारेषण हेतु ग्रिड की अनुपलब्धता** ने पवन ऊर्जा क्षेत्रक की वृद्धि को प्रभावित किया है।
- **वित्तीय क्षमता का अभाव**: भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार, भारत को 2022 तक 160 गीगावाट सौर और पवन ऊर्जा के उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए लगभग 17.5 ट्रिलियन रु. (लगभग 264 बिलियन अमेरिकी डॉलर) के वित्तपोषण की आवश्यकता है। इतनी विशाल राशि को जुटाने के लिए बाजार में विद्यमान ग्रीन बॉण्ड जैसे हरित वित्तपोषण तंत्र का उपयोग किया जा सकता है।
- सार्वजनिक विद्युत वितरण निकायों की दयनीय वित्तीय स्थिति के कारण **डेवलपर्स को भुगतान न हो पाना।**

VISION

महत्व

- यह **पवन ऊर्जा क्षेत्रक को बढ़ावा** देगा क्योंकि यह पर्याप्त मात्रा में पवन प्रवाह प्राप्त करने वाले राज्यों को अपने लिए पवन ऊर्जा की खरीद हेतु बोली लगाने की प्रकिया में भागीदारी करने की अनुमति देगा।
- **ऊर्जा की न्यून लागत:** यह अत्यधिक कम मूल्य पर विद्युत प्राप्त करने के लिए तंत्र प्रदान करेगा, उदाहरण के लिए: गुजरात में हाल ही में संपन्न हुई बोली प्रक्रिया में, मूल्य गिरकर 2.43 प्रति यूनिट रह गए थे जो अब तक के न्यूनतम मूल्य हैं।
- यह ग्रिड की अनुपलब्धता एवं वितरण कंपनियों से भुगतान में विलम्ब के कारण राजस्व हानि का सामना करने वाले पवन ऊर्जा डेवेलपर्स को राहत प्रदान करेगा।

पवन ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम

- **राष्ट्रीय अपतटीय पवन ऊर्जा नीति:** यह आधार रेखा (बेसलाइन) से 200 समुद्री मील की दूरी तक (देश के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र) देश के भीतर या उसके निकट मौजूद जलक्षेत्रों में अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करती है। यह पवन ऊर्जा के उत्पादन करने हेतु भारत की 7600 किमी लंबी तटरेखा का उपयोग कर भूमि उपलब्धता की बाधा को समाप्त करती है।
- **तटवर्ती पवन ऊर्जा परियोजनाओं के विकास हेतु दिशा-निर्देश:** कुशल, लागत प्रभावी और पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल तरीके से पवन ऊर्जा परियोजनाओं के विकास को सुगम बनाना।
- विद्युत अधिनियम, 2003 में निर्दिष्ट **नवीकरणीय खरीद दायित्व** ने भारत में पवन-ऊर्जा उत्पादकों की वृद्धि को गति प्रदान की है।
- **हरित ऊर्जा गलियारा परियोजना**: "हरित ऊर्जा गलियारा परियोजना" के भाग के रूप में नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों हेतु विद्युत निकासी और पारेषण अवसंरचना को संवर्धित किया जा रहा है।
- **पवन-सौर हाइब्रिड मसौदा नीति:** इसका उद्देश्य वर्ष 2022 तक 10 गीगावाट की पवन-सौर हाइब्रिड क्षमता प्राप्त करना है।

3.13. सस्टेनेबल रूफटॉप इम्प्लीमेंटेशन फॉर सोलर ट्रांसफिगरेशन ऑफ़ इंडिया (सृस्टि - SRISTI)

(Sustainable Rooftop Implementation for Solar Transfiguration of India (SRISTI))

सुर्खियों में क्यों?

- देश में रूफटॉप सोलर पॉवर के परिनियोजन को गति प्रदान करने के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) ने **सस्टेनेबल रूफटॉप इम्प्लीमेंटेशन फॉर सोलर ट्रांसफिगरेशन ऑफ़ इंडिया (सृस्टि)** पर एक कंसेप्ट नोट तैयार किया है।

पृष्ठभूमि

- सरकार ने 2022 तक देश में 100 गीगावॉट सौर ऊर्जा की क्षमता प्राप्ति का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसमें से 40 गीगावॉट क्षमता सोलर रूफटॉप से उत्पादित करने का लक्ष्य है।
- रूफटॉप सोलर को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय द्वारा **ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर (RTS) पावर प्रोग्राम** को कार्यान्वित किया जा रहा है। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा भी अनुकूल नीति और विनियामकीय उपायों को अपनाया गया है।
- **वर्तमान स्थिति-** कार्यक्रम के अंतर्गत देश भर में वर्ष 2019-20 तक 4,200 मेगावाट RTS संयत्रों के संस्थापन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- अब तक, कार्यक्रम के अंतर्गत 2047 मेगावॉट क्षमता के RTS संयत्रों को मंजूरी दी गई है, जिसमें से मात्र 845 मेगावाट क्षमता के संयत्र संस्थापित किए गए हैं।

धीमी प्रगति के लिए निम्नलिखित प्रमुख मुद्दों की पहचान की गई है:

- विभिन्न एजेंसियों द्वारा अनेक निविदाएं प्रस्तुत करना एवं तत्पश्चात, निविदा की स्वीकृति में अत्यधिक विलंब।
- कई हितधारकों जैसे राज्य की नोडल एजेंसियां (SNAs), वितरक कंपनियां (DisComs), सार्वजनिक क्षेत्रक के उपक्रम (PSUs), डेवलपर्स (Developers) आदि की सहभागिता।
- राजस्व में हानि तथा नेट मीटर आदि की उपलब्धता के कारण वितरक कंपनियों की अनिच्छा।
- अनिवार्य अधिसूचना का अभाव (केवल 4 राज्यों ने इसे अनिवार्य बनाया है)/राज्यों में संबंधित नीतियों और एक समान विनियम की कमी।
- L1 मिलान (L1 matching) (निम्नतम मूल्य से मिलान करना) के लिए बोली लगाने वालों द्वारा लागत कम किए जाने और बारंबार बोली-प्रक्रिया के कारण प्रणाली की गुणवत्ता में गिरावट।

कंसेप्ट नोट का विवरण

- द्वितीय चरण में एक कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में डिस्कॉम (DisCom): उपर्युक्त मुद्दों के समाधान के लिए डिस्कॉम और उसके स्थानीय कार्यालय, कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु नोडल इकाई के रूप में कार्य करेंगे। इससे पूर्व व्यक्ति को रूफटॉप सोलर संयंत्र की स्थापना हेतु विभिन्न एजेंसियों से सम्पर्क करना पड़ता था।
- अपने वितरण क्षेत्र के भीतर RTS संयंत्रों के परिनियोजन में तेजी लाने के लिए डिस्कॉम्स को प्रदर्शन-आधारित वित्तीय सहायता प्रदान करना।
- केवल आवासीय क्षेत्रों में छत पर सौर संयंत्रों को स्थापित करने के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी तथा आवासीय व अन्य क्षेत्रों के लिए सब्सिडी की एक सीमा निर्धारित होगी।
- **क्षेत्र-वार लक्ष्य-** वाणिज्यिक और औद्योगिक क्षेत्र 20,000 मेगावाट स्थापित करेंगे एवं सरकार, आवासीय, सामाजिक व संस्थागत क्षेत्र, प्रत्येक, 5000 मेगावाट की स्थापना करेंगे।

3.14. विश्व के शीर्ष LPG आयातक के रूप में चीन को भारत की चुनौती

(India Challenges China as World's Biggest LPG Importer)

सुर्खियों में क्यों?

संभव है कि शीघ्र ही लिक्विफाईड पेट्रोलियम गैस (LPG) के सबसे बड़े आयातक के रूप में भारत चीन को पीछे छोड़ दे।

विवरण

भारत में LPG आयात में वृद्धि के कारण:

- सरकार द्वारा भोजन बनाने के लिए लकड़ी और पशुओं के गोबर से बने उपलों की जगह LPG के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। 1 अप्रैल, 2017 तक देश में 72.8% परिवार द्वारा LPG का प्रयोग किया जा रहा था। सरकार का लक्ष्य मार्च 2019 तक 80% परिवारों तक LPG को पहुँचाना है।
- पेट्रोल/डीजल पर बढ़ते टैक्स के कारण कारों में LPG के उपयोग में वृद्धि।

हालाँकि, 2017 में भारत का औसत मासिक आयात लगभग 1.7 मिलियन टन रहा, जो चीन के 2.2 मिलियन टन के मुकाबले बहुत कम हैं। परंतु यह तीसरे स्थान वाले जापान से लगभग 10 लाख टन आगे बढ़ गया है। चीन, भारत और जापान की संयुक्त खरीददारी वैश्विक स्तर पर LPG की कुल खरीददारी का लगभग 45 प्रतिशत है।

भारत में LPG से सम्बंधित परिदृश्य

माँग परिदृश्य- वित्त वर्ष 2017 के दौरान भारत में LPG का उपभोग 21.55 मिलियन टन था, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में 9.8% की वृद्धि हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में रसोई गैस कनेक्शन में वृद्धि के कारण वर्ष 2031-32 तक LPG की माँग 35 लाख टन (3.5 करोड़ टन) तक पहुँच सकती है।

आपूर्ति परिदृश्य- 11 मिलियन टन LPG का आयात किया गया (51%)। LPG का आयात अगले तीन वर्षों में बढ़कर 16-17 मिलियन टन हो जाएगा।

- भारत मुख्य रूप से आवधिक अनुबंध के माध्यम से मध्य पूर्व के उत्पादक देशों से LPG आयात करता है। ये वह देश हैं जिनका आपूर्ति के क्षेत्र में अब तक एकाधिकार रहा है।
- हाल ही में, भारत ने LPG आयात करने के लिए ईरान के साथ एक समझौता किया है। भारत अमेरिका से भी LPG आयात कर रहा है और साथ ही, बांग्लादेश के साथ इसके के लिए बातचीत चल रही है।

अन्य तथ्य

LPG और LNG में अंतर

	लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (LPG)/ऑटोगैस	लिक्विफाइड नेचुरल गैस (LNG)
अवयव	**मुख्य:** प्रोपेन, ब्युटेन, **अन्य:** प्रोपलिन और ब्यूटीन।	LNG एक अति-शीतल (क्रायोजेनिक) द्रव के रूप में संग्रहित प्राकृतिक गैस है। जब इसे उच्च दाब वाले टैंकों में संपीडित किया जाता है तब इसे CNG कहा जाता है। **मुख्य:** मीथेन **अन्य:** हाइड्रोकार्बन जैसे इथेन व प्रोपेन एवं साथ ही साथ, अन्य गैसें जैसे कि नाइट्रोजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर यौगिक एवं जल वाष्प।

VISION IAS

उत्पादन	इसे प्राकृतिक गैस प्रसंस्करण और पेट्रोलियम शोधन (रिफाइनरी) के उप-उत्पाद के रूप में उत्पादित किया जाता है।	गैस कुओं से निकाला जाता है या कच्चे तेल के उत्पादन के साथ संयुक्त होता है।
गुणधर्म//विशेषताएँ	• प्राकृतिक गैस के विपरीत, LPG वायु की तुलना में भारी होता है। इस प्रकार यह धरातल पर प्रवाहित होगा और इसकी प्रवृत्ति निचले स्थान पर बैठ जाने की(स्थिर) होती है, जैसे-बेसमेंट में। ऐसे संचयन के कारण विस्फोट का खतरा उत्पन्न हो सकता हैं। • लाभ: प्राकृतिक गैस की तुलना में LPG का कैलोरी मान (ऊर्जा) उच्च होता है। • LPG को एक द्रवित अवस्था में संपीड़ित किया जा सकता है और इसे एक सिलेंडर या बड़े पोत में आसानी से संग्रहीत किया जा सकता है या एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है। • LPG के साथ चुनौती यह है कि इसकी संरचना में व्यापक भिन्नता हो सकती है। इसके फलस्वरूप इंजन निष्पादन से लेकर कोल्ड स्टार्टिंग निष्पादन परिवर्तनीय होते हैं।	• प्राकृतिक गैस वायु से भी हल्का होता है और इस प्रकार आम तौर पर रिसाव की स्थिति में स्वयं ही नष्ट हो जाएगा। • LNG का लाभ यह है कि यह पेट्रोल और डीजल ईंधन के बराबर ऊर्जा घनत्व प्रदान करता है, रेंज को बढ़ाता है और ईंधन पुनर्भरण की आवृत्ति को कम करता है। • हानि यह है कि वाहनों पर क्रायोजेनिक भंडारण की उच्च लागत और LNG वितरण स्टेशनों, उत्पादन संयंत्र और परिवहन सुविधाओं के लिए बुनियादी ढांचे की आवश्यकता होगी।

3.15. राष्ट्रीय राजमार्ग निवेश संवर्धन प्रकोष्ठ

(National Highway Investment Promotion Cell)

सुर्खियों में क्यों?

- भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग निवेश संवर्धन प्रकोष्ठ (NHIPC) का गठन किया गया है।

NHIPC की आवश्यकता

- **भारतमाला परियोजना के लिए फंड:** सरकार ने भारतमाला परियोजना के अंतर्गत 5,35,000 करोड़ रुपये के निवेश द्वारा आगामी पाँच वर्षों में 35,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण का लक्ष्य रखा है।
- **निजी निवेश:** घरेलू और विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए NHIPC की आवश्यकता है।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 द्वारा **भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण** का गठन किया गया था। यह **सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय** के अधीन कार्य करता है।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण सौंपे गए राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास, रखरखाव और प्रबंधन तथा उनसे जुड़े या प्रासंगिक प्रकरणों के लिए उत्तरदायी है।

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम (NHDP) को **1998** में आरंभ किया गया था। इसका उद्देश्य यातायात को सुगम बनाने वाले अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप सड़कों का विकास करना है।

भारत में सड़क निर्माण के अंतर्गत प्रयुक्त PPP मॉडल

- **BOT (बिल्ड-ऑपरेट-ट्रांसफर)**: निजी भागीदार डिजाइन, निर्माण, संचालित (अनुबंधित अवधि के दौरान) और सार्वजनिक क्षेत्र को सुविधा वापस स्थानांतरित करने के लिए उत्तरदायी होता है। परियोजना के वाणिज्यिक रूप से आरंभ होने के पश्चात्, सरकार निजी पक्ष को भुगतान करना आरंभ करती है। **DBFOT** (डिज़ाइन-बिल्ड-फाइनेंस-ऑपरेट-ट्रांसफर) इसके प्रकारों में से एक है।
- **BOT-टोल:** BOT के समान होता है। बस एकमात्र अंतर इतना है कि निजी पक्ष को टोल संग्रह के माध्यम से अपना निवेश वसूल करने की अनुमति होती है। इस प्रकरण में, सरकार निजी पार्टी को कुछ भी भुगतान नहीं करती है।
- **इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण (EPC) मॉडल**: कच्चे माल की खरीद और निर्माण लागत सरकार द्वारा वहन की जाती है। निजी क्षेत्र की भागीदारी इंजीनियरिंग विशेषज्ञता के प्रबंध तक सीमित होती है।
- **हाइब्रिड एन्यूइटी मॉडल (HAM)**: यह **BOT** और **EPC** मॉडल का मिश्रित रूप है। सरकार वार्षिक भुगतान के माध्यम से पहले पाँच वर्षों के दौरान परियोजना की **40%** लागत का भुगतान करती है। शेष **60%** का भुगतान सृजित परिसंपत्ति के मूल्य के आधार पर परिवर्तनशील वार्षिकी के रूप में परियोजना के पूरा होने के बाद किया जाता है।

VISION IAS

NHIPC के उद्देश्य

- यह प्रकोष्ठ सड़क अवसंरचना परियोजनाओं में निवेशकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए वैश्विक संस्थागत निवेशकों, निर्माण कंपनियों, डेवलपरों और कोष प्रबंधकों के साथ मिलकर कार्य करेगा।
- NHIPC विभिन्न विभागों और मंत्रालयों के साथ-साथ CII, FICCI, ASOCHAM आदि जैसे कई शीर्ष बिजनेस चैंबरों के साथ सहयोग करते हुए कार्य करेगा और इस प्रकार निवेश में वृद्धि होगी।

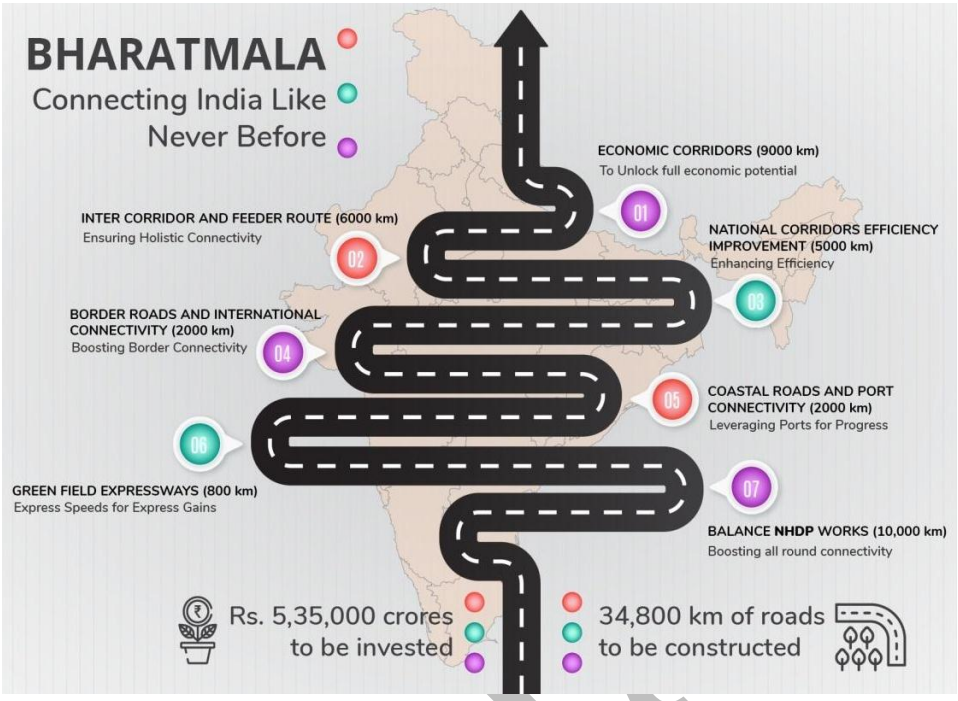

भारतमाला परियोजना

- अक्टूबर 2017 में इस परियोजना को स्वीकृति प्रदान की गई थी। परंतु इसके अंतर्गत निर्माण कार्य संबंधी टेंडर दिसंबर 2018 तक दिए जाएँगे। **यह NHDP के बाद दूसरी सबसे बड़ी राजमार्ग निर्माण परियोजना है।** जिसके अंतर्गत 50, 000 किलोमीटर राजमार्ग सड़कों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था।
- इस परियोजना के अंतर्गत निर्मित सड़कों में देश भर के राज्य राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग और कुछ राज्य सड़कें शामिल होंगी। इसमें NHDP का 10, 000 कि.मी. भी सम्मिलित होगा।
- भारतमाला का उद्देश्य आर्थिक गलियारों, सीमावर्ती क्षेत्रों और अन्य क्षेत्रों के मध्य कनेक्टिविटी में सुधार लाना है। इससे माल (CARGO) की त्वरित आवाजाही सुनिश्चित होगी और निर्यात को बढ़ावा मिलेगा।
- डेब्ट फंड, निजी निवेश या केंद्रीय सड़क निधि या टोल संग्रह से इस परियोजना का वित्त पोषण किया जाएगा।
- निर्माण कार्य जिन मुख्य एजेंसियों को सौंपा गया है, वह **राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, राष्ट्रीय राजमार्ग और औद्योगिक विकास निगम और राज्य लोक निर्माण विभाग हैं।**

3.16. पिछड़े जिलों के लिए योजनाएं

(Plans for Backward Districts)

सुर्खियों में क्यों?

- सरकार द्वारा प्रथम श्रेणी में सूचीबद्ध 115 पिछड़े जिलों के लिए कार्य योजना तैयार की गई है।

पिछड़े जिलों की सूचीबद्धता के संबंध में

- **गरीबी, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और अवसंरचना** के चार मुख्य मापदंडों के सन्दर्भ में **NITI आयोग** द्वारा इन पिछड़े जिलों की पहचान की गई है, जबकि उनके मूल्यांकन के लिए पृथक मांपदंड भी उपलब्ध कराए गए हैं (देखें इन्फोग्राफिक)।
- इनमें से, **35 जिले वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित** हैं। इन जिलों का चयन इस प्रकार किया गया है कि देश के विभिन्न भागों में कार्यक्रम की पहुँच के विस्तार के लिए प्रत्येक राज्य के कम से कम एक सबसे पिछड़े जिले का चयन किया जाए।

अन्य महत्वपूर्ण तथ्य

- इस पहल के अंतर्गत, **वरिष्ठ स्तर के सरकारी अधिकारियों को प्रभारी अधिकारियों के रूप में नामित किया गया है ताकि इन जिलों की विशिष्ट विकास आवश्यकताओं को चिन्हित करने के लिए केंद्र और राज्यों के मध्य सेतु के रूप में कार्य कर सके।** इससे दीर्घकाल में बेहतर उत्तरदायित्व सुनिश्चित होगा।

पिछड़े जिलों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता

- **अंत:क्षेत्रीय एवं अंतर-क्षेत्रीय विभाजन को समाप्त करना:** ग्रामीण-शहरी अन्तराल के विस्तार, मानव विकास सूचकांक और विभिन्न विकास अध्ययनों सहित सरकार का उद्देश्य पिछड़े जिलों के उत्थान और अंत:क्षेत्रीय एवं अंतर-क्षेत्रीय विकास को संतुलित करने के लिए एक मॉडल तैयार करना है।

VISION IAS

- **नया भारत-** 2022 तक नया भारत की परिकल्पना हेतु इन पिछड़े जिलों का विकास आवश्यक है। समावेशी विकास और सभी के रहने की क्षमता में सुधार इस दृष्टि का अभिन्न अंग है।
- **पुरानी योजनाओं की विफलता** - 2007 में आरंभ की गई एक योजना, **पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि** (BRGF) को 2015 में केन्द्रीय सहायता से पृथक कर दिया गया क्योंकि यह योजना अपने लक्ष्य को साकार करने में विफल रही थी। इसमें 272 जिले शामिल थें।

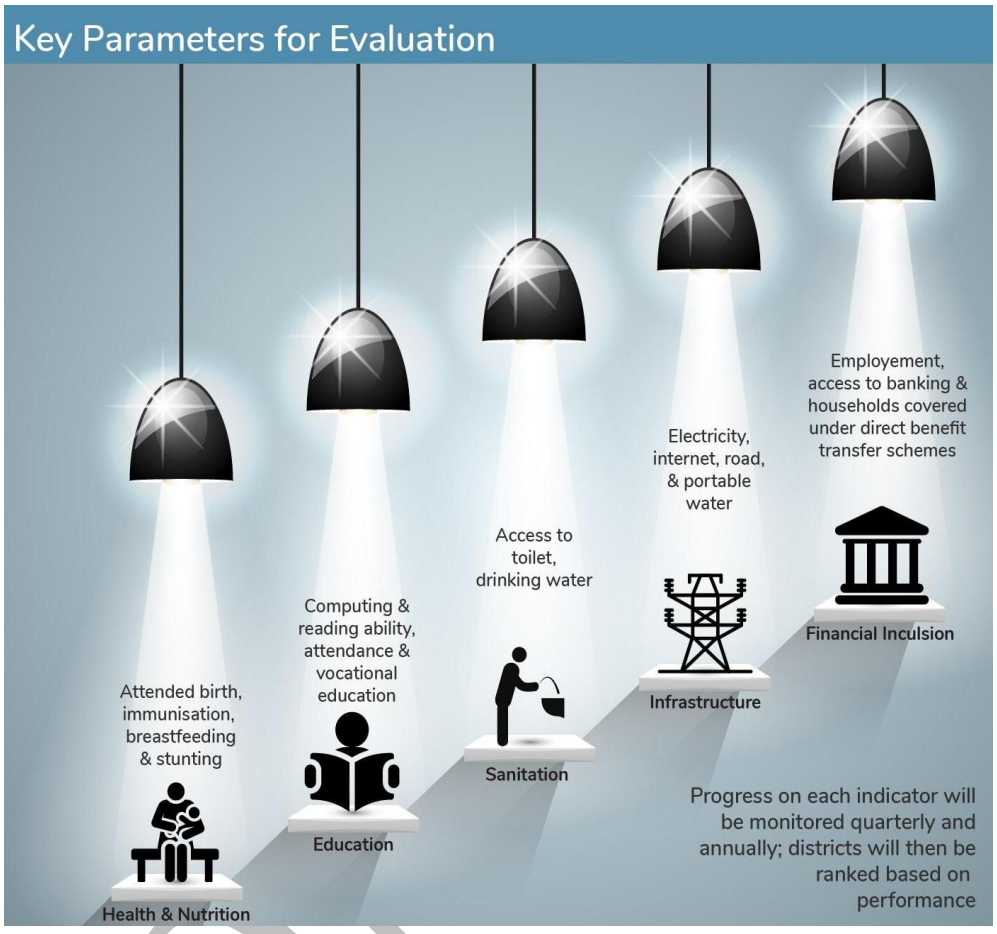

चुनौतियां

- **स्थानीय अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाना** - उद्योग समर्थक विकास मॉडल प्रत्येक पिछड़े जिलो के लिए कारगर नहीं हो सकता है क्योंकि पारिस्थितिकी पर निर्भर रहने वाली एक स्थानीय अर्थव्यवस्था को औद्योगिकीकरण के माध्यम से सशक्त नहीं बनाया जा सकता है।
- **सामाजिक मानदंड -** पीढ़ियों से चली आ रही सामाजिक मनोदशा और मानदंड को परिवर्तित करना एक अन्य बड़ी चुनौती है। यह बात विशेष रूप से सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं के लिए सही है।
- **संरचनात्मक परिवर्तन–** जिन जिलों में डिजिटल साक्षरता नगण्य है वहां प्रौद्योगिकी आधारित योजनाओं को सक्षम बनाना।
- **असमानता और शोषण–** काश्तकारी और साहूकारी जैसी औपनिवेशिक युग के मानदंडों को बदलना जो आज भी वर्ग और जाति के अंतर के कारण अनौपचारिक रूप से फल-फूल रहे हैं।
- **निधियों का आवंटन / उपयोग** - योजना आयोग द्वारा **BGRF (2007-2011)** के अध्ययन से पता चला हैं कि कोई भी राज्य जारी आवंटन का **80%** से अधिक प्राप्त करने में सफल नहीं रहा था। साथ ही, आवंटित धन का केवल एक तिहाई ही उपयोग में लाया गया था।

3.17. पोत भंजक उद्योग

(Ship-Breaking Industry)

सुर्खियों में क्यों?

- हाल ही में, सरकार ने पोत भंजन संहिता 2013 में संशोधन प्रस्तावित किया है।

पोत भंजन संहिता(शिप-ब्रेकिंग कोड) 2013: यह व्यापक योजना है, जो प्रावधान करती है;

- **पुनर्चक्रण योजना:** यह संहिता पुनर्चक्रणकर्ता के लिए दो घटकों वाली योजना, पोत पुनर्चक्रण सुविधा प्रबंधन योजना (शिप रीसाइक्लिंग फैसिलिटी मैनेजमेंट प्लान: SRFMP) और पोत विशिष्ट पुनर्चक्रण योजना (SSRP) तैयार करना आवश्यक बनाती है।
- **श्रमिक सुरक्षा और स्वास्थ्य:** उचित उपकरण, पर्याप्त खुले स्थान, आदि की उपलब्धता प्रदान करना।
- **श्रम कल्याण सुनिश्चित करना:** ESIC, EPFO, कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम आदि की प्रासंगिकता।
- **संहिता के अंतर्गत हाल में प्रस्तावित संशोधन:**
  - हांगकांग कन्वेंशन 2009 को अपनाने के साथ पोतों का प्रभावी वर्गीकरण।
  - परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड की आवश्यकताओं के साथ कार्यप्रणाली को सिंक्रनाइज़ किया जाना चाहिए, प्रोटोकॉल की पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति का दायित्व पोत भंजन करने वाले पर डाला जाना चाहिए।

हांगकांग कन्वेंशन 2009: पोत पुनर्चक्रण हेतु उपयुक्त प्रवर्तन तंत्र की स्थापना , प्रमाणन और रिपोर्टिंग आवश्यकतायें शामिल।

VISION

पोत भंजन की पृष्ठभूमि

- इसे बीचिंग या जहाज-पुनर्चक्रण / पोत विघटन क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है।
- यह लगभग 40,000 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है और इससे प्रतिवर्ष लगभग 2,500 करोड़ रुपये की राजस्व की प्राप्ति होती है।
- गुजरात में अलंग भारत का सबसे बड़ा पोत भंजक स्थल है। यहां विस्तृत महाद्वीपीय जल निमग्न तट, कीचड़ मुक्त तट और विस्तृत अंतरज्वारीय क्षेत्र जैसे भौगोलिक विशेषताएँ बड़े जहाजों को स्थान देने की सुविधा प्रदान कर इसे उपयुक्त स्थल बनाता है।
- 2016 में, भारत ने 300 से अधिक पोतों को विघटित किया था। यह बांग्लादेश, पाकिस्तान और चीन में विघटित किए जाने वाले पोतों की संख्या से अधिक है। लेकिन सकल टन विघटन के मामले में, बांग्लादेश भारत से आगे है।
- पोत पुनर्चक्रण (रीसाइक्लिंग) से उत्पन्न होने वाला इस्पात, घरेलू इस्पात माँग के 1%-2% की पूर्ति करता है (**भारतीय खान ब्यूरो, 2015**)।
- इसे 2014 में, इस्पात मंत्रालय के नियंत्रण से जहाजरानी मंत्रालय के नियंत्रण में स्थानांतरित कर दिया गया है।

पोत भंजन से संबंधित मुद्दे निम्नलिखित पहलुओं पर केंद्रित हैं:

श्रम

- सुरक्षा और सुरक्षा उपकरणों का अभाव, विघटन के लिए पारंपरिक मशीनरी का प्रयोग, कीचड़ और ज्वारीय समुद्र तटों का स्थानांतरण जैसी स्थितियां भार उठाने वाले भारी उपकरण को नहीं संभाल सकती हैं जिससे श्रमिकों के हताहत होने की दर उच्च है। उदाहरण के लिए, पिछले तीन दशकों के दौरान अलंग में 470 श्रमिक मारे गए हैं।

पर्यावरण

- भारत और बांग्लादेश में पोतों को सूखी गोदी के स्थान पर समुद्र तट पर विघटित किया जाता है, जिससे मिट्टी, जल और वायु की विषाक्तता बढ़ती है।
- पोत तोड़ने से पॉलिवाइनाल क्लोराइड (PVC) और पॉलिक्लोरिनेटेड (PCB) जैसे यौगिको का उत्सर्जन होता हैं, जिन्हें विभिन्न कानूनों के अंतर्गत विषाक्त पदार्थ के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- **विखंडित कार्यवाहियां–** पोत भंजन संहिता 2013 के लिए जहाजरानी मंत्रालय नोडल एजेंसी है। हालांकि, सुरक्षित और पर्यावरणीय रूप से समर्थ पोत पुनर्चक्रण के नियमों पर ड्राफ्ट संहिता, इस्पात मंत्रालय के अधीन है।

पोत भंजन का महत्व

- **आर्थिक:** समेकित इस्पात संयंत्रों की तुलना में कम पूंजी लागत के साथ बड़ी संख्या में पुनर्चक्रण योग्य इस्पात प्रदान करता है।
- **गुणवत्ता:** इस प्रकार से प्राप्त इस्पात उच्च गुणवत्ता वाली होती है क्योंकि दुर्घटना की संभावनाओं से बचने के लिए पोत बनाने में गुणवत्ता का सावधानी से ध्यान रखा जाता है।
- **अन्य उप-उत्पाद:** इस्पात के अतिरिक्त फर्नीचर, रसोईघर से सम्बंधित सामग्री , सेनेटरी वेयर, पुरानी इलेक्ट्रोनिक सामग्रियां इत्यादि जैसी कई अन्य चीजें भी मिलती हैं।
- **तुलनात्मक लाभ:** मोथबालिंग (जिसमें पोतों को अनिश्चित समयावधि के लिए रखा जाता है) जैसे विकल्पों की तुलना में पोतों के निपटान हेतु यह अधिक पर्यावरण के अनुकूल और आर्थिक रूप से व्यवहार्य तरीका है।
- **प्रौद्योगिकी की उपलब्धता:** भारत संभवत: एकमात्र देश है जिसके पास, स्क्रैप को बिलेट (billets) और सिल्लियों (ingots) मे ढाले बिना सीधे ही निर्माण कार्य में प्रयुक्त होने वाले स्टील में पुनर्चक्रित करने की तकनीक है।
- पश्चिमी भारत में इस्पात उत्पादन के सीमित स्रोत है और गुजरात पोत पुनर्चक्रण स्थल (शिप रीसाइक्लिंग यार्ड) उद्योग इस्पात क्षेत्र के उद्योगों के लिए परिवहन लागत की काफी बचत करता है।

आगे की राह

- **शुष्क गोदी (ड्राई डॉकिंग):** बीचिंग (समुद्र-तट पर कार्य) से शुष्क गोदी निर्माण की ओर स्थानांतरण समय की आवश्यकता है। यह श्रम, पोत भंजन संगठन, सरकार और पर्यावरण समर्थक जैसे सभी हितधारकों का ध्यान रखते हुए दीर्घकालिक योजना के साथ ही संभव हो सकता है।
- **एकीकरण**: पोत भंजक उद्योग को सागरमाला कार्यक्रम, तटीय विनियमन क्षेत्र और राष्ट्रीय इस्पात नीति 2017 के साथ प्रभावी ढंग से एकीकृत किया जाना चाहिए।

3.18. चमड़ा उद्योग

(Leather Industry)

सुर्खियों में क्यों?

- हाल ही में, सरकार ने चमड़ा और फुटवियर क्षेत्र में रोजगार सृजन के लिए 2,600 करोड़ रुपये का विशेष पैकेज की स्वीकृति प्रदान की है।

चमड़ा उद्योग का अवलोकन

- भारत, विश्व में फुटवियर और चमड़े के वस्त्रों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है और विश्व के चमड़ा उत्पादन में भारत का योगदान 12.93% है।
- संपूर्ण चमड़ा उत्पाद क्षेत्र, लाइसेंस से मुक्त है। इस क्षेत्र में स्वचालित मार्ग से 100% FDI की अनुमति प्रदान की गई है।
- यह अत्यधिक श्रम गहन उद्योग है। इस उद्योग द्वारा लगभग 30 मिलियन लोगों को रोजगार प्रदान किया गया है, जिसमें 30% महिलाएं हैं।

VISION IAS

चमड़ा उद्योग की चुनौतियां

- **प्रदूषण:** पारंपरिक चर्म-शोधन की प्रक्रिया से पर्यावरण प्रदूषण होता है। उदाहरण के लिए हल्के चर्म प्रसंस्करण से निकलने वाले तरल पदार्थ में कार्बनिक पदार्थ, क्रोमियम, सल्फाइड और ठोस अपशिष्ट पाए जाते हैं।
- **कच्चा माल:** आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17 में इंगित किया गया कि वध के लिए पशुओं की अनुपलब्धता कच्चे माल के आपूर्तिकर्ताओं के लिए बाधक है।
- सरकार द्वारा **भंडारण सहायता के अभाव के** परिणामस्वरूप गुणवत्तायुक्त कच्चे माल की अत्यधिक क्षति होती है।
- **अनुसंधान और विकास:** चमड़ा बनाने की प्रतिदिन की व्यावहारिकताओं को सरकार समर्थित R&D सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं।
- **व्यापार बाधाएं:** भारतीय चमड़ा निर्यातकों को विभिन्न विदेशी बाजारों में प्रशुल्क और गैर-प्रशुल्क दोनों तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ता है।

चमड़ा उद्योग में नीतिगत पहलें

- **भारतीय फुटवियर, चमड़ा और सहायक सामग्री विकास कार्यक्रम** (IFLDP)
- **भारतीय चमड़ा विकास कार्यक्रम** (ILDP) औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय) द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है।
- **विदेश व्यापार नीति (FTP) 2015-20 के अंतर्गत सुधार**
  - शून्य शुल्क **निर्यात संवर्धन पूंजीगत वस्तु योजना** (EPCG) का संचालन ।
  - चमड़े और खाल, अर्ध-प्रसंस्कृत और साथ ही तैयार चमड़े, कच्चे माल और शोधित फर-खालों पर शून्य आयात शुल्क।
- **चर्म निर्यात परिषद** (CLE) (पूर्व का गैर-लाभकारी संगठन) को अवसंरचनात्मक परियोजनाओं को लागू करने के लिए एक केंद्रीय एजेंसी के रूप में अधिसूचित किया गया है।
- **कौशल विकास:** भारतीय चमड़ा विकास कार्यक्रम के अंतर्गत, फुटवियर डिजाइन और विकास संस्थान (FDDI) के माध्यम से प्राथमिक कौशल विकास **प्रशिक्षण** दिया जाता है।
- राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) की राष्ट्रीय कौशल प्रमाणन नीति और मौद्रिक प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत चमड़ा और फुटवियर उद्योग में विभिन्न रोजगारों के लिए **प्रशिक्षण**।
- आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले के कोटा मंडल में विशाल चमड़ा क्लस्टर स्थापित करने के लिए 125 करोड़ रूपए की केंद्रीय सहायता प्रदान की गई है।

आगे की राह

- **चर्म-शोधन उद्योगों का उन्नयन:** आधुनिक आधार पर नए औद्योगिक संकूलों का निर्माण किया जाना चाहिए, जिनमें मूलभूत सुरक्षा विशेषताएँ, जल का न्यूनतम उपयोग आदि शामिल हों।
- **प्रसंस्करण की नवीन पद्धति-** जैसे कि जल रहित क्रोम शोधन विधि (CSIR द्वारा विकसित), पारंपरिक ड्रम-टैनिंग पद्धति में चूने और पानी के बदले पेटेंट प्राप्त सहयोजकों के मिश्रण से आर्थिक और पर्यावरणीय लागत में कमी आएगी ।
- अल्प वेतन प्राप्त कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा जमाओं के युक्तिकरण के संदर्भ में **श्रम कानून सुधार** आवश्यक है।
- मवेशियों और पशुधन का विनियमन करने वाले **कानूनों के तर्कसंगत** उपयोग की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए हाल ही में प्रमुख चमड़ा उत्पादक राज्य में वधगृहों पर पूर्ण प्रतिबंध के कारण चमड़ा उद्योग को भारी नुकसान पहुँचा।
- यूरोप के साथ मुक्त व्यापार समझौते और यू.के. के साथ प्रमुख व्यापार समझौतों के विस्तार पर **बल दिया** जाना चाहिए।

3.19. वस्त्र उद्योग क्षेत्र में क्षमता निर्माण संबंधी योजना

(Scheme for Capacity Building in Textiles Sector)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने वस्त्र उद्योग क्षेत्रक में क्षमता निर्माण संबंधी एक नवीन योजना (SCBTS) को स्वीकृति प्रदान की है।

नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क (NSQF)

- यह ज्ञान, कौशल, तथा अभिक्षमता के स्तर के अनुसार योग्यताओं के संयोजन हेतु निर्मित एक रूपरेखा है।
- इसका उद्देश्य संस्थानों में विभिन्न योग्यताओं से संबद्ध परिणामों में समरूपता प्राप्त करना है।
- NSQF का संचालन राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी द्वारा किया जाता है।
- इसके द्वारा रिकग्निशन ऑफ़ प्रायर लर्निंग(RPL) को भी सहायता प्रदान की जाएगी जिसका वर्तमान शिक्षा तथा प्रशिक्षण प्रणाली में प्राय: अभाव रहा है।

VISION IAS

SCBTS से सम्बंधित तथ्य

- इस योजना का उद्देश्य संगठित क्षेत्रक के लिए नियोजन-परक कौशल कार्यक्रम उपलब्ध कराना तथा परम्परागत क्षेत्रक हेतु कौशल उन्नयन द्वारा जीविका अर्जन संबंधी अवसरों में वृद्धि करना है।
- इसमें संगठित क्षेत्रक में **कताई और बुनाई को छोड़ कर** वस्त्र उद्योग की सम्पूर्ण मूल्य श्रृंखला को समाविष्ट किया जाएगा।
- इस योजना की अवधि 2017 से 2020 तक, तीन वर्ष तथा इसकी लागत 1300 करोड़ रूपए की होगी।
- इसे वस्त्र उद्योग तथा कपड़ा क्षेत्रक के मान्यता प्राप्त सार्वजनिक तथा निजी प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा।
- इस योजना में **नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क (NSQF)** में प्रयुक्त प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सम्मिलित होंगे।
- इसके अंतर्गत कार्य (job role) के अनुसार प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के विभिन्न स्तर उपलब्ध है जैसे प्रविष्टि स्तर के पाठ्यक्रम, कौशल उन्नयन/पुनःकौशल निर्माण (कार्यक्रम संचालक या सुपरवाइज़र, प्रबंधन संबंधी प्रशिक्षण, अनुकूलन संबंधी प्रौद्योगिकी इत्यादि के लिए उन्नत पाठ्यक्रम), रिकग्निशन ऑफ़ प्रायर लर्निंग(RPL) आदि।
- परम्परागत क्षेत्रकों, यथा हथकरघा, जूट विभाग में कौशल निर्माण संबंधी आवश्यकता को विशिष्ट परियोजना के रूप में मान्यता प्रदान की जाएगी तथा उसे **मुद्रा ऋण प्रावधान** द्वारा उद्यमिता विकास हेतु सहायता प्रदान की जाएगी।
- सफल प्रशिक्षुओं को एक मान्यता प्राप्त मूल्यांकन एजेंसी द्वारा मूल्यांकित कर प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा। कम से कम 70 प्रतिशत प्रमाण-पत्र प्राप्त प्रशिक्षुओं को वेतन-युक्त रोज़गार नियोजित किये जाने तथा अनिवार्य रूप से **पोस्ट प्लेसमेंट ट्रैकिंग** किये जाने का प्रावधान किया गया है।
- **कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम, 2013** के तहत आंतरिक शिकायत निवारण समिति के गठन के पश्चात ही उक्त संस्था को निधि उपलब्ध कराई जाएगी।

3.20. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की समीक्षा

(Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana Review)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के 17 वर्ष पूर्ण होने पर इस योजना की समीक्षा की गई।

किसी क्षेत्र विशेष में निवास कर रहे जनसंख्या समूह को **अधिवास क्षेत्र** (habitation)की संज्ञा दी जाती है। इसकी अवस्थिति समय के साथ परिवर्तित नहीं होती। इन अधिवास क्षेत्रों को परिभाषित करने के लिए सामान्यतः देसम, धानिस, टोला, मजरा, हैमलेट इत्यादि शब्दावलियां प्रयुक्त होती हैं।

पृष्ठभूमि

- PMGSY का प्रारम्भ वर्ष 2000 में, भारत सरकार द्वारा **निर्धनता न्यूनीकरण रणनीति** के अंतर्गत **सड़क-सम्पर्क से वंचित अधिवास क्षेत्रों को एक-दूसरे से जोड़ने के लिए किया गया था।**
- इस योजना के अंतर्गत, मैदानों में 500 तथा पर्वतीय प्रदेशों में 250 की जनसंख्या वाले 1.78 लाख उपयुक्त अधिवास क्षेत्रों को बारहमासी सड़कों द्वारा जोड़ने की योजना है।
- यह 100 प्रतिशत केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है जिसमें नवीन सड़कों का निर्माण तथा पुरानी सड़कों का उन्नयन, दोनों ही सम्मिलित होंगे।

PMGSY की उपलब्धियाँ

- PMGSY के अंतर्गत 1,30,974 अधिवास क्षेत्रों को सड़कों के माध्यम से जोड़ा गया है, इनमें राज्य सरकार के कार्यक्रमों के माध्यम से जोड़े गए लगभग 14,620 क्षेत्र शामिल हैं। यह कुल संपर्कित अधिवास क्षेत्रों का 82% भाग है।
- शेष सभी 1700 अधिवास क्षेत्रों में सड़क निर्माण कार्य प्रगति पर है, तथा मार्च 2019 तक सभी क्षेत्रों में 100% सड़क मार्ग संपर्कता प्राप्त करने की संभावना है।
- उक्त विभाग द्वारा देश की सभी ग्रामीण सड़कों के GSI मानचित्रण भी प्रारंभ किया गया है।
- स्वीकृति प्रदान करते समय, राज्य कम से कम 15 प्रतिशत सड़कों को अवशिष्ट प्लास्टिक, फ्लाइ ऐश, ताम्र तथा लौह धातुमल इत्यादि के प्रयोग वाली हरित प्रौद्योगिकी द्वारा बनाए जाने को प्राथमिकता प्रदान कर रहे हैं। सड़कों की स्थिरता तथा मज़बूती के लिए नैनो प्रौद्योगिकी का प्रयोग भी किया जा रहा है।

3.21. वित्तीय प्रणाली स्थिरता आंकलन (FSSA) और वित्तीय क्षेत्रक आंकलन (FSA)

[Financial System Stability Assessment (FSSA) and Financial Sector Assessment (FSA)]

सुर्ख़ियों में क्यों?

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक द्वारा वित्तीय क्षेत्रक आंकलन कार्यक्रम के अंग के रूप में, भारतीय वित्त व्यवस्था के लिए वित्तीय प्रणाली स्थिरता आंकलन (FSSA) तथा वित्तीय क्षेत्रक आंकलन (FSA) ज़ारी किया गया है।

विवरण

- FSAP आंकलन के अनुसार 'भारत ने हाल के वर्षों में वित्तीय प्रणाली के आकार को लगभग GDP के 136 प्रतिशत के स्तर पर संतुलित रखते हुए आर्थिक गतिविधियों तथा वित्तीय परिसंपत्तियों, दोनों में सशक्त वृद्धि दर्ज़ की है।'
- इस रिपोर्ट में भारतीय प्राधिकरणों द्वारा किये गये विभिन्न प्रयासों को स्वीकृति प्रदान की गई है। इस प्रयासों में- गैर-निष्पादित परिसम्पतियों (NPA) का निपटान, बैंकों के पुनर्पूंजीकरण हेतु उठायें गये नवीनतम कदम, राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) को औपचारिक रूप प्रदान करना तथा पेंशन विभाग को सांविधिक नियामक का दर्जा प्रदान करना, दिवाला तथा दिवालियापन संहिता पारित करना तथा भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (IBBI) की स्थापना आदि सम्मिलित हैं।
- इसके तहत वित्तीय समावेशन, डिजिटलीकरण, बैंकिंग पर्यवेक्षण व्यवस्था के सशक्तिकरण, प्रतिभूति बाज़ार विनियमन में सुधार तथा अवसंरचना क्षेत्र में निवेश वृद्धि हेतु की गयी पहल आदि की भी सराहना की गयी है।

वित्तीय क्षेत्रक आंकलन कार्यक्रम

यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक द्वारा संचालित एक संयुक्त कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत किसी देश के वित्तीय क्षेत्र की व्यापक तथा गहन समीक्षा की जाती है।

- इसे सितंबर 2010 से, प्रत्येक पाँच वर्ष में प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण वित्तीय क्षेत्रों के साथ, भारत सहित 25 (वर्तमान में 29) राष्ट्रों (jurisdictions) में संचालित किया जा रहा है।
- यह भारत के लिए आयोजित द्वितीय व्यापक FSAP था। भारत के लिए अंतिम FSAP का आयोजन 2011-12 में किया गया था।

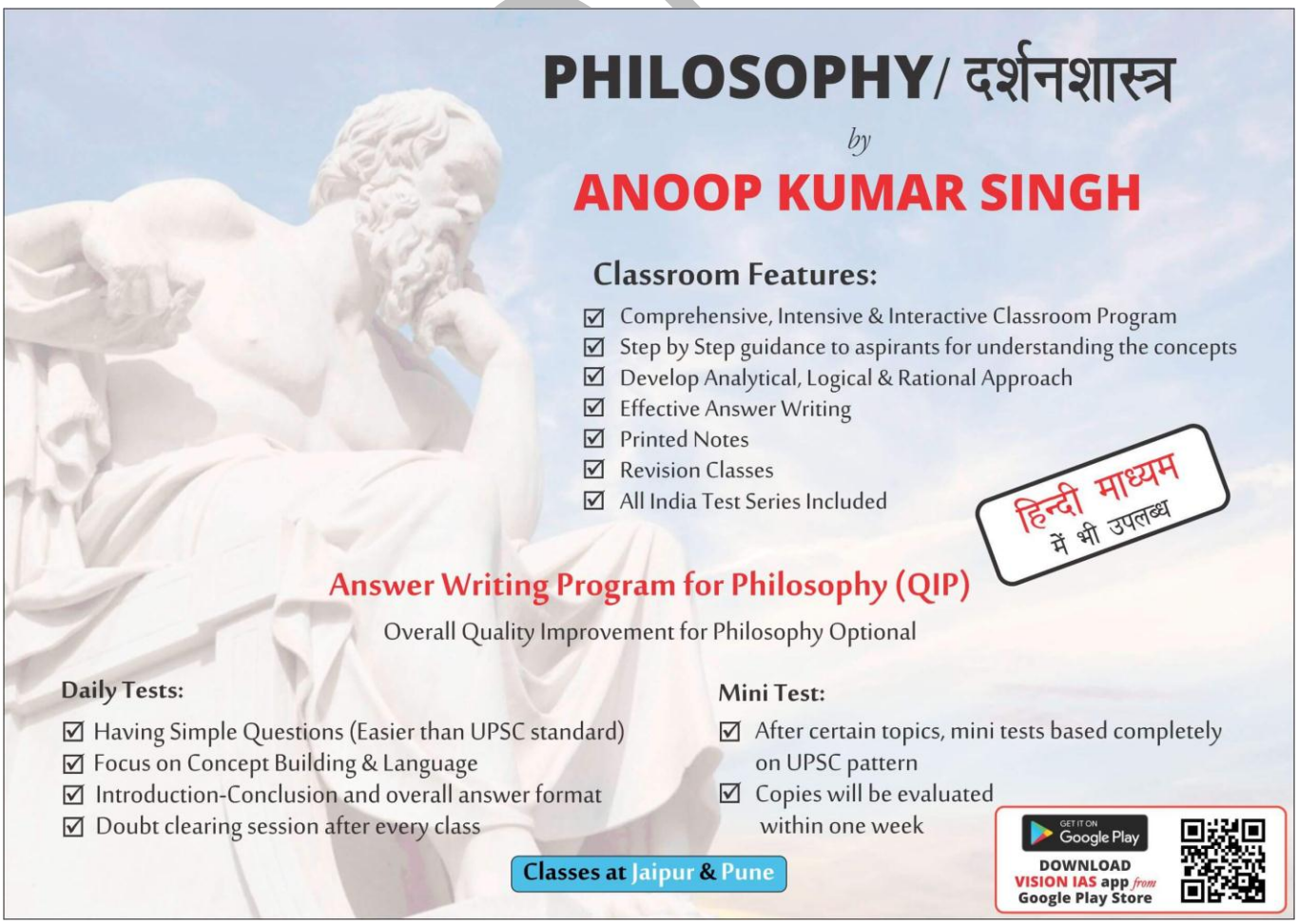

4. सुरक्षा

(SECURITY)

4.1 नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर-कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम का गठन (NIC-CERT Setup)

(NIC-CERT Setup)

सुर्ख़ियों में क्यों?

सरकारी सेवाओं (गवर्नमेंट यूटिलिटीज़) पर होने वाले साइबर हमलों के पूर्वानुमान तथा उनकी रोकथाम हेतु सरकार द्वारा नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर-कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम (NIC-CERT) नामक एक नए निकाय का शुभारम्भ किया गया।

मुख्य बिंदु

- यह NIC के डेटा की जाँच कर साइबर हमलों की जानकारी, रोकथाम तथा शमन करने के लिए समर्पित एजेंसी है। इसमें सरकार के सभी स्तरों के मध्य तथा सरकारों एवं नागरिकों के मध्य सम्पर्क स्थापित किया जाना भी सम्मिलित है।
- यह **रियल टाइम डेटा मॉनिटरिंग** में सहायता प्रदान करेगी तथा विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित CERTs और CERT-IN के परस्पर सहयोग और समन्वय द्वारा संचालित होगी।
- **डिजिटल इंडिया पहल की सुरक्षा**: NIC-CERT साइबरस्पेस के कारण उत्पन्न खतरों और सुभेद्यताओं से संरक्षण प्रदान कर सरकार की इस डिजिटल पहल को सुरक्षित करने में सहायता करेगी।

राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केंद्र (NIC)

- यह इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के अधीन कार्य करती है तथा राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर ई-गवर्नेंस में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। लगभग सभी भारतीय-सरकारी वेबसाइटें NIC द्वारा विकसित और प्रबंधित की जाती हैं।

इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम (CERT-In)

- यह हैकिंग और फ़िशिंग जैसे साइबर खतरों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय नोडल एजेंसी है।
- यह एजेंसी साइबर घटनाओं से सम्बंधित सूचनाओं के संग्रहण, विश्लेषण और प्रसार का कार्य करती है। यह साइबर सुरक्षा से सम्बंधित घटनाओं में आपातकालीन सुरक्षात्मक कदम भी उठाती है।

4.2 सीमा सुरक्षा ग्रिड

(Border Protection Grid)

सुर्ख़ियों में क्यों?

सरकार द्वारा भारत-बांग्लादेश की सीमा पर स्थित भारतीय राज्यों के लिए सीमा सुरक्षा ग्रिड की स्थापना की घोषणा की गयी है।

बांग्लादेश के साथ सीमा- पश्चिम बंगाल 2,217 किमी, असम 262 किमी, मेघालय 443 किमी, त्रिपुरा 856 किमी और मिजोरम 318 किमी की अन्तर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ साझा करते हैं।

वर्तमान स्थिति

- भारत-बांग्लादेश सीमा की लम्बाई 4,096 किमी है। परन्तु अभी तक मात्र 3,006 किमी सीमा को सुरक्षात्मक बाड़बंदी, सड़कों, फ्लडलाइट्स और सीमावर्ती पोस्टों (BOP) जैसी सुरक्षात्मक अवसंरचनाओं से संरक्षित किया गया है।
- इस 1,090 किमी लम्बी असुरक्षित सीमा में;
    - 684 किमी लम्बी सीमा को बाड़बंदी तथा संबंधित अवसंरचना द्वारा सुरक्षा प्रदान की जाएगी।
    - लगभग 406 किमी लम्बी सीमा नदियों आदि से युक्त है जहाँ बाड़ जैसे भौतिक अवरोधों को स्थापित करना संभव नहीं है। इसे सुरक्षा प्रदान करने हेतु एक कमान एवं नियंत्रण संरचना के साथ एकीकृत रडार, डे-नाइट कैमरा, सेंसर इत्यादि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रयोग किया जाएगा।
- **सीमा सुरक्षा ग्रिड** - इस ग्रिड में भौतिक अवरोध, गैर-भौतिक अवरोध, निगरानी प्रणाली, खुफिया एजेंसियाँ, राज्य पुलिस बल तथा सीमा सुरक्षा बल शामिल होंगे।
- इस ग्रिड का अधीक्षण संबंधित राज्यों के मुख्य सचिवों की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय स्थायी समिति द्वारा किया जायेगा। इसके द्वारा राज्यों को समग्र सीमा सुरक्षा में महत्वपूर्ण सहायता प्रदान की जाएगी।

4.3 एंडो-एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्टर मिसाइल का सफल परीक्षण

(Endo-Atmospheric Interceptor Missile Successfully Test Fired)

एडवांस एयर डिफेंस (AAD) इंटरसेप्टर मिसाइल

- यह स्वदेशी तकनीक से विकसित एकल चरणीय, ठोस प्रणोदक-चालित मिसाइल है।
- यह इंटरसेप्टर मिसाइल एक नेविगेशन प्रणाली, मोबाइल लांचर, इंटरसेप्शन हेतु सुरक्षित डेटा लिंक, स्वतंत्र ट्रैकिंग प्रणाली और परिष्कृत रडारों से सुसज्जित है।
- यह मिसाइल पृथ्वी के वायुमंडल में 30 किमी से कम ऊँचाई पर आने वाली बैलिस्टिक मिसाइल को नष्ट करने में सक्षम है।

सफल परीक्षण का महत्व

इसके द्वारा भारतीय रक्षा क्षेत्र के 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम की दिशा में किये जाने वाले प्रयासों को प्रोत्साहन मिला है। यह स्वदेशी आत्मनिर्भर रक्षा विनिर्माण परिवेश के विकास में भी सहायक होगा।

बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली

- इसे DRDO द्वारा विकसित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य, देश को मिसाइल हमलों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक बहुस्तरीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली उपलब्ध कराना है।
- भारत द्वारा एक क्रियाशील 'आयरन डोम' बैलिस्टिक मिसाइल को विकसित किया गया है, जिसमें इंडो और एक्सो एटमॉस्फेरिक मिसाइल शामिल हैं।
- **एक्सो-एटमॉस्फेरिक मिसाइल प्रणाली** को **पृथ्वी एयर डिफेंस** कहा जाता है जो **50-80 किमी** की ऊँचाई पर मिसाइलों को नष्ट करने में सक्षम है।
- **एंडो-एटमॉस्फेरिक सिस्टम** को **AAD** के रूप में जाना जाता है तथा यह **30 किमी** की ऊँचाई तक मिसाइलों को नष्ट करने में सक्षम है।

4.4 आईएनएस कलवरी (INS Kalvari)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत की स्कॉर्पीन श्रेणी की प्रथम पनडुब्बी INS कलवरी को भारतीय नौसेना में सम्मिलित किया गया।

मुख्य बिंदु

- यह भारत की प्रथम स्वदेशी स्टील्थ पनडुब्बी (stealth submarine) है।
- यह अनेक प्रकार के मिशनों को संचालित करने में सक्षम है, जैसे एंटी-सर्फेस वारफेयर, एंटी-सबमरीन वारफेयर, खुफ़िया सूचनाओं के संग्रहण, माइन बिछाना और क्षेत्र की निगरानी करना।

महत्व

- **कठिनाई से पता लग पाना:** भारतीय तट के समीप उष्णकटिबंधीय जल की श्यानता (viscosity) अधिक होने के कारण पनडुब्बियों की सटीक अवस्थिति ज्ञात करना कठिन होता है।
- **नौसेना का आधुनिकीकरण:** चीन द्वारा अपनी नौसैनिक शक्ति में वृद्धि और हिन्द महासागरीय क्षेत्र में घुसपैठ करने के कारण भारत के पुराने हो चुके पनडुब्बी बेड़े के आधुनिकीकरण की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है।
- **हिन्द महासागर क्षेत्र में भयादोहन क्षमता (Deterrence) की प्राप्ति :** पनडुब्बियाँ नौसेना की भविष्य की रणनीतियों में प्रमुख उपकरण के रूप में प्रयुक्त होंगी तथा हिंद महासागर क्षेत्र में भारत को शक्तिशाली भयादोहन क्षमता (Deterrence) प्रदान करेंगी।

4.5 सैन्य अभ्यास

(Military Exercises)

- **अजय वारियर -** यह भारत और UK के मध्य होने वाला एक **संयुक्त सैन्य अभ्यास** है। इसे हाल ही में राजस्थान की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया गया।
- **ब्लू फ्लैग -** भारतीय वायु सेना द्वारा पहली बार, **इज़राइल में** आयोजित एक **द्विवार्षिक बहुपक्षीय अभ्यास-** ब्लू फ्लैग के तीसरे संस्करण में हिस्सा लिया गया।

5. पर्यावरण

(ENIRONMENT)

5.1. दिल्ली में वायु प्रदूषण: नवीनतम पहलें

(Delhi Air Pollution: Recent Initiatives)

सुर्खियों में क्यों?

विगत माह दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT) के समक्ष एक विस्तृत कार्य योजना प्रस्तुत की। केंद्र सरकार ने भी इसके लिए एक मसौदा कार्य योजना जारी की है। इस संबंध में NGT ने स्वयं की भी एक कार्य योजना जारी की है। पर्यावरण मंत्रालय ने फसलों के अवशेष (पराली) को जलाने से निपटने हेतु एक क्षेत्रीय परियोजना आरंभ की है।

5.1.1. दिल्ली सरकार की कार्य योजना

(Delhi Government Action Plan)

दिल्ली सरकार ने वायु गुणवत्ता की तीन अलग-अलग श्रेणियों के अंतर्गत कार्यवाही करने का प्रस्ताव पेश किया है। सूचीबद्ध उपायों को भारत सरकार द्वारा जनवरी 2017 में अधिसूचित ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के साथ कार्यान्वित किया जागा।

5.1.2. दिल्ली के वायु प्रदूषण से निपटने हेतु NGT की कार्य योजना

(NGT Action Plan to COMBAT Delhi Air Pollution)

आवश्यकता क्यों है?

NGT के अनुसार,

- सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण (EPCA) और केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) की कार्य योजनाओं में कोई एकरूपता और सर्वसम्मति नहीं थी।
- वायु गुणवत्ता के वर्गीकरण का "स्पष्ट और निश्चित" होना आवश्यक है। न्यायाधिकरण ने कहा कि ऐसा दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए जो उपचारात्मक के स्थान पर निवारक हो।

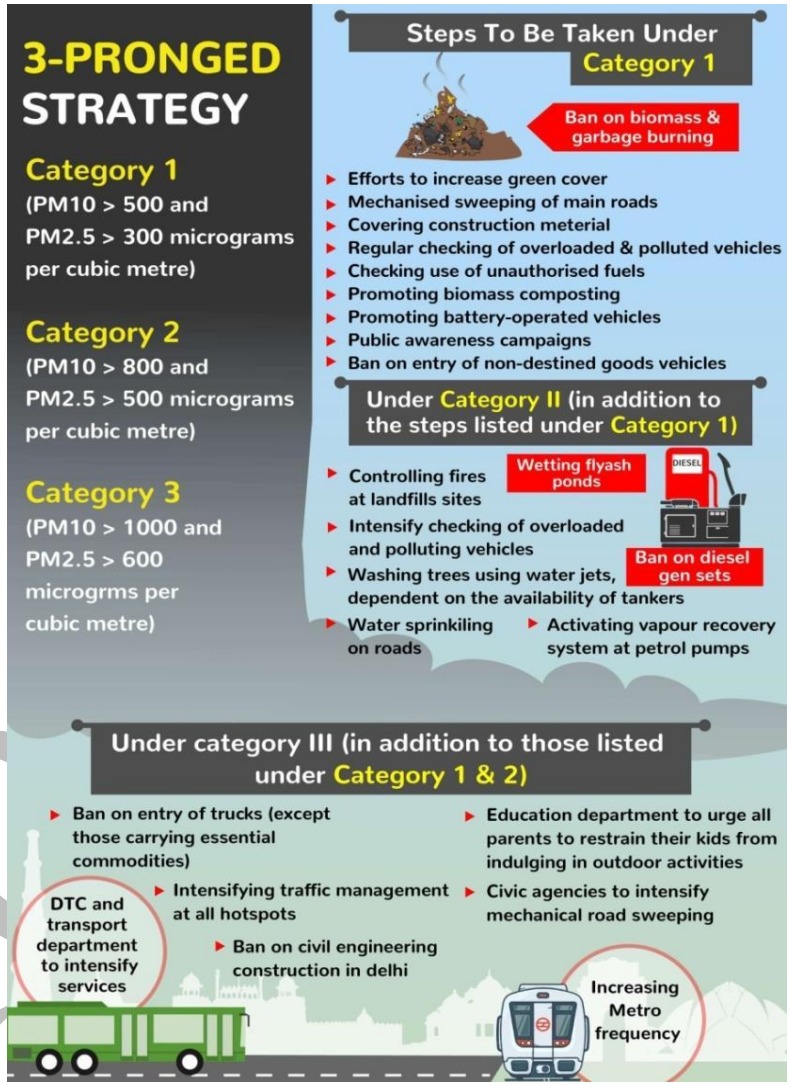

विवरण

NGT ने वायु प्रदूषण को चार श्रेणियों में विभाजित किया है:

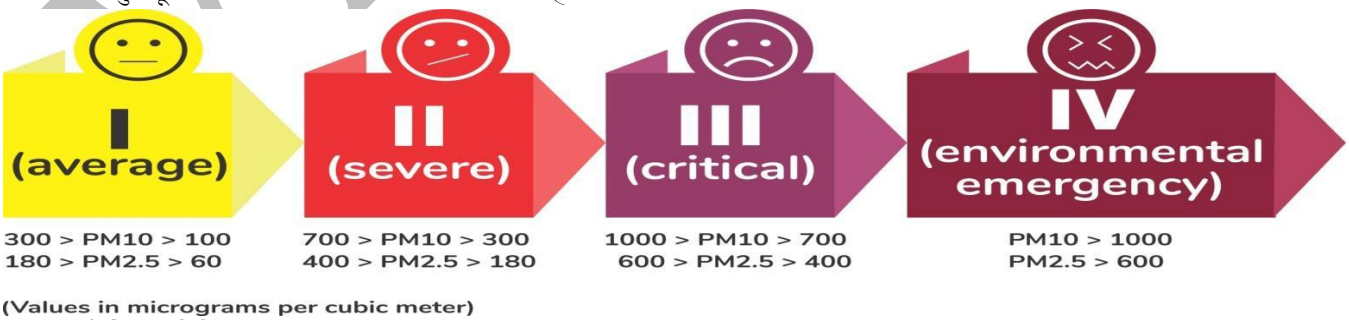

अन्य कार्य योजनाओं के साथ अंतर

- CPCB ने प्रदूषण के विभिन्न स्तरों को संदर्भित करते हुए छः श्रेणियाँ बनाई हैं- 'उत्तम', 'संतोषजनक', 'मध्यम प्रदूषित', 'खराब', 'अत्यंत खराब', 'गंभीर' तथा 'अत्यंत गंभीर'। EPCA की कार्य योजना (जिसे GRAP कहा जाता है), ने पाँच श्रेणियाँ बनाई हैं। ये श्रेणियाँ अत्यंत गंभीर या आपातकालीन, गंभीर, अत्यंत खराब, मध्यम से खराब और मध्यम हैं।

- NGT ने तीसरी श्रेणी में ऑड-इवेन लागू करने की माँग की है जबकि वर्तमान GRAP आपातकालीन या उच्चतम प्रदूषण स्तरों में ही ऐसे कदम उठाने का प्रावधान करता है। तीसरी श्रेणी के प्रदूषण स्तरों को "संकटपूर्ण (क्रिटिकल)" बताते हुए NGT ने अधिकारियों को निर्माण पर प्रतिबंध लगाने व ऑड-इवेन योजना आरंभ करने सहित त्वरित कदम उठाने के लिए कहा।
- जब वायु प्रदूषण पर्यावरणीय आपातकालीन स्तर तक पहुँच जाए, तब दिल्ली में ताप विद्युत संयंत्र बंद कर दिए जाने चाहिए और ऊँची इमारतों से जल का छिड़काव किया जाना चाहिए। डीजल जनरेटरों का उपयोग पूर्णत: प्रतिबंधित हो। ट्रेलर सहित माल ढुलाई करने वाले ट्रक एवं भारी वाहनों का दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCT) में प्रवेश निषिद्ध किया जाए। पर्यावरणीय आपातकाल (environmental emergency) की अवधि के दौरान केवल दवाइयाँ, खाद्य सामग्री जैसी आवश्यक वस्तुओं की ढुलाई करने वाले भारी वाहनों की अनुमति हो।

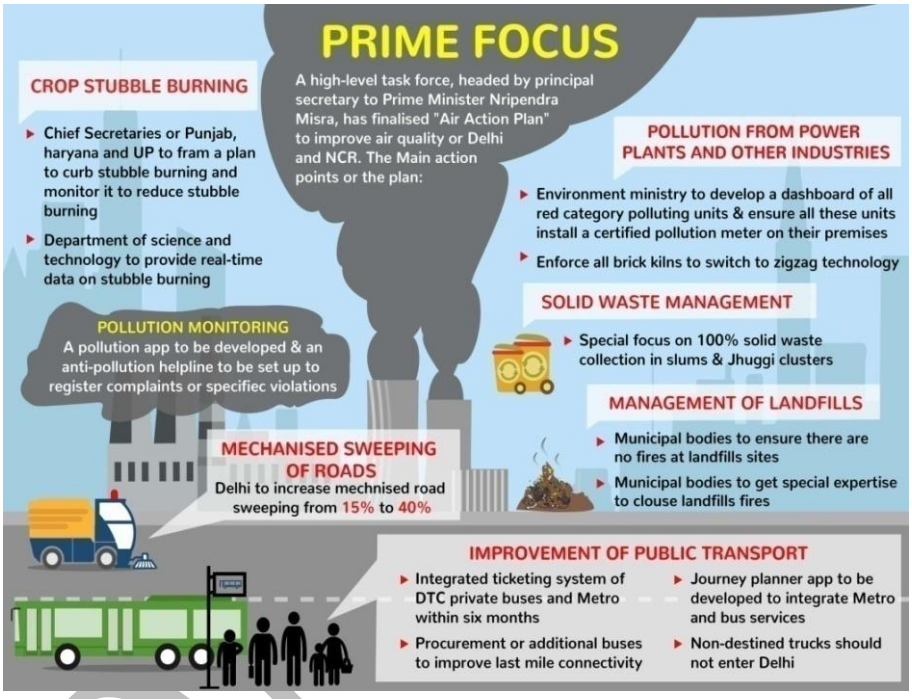

NGT की कार्य योजना की आलोचना

- EPCA {पर्यावरण प्रदूषण (रोकथाम और नियंत्रण) प्राधिकरण} के अनुसार, NGT की कार्य योजना केंद्र द्वारा अधिसूचित ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) को कमजोर बना सकती है। साथ ही यह कार्यान्वयन करने वाली एजेंसियों के मध्य भ्रम उत्पन्न कर सकती है।
- GRAP उपाय अत्यधिक "कठोर" हैं। उदाहरण के लिए, NGT PM2.5 और PM10 का स्तर क्रमश: 600 और 1,000 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर (ug/m^3) से अधिक हो जाने को पर्यावरणीय आपातकाल की स्थिति के रूप में परिभाषित करता है। जबकि GRAP के अंतर्गत, PM2.5 का स्तर 300 ug/m^3 से अधिक व PM10 का स्तर 500 ug/m^3 से अधिक हो जाने पर ही प्रदूषण आपातकाल (pollution emergency) घोषित किया जाता है।

5.1.3. केंद्र की "वायु कार्य योजना(एयर एक्शन प्लान) - दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण में कमी"

(Centre's "Air Action Plan - Abatement of Air Pollution in Delhi National Capital Region")

यह प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा की अध्यक्षता वाले उच्च स्तरीय कार्य दल की एक मसौदा कार्य योजना है।

- इस कार्ययोजना में 12 प्रमुख कार्यवाही योग्य बिंदु (इन्फोग्राफिक में प्रदर्शित) हैं। इसने राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के मंत्रालयों द्वारा "सतत एवं समन्वित कार्यवाही" की आवश्यकता को रेखांकित किया है।

महत्वपूर्ण क्यों है?

कई एजेंसियों द्वारा दिशा-निर्देश जारी करने की स्थिति निराशाजनक है। इसके परिणामस्वरुप भ्रम उत्पन्न हुआ और कार्यान्वयन भी अप्रभावी रह गया। PMO के प्रत्यक्ष हस्तक्षेप से कार्य योजना अधिक मजबूत होगी।

- अन्य महत्वपूर्ण कदमों में NCR के लिए प्रति वर्ष सोर्स-एट्रिब्यूशन (source-attribution) अध्ययनों का आयोजन किया जाना सम्मिलित है। आंकड़ों की कमी प्रदूषण नियंत्रण उपायों के कार्यान्वयन में एक समस्या रही है।

आलोचनाएँ

प्रस्तावित कार्य योजना में विभिन्न स्तरों पर निश्चित उत्तरदायित्वों एवं जवाबदेही के साथ वर्ष दर वर्ष प्रदूषण के स्तर में एक निश्चित प्रतिशत की निरपेक्ष कमी को दर्शाने वाले स्पष्ट परिभाषित लक्ष्यों का अभाव है।

VISION

आगे की राह

- उत्तरदायित्व तय करने हेतु प्रदूषणकारी उद्योगों के लिए दंडनीय उपाय कठोर और स्पष्ट रूप से परिभाषित होने चाहिए। वर्तमान योजना इस सन्दर्भ में शिथिल प्रतीत होती है।
- बढ़ते वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य संकट पर कार्यवाही करने के लिए PMO को राष्ट्रीय स्तर पर हस्तक्षेप करना चाहिए; केवल दिल्ली- NCR के लिए योजना हमें स्वच्छ वायु वाला देश नहीं बना पाएगी।

5.1.4. कृषि अवशेष जलाने से निपटने के लिए पर्यावरण मंत्रालय की क्षेत्रीय परियोजना

(Environment Ministry's Regional Project to Tackle Stubble Burning)

पर्यावरण मंत्रालय ने जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय अनुकूलन निधि (NAFCC) के अंतर्गत 'फसल अवशेष प्रबंधन के माध्यम से किसानों के बीच जलवायु प्रत्यास्थता निर्माण' पर एक क्षेत्रीय परियोजना को स्वीकृति प्रदान की है।

विवरण

- यह परियोजना चरणबद्ध दृष्टिकोण का पालन करते हुए कार्यान्वित की जाएगी। परियोजना का प्रथम चरण लगभग 100 करोड़ रूपये की लागत से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान राज्य के लिए अनुमोदित किया गया है।
- प्रारंभ में, किसानों को वैकल्पिक तरीके अपनाने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए जागरूकता सृजन और क्षमता निर्माण गतिविधियों का आरम्भ किया जाएगा। इसके द्वारा किसानों के लिए आजीविका विकल्पों में विविधता लाने एवं उनकी आय बढ़ाने में भी सहायता मिलेगी।
- फसल अवशेषों के सामयिक प्रबंधन के लिए अनेक तकनीकी उपायों का प्रयोग किया जाएगा। सफल पहलों और अभिनव विचारों के उन्नयन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यान्वयन योग्य और संधारणीय उद्यमिता मॉडल सृजित किए जाएँगे।
- प्रथम चरण में प्रदर्शन के आधार पर, इस परियोजना का दायरा बढ़ाया जा सकता है और बाद में अधिक गतिविधियों को इसमें शामिल किया जा सकता है।

महत्व

पिछले कुछ वर्षों के दौरान फसल अवशेषों को जलाने की समस्या तीव्र होती जा रही है। यांत्रिकीकरण में वृद्धि, पशुओं की संख्या में गिरावट, खाद बनाने के लिए आवश्यक लंबी अवधि और फसल अवशेषों का कोई भी आर्थिक रूप से व्यवहार्य वैकल्पिक उपयोग न होना खेतों में फसलों के अवशेष जलाने के कुछ प्रमुख कारण हैं। इसका ग्लोबल वार्मिंग, वायु गुणवत्ता, मृदा स्वास्थ्य और मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

5.2. वायुमंडल में अतिशय नाइट्रोजन

(Excessive Nitrogen in Atmosphere)

सुर्खियों में क्यों?

- सोसाइटी फॉर कंज़र्वेशन ऑफ़ नेचर (SCN) नामक NGO ने इंडियन नाइट्रोजन असेसमेंट रिपोर्ट जारी की है।

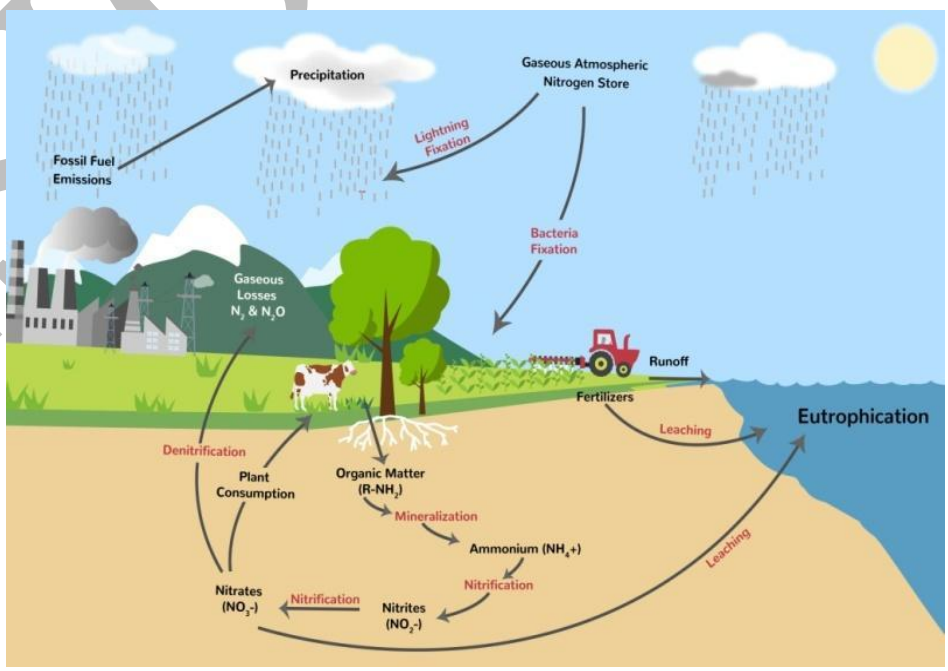

नाइट्रोजन का महत्व

- नाइट्रोजन प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला तत्व है। यह पौधों और जंतुओं दोनों में वृद्धि एवं प्रजनन के लिए आवश्यक है। पृथ्वी के वायुमंडल का लगभग 78% भाग इसी से बना है (इन्फोग्राफिक में नाइट्रोजन चक्र देखें)।

रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएँ

- **खाद्य उत्पादकता कम होना:** उर्वरकों के अत्यधिक और विवेकहीन उपयोग से फसलों की पैदावार कम हो गई है, जो इसके उपयोग के मूल उद्देश्य के प्रतिकूल है।
- **खाद्य फसलों द्वारा उर्वरकों का अपर्याप्त अंतर्ग्रहण:** उर्वरकों के माध्यम से चावल और गेहूँ के लिए प्रयुक्त नाइट्रोजन का केवल **33%** ही नाइट्रेट के रूप में पौधों द्वारा ग्रहण किया जाता है।

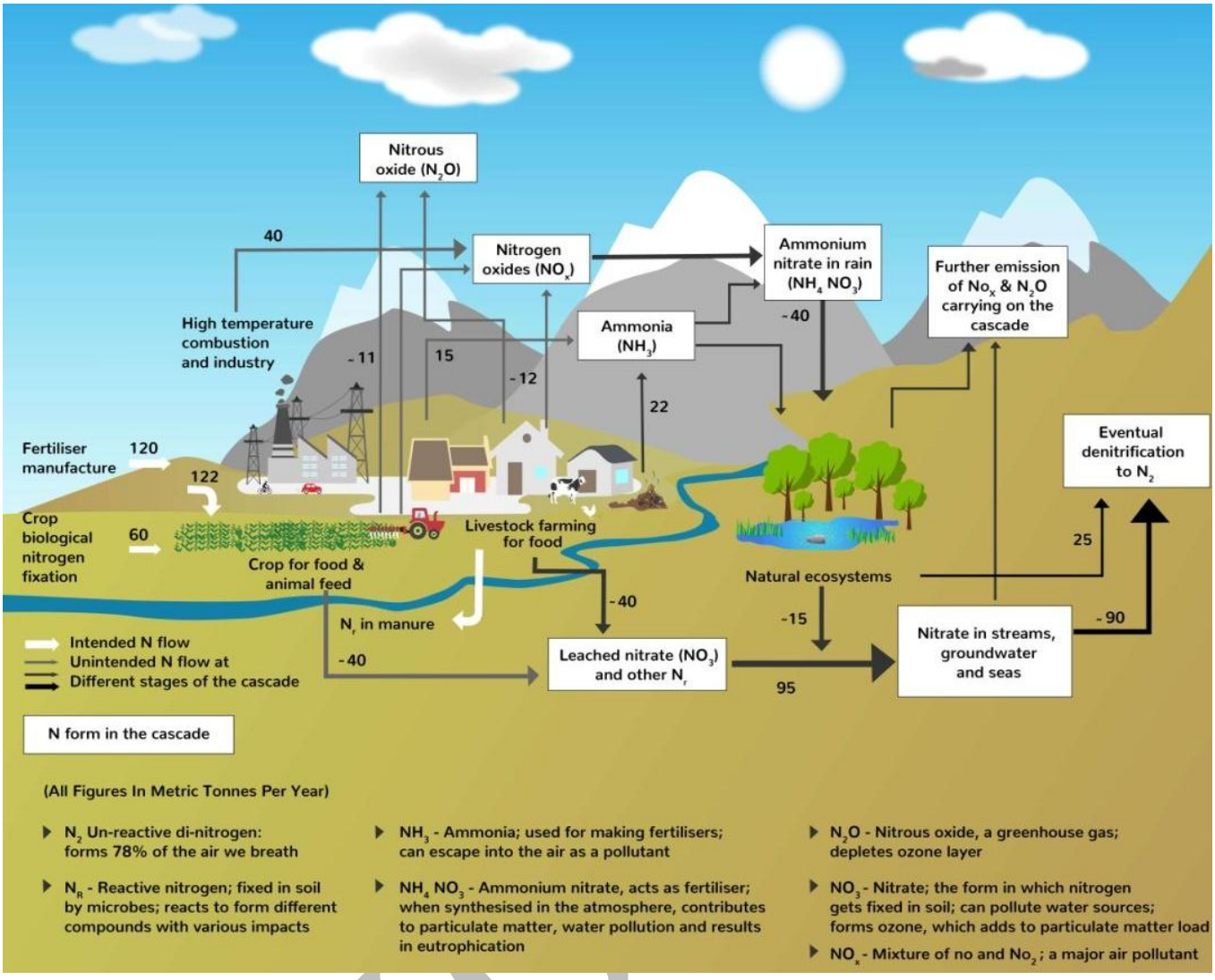

- **भूजल प्रदूषित होना**: उर्वरकों के निक्षालन ने पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भूजल में नाइट्रेट की सांद्रता में वृद्धि कर दी है जो विश्व स्वास्थ्य संगठन (**WHO**) द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक हो गई है।
- **प्रबल ग्रीनहाउस गैस** (**GHG**):नाइट्रस ऑक्साइड (N_2O) के रूप में नाइट्रोजन CO_2 की तुलना में GHG के रूप में 300 गुना अधिक प्रबल है।
- **आर्थिक प्रभाव:** भारत को प्रति वर्ष (सब्सिडी के माध्यम से) उर्वरक मूल्य के रूप में, **10** बिलियन अमरीकी डॉलर मूल्य की नाइट्रोजन की हानि होती है। इसकी स्वास्थ्य एवं जलवायु लागत **75** बिलियन अमरीकी डॉलर प्रति वर्ष आँकी गई है।
- **स्वास्थ्य पर प्रभाव:** ब्लू बेबी सिंड्रोम, थायरॉइड ग्रंथि की कम कार्यात्मकता, विटामिन **A** की कमी आदि।
- **अम्लीय वर्षा:** H_2SO_4 के साथ मिलकर नाइट्रिक अम्ल अम्लीय वर्षा का कारण बनता है, जो फसलों एवं मृदाओं को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है।
- **सुपोषण:** बड़ी मात्रा में उर्वरक अपवाह के कारण **मृत क्षेत्र** (dead zone) का निर्माण होता है।
- **ओजोन क्षय:** नाइट्रस ऑक्साइड (**N_2O**/लाफिंग गैस) मानव द्वारा उत्सर्जित प्रमुख ओजोन-क्षयकारी पदार्थ माना जाता है।
- **स्मॉग निर्माण:** उद्योगों से उत्सर्जित नाइट्रोजन प्रदूषण स्मॉग निर्माण में सहायक होता है।

अंतर्राष्ट्रीय पहलें

- **गोथेनबर्ग प्रोटोकॉल:** इसका लक्ष्य अम्लीकरण, सुपोषण और भू-स्तरीय ओज़ोन को कम करना है और यह *कन्वेंशन ऑन लॉन्ग-रेंज ट्रांस बाउंड्री एयर पॉल्यूशन* का भाग है।

उद्देश्य: मानव गतिविधियों के कारण होने वाले सल्फर डाइऑक्साइड (**SO_2**), नाइट्रोजन ऑक्साइड (**NOx**), अमोनिया (**NH_3**), वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों (**VOC**), और कणिकीय पदार्थों (**PM**) के उत्सर्जन को नियंत्रित और कम करना।

- **क्योटो प्रोटोकॉल:** इसका उद्देश्य मीथेन (**CH_4**), नाइट्रस ऑक्साइड (**N_2O**), हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (**HFC**), परफ्लोरोकार्बन (**PFC**), सल्फर हेक्साफ्लोराइड (**SF_6**) और कार्बन डाइऑक्साइड (**CO_2**) जैसी ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम करना है।

- **इंटरनेशनल नाइट्रोजन इनिशिएटिव** (INI) - यह संधारणीय खाद्य उत्पादन में नाइट्रोजन की लाभकारी भूमिका को इष्टतम करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम है। इसकी स्थापना **2003** में *साइंटिफिक कमिटी ऑन प्राब्लम्स ऑफ़ द एनवायरनमेंट* (SCOPE) तथा *इंटरनेशनल जीओस्फीयर-बायोस्फीयर प्रोग्राम* (IGBP) की स्पॉन्सरशिप के अंतर्गत की गई थी।

आगे की राह

- **औद्योगिक एवं सीवेज अपशिष्ट का पुनर्चक्रण** करके देश में उर्वरकों के उपयोग में **40%** कमी लाई जा सकती है। इससे अतिरिक्त संधारणीय खाद्य उत्पादन हो सकता है और जैव उर्वरक क्षेत्र में नए आर्थिक अवसर सृजित हो सकते हैं।
- **नाइट्रोजन उपयोग दक्षता** (NUE) **बढ़ाना**: वर्ष के सही समय पर एवं सही पद्धति से उचित मात्रा में उर्वरक का उपयोग करने से **NUE** में पर्याप्त वृद्धि हो सकती है। वर्तमान **NUE** में **20%** तक सुधार होने से वैश्विक स्तर पर **170** बिलियन अमरीकी डॉलर का शुद्ध आर्थिक लाभ होगा।
- **उर्वरक सब्सिडी कम करना: कृषि लागत और मूल्य आयोग** (CACP) की रिपोर्ट के अनुसार, अत्यधिक प्रतिकूल **NPK** अनुपात कम करने के लिए **P&K** पर सब्सिडी में वृद्धि की जानी चाहिए जबकि यूरिया पर सब्सिडी कम की जानी चाहिए।
- **उपयुक्त कृषि को बढ़ावा देना**: सर्वाधिक कुशल और प्रभावी तरीके से उर्वरकों का इस्तेमाल करने के लिए उच्च तकनीकी दृष्टिकोण का उपयोग।
- **बफर**: खेतों, विशेषकर सीमावर्ती जल निकायों वाले खेतों के चारों ओर पेड़, झाड़ियाँ और घास रोपने से जलनिकायों तक पहुँचने से पहले पोषक तत्वों को अवशोषित करने या छानने में सहायता मिल सकती है।
- संरक्षण जुताई (मृदा अपरदन कम करने के लिए), पशुधन अपशिष्ट प्रबंधन, जलनिकासी प्रबंधन इत्यादि जैसे अन्य कदम भी उठाए जा सकते हैं।

भारत में नाइट्रोजन प्रदूषण के संबंध में तथ्य

- कृषि भारत में नाइट्रोजन प्रदूषण का मुख्य स्रोत है, इसके पश्चात् सीवेज एवं जैविक ठोस अपशिष्ट का स्थान आता है।
- मवेशियों की आबादी और अत्यधिक उर्वरक उपयोग के कारण भारत में वायुमंडल में अमोनिया की सांद्रता विश्व में सबसे अधिक है।

नाइट्रोजन उपयोग दक्षता (NUE) फसल द्वारा खेत से हटाए गए **N** उर्वरक की मात्रा और खेत में प्रयुक्त **N** उर्वरक की मात्रा के अनुपात को इंगित करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला शब्द है।

नाइट्रोजन प्रदूषण नियंत्रित करने के लिए उठाए गए कदम

- **अनिवार्य नीम-लेपित यूरिया उत्पादन**: नीम-लेपित यूरिया धीमी गति से नाइट्रोजन मुक्त करता है जिससे पौधों को इसे अवशोषित करने का समय मिल जाता है, इसलिए नाइट्रोजन का इष्टतम उपयोग होता है।
- **मृदा स्वास्थ्य कार्ड:** यह मृदा के स्वास्थ्य और इसकी उर्वरता में सुधार लाने के लिए पोषक तत्वों की उचित मात्रा के संबंध में परामर्श के साथ-साथ किसानों को मृदा में पोषक तत्वों की स्थिति के विषय में जानकारी प्रदान करता है। इससे कृषि में नाइट्रोजन के उपभोग में कमी आई है।
- **भारत स्टेज मानक :** इसका उद्देश्य वाहनों से होने वाले हानिकारक उत्सर्जन जैसे- कार्बन मोनोऑक्साइड (CO), अदग्ध हाइड्रोकार्बन (HC), नाइट्रोजन ऑक्साइड (NO_x) और कणिकीय पदार्थों (PM) को नियंत्रित करना है।

5.3. विद्युत चालित वाहन

(Electric Vehicle)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, SIAM (सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैनुफैक्चरर्स) ने विद्युत चालित वाहनों पर श्वेत पत्र जारी किया है।

विद्युत् चालित वाहनों (EV) हेतु सरकारी पहल

- भारत का विद्युत वाहन (EV) मिशन 2030: सरकार 2030 तक पूर्ण रूप से विद्युत चलित वाहनों का बेड़ा रखने की योजना बना रही है।
- **नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन:**
  - इसका उद्देश्य देश में हाइब्रिड और विद्युत् वाहनों को बढ़ावा देकर राष्ट्रीय ईंधन सुरक्षा प्राप्त करना है।
  - इसका लक्ष्य 2020 से वर्ष प्रति वर्ष 6-7 मिलियन हाइब्रिड और विद्युत् वाहनों की बिक्री है।
- **FAME-India {फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ़ (हाइब्रिड एंड) इलेक्ट्रिक विहिकल्स इन इंडिया} योजना**: इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने हेतु हाइब्रिड/विद्युत वाहन बाजार के विकास एवं उसके विनिर्माण परिवेश के समर्थन के लिए वार्षिक आधार पर विद्युत वाहन खरीद पर सब्सिडी देना।

VISION IAS

- इस योजना को 2020 तक लागू किए जाने का प्रस्ताव है।
- इस योजना के चार फोकस क्षेत्र हैं- **प्रौद्योगिकी विकास, माँग सृजन, पायलट परियोजनाएँ एवं अवसंरचना निर्माण।**

- **ऑटोमोटिव मिशन प्लान 2026**: इसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं -
  - भारतीय ऑटोमोटिव उद्योग को वाहनों एवं पुर्जों की इंजीनियरिंग, निर्माण और निर्यात में विश्व के शीर्ष तीन देशों में लाना।
  - इस उद्योग के मूल्य में वृद्धि कर इसे भारत की GDP के 12% तक पहुँचाना।
  - 65 मिलियन अतिरिक्त रोजगार का सृजन करना।
- **हरित शहरी परिवहन योजना**
  - इस योजना का फोकस परिवहन, विशेषकर सरकारी स्वामित्व वाली परिवहन सुविधाओं, से होने वाले हानिकारक कार्बन गैस के उत्सर्जन को कम करने पर है।
  - इस योजना के अंतर्गत, सरकार की देश भर के शहरी इलाकों में पर्यावरण अनुकूल परिवहन सुविधाएँ आरंभ करने की योजना है। ये सुविधाएँ जलवायवीय परिस्थितियों को हानि पहुँचाए बिना संचालित होंगी।

सरकार द्वारा उठाए गए अन्य कदम

- लक्जरी एवं हाइब्रिड वाहनों पर 43% कर की तुलना में EV पर 12% GST एवं कोई उपकर नहीं लगाया जाता है।
- सरकार ने वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए **किसी भी परमिट के बिना** विद्युत् वाहनों (EVs) को अनुमति दी है।
- इसने राज्य के स्वामित्व वाले विद्युत सुविधा केंद्रों को तीव्र **चार्जिंग स्टेशन** स्थापित करने के लिए निर्देशित किया है।
- सार्वजनिक परिवहन के लिए देश का प्रथम **मल्टी-मॉडल इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोजेक्ट** हाल ही में नागपुर में आरंभ किया गया है।

भारत में EV को बढ़ावा देने की आवश्यकता

- **मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देने के लिए:** यह भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग को विद्युत वाहनों की डिजाइन, निर्माण और निर्यात के लिए प्रमुख वैश्विक केंद्र बनाएगा।
- **जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए:** कोयले के स्थान पर निम्न-कार्बन विद्युत से संचालित वाहन समग्र वैश्विक तापमान को **2** डिग्री सेल्सियस से कम बनाए रखने में सहायक होंगे।
- **INDC लक्ष्य प्राप्त करने के लिए:** भारत **2030** में सड़क-आधारित यात्री गतिशीलता हेतु आवश्यक ऊर्जा माँग में **64%** की और कार्बन उत्सर्जन में **37%** की बचत कर सकता है।
- **तेल आयात बिल में कमी लाने के लिए:** कच्चे तेल के आयात में कमी से **2030** तक लगभग **3.9** लाख करोड़ रुपये की बचत होगी।
- **लागत प्रभावी: ब्लूमबर्ग न्यू एनर्जी फाइनेंस** के अनुसार **2025** से **2030** के मध्य सरकारी सब्सिडी के बिना ही विद्युत चालित कारें पारंपरिक कारों की तुलना में सस्ती हो जाएँगी।

चिंताएँ

- **वित्तपोषण का स्रोत:** आरंभ में **EV** क्षेत्र के लिए भारी निवेश की आवश्यकता है जबकि **2020** से भारत स्टेज **VI** मानक लागू होने के कारण ऑटोमोबाइल निर्माता पहले से ही दबाव में हैं। साथ ही भारत में बैंक, बढ़ते **NPA** के कारण नई उधारी देने में सावधानी बरत रहे हैं।
- **बैटरियों की ऊँची कीमत:** औसतन, बैटरियों की कीमत सामान्य विद्युत वाहन की कीमत का लगभग **40-50%** होती है।
- **वहन क्षमता:** कम प्रति व्यक्ति आय के कारण विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में भारत का वहन क्षमता सूचकांक (विशेष वस्तु की खरीद वहन करने की लोगों की क्षमता) निम्न है।
- **उपलब्ध अवसंरचना:** देश में विद्युत वाहनों को बढ़ावा देने से पहले चार्जिंग के लिए प्लग-इन प्वाइंट आवश्यक हैं।
- **समय साध्य:** पेट्रोल पंप पर पारंपरिक कार में ईंधन भराने की तुलना में विद्युत वाहन चार्ज करने में अभी भी लंबा समय लगता है।
- **परिवहन क्षेत्रक के संबंध में उपयुक्तता:** बैटरी प्रौद्योगिकी में तीव्र उन्नति के बिना भारी ट्रक परिवहन और विमानन का विद्युतीकरण करना मुश्किल रहेगा।
- **रासायनिक प्रदूषण:** प्रदूषण रोकने के लिए भारत में बैटरियों के पर्यावरण अनुकूल निस्तारण हेतु आवश्यक सुविधा का अभाव है।

आगे की राह

- **हरित कोष का दोहन करना**: कई बहुपक्षीय वित्तीय संस्थान जैसे कि सॉफ्ट बैंक ऑफ जापान, पर्यावरण अनुकूल परियोजनाओं के लिए सस्ते ऋण प्रदान करते हैं।
- **अवसंरचना सुविधाओं में सुधार लाना:** बेहतर चार्जिंग सुविधा, कुशल विद्युत ट्रांसमिशन अवसंरचना और विद्युत ग्रिड से नवीकरणीय ऊर्जा का एकीकरण, अवसंरचना घाटे से निपटने के लिए संधारणीय विकल्प होंगे।
- **स्थानीय विनिर्माण को प्रोत्साहित करना:** सकारात्मक नीतिगत पर्यावरण भारतीय मोटर वाहन उद्योग को विद्युत चालित वाहनों और उनके महत्वपूर्ण पुर्जों के मामले में विश्व स्तर का विनिर्माता बनने के लिए प्रोत्साहित करेगा। उत्पादन की स्केल, गुणवत्ता, लागत और प्रौद्योगिकी के संदर्भ में भारत की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता में भी वृद्धि होगी।
- **सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाना** क्योंकि विद्युत वाहनों के विषय में जानकारी और उनके अंगीकरण के मध्य प्रत्यक्ष सहसंबंध है।

VISION IAS

- **बैटरी की अदला-बदली:** इसका सुझाव नीति **(NITI)**आयोग द्वारा दिया गया है। इससे **EV** की लागत में अत्यधिक कमी आ सकती है और मूल्यवान चार्जिंग समय की बचत हो सकती है।
- **वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करना:** NITI आयोग ने अकुशल वाहनों पर दंड आरोपित कर, नए कुशल वाहनों को प्रोत्साहित करने की अनुशंसा की है।
- **राष्ट्रीय सौर मिशन के साथ संरेखण:** EVs की बैटरियाँ, राष्ट्रीय सौर मिशन [**2022** तक **100GW** सौर ऊर्जा] के अंतर्गत उत्पन्न विद्युत भंडारित करने का व्यवहार्य विकल्प हो सकती हैं।
- **सार्वजनिक विद्युत परिवहन:** हरित शहरी परिवहन योजना के प्रावधानों के कार्यान्वयन से पूरे देश में विद्युत चालित परिवहन बढ़ेगा।

5.4. पर्यावरण प्रभाव आकलन

(Environment Impact Assessment)

सुर्खियों में क्यों?

- सरकार ने पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) अधिसूचना, 2006 में संशोधन के लिए एक मसौदा अधिसूचना जारी की है।

प्रस्तावित संशोधनों की मुख्य विशेषताएँ :

- ये संशोधन विशेषत: गैर-कोयला खनिजों तथा लघु खनिजों से संबंधित खनन परियोजनाओं तथा साथ ही नदी घाटी/सिंचाई परियोजनाओं को पर्यावरणीय अनुमति (ECs) प्रदान करने के लिए राज्य सरकार के प्राधिकारियों के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करते हैं।
  - केन्द्रीय प्राधिकरण 50 या उससे अधिक हेक्टेयर भूमि पट्टे के प्रारम्भिक मानदंड के स्थान पर गैर-कोयला परियोजनाओं के लिए 100 हेक्टेयर या उससे अधिक भूमि पट्टे की अनुमति प्रदान करेगा।
  - लघु खनिज जिनके लिए 25 हेक्टेयर से अधिक परन्तु 100 हेक्टेयर से कम भूमि की आवश्यकता होती है, अब B1 श्रेणी में शामिल किये जाएँगे जबकि वे खनिज जिन्हें 100 हेक्टेयर से अधिक भूमि की आवश्यकता होती है, A श्रेणी में शामिल किये जाएँगे। 5 हेक्टेयर से कम क्षेत्र के सम्बन्ध में प्रस्ताव जिला प्राधिकरण के अधीन रहेंगे।
  - नदी घाटी और सिंचाई परियोजनाओं के लिए अब राज्य 2000 से 10,000 हेक्टेयर क्षेत्र की जगह 5000 से 50,000 हेक्टेयर क्षेत्र के मध्य के कल्चरल कमांड एरिया (CCA) से सम्बंधित परियोजनाओं को अनुमति प्रदान कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, 5000 हेक्टेयर से कम (CCA) से सम्बंधित परियोजनाओं को 'लघु सिंचाई परियोजनाओं' के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाएगा।
  - कोयला खनन परियोजनाओं के लिए EIA अपेक्षाओं में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।
- **विशेष परिस्थितियों** जैसे एक से अधिक राज्यों को समाहित करने वाली नदी घाटी परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार ही मूल्यांकन प्राधिकारी होगी।
- **पर्यावरणीय अनुमति (EC) में रियायत:** पर्यावरण के लिए लाभकारी सिंचाई प्रौद्योगिकियों में परिवर्तन से सम्बंधित उन परियोजनाओं के लिए अब EC की आवश्यकता नहीं होगी जिनसे CCA में तो वृद्धि हो परन्तु बाँध की ऊँचाई या जलमग्नता (submergence) में कोई वृद्धि न हो।

पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) के सम्बन्ध में:

- यह निर्णयन से पूर्व किसी परियोजना के पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक प्रभावों की पहचान करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक उपकरण है।
- इसे पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है।
- **A श्रेणी** की परियोजना के लिए EIA को **पर्यावरण मंत्रालय** द्वारा अनुमति की आवश्यकता होती है और **B श्रेणी** की परियोजना के लिए **राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण (SEIAA)** की अनुमति आवश्यक है।
- **EIA की प्रक्रिया**

रणनीतिक पर्यावरण आकलन (SEA)

- यह एक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा योजनाओं और कार्यक्रमों की तैयारी तथा उनको अंतिम रूप से अपनाने से पूर्व पर्यावरणीय चिंताओं को उनमें पूर्णतया एकीकृत करना आवश्यक है।
- SEA, निर्णयन के उच्च स्तर पर पर्यावरणीय चिंताओं को एकीकृत करने के लिए एक अग्रसक्रिय दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है।

VISION IAS

सीमाएँ :

- राज्य प्राधिकरणों के मध्य शक्तियों का **विकेंद्रीकरण** भ्रष्ट व्यवहार का कारण बन सकता है। उदाहरण के लिए केन्द्रीय स्तर पर समीक्षा से बचने के लिए, परियोजना डेवेलपर्स वृहद परियोजनाओं को अलग-अलग चरणों में विभाजित कर सकते हैं।
- **विशेषज्ञता का अभाव:** इन एजेंसियों के पास न तो अतिरिक्त कार्यभार संचालन की क्षमता है और न ही पारदर्शिता सुनिश्चित करने की कोई उत्तरदायित्व प्रणाली है।
- **हित संघर्ष:** प्रायः यह देखा गया है कि अधिकांश EIA प्रक्रिया, उन एजेंसियों द्वारा वित्तपोषित होती हैं जिनका हित शीघ्रता से EC प्राप्त करने में होता है। इससे EIA की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लग सकता है।
- **कोई प्रमाणन नहीं:** EIA का प्रवर्तन करने वाले विशेषज्ञ निजी लाभ के लिए आंकड़ों में हेर-फेर कर सकते हैं जिसके परिणामस्वरूप EIA में धोखाधड़ी हो सकती है।
- **सहभागिता:** प्रारम्भिक चरणों में सार्वजनिक और सरकारी एजेंसियों की सीमित भागीदारी, लोगों के मध्य EIA की स्वीकार्यता को बाधित करती है।
- अधिकांश मामलों में पर्यावरण पर निम्नतर प्रभाव डालने वाले परियोजना **विकल्पों** का सुझाव ही नहीं दिया जाता है।
- **स्थानीय ज्ञान:** अधिकांश EIA प्रतिवेदनों में स्थानीय ज्ञान या स्थानीय इनपुट (input) पर ध्यान नहीं दिया जाता है। इसके अतिरिक्त, अधिकतर प्रतिवेदनों का स्थानीय भाषाओं में अनुवाद भी नहीं किया जाता है।
- **व्यापक आंकड़ों का अभाव:** आंकड़ा संग्रहण की प्रक्रिया वर्ष के एक सत्र तक ही सीमित होती है और उस आधार पर EIA का निष्कर्ष त्रुटिपूर्ण होगा।

आगे की राह

- **स्वतंत्र निगरानी प्राधिकरण:** EIA की विश्वनीयता की जाँच के लिए केन्द्रीय स्तर पर ऐसे प्राधिकरण का गठन किया जाना चाहिए।
- **सरलीकरण:** EIA में तकनीकी विवरण और विभिन्न खंडों में अधिक पारदर्शिता, जैसे **परियोजना के प्रतिकूल प्रभाव** की परिभाषा को स्पष्ट किया जाना चाहिए।
- **पूर्व सूचित सहमति:** EC प्रदान करते समय, ग्रामीण, शहरी स्थानीय निकायों तथा पंचायत निकायों जैसे स्थानीय हितधारकों की पूर्व सूचित सहमति को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए।
- **सुदृढ़ क्रियाविधि:** जैसे- शिकायत निवारण प्रणाली, सलाहकारी विशेषज्ञ समिति और सभी हितधारकों से सम्बंधित क्षमता निर्माण दृष्टिकोण वर्तमान समय की आवश्यकता है।

5.5. वैश्विक ई-अपशिष्ट निगरानी रिपोर्ट

(Global E-Waste Monitor)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में, **वैश्विक ई-अपशिष्ट निगरानी** रिपोर्ट 2017 यूनाइटेड नेशन्स यूनिवर्सिटी (UNU), इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन (ITU) और इंटरनेशनल सॉलिड वेस्ट एसोसिएशन (ISWA) द्वारा जारी की गई।

अध्ययन के मुख्य बिन्दु:

- 2014 से 2016 तक ई-अपशिष्ट में 8% तक की वृद्धि हुई है और 2021 तक इसके 17% तक बढ़ने की सम्भावना है।
- वर्ष 2016 के ई-अपशिष्ट में से केवल 20% के एकत्रण एवं पुनः चक्रण का प्रलेखन किया गया। लगभग 4% ई-अपशिष्ट का लैंड फिल क्षेत्र में निपटान किया गया। शेष 76% को संभवतः जलाया गया या उनका अनौपचारिक पुन: चक्रण किया गया अथवा घरों में संग्रहित किया गया।
- इसकी वृद्धि का कारण वैश्विक रूप से व्यक्तिगत प्रयोज्य आय (डिस्पोजेबल इन्कम) में वृद्धि, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की कीमतों में गिरावट तथा उपभोक्ता द्वारा कम अवधि में मोबाइल फोन और कम्प्यूटर को बदल कर नया खरीदने की प्रवृत्ति है।
- रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया गया है कि 2016 में पुनः प्राप्ति योग्य स्वर्ण, चांदी, तांबा, प्लेटिनम और पैलेडियम जैसी मूल्यवान सामग्रियों का मूल्य 55 बिलियन डॉलर था।
- ई-अपशिष्ट के उत्पादन के अनुसार महाद्वीपों की रैंकिंग: एशिया (18.2 मिलियन टन), उसके पश्चात यूरोप (12.3 मिलियन टन), अमेरिका (11.3 मिलियन टन), अफ्रीका (2.2 मिलियन टन) और ओशेनिया (0.7 मिलियन टन)।
- भारत ने पिछले वर्ष 1.95 मिलियन टन ई-अपशिष्ट का उत्पादन किया। रिपोर्ट में अनौपचारिक क्षेत्र में बिना उचित सुरक्षा उपायों के ई-अपशिष्ट के प्रसंस्करण से स्वास्थ्य और पर्यावरण संबंधी खतरों के विषय में चेतावनी भी दी गयी है।
- **ई-अपशिष्ट पर कानून :** वर्तमान में विश्व की जनसंख्या के 66% भाग को ई-अपशिष्ट प्रबन्धन कानूनों द्वारा कवर किया गया है जबकि वर्ष 2014 में यह 44% था।
- पर्यावरण संरक्षण (लक्ष्य 6, 11, 12 और 14), स्वास्थ्य (लक्ष्य 3) और रोजगार (लक्ष्य 8) पर इसके प्रभाव के कारण **ई-अपशिष्ट और SDG** निकटता से जुड़े हुए हैं।

ई-अपशिष्ट को कम करने हेतु सुझाव:

- अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर **आंकड़े** एकत्रित किये जाने चाहिए और उन्हें तुलना के लिए व्यवस्थित किया जाना चाहिए ताकि आंकड़ों को निरंतर अपडेट किया जा सके तथा उनका प्रकाशन और व्याख्या सुनिश्चित हो सके।
- **टेक-मेक-डिस्पोज का परित्याग करना:** देशों को चक्रीय अर्थव्यवस्था मॉडल को प्रोत्साहित करने के लिए अधिनियम बनाने चाहिए ताकि ई-अपशिष्ट को कचरे के स्थान पर संसाधन माना जाए।
- **3-R रणनीति:** देशों को रिड्यूस, री-यूज और री-साईकल को प्रोत्साहित करना चाहिए।
- ई-अपशिष्ट से संबंधित **अधिनियम** में उत्पादन स्तर पर ही बेहतर उत्पाद डिजाइन को प्रोत्साहित करना चाहिए।

सम्बन्धित जानकारी:

इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन: यह जेनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है। यह वैश्विक दूरसंचार नेटवर्क एवं सेवाओं से सम्बन्धित तकनीकी और नीतिगत मामलों का समन्वय करती है। भारत इसका सदस्य है।

इंटरनेशनल सॉलिड वेस्ट एसोसिएशन: वियना आधारित गैर-सरकारी संगठन।

ई-अपशिष्ट क्या है?

- यह इलेक्ट्रिक एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों (EEE) और इसके उन भागों को संदर्भित करता है जिन्हें उनके उपयोगकर्ताओं द्वारा पुन: उपयोग के बिना कचरे के रूप में त्याग दिया जाता है।
- ई-अपशिष्ट में सामान्यतः पायी जाने वाली खतरनाक सामग्रियाँ हैं: भारी धातुएँ (जैसे पारा, सीसा, कैडमियम आदि) और रसायन (जैसे CFCs/क्लोरोफ्लोरोकार्बन या अन्य फ्लेम रिटार्डेन्ट)।
- कुल ई-अपशिष्ट का 12% भाग दूरसंचार क्षेत्र से प्राप्त होता है।
- भारत ई-अपशिष्ट का पाँचवां सबसे बड़ा उत्पादक है।

5.6. चीन द्वारा राष्ट्रीय कार्बन बाजार की शुरुआत

(China Launches Nation Carbon Market)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में चीन ने औपचारिक रूप से देश के सबसे बड़े ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जक पर कार्बन मूल्य (carbon price) आरोपित करके अपने राष्ट्रीय कार्बन बाजार का शुभारम्भ किया।

चीन का राष्ट्रीय कार्बन बाजार

- देश के कार्बन उत्सर्जन को कम करने हेतु एक तन्त्र के रूप में राष्ट्रीय कार्बन बाजार का प्रारम्भ किया गया है। देश के अत्यधिक प्रदूषणकारी विद्युत् क्षेत्र को इसके अंतर्गत कवर किया जाएगा।
- इस व्यापार प्रणाली के अंतर्गत विद्युत् संयत्रों को एक निश्चित मात्रा में कार्बन डाईऑक्साइड का उत्सर्जन करने की छूट दी जाएगी। निजी संयंत्र जो स्वच्छ प्रचलनों के तहत अपने लक्ष्य से कम उत्सर्जन करते हैं और अधिक दक्ष बन जाते हैं, वे अन्य उत्पादकों के साथ अपने अतिरिक्त परमिट का व्यापार कर सकते हैं।
- वर्तमान में विश्व में सबसे बड़ी उत्सर्जन व्यापार योजना यूरोपीय संघ की है।

उत्सर्जन व्यापार:

- यह **बाजार आधारित दृष्टिकोण** है जो परम्परागत विधि से जुर्माना लगाने के विपरीत अच्छा प्रदर्शन करने वालों के लिए प्रोत्साहन के रूप में व्यापार-योग्य प्रदूषण क्रेडिट निर्मित करके वायु प्रदूषण को नियंत्रित करती है।
- एक अवधारणा के रूप में 'उत्सर्जन व्यापार' को क्योटो प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 17 के अंतर्गत **क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म (CDM)** के केंद्रीय तत्व के रूप में प्रस्तुत किया गया था। इस तंत्र के अंतर्गत जिन देशों के पास अतिरिक्त क्रेडिट है, वे उन्हें उन देशों को बेच सकते हैं जिन्होंने अपने उत्सर्जन लक्ष्यों को पार कर लिया है।
- जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPCC) के तहत संवर्धित ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन (NMEEE) के अधीन 2012 में भारत में **परफॉरमेंस, अचीव एंड ट्रेड (PAT)** प्रारम्भ किया गया था।
    - इसका उद्देश्य ऊर्जा-गहन क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता प्रमाणपत्रों के व्यापार द्वारा उद्योगों की ऊर्जा दक्षता में सुधार करना है।
    - ऊर्जा संरक्षण अधिनियम (ECA) के 2010 के संशोधन में PAT को कानूनी अधिकार प्रदान किया है और इसे ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा प्रशासित किया जा रहा है, जो ऊर्जा दक्षता के लिए अनिवार्य और विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित करता है।
    - PAT अन्य निर्दिष्ट उपभोक्ताओं के साथ **विशिष्ट ऊर्जा उपभोग** में कमी के लक्ष्यों का अनुपालन करने हेतु किसी भी अतिरिक्त प्रमाणित ऊर्जा बचत का व्यापार करने का विकल्प प्रदान करता है।
    - इस प्रकार जारी किये गये ऊर्जा बचत प्रमाण पत्रों (ESCerts) का विशेष व्यापार मंचों (जैसे- इंडियन एनर्जी एक्सचेंज और पॉवर एक्सचेंज इंडिया) के तहत व्यापार किया जा सकता है।

VISION IAS

5.7. आक्रामक विदेशी प्रजातियाँ

(Invasive Alien Species)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ZSI) एवं बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा भारत में **आक्रामक प्रजातियों की स्थिति पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन** का आयोजन किया गया। इसमें ZSI ने विदेशी आक्रमक प्रजातियों की एक सूची की घोषणा की।

आक्रामक विदेशी प्रजातियों (IAS) को नियंत्रित करने के लिए उठाये गये कदम:

- **जैव विविधता सम्मेलन (CBD) के अनुच्छेद 8(h) और आईची लक्ष्य 9** का उद्देश्य उन विदेशी प्रजातियों को नियंत्रित एवं उन्मूलित करना है जिनसे पारिस्थितिक तंत्र, प्रजातियों एवं उनके प्राकृतिक आवासों के लिए खतरा विद्यमान है।
- **वैश्विक आक्रामक प्रजाति कार्यक्रम CBD के अनुच्छेद 8(h)** को कार्यान्वित करने और IAS से उपजे वैश्विक संकट के समाधान के लिए कार्य कर रहा है।
- भारत भी **CBD और आईची लक्ष्य** का एक सहभागी है। इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए 2008 में राष्ट्रीय जैव-विविधता कार्य योजना बनाई गयी थी।
- **IUCN का आक्रामक विदेशी प्रजाति विशेषज्ञ समूह** भी विश्व भर में **IAS से जुड़ी सूचना और जानकारी के आदान-प्रदान** में वृद्धि करने तथा नीति निर्माण और जानकारी प्रवाह के मध्य संपर्क सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहा है।
- **IUCN** ने कई वैश्विक डेटाबेस भी विकसित किये हैं जो IAS पर महत्त्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं जैसे- **वैश्विक आक्रामक प्रजाति डेटाबेस और जानकारी प्राप्त आक्रामक प्रजातियों का वैश्विक रजिस्टर।**
- अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता की **SDG 15** के माध्यम से पुनः पुष्टि की गयी है जिसका उद्देश्य IAS का नियन्त्रण और उन्मूलन है।

भारत के प्राणी सर्वेक्षण के निष्कर्ष:

- **ZSI** ने आक्रामक विदेशी प्रजातियों (IAS) की 157 प्रजातियों की एक सूची बनाई है। इसमें से 58 प्रजातियाँ भूमि और ताजे जल वाले प्राकृतिक आवास में पाई जाती हैं और 99 प्रजातियाँ समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में पाई जाती हैं।
- **भारत में सामान्यतः पायी जाने वाली विदेशी प्रजातियाँ हैं**:
  - **अफ़्रीकी एप्पल घोंघा**- यह मूल रूप से अंडमान और निकोबार द्वीप में पाए जाते हैं। अब पूरे देश में फैले हुए हैं।
  - **पपाया मीली बग (Papaya Mealy Bug)** - यह असम, पश्चिमी बंगाल और तमिलनाडु में बड़े पैमाने पर पपीते की फसल को प्रभावित करता है।
  - **कपास भक्षक बग-** यह दक्कन में कपास की फसलों के लिए खतरा है।
  - **अमेजन सैलफिन कैटफिश-** यह आर्द्रभूमि में मछलियों के लिए खतरा है।
  - **ऑरेंज कप-कोरल- यह** इंडो-ईस्ट पैसिफिक क्षेत्र में उत्पन्न हुआ। यह अब अंडमान और निकोबार द्वीप, कच्छ की खाड़ी, केरल और लक्षद्वीप में पाया जाता है।

आक्रामक विदेशी प्रजातियाँ किसे कहते हैं?

- "एक आक्रामक विदेशी प्रजाति वह है जो अपने प्राकृतिक आवास या वर्तमान वितरण क्षेत्र के बाहर पायी जाती है तथा जिसका प्रवेश और/या प्रसार जैव विविधता के लिए खतरा है।" **जैव विविधता सम्मेलन (CBD)।**
- IUCN के अनुसार, लगभग 5% से 20% विदेशी प्रजातियाँ आक्रामक होती हैं और वैश्विक ताप वृद्धि के पश्चात जैव विविधता के लिए दूसरा गम्भीर खतरा है।
- IAS सभी वर्गीकृत समूहों जैसे पशु, पौधे, कवक आदि में पाए जाते हैं और सभी प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र को प्रभावित कर सकते हैं।

आईची लक्ष्य 2020 द्वारा निर्धारित मुख्य लक्ष्य :

- 2014 तक, आक्रामक विदेशी प्रजातियों के सम्भावित मार्गों की पहचान के लिए जोखिम आकलन फ्रेमवर्क का उपयोग करना और सबसे हानिकारक आक्रामक प्रजातियों की सूचियाँ विकसित करना;
- 2016 तक, सबसे महत्त्वपूर्ण प्रवेश मार्गों और गम्भीरतम आक्रमणों के विरुद्ध कार्यवाही की जाए;
- 2020 तक कार्यान्वित उपायों के प्रभाव का आकलन करना।

- IAS के सामान्य अभिलक्षण हैं:
  - तीव्र प्रजनन और विकास
  - उच्च प्रसार क्षमता
  - पर्यावरणीय परिस्थितियों की विस्तृत श्रंखला में खाद्य के विभिन्न प्रकारों पर जीवित रहने की क्षमता
  - नई स्थितियों (फेनोटाइपिक प्लास्टिसिटी) के प्रति शरीरिक रूप से अनुकूलन करने की क्षमता

- IAS का प्रसार एक खतरा बन गया है क्योंकि:
  - पूरे विश्व में लोगों और वस्तुओं के आवागमन में वृद्धि हुई है (वैश्वीकरण)
  - यह खेतों और बागवानी के द्वारा बाहर प्रसारित हो जाता है।
  - जहाजों के बैलास्ट जल से।
  - मानव निर्मित गलियारों के माध्यम से फैलता है, जैसे नहरें।

5.8. माजुली द्वीप के संरक्षण के लिए योजना

(Scheme for Protection of Majuli Island)

सुर्खियों में क्यों?

सरकार ने असम में ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बाढ़ और अपरदन से प्रभावित माजुली द्वीप के संरक्षण हेतु एक योजना प्रारम्भ की है।

माजुली द्वीप

- यह विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला सबसे बड़ा नदी द्वीप है और भारत का प्रथम द्वीपीय जिला है।
- यह नव वैष्णववादी संस्कृति का प्रमुख केंद्र है।
- यह मिशिंग जनजाति, देवरी, सोनोवाल काचारी, अहोम आदि समुदायों का संयुक्त निवास स्थल है।

योजना की आवश्यकता

- माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी के बाढ़ के **जलोढ़ मैदानों** का हिस्सा है।
- इस द्वीप का निर्माण मुख्यतया गाद निक्षेपण से निर्मित मृदाओं से हुआ है। मृदा अपेक्षाकृत कम सुघटित है जिसके कारण लगभग प्रत्येक वर्ष बाढ़ के कारण अपरदन की सुभेद्यता बनी रहती है।
- **1950 के विनाशकारी भूकंप** के पश्चात क्षरण की समस्या अधिक गंभीर हो गई है। यद्यपि, ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा **भूमि उद्धार संबंधी कुछ कदम** उठाए जा रहे हैं।

योजना की मुख्य विशेषताएँ

- योजना, भारत सरकार के जल संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा कार्यान्वित की जाएगी।
- यह **उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय (DoNER)** द्वारा वित्त पोषित होगी।
- इस योजना के प्रमुख घटक हैं: 27 किमी लंबे तटबंध का पुनरुद्धार, आरसीसी पॉरक्युपाइन वर्क्स (RCC porcupine works), जल निकालने के लिए एक फाटक (sluice) और 3.50 किलोमीटर लम्बे एक चैनल का निर्माण।

5.9. पशुओं के लिए गर्भ निरोध

(Birth Control for Animals)

सुर्खियों में क्यों?

पर्यावरण और वन मंत्रालय ने जंगली जानवरों की बढ़ती आबादी पर नियंत्रण के लिए गर्भ निरोध उपाय विकसित करने हेतु एक 10 वर्षीय शोध परियोजना को मंजूरी दी है।

नाशक जीव (वर्मिन)

- कोई भी पशु जो मानव और उनकी आजीविका (विशेष रूप से कृषि में) के लिए खतरा पैदा करता है, उसे नाशक जीव घोषित किया जा सकता है।
- ये वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत अनुसूची V में सूचीबद्ध पशु हैं।
- वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 प्रत्येक राज्य के मुख्य वन्यजीव संरक्षक को आवश्यकता पड़ने पर पशुओं को मारने का अधिकार प्रदान करता है।
- राज्य, नाशक जीवों के चयनात्मक वध का अनुरोध करते हुए केंद्र को जंगली पशुओं की सूची भेज सकते हैं।
- जंगली सुअर, नीलगाय और रीसस बंदरों को अनुसूची II और III के अंतर्गत संरक्षित किया जाता है, किन्तु विशिष्ट परिस्थितियों में इनका वध किया जा सकता है।
- अनुसूची V में सूचीबद्ध हैं: साधारण कौआ, फलाहारी चमगादड़ (fruit bat), मूषक और चूहे आदि।

आवश्यकता

- **मानव-पशु द्वन्द्वः** जंगली पशुओं की आबादी में वृद्धि, वन्यजीव अधिवास में कमी, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव, बढ़ती मानव जनसंख्या आदि के कारण इस द्वन्द्व में वृद्धि हुई है।
- **आजीविका की क्षति:** केंद्र सरकार के अनुसार, 2012 में नाशक जीवों के कारण 19,962 हेक्टेयर फसल क्षतिग्रस्त हुई थी।
- **सरकार द्वारा हिंसक जीवों की घोषणाः** ऐसे कई उदाहरण हैं जब नाशक जीवों की घोषणा के लिए लोगों द्वारा माँग की गई है।
- **संविधान के विरुद्धः** वन्यजीवों की सुरक्षा नागरिकों {अनुच्छेद 51 (A)} और राज्य {अनुच्छेद 48 (A)}, दोनों का कर्तव्य है।

VISION IAS

- **वध से जुड़े नैतिक मुद्दे:** यह एक दुर्भावनापूर्ण उदाहरण प्रस्तुत करता है कि जो कोई भी आपको हानि पहुँचाए, उसके साथ हिंसा की जाए या उसकी हत्या कर दी जानी चाहिए।
- **राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना (2017-31)** वन्यजीव आबादी के वैज्ञानिक प्रबंधन की माँग करती है।

वाइल्डलाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (WII)

- यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) का एक स्वायत्त संस्थान है।
- यह प्रशिक्षण कार्यक्रम, अकादमिक पाठ्यक्रम और वन्यजीव अनुसंधान और प्रबंधन में परामर्श प्रदान करता है। यह देश भर में जैव विविधता संबंधी विषयों पर अनुसंधान में भी सक्रिय है।

परियोजना की मुख्य विशेषताएँ

- इसका लक्ष्य **एशियाई हाथियों, नीलगायों, जंगली सुअर और रीसस बंदरों** की आबादी को कम करने के लिए प्रतिरक्षा-गर्भनिरोधक दवा (immunocontraceptive drug) विकसित करना है।
- **भारतीय वन्यजीव संस्थान (WII)** परियोजना के लिए नोडल एजेंसी है।
- **चुनौतियाँ :** उचित दवा की पहचान, जानवरों को दवा देने के लिए वैज्ञानिक विधि अपनाना।

5.10. बाघों की संयुक्त गणना

(Joint Tiger Census)

सुर्खियों में क्यों?

भारत, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश ने बाघों की आबादी की संयुक्त गणना करने के लिए अपनी सहमति व्यक्त की है।

बाघों की संयुक्त गणना के विषय में

- भारतीय उपमहाद्वीप में विश्व के **लगभग 80-90% बाघ पाए जाते** हैं। वहीं, **विश्व के कुल बाघों के लगभग 60% बाघ** भारत में हैं (बाघ गणना 2016 के अनुसार 2500 बाघ)।
- बाघों की कम होती संख्या की जाँच के लिए गणना आवश्यक है ताकि बाघों की स्थिति का बेहतर आकलन किया जा सके।
- भारत और नेपाल की सीमाओं के बीच संस्पर्शीय राष्ट्रीय उद्यान हैं, जैसे -
  - नेपाल में परसा राष्ट्रीय उद्यान और चितवन राष्ट्रीय उद्यान, भारत (बिहार) के बाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान से जुड़े हुए हैं।
  - भारत का कर्तनियाघाट राष्ट्रीय उद्यान बर्दिया राष्ट्रीय उद्यान से जुड़ा हुआ है।
  - दुधवा राष्ट्रीय उद्यान (भारत) नेपाल में शुक्लाफाँट राष्ट्रीय उद्यान से जुड़ा हुआ है।
- एक ही बाघ की पुनः गणना न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए गणना आयोजित करते समय भागीदार देशों के अधिकारी एक समान प्रोटोकॉल का पालन करेंगे।

बाघों का संरक्षण

- उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 1900 में विश्व भर के वनों में कुल लगभग 1,00,000 बाघ थे, परंतु 2010 में उनकी संख्या घटकर मात्र 3,200 रह गई।
- प्राकृतिक अधिवास के विनाश, शिकार आदि विभिन्न खतरों का सामना कर रहे बाघों को **IUCN** ने **विलुप्तप्रायः और अत्यंत संकटग्रस्त प्राणी की लाल सूची** में डाल दिया है।
- **TRAFFIC** से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, जनवरी 2000 एवं अप्रैल 2014 के मध्य कानून प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा उन देशों में कम से कम 1,590 बाघों के विभिन्न अंगों को जब्त किया गया जहाँ बाघ पाए जाते हैं।
- भारत ने लुप्त हो रही बाघों की आबादी को रोकने के अपने सतत और दृढ़ प्रयासों को जारी रखा है, जैसे-**प्रोजेक्ट टाइगर**, 50 टाइगर रिजर्व की स्थापना आदि। इस प्रकार, बाघों की आबादी में सुधार हुआ है (2006 में 1,411 से 2016 में 2,500)।
- यद्यपि सरकार के अनुसार, 2017 में भारत में करंट लगने, अवैध शिकार, विषाक्तता, आतंरिक संघर्ष, प्राकृतिक मौत, मानव-बाघ संघर्ष, रेल/सड़क दुर्घटना आदि विभिन्न कारणों से 115 बाघों की मृत्यु हुई है।

ट्रैफिक (TRAFFIC)

- यह एक गैर-सरकारी संगठन और एक अग्रणी वन्यजीव व्यापार निगरानी नेटवर्क है। जैव विविधता का संरक्षण एवं संधारणीय विकास इसका उद्देश्य है। इसमें पौधे और जंतु दोनों सम्मिलित हैं।
- 2020 तक के लिए ट्रैफिक का लक्ष्य अवैध और गैर-धारणीय वन्यजीव व्यापार को कम कर जैव विविधता पर दबाव को कम करना है। इसके साथ ही संधारणीय व्यापार के माध्यम से वन्यजीव संरक्षण को बढ़ावा देना और इसके द्वारा होने वाले मानव कल्याण में वृद्धि करना है।

VISION IAS

5.11. CITES द्वारा भारत को सम्मानित किया गया

(India Awarded by Cites)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इन्डैन्जर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फ़्लोरा एंड फौना (CITES) द्वारा भारत को अवैध वन्यजीव व्यापार के विरुद्ध अपने प्रयास के लिए प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया है।

अन्य महत्वपूर्ण तथ्य

- एक प्रजाति-विशिष्ट वन्यजीव प्रवर्तन अभियान, **ऑपरेशन सेव कूर्म**, के संचालन और समन्वय में अपने प्रयासों के लिए **वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो (WCCB)** को यह पुरस्कार दिया गया था।

ऑपरेशन सेव कूर्म

- यह जीवित कछुओं एवं उनके अंगों के बढ़ते अवैध अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को रोकने के लिए आयोजित किया गया था।
- ऑपरेशन के दौरान लगभग 16,000 जीवित कछुए बरामद किए गए तथा उन्हें पुनः जंगल में छोड़ दिया गया।

भारतीय कछुओं के विषय में

- कछुए वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 (2002 में संशोधित) के अनुसूची 1 में सूचीबद्ध हैं।
- भारतीय कछुओं के प्रकार- ओलिव रिडले कछुए, ग्रीन सी कछुए, हॉक्सबिल कछुए, लेदरबैक कछुए, ईस्टर्न मड कछुए।
- लॉगरहेड कछुए और ओलिव रिडले कछुए IUCN द्वारा इन्डैन्जर्ड श्रेणी में सूचीबद्ध किए गए हैं जबकि लेदरबैक कछुए क्रिटिकली इन्डैन्जर्ड श्रेणी में सूचीबद्ध हैं।

CITES:

- यह सरकारों के मध्य एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वन्य जीवों और पौधों के प्रतिरूपों (specimens) में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, उनके अस्तित्व पर संकट न उत्पन्न करे।
- इसका प्रारूप 1963 में IUCN के सदस्यों की बैठक में अपनाए गए संकल्प के परिणामस्वरूप तैयार किया गया था।
- यह कन्वेंशन पक्षों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी है जो घरेलू कानून द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर CITES के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करते हैं।

वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो

- देश में संगठित वन्यजीव अपराध से निपटने के लिए यह पर्यावरण और वन मंत्रालय के तहत भारत सरकार द्वारा स्थापित एक वैधानिक बहु-अनुशासनात्मक निकाय है।
- इसे 2007 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 में संशोधन के माध्यम से गठित किया गया था।
- यह वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, CITES और इस तरह के विषय को नियंत्रित करने वाली **एक्जिम नीति (EXIM Policy)** के प्रावधानों के अनुसार वनस्पतियों और जीवों के कन्साइन्मेन्ट (consignments) के निरीक्षण के लिए सीमा शुल्क अधिकारियों की सहायता करता है और परामर्श भी देता है।

5.12. ओखी चक्रवात

(Cyclone Ockhi)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत का पश्चिमी तट उष्णकटिबंधीय चक्रवात ओखी से प्रभावित हुआ।

ओखी चक्रवात के संबंध में

- यह बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुआ और अरब सागर से गुजरते हुए और तीव्र हो गया जिसके परिणामस्वरूप यह एक चक्रवाती तूफ़ान में परिवर्तित हो गया।
- ओखी नाम बांग्लादेश द्वारा दिया गया है। बंगला भाषा में इसका अर्थ 'आँख' होता है।
- भारतीय मौसम विभाग के अनुसार, यह एक **'अति गंभीर चक्रवाती तूफ़ान'** था।

चक्रवातों के प्रति भारत की सुभेद्यता

- देश का लगभग 8% क्षेत्र और जनसंख्या का लगभग एक तिहाई भाग चक्रवात-संबंधी आपदाओं के प्रति सुभेद्य है।
- भारत, विश्व के लगभग 10% उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के प्रति अनावृत है। विगत 270 वर्षों में, विश्व-भर में चक्रवात की 23 प्रमुख घटनाओं में से 21 (लगभग 10,000 या इससे अधिक जीवन की क्षति वाली) भारतीय उपमहाद्वीप

INDIA METEOROLOGICAL DEPARTMENT
Tropical Cyclone Intensity Scale

CATEGORY	SUSTAINED WINDS (3-min average)
Super Cyclonic Storm	≥ 120 kt ≥ 221 km/h
Extremely Severe Cyclonic Storm	90-119 kt 166-220 km/h
Very Severe Cyclonic Storm	64-89 kt 118-165 km/h
Severe Cyclonic Storm	48-63 kt 89-117 km/h
Cyclonic Storm	34-47 kt 63-88 km/h
Deep Depression	28-33 kt 51-62 km/h
Depression	17-27 kt 31-50 km/h

(भारत और बांग्लादेश) के आस-पास के क्षेत्रों में घटित हुई है।
- अधिकतर चक्रवात बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होते हैं और इनमें से ज्यादातर भारतीय उपमहाद्वीप के पूर्वी तट को प्रभावित करते हैं।

चक्रवात प्रबंधन के लिए NDMA के दिशा-निर्देश:

- **अत्याधुनिक चक्रवात पूर्व चेतावनी प्रणाली (EWS)** की स्थापना करना जिसमें निरीक्षण, पूर्वानुमान, चेतावनी और यूजर फ्रेंडली एडवाइजरी सम्मिलित हों।
- राष्ट्रीय, राज्य और ज़िला आपदा प्रबंधन प्राधिकारियों और संबंधित अधिकारियों को समर्पित और सुरक्षित संचार प्रदान करने के लिए **'राष्ट्रीय आपदा संचार अवसंरचना' (NDCI)** को प्रवर्तन में लाना।
- VHF तकनीक का उपयोग करते हुए, 'अंतिम छोर तक संपर्क' (लास्ट माइल कनेक्टिविटी) को आरंभ करके, चेतावनी के प्रसार को बढ़ाना।
- सभी 13 तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में **राष्ट्रीय चक्रवात जोख़िम शमन परियोजना (NCRMP)** को लागू करना।
- संरचनात्मक शमन उपायों पर कार्य करना जैसे मूलभूत अवसंरचना में सुधार करना; बहु-उद्देशीय चक्रवात आश्रयों और मवेशी टीलों का निर्माण करना; ग्रामीण और शहरी आवास योजनाओं में चक्रवात प्रतिरोधी डिज़ाइन मानकों को सुनिश्चित करना; सभी प्रकार के मौसमों के लिए उपयुक्त सड़कें, सेतु, पुल, और मजबूत तटबंधो का निर्माण करना आदि।
- तटीय आर्द्र प्रदेशों, मैन्ग्रोव और वातरोधी खण्डों के मानचित्रण और निरूपण को समाविष्ट करने हेतु तटीय क्षेत्रों का प्रबंधन करना। इसके साथ-साथ रिमोट सेंसिंग (सुदूर संवेदी) उपकरणों का प्रयोग करके जैव-कवच (बायो-शील्ड) के प्रसार को बढ़ाने के लिए संभावित क्षेत्रों की पहचान करना।
- जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए एक **विशिष्ट पारिस्थितिक-तंत्र निगरानी नेटवर्क** की व्यवस्था करना।
- आपदा प्रबंधन के सभी चरणों को समाहित करते हुए एक व्यापक **'चक्रवात आपदा प्रबंधन सूचना प्रणाली'** (CDMIS) की स्थापना करना।
- चक्रवात जोखिमों से संबंधित सभी मुद्दों को संबोधित करने के लिए किसी एक तटीय राज्य में एक **'राष्ट्रीय चक्रवात आपदा प्रबंधन संस्थान'** की स्थापना करना।
- प्रेक्षणमूलक महत्वपूर्ण डेटा अंतरालों को भरने के लिए और चक्रवात के मार्ग, तीव्रता और स्थलावतरण का पूर्वानुमान करने में त्रुटियों की संभावना को कम करने के लिए **"विमान द्वारा चक्रवात की जाँच-पड़ताल की सुविधा"** आरंभ करना।

अरब सागर में चक्रवातों की बढ़ती आवृति:

वैज्ञानिकों के अनुसार अरब सागर में, विशेषकर मानसून के बाद, अत्यधिक प्रचंड चक्रवातों की आवृति बढ़ जाती है जिसके निम्नलिखित कारण हैं:

- मानसून के बाद के मौसम के दौरान, अरब सागर की सतह अन्य महासागरीय बेसिन की अपेक्षा अधिक गर्म हो जाती है।
- ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु अस्थिरता और मौसम परिवर्तन के पारस्परिक प्रभाव के कारण शीत मानसून परिसंचरण का कमजोर हो जाना।

हिंदमहासागर में चक्रवातों का नामकरण

- विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) एवं नेशन्स इकोनॉमिक एण्ड सोशल कमीशन फॉर एशिया एण्ड द पेसिफिक-ESCAP ने सन् 2000 में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के लिए नामकरण प्रणाली आरंभ की थी।
- आठ उत्तरी हिन्द महासागरीय देशों– बांग्लादेश, भारत, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड ने आठ-आठ नाम दिए जिसे 64 नामों की एक सूची में जोड़ा गया।
- अगले चक्रवात का नाम भारत द्वारा रखा जाएगा और इसे 'सागर' कहा जाएगा।

सरकार द्वारा उठाये गये आपदा शमन संबंधी अन्य कदम:

- **ESSO-IMD (पृथ्वी प्रणाली विज्ञान संगठन–भारतीय मौसम विज्ञान विभाग):** यह मौसम और गंभीर मौसमी घटनाओं जैसे चक्रवात, भारी वर्षा, कठोर तापमान आदि को सम्मिलित करते हुए जलवायु की चरम सीमाओं की निगरानी, उनका पता लगाने और पूर्वानुमान हेतु उत्तरदायी है।
- **भारतीय सुनामी पूर्व चेतावनी प्रणाली (ITEWS):** यह भारतीय मुख्यभूमि और द्वीपीय क्षेत्रों के साथ-साथ हिन्द महासागर के तटवर्ती क्षेत्रों में अन्य देशों के साथ-साथ ऑस्ट्रेलिया एवं इंडोनेशिया को सुनामी परामर्श प्रदान करता है।
  - इसे पृथ्वी एवं विज्ञान मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इन्फॉर्मेशन सर्विसेज (INCOIS), द्वारा प्रबंधित किया जाता है।
- **राष्ट्रीय चक्रवात जोख़िम शमन परियोजना (NCRMP):** इसका उद्देश्य भारत के तटीय राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में चक्रवातों के प्रभावों प्रशमन करने हेतु उपयुक्त संरचनात्मक और गैर-संरचनात्मक उपाय अपनाना है।
  - इसे गृह मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) द्वारा भागीदार राज्य सरकारों और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (NIDM) के समन्वय से कार्यान्वित किया जाता है।

VISION IAS

5.13. शहरी आगजनी

(Urban Fires)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में मुंबई के एक रूफटॉप रेस्तरां में लगी आग में कई लोगों की मृत्यु हो गयी ।

प्रसंग

- 1997 में नई दिल्ली के उपहार सिनेमा हॉल में लगी आग में 59 लोगों की मृत्यु हो गयी थी क्योंकि बाहर जाने वाले मार्ग अनाधिकृत रूप से बैठाए गए लोगों के कारण अवरुद्ध थे।
- 2016 में, आग ने दिल्ली के नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री को क्षतिग्रस्त कर दिया था, इस प्रकार इसमें रखी गयी मानवविज्ञान की विरासत और नमूनों की अपूरणीय क्षति हुई।
- औद्योगिक इकाइयों, अस्पतालों, पटाखा इकाइयों एवं आवासीय क्षेत्रों में भी इसी प्रकार की घटनाएँ बढ़ रही हैं।

मुद्दे

आगजनी मानव-निर्मित आपदाएँ हैं, जो एक प्राकृतिक आपदा जैसे-भूकंप या किसी व्यक्तिगत आपदा के परिणामस्वरूप घटित हो सकती हैं।

- **शहरी मुद्दे:** शहरी मुद्दे जैसे-अधिक आबादी, अतिसंकुलता, अनियमित वाणिज्यिक गतिविधियाँ प्रायः शहरी आग के लिए जिम्मेदार होती हैं।
- **लापरवाही और उदासीनता**: दिल्ली फायर सर्विस द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार, आग की अधिकतम घटनाएँ शॉर्ट सर्किट या दोषपूर्ण विद्युत उपकरणों के कारण होती हैं।
- **ग्रामीण इलाकों और भारतीय शहरों में फायर स्टेशनों की कमी** है क्योंकि ऐसी 3,000 से कुछ कम इकाइयाँ ही कार्यरत हैं जबकि आवश्यकता 8,500 से अधिक की है। यह 65% की कमी को दर्शाता है।
- **विधायी मुद्दे**: अग्निशमन सेवाओं का रख-रखाव नगरपालिका का कार्य है; परन्तु आगजनी सम्बंधित घटनाओं से निपटने से लिए आवश्यक अवसंरचना और जनशक्ति की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए वित्त एवं प्रशिक्षण, केंद्र द्वारा प्रदान किया जाता है।
- **प्रशासनिक चुनौतियाँ**: धीमी आपराधिक न्याय प्रक्रिया और नौकरशाही के बढ़ते हस्तक्षेप एवं राजनीतिक भ्रष्टाचार ने भी निर्माण के मानदंडों के उल्लंघन में योगदान दिया है।
- **स्लम एवं अवैध बस्तियों की चुनौतियाँ**: मलिन बस्तियों में सघन निर्माण, ज्वलनशील पदार्थों का प्रयोग कर किये गये निर्माण, दमकल वाहनों की पहुँच को बाधित करने वाली सँकरी गलियाँ, अनाधिकृत विद्युत कनेक्शन, असुरक्षित वायरिंग आदि आग के प्रभाव को बढ़ा देते हैं।

सुझाव

- कारणों का आकलन करने के लिए **आग की घटनाओं का वस्तुनिष्ठ और निष्पक्ष अन्वेषण** करना। इसके अतिरिक्त यदि अग्नि सुरक्षा नियमों का अनुपालन नहीं किया जाता है तो उल्लंघनकर्ता को क्षतिपूर्ति के लिए बाध्य किया जाना चाहिए।
- **स्थायी फायर एडवाइजरी काउंसिल** ने शहरी इलाकों में 5-7 मिनट और ग्रामीण इलाकों में 20 मिनट के रिस्पांस टाइम के आधार पर फायर स्टेशनों को स्थापित करने की सिफारिश की है।
- **अग्निशमन से आगजनी रोकथाम और शमन की ओर स्थानांतरण**: आगजनी की रोकथाम और शमन के उपायों को संरचनात्मक और गैर-संरचनात्मक के रूप में विभाजित किया जा सकता है।
- **वन्यभूमि-शहरी इंटरफ़ेस मानचित्रों का विकास** अर्थात् उन क्षेत्रों का मानचित्रण करना जहाँ प्राकृतिक रूप से अग्नि-उन्मुख उजाड़ क्षेत्र, जैसे जंगल और झाड़ियाँ, आवासीय क्षेत्रों के निकट हैं या परस्पर जुड़े हुए हैं।
- NDMA **ने 2012 में** देश में अग्नि-शमन क्षमताओं के आधुनिकीकरण और सुधार के लिए उपकरणों के प्रकारों और कर्मचारियों के प्रशिक्षण को मानकीकृत करने के लिए **दिशा-निर्देश जारी किए**। इसमें फायर एक्ट के अधिनियमन और प्रत्येक राज्य में एक व्यापक योजना का निर्माण भी सम्मिलित हैं।
- इसके अतिरिक्त, अग्निशामक कर्मचारियों को अग्निशमन और राहत कार्यों की आधुनिक तकनीकों में **प्रशिक्षण** (औद्योगीकरण, व्यवसायों के विकास और शहरी इलाकों के विस्तार जैसे परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए) प्रदान किया जाना चाहिए|

5.14. समुद्री तट (Sea Beach) को साफ़ करने के लिए 'ब्लू फ्लैग' परियोजना

(Project 'Blue Flag' For Beach Clean-Up)

सुर्ख़ियों में क्यों?

पर्यावरण मंत्रालय ने समुद्री तटों की साफ-सफाई और विकास के लिए एक प्रायोगिक परियोजना 'ब्लू फ्लैग' का शुभारंभ किया है।

विवरण

इस परियोजना के तहत, प्रत्येक राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश को एक समुद्री तट को नामांकित करने के लिए कहा गया है। इस समुद्र तट को पहले से चल रहे इंटीग्रेटेड कोस्टल मैनेजमेंट प्रोग्राम के माध्यम से वित्तपोषित किया जाएगा।

- इसका प्रमुख उद्देश्य समुद्री तटों पर स्वच्छता, रख-रखाव और बुनियादी सुविधाओं के मानकों में वृद्धि करना है।
- सरकार ऐसे निर्धारित समुद्री तटों के 'ब्लू फ्लैग' प्रमाणीकरण के लिए प्रयास भी कर रही है। 'ब्लू फ्लैग', *फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंटल एजुकेशन* (FEE) द्वारा दिए जाने वाला एक प्रमाणपत्र है जो यह प्रमाणित करता है कि एक समुद्री तट या संधारणीय नौकाविहार पर्यटन ऑपरेटर इसके कड़े मानदंडों पर खरा उतरता है।

फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंटल एजुकेशन (FEE)

FEE एक गैर-सरकारी, गैर-लाभकारी संगठन है जो पर्यावरण शिक्षा के माध्यम से संधारणीय विकास को बढ़ावा देती है। इसे सन् 1981 में स्थापित किया गया था।

- इसका मुख्यालय कोपनहेगन, डेनमार्क में स्थित है। यह पाँच कार्यक्रमों के माध्यम से सक्रिय है; इको-स्कूल, ब्लू फ्लैग, यंग रिपोर्टर फॉर एनवायरनमेंट (YRE), ग्रीन की और लर्निंग अबाउट फ़ॉरेस्ट (LEAF)।
- यह एक अंतर्राष्ट्रीय अम्ब्रेला ऑर्गेनाइज़ेशन है। राष्ट्रीय स्तर पर FEE का प्रतिनिधित्व करने वाला तथा FEE के कार्यक्रमों को देश में क्रियान्वित करने वाला प्रत्येक देश का एक संगठन इसमें सदस्य के रूप में सम्मिलित है। भारत का प्रतिनिधित्व **गुजरात के पर्यावरण शिक्षा केंद्र** द्वारा किया जाता है।
- इसने समुद्री यात्रा से होने वाले CO_2 उत्सर्जन को संतुलित करने के लिए **ग्लोबल फॉरेस्ट फंड** की स्थापना की है। यह फंड अपनी आय का 90% भाग प्रत्यक्ष रूप से वृक्षारोपण और अन्य CO_2 क्षतिपूरक प्रयासों में निवेश करता है जिन्हें पर्यावरण शिक्षा गतिविधियों के साथ संघटित किया गया है।

5.15 कचरा मुक्त शहरों के लिए स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल

(Star Rating Protocol for Garbage Free Cities)

- हाल ही में सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) की एक कार्यशाला के दौरान कचरा मुक्त शहरों के लिए स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल का शुभारंभ किया है।
- इसका लक्ष्य सभी शहरों को एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना के साथ, उनकी समग्र स्वच्छता में सुधार लाने के लिए प्रोत्साहित करना है।
- यह स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग सर्वे से भिन्न है क्योंकि यह कई शहरों को एक समान स्टार रेटिंग से सम्मानित करने की अनुमति देता है।
- रेटिंग्स में मुख्य रूप से अपशिष्ट भंडारण और कूड़ेदानों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
- स्वच्छ भारत मिशन घटकों पर राज्यों और शहरों की प्रगति को अधिकृत करने के लिए एक ऑनलाइन डेटाबेस का भी शुभारंभ किया गया है। इसके फलस्वरूप मिशन निगरानी तंत्र की **सुदृढ़ता और पारदर्शिता में वृद्धि हुई है**।

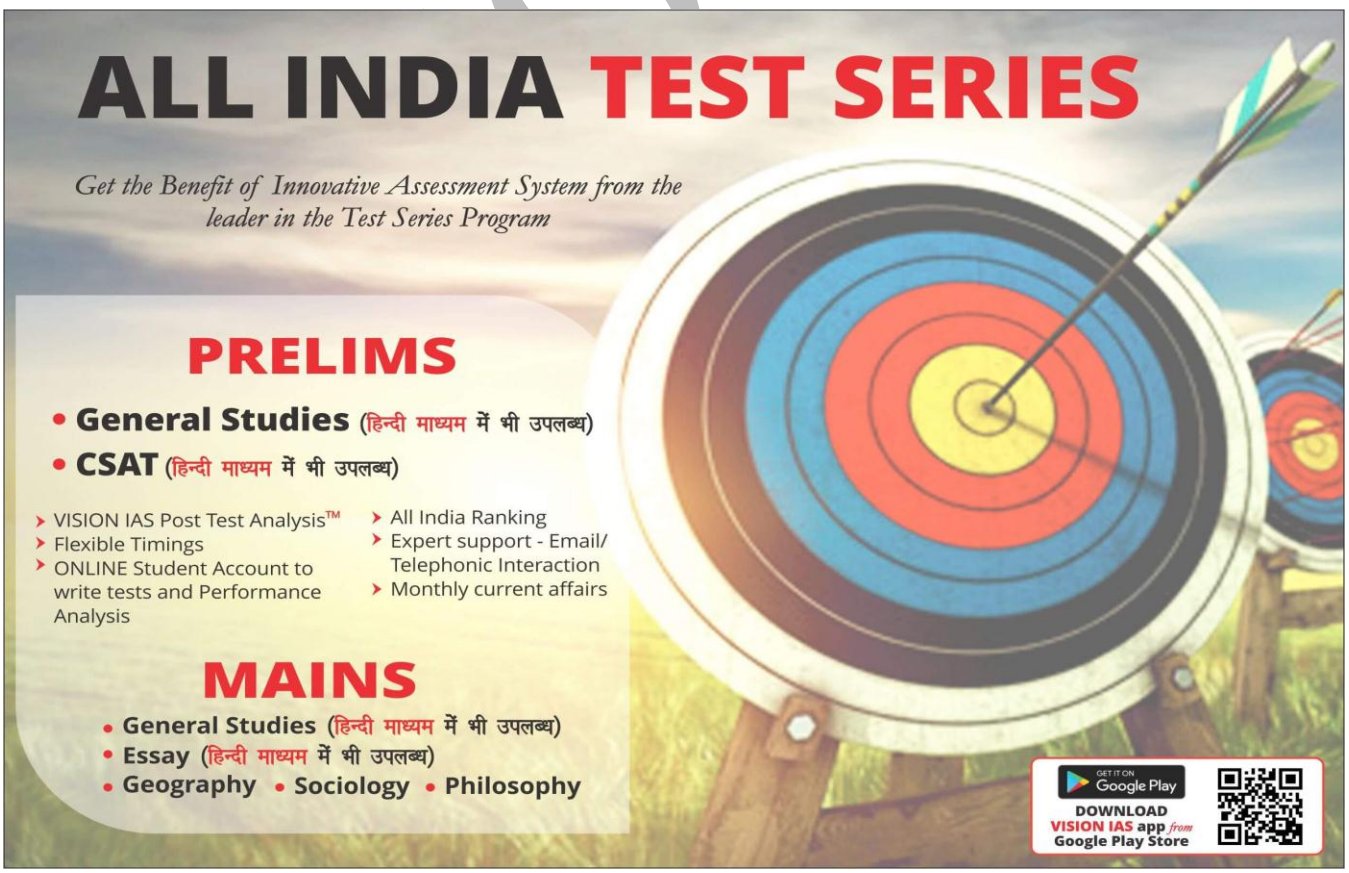

6. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

(SCIENCE AND TECHNOLOGY)

6.1. ब्रेन गेन: भारतीय वैज्ञानिकों का भारत की ओर वापस लौटना

(Brain Gain: Indian Scientists Returning to India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के आंकड़ों के अनुसार, **अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्यरत भारतीय वैज्ञानिकों के भारत लौटने की संख्या में 2012 से 2017 के दौरान 70 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है।**

ब्रेन ड्रेन के कारण

- **भारत में पारिश्रमिक का कम होना:** विभिन्न रिपोर्ट्स में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार यूरोप, सऊदी अरब, ओमान और ऑस्ट्रेलिया में न्यूनतम पारिश्रमिक 1,600 डॉलर से अधिक है जो कि भारत के न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक (अर्थात् 175 डॉलर) से 850% से भी अधिक है।
- **उच्च शिक्षा की गुणवत्ता:** भारत का कोई भी विश्वविद्यालय *टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग* 2018 के अनुसार शीर्ष 200 विश्वविद्यालयों में सम्मिलित नहीं है।
- **रोजगार सृजन की दर** तेजी से बढ़ रही कामकाजी आबादी के हिसाब से निम्न बनी हुई है।
- अमेरिका जैसे देश में **बेहतर जीवन स्तर**।

ब्रेन गेन के कारण

- यह सब मुख्यतया रामानुजन फ़ेलोशिप स्कीम, *इनोवेशन इन साइंस पर्सूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च* (INSPIRE) फैकल्टी स्कीम और *रामालिंगास्वामी री-एंट्री फ़ेलोशिप स्कीम* आदि के चलते हुआ है।
- 2016 में लाई गई IPR नीति ने भारत में अनुसंधान एवं विकास से जुड़े IPR के मुद्दों के समाधान को गति प्रदान की है।
- भारत तेजी से वैश्विक डिज़ाइन व विकास का केंद्र बनने की राह में अग्रसर है। विश्व भर की हजारों कंपनियों ने भारत में अपने अनुसंधान एवं विकास केंद्र स्थापित किए हैं।
- ब्रिटेन और अमेरिका जैसे **विकसित देशों के आप्रवासन नियमों में आया परिवर्तन** भारतीय मूल के वैज्ञानिकों के भारत लौटने का एक कारण हो सकता है।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DST)-

- **रामानुजन फ़ेलोशिप स्कीम:**
  - यह स्कीम सम्पूर्ण विश्व में कार्यरत भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के लिए है। यह स्कीम विशेष रूप से उन लोगों पर फोकस करती है जो भारत के किसी वैज्ञानिक संस्थान व विश्वविद्यालय में वैज्ञानिक शोध करने के उद्देश्य से भारत वापस लौटना चाहते हैं।
  - इस फ़ेलोशिप के अंतर्गत विज्ञान के सभी क्षेत्र कवर किए जाते हैं और इस फ़ेलोशिप के तहत पाँच वर्ष की अवधि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- **इनोवेशन इन साइंस पर्सूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च (INSPIRE) फैकल्टी स्कीम:** यह विश्व के किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पीएचडी (विज्ञान, इंजीनियरिंग, फार्मेसी, मेडिसिन व कृषि से जुड़े विषयों में) प्राप्त भारतीय नागरिकों तथा NRI/PIO समेत भारतीय मूल के लोगों को संविदा आधारित शोध के पदों का प्रस्ताव करती है।

जैवप्रौद्योगिकी विभाग (DBT)

- **रामालिंगास्वामी री-एंट्री फ़ेलोशिप** उन भारतीय नागरिकों के लिए है जो जैवप्रौद्योगिकी व लाइफ साइंस के विभिन्न क्षेत्रों में विदेशों में कार्यरत हैं और भारत में वैज्ञानिक शोध का दायित्व लेने के इच्छुक हैं।
  - फेलोशिप प्राप्त लोगों को देश के किसी भी वैज्ञानिक संस्थान/विश्वविद्यालय में कार्य करने की अनुमति होती है। ये लोग इन संस्थानों/विश्वविद्यालयों से असंबद्ध तथा भारत सरकार की विभिन्न विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एजेंसियों की शोध योजनाओं के तहत प्रदत्त नियमित शोध अनुदानों को प्राप्त करने के भी पात्र होंगे।
- *वेलकम ट्रस्ट फ़ेलोशिप प्रोग्राम* (भारतीय वैज्ञानिक, भौतिक चिकित्सा शोधार्थी व बायो-इंजीनियर्स के लिए) तथा *एनर्जी बायोसाइंसेज ओवरसीज फ़ेलोशिप* (भारत के बाहर कार्यरत भारतीय मूल के वैज्ञानिकों को भारतीय वैज्ञानिक संस्थान/विश्वविद्यालय में ऊर्जा से जुड़ी जैव विज्ञानों तथा जैव-ऊर्जा में अनुसंधान एवं विकास हेतु लाने के लिए) ब्रेन-गेन को प्रोत्साहित करने के लिए DBT के अन्य कार्यक्रम/स्कीम हैं।

ब्रेन गेन का महत्व

- यह भारत में विभिन्न स्तरों पर **गुणवत्तापरक अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा** देगा और इस प्रकार उच्च शिक्षा क्षेत्र पर सकारात्मक प्रभाव डालेगा।
- यह **विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के स्वदेशीकरण के रूप में फलित होगा तथा भारत को अनेक क्षेत्रों में आत्म-निर्भर बनाएगा**।

VISION IAS

ब्रेन गेन की चुनौतियाँ

- विदेशों में रह रहे भारतीय मूल के सभी वैज्ञानिकों को स्थान देने के मामले में हमारी **संस्थागत क्षमता सीमित** है। 2014 और 2016 के मध्य जिन 373 वैज्ञानिकों को छात्रवृत्ति मिली, उनमें से केवल 125 को ही उनके मेजबान संस्थानों द्वारा समायोजित किया जा सका।
- गुणवत्तापरक शोध हेतु अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए आवश्यक **वित्त** का न होना एक अन्य बड़ी चुनौती है। भारत अपनी GDP के 1% से भी कम का निवेश वैज्ञानिक शोध में करता है।
- शोधार्थियों का व्यष्टि प्रबंधन (micro management) व लालफीताशाही देश के बड़े संस्थानों के लिए समस्या बने हुए हैं।
- **प्रयोगशालाओं व शैक्षणिक समुदाय के बीच समन्वय की कमी:** महाविद्यालयों व शोध प्रतिष्ठानों के बीच सीमित समन्वय है। PhD छात्रों के अतिरिक्त, प्रयोगशालाओं में शायद ही कोई शोध करता दिखाई देता है।
- भारत में शोध बंद कमरों में होता है तथा इसमें एकीकृत दृष्टिकोण का अभाव है। उद्योग व शिक्षण संस्थानों के मध्य सहयोग की संस्कृति भारत में उतनी विकसित नहीं हुई है जितनी कि विकसित देशों में।
- सरकार अभी तक अनुसंधान एवं विकास के लिए एक ऐसी समरूप व समेकित नीति (यूनिफार्म एंड इंटीग्रेटेड पालिसी) नहीं ला पाई है जिससे विभिन्न संस्थानों के प्रयासों को एकीकृत किया जा सके।
- भारत को 2017 में अमेरिकी *चैम्बर ऑफ़ कॉमर्स* की एक रिपोर्ट में जारी सूचकांक में 45 देशों में 43वाँ स्थान प्राप्त हुआ है। इस रिपोर्ट का शीर्षक था- "*द रूट्स ऑफ़ इनोवेशन*"। इससे भारत के निराशाजनक बौद्धिक सम्पदा (IP) परिवेश का पता चलता है।

6.2. फ्री स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन

(Free Space Optical Communication)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- *अल्फाबेट* की एक सहायक कम्पनी 'X डेवलपमेंट LLC' आंध्र प्रदेश फाइबर-ग्रिड को दो हजार उन्नत **फ्री स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन (FSOC) लिंक्स** की आपूर्ति करेगी तथा इनकी स्थापना करेगी।

X एक अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान है जिसकी स्थापना जनवरी 2010 में गूगल द्वारा की गई थी।

यह अनेक परियोजनाओं जैसे चालक रहित कार, एरियल व्हीकल द्वारा उत्पादों की डिलीवरी, *प्रोजेक्ट लून* व *गूगल ग्लास* आदि पर काम कर रही है।

फ्री स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन क्या है?

- यह एक *ऑप्टिकल कम्युनिकेशन* टेक्नोलॉजी है जिसमें मुक्त अंतरिक्ष (फ्री स्पेस) में प्रकाश के संचरण के द्वारा डेटा संप्रेषण किया जाता है। इससे एक *ऑप्टिकल कनेक्टिविटी* स्थापित हो जाती है।
- FSO की कार्यप्रणाली OFC (*ऑप्टिकल फाइबर केबल*) नेटवर्कों जैसी ही है किंतु इनके मध्य एकमात्र अंतर यह कि *ऑप्टिकल बीम्स* को *ग्लास फाइबर* की बजाए मुक्त वायु अथवा निर्वात द्वारा भेजा जाता है।
- यह एक *लाइन ऑफ़ साइट* (LOS) टेक्नोलॉजी है। *फुल डुप्लेक्स* (द्विदिशात्मक) क्षमता प्रदान करने के लिए इसके दोनों किनारों पर *ऑप्टिकल ट्रान्सीवर* लगा होता है।
- यह 1.25 Gbps तक के डेटा, वॉइस व विडियो संचार को वायु के माध्यम से एक साथ भेजने में सक्षम है।

लाभ

- इसका **आरंभिक निवेश कम** है और यह एक ऐसा फ्लेक्सिबल नेटवर्क है जो ब्रॉडबैंड से **बेहतर स्पीड** देता है।
- ऑप्टिकल फाइबर केबल के डेटा रेट जितना उच्च डेटा रेट **कम त्रुटियों के साथ** प्राप्त किया जा सकता है।
- लेज़र बीम के अत्यधिक संकीर्ण होने के कारण किसी क्षेत्र विशेष में **असीमित संख्या FSO लिंक्स** की स्थापना की जा सकती है।
- लाइन ऑफ़ साइट ऑपरेशन के कारण यह एक **सुरक्षित प्रणाली** है। अत: किसी प्रकार के सिक्यूरिटी अपग्रेडेशन की आवश्यकता नहीं है।
- इसके लिए **न तो स्पेक्ट्रम लाइसेंस की आवश्यकता** है और न ही प्रयोगकर्ताओं के मध्य किसी भी प्रकार के फ्रीक्वेंसी समन्वय की, जैसी कि पहले रेडियो और माइक्रोवेव प्रणालियों में होती थी।
- *इलेक्ट्रोमैग्नेटिक* व *रेडियो मैग्नेटिक* व्यवधान FSO लिंक के पारेषण को प्रभावित नहीं कर सकते।

चुनौतियाँ

प्राप्तकर्ता तक पहुँचने से पूर्व प्रेषित किया गया ऑप्टिकल सिग्नल कई समस्याओं से प्रभावित होता है जैसे संरेखण त्रुटियाँ, *जियोमेट्रिक* क्षति, पार्श्व ध्वनि, मौसम के कारण सिग्नल का क्षीण होना तथा वातावरणीय विक्षोभ।

6.3. नासा का सोफ़िया मिशन

(NASA's Sofia Mission)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- नासा की फ्लाइंग ऑब्जर्वेटरी सोफिया (SOFIA) के 2018 के अभियान की तैयारी चल रही है। इस अभियान के तहत सोफिया द्वारा खगोलीय चुम्बकीय क्षेत्रों, तारा निर्माण क्षेत्रों, धूमकेतुओं व शनि के विशाल चंद्रमा *टाइटन* का पर्यवेक्षण किया जाएगा।

अन्य महत्वपूर्ण तथ्य

सोफ़िया के प्रेक्षणों के माध्यम से वैज्ञानिकों के निम्नलिखित उद्देश्य है:

- पृथ्वी के निकट से गुजरने के समय धूमकेतु 46P/Writanen का अध्ययन करना, धूमकेतु की धूल से कुछ संकेत ढूँढना जिससे आरंभिक सौर प्रणाली के विकास को समझने में सहायता प्राप्त हो सके।
- यह समझना कि किस प्रकार सक्रिय ब्लैक होल अधिकांश प्रकाशमान व दूरस्थ आकाशगंगाओं में योगदान देते हैं।
- यह समझना कि, अन्तरातारकीय बादलों (interstellar clouds) के संघनन के परिणामस्वरूप नए तारों की उत्पत्ति की दर को चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार प्रभावित करते हैं।
- यह समझना कि कैसे मंगल ग्रह पर मौसम में परिवर्तन के साथ मीथेन के स्तरों में परिवर्तन हो जाता है।

सोफ़िया (स्ट्रेटोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी फॉर इन्फ्रारेड एस्ट्रोनॉमी) क्या है?

- यह एक **वायुयान (बोइंग 747SP जेटलाइनर) है जिसमें 100-इंच व्यास वाली दूरबीन को ले जा सकने के उद्देश्य से कुछ संशोधन किए गए हैं। यह नासा और जर्मन एयरोस्पेस सेंटर, DLR की एक संयुक्त परियोजना है।**
- यह विश्व की सबसे बड़ी विमानस्थ खगोलीय वेधशाला है और अपने संचालन के चौथे वर्ष में है।
- इसकी 2.5 मीटर व्यास वाली दूरबीन खगोलशास्त्रियों को दृश्य, इन्फ्रारेड तथा सब-मिलीमीटर स्पेक्ट्रम तक पहुँच बनाने में मदद करती है। इसके द्वारा *हाई रिज़ोलूशन इमेज* प्राप्त की जा सकती है जो गुणवत्ता के मामले में किसी अन्य वेधशाला द्वारा ली गई इमेज की तुलना में तीन गुना बेहतर होती है।

6.4. 'एक्साइटोनियम' नामक पदार्थ के नये रूप की खोज

(New Form of Matter 'Excitonium' Discovered)

सुर्ख़ियों में क्यों?

शोधकर्ताओं ने पदार्थ के नए रूप 'एक्साइटोनियम' के अस्तित्व को प्रमाणित कर दिया है।

एक्साइटोन्स (Excitons)

- जब अधिक संख्या में इलेक्ट्रॉन्स से युक्त *इलेक्ट्रान वैलेंस बैंड* के किनारे पर विद्यमान कोई इलेक्ट्रान उत्तेजित हो जाता है और ऊर्जा अंतराल को पार कर एक रिक्त *कंडक्शन बैंड* में प्रवेश कर जाता है, तब वह अपने पीछे वैलेंस बैंड में एक होल (hole) छोड़ जाता है।
- वैलेंस बैंड का होल एक धनावेशित कण की भाँति कार्य करता है और पलायन कर चुके इलेक्ट्रान को आकर्षित करता है।
- जब ऋण आवेश वाला पलायन कर चुका इलेक्ट्रान होल के साथ युग्मित होता है, तब एक्साइटोन्स नामक एक मिश्रित बोसोनिक कण का निर्माण होता है।

खोज से जुड़ी अन्य जानकारी

- एक्साइटोनियम की खोज *डाइकेल्कोजेनाइड टाइटेनियम डाइसेलेनाइड* (1T-TiSe2) नामक संक्रमण धातु (ट्रांजीशन मेटल) के *नॉन-डोप्ड क्रिस्टल्स* का अध्ययन करते समय हुई।
- एक्साइटोनियम नाम सर्वप्रथम 1960 के दशक में बर्ट हल्पेरिन द्वारा दिया गया।
- यह किसी अतिचालक की भांति *माइक्रोस्कोपिक क्वांटम* परिघटना प्रदर्शित करता है और एक्साइटोन्स से बना होता है।

6.5. जेमिनिड उल्का वर्षा

(Geminid Meteor Shower)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- 12 दिसंबर 2017 को पृथ्वी पर जेमिनिड उल्का वर्षा हुई।

उल्का वर्षा क्या है?

- सूर्य के चारों ओर अपनी वार्षिक गति करते हुए पृथ्वी किसी धूमकेतु (comet) द्वारा छोड़े गए मलबों से होकर गुजरती है। यह मलबा पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हुए गर्म हो जाता है व प्रकाश के चमकीले प्रस्फुटन के साथ जल जाता है, जिसे उल्का वर्षा कहा जाता है।
- सामान्यत: उल्का वर्षा किसी धूमकेतु द्वारा अपने पीछे छोड़े गए मलबे के कारण होती है। हालाँकि, यह किसी क्षुद्रग्रह (asteroid) द्वारा छोड़े गए मलबे के कारण भी हो सकती है जैसा कि जेमिनिड उल्का वर्षा के मामले में हुआ।

- जेमिनिड उल्का वर्षा जैमिनी तारामंडल के धूलकणों का परिणाम है। **पृथ्वी प्रत्येक वर्ष इसके पैरेंट क्षुद्रग्रह 3200 फाईथोन (3200 Phaethon) के मार्ग से गुजरती है।**

3200 फाईथोन

- यह एक **अपोलो क्षुद्रग्रह** है तथा इसकी विशेषताएँ धूमकेतु के समान हैं।
- कभी-कभी एक क्षुद्रग्रह की कक्षाएँ मंगल और पृथ्वी की कक्षा को काटती हैं। पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले क्षुद्रग्रह **अपोलो क्षुद्रग्रह** कहलाते हैं।

6.6. इटकोओशन

(ITCOocean)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में सरकार ने UNESCO के साथ होने वाले एक समझौते के माध्यम से **श्रेणी-2 केंद्र (कैटेगरी-2 सेंटर: C2C) के रूप में इटकोओशन** की स्थापना को अनुमोदित किया।

UNESCO के तत्वाधान में **श्रेणी-2 केन्द्रों** की स्थापना व वित्तपोषण सदस्य देशों द्वारा किया जाता है ताकि वैश्विक, क्षेत्रीय, उपक्षेत्रीय अथवा अंतरक्षेत्रीय गतिविधियों के द्वारा UNESCO के उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके। ये **कानूनी रूप से UNESCO का भाग नहीं** होते; किंतु इन केंद्रों के मेजबान सदस्य देश और यूनेस्को के मध्य औपचारिक समझौतों के माध्यम से यूनेस्को से संबद्ध हैं।

संस्थान के बारे में

- **इंटरगवर्नमेंटल ओशनोग्राफिक कमीशन ऑफ यूनेस्को (IOC-UNESCO)** के द्वारा ***ऑपरेशनल ओशनोग्राफी*** के क्षेत्र में क्षमता निर्माण का प्रयास किया जा रहा है। IOC-UNESCO के इस प्रयास में सहयोग प्रदान करने की भारत सरकार की प्रतिबद्धता के तहत **इटकोओशन** की स्थापना की जा रही है।

इंटरगवर्नमेंटल ओशनोग्राफिक कमीशन

- इसकी स्थापना 1960 में हुई।
- **यह UN प्रणाली के भीतर समुद्री विज्ञान हेतु एकमात्र सक्षम संगठन है।**
- इस आयोग का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाना देना तथा शोध, सेवाओं व क्षमता निर्माण के कार्यक्रमों का समन्वय करना है। इस समन्वय से महासागर व तटीय क्षेत्रों की प्रकृति व उनके संसाधनों के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त की जा सकेगी।

ऑपरेशनल ओशनोग्राफी (Operational Oceanography)

यह सागरों व महासागरों तथा वायुमंडल के व्यवस्थित और दीर्घकालिक नियमित मापन, तथा इस जानकारी के त्वरित विवेचन और प्रसार की गतिविधि है।

ऑपरेशनल ओशनोग्रफी से प्राप्त महत्वपूर्ण उत्पाद हैं:

- **निकट समय भविष्यवाणी (*नाउ कास्ट*)-** यह जीवित संसाधनों सहित सागर की वर्तमान अवस्था की सर्वाधिक उपयोगी व सटीक व्याख्या प्रदान करती है।
- **भविष्यवाणी (*फोरकास्ट*)-** यह सागर की भविष्य की स्थिति के बारे में जहाँ तक संभव हो उतने आगे तक की सतत भविष्यवाणी प्रदान करता है।
- **भूतकाल का अनुमान (*हाइंडकास्ट*)-** इसके अंतर्गत उन दीर्घकालिक डेटा सेट का संकलित किया जाता है जिनके द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों से पूर्व की अवस्थाओं की व्याख्या की जा सकती है। इसके साथ ही रुझान और परिवर्तन दिखाती हुई समय सारणी (टाइम स्केल) भी उपलब्ध कराई जाती है।

इस प्रकार, ऑपरेशनल ओशनोग्राफी के माध्यम से विज्ञान के लाभों को दिन-प्रतिदिन के क्रिया-कलापों में उपयोग किया जा सकता है। ऑपरेशनल ओशनोग्राफी, ब्लू इकॉनमी के विभिन्न क्षेत्रों यथा मत्स्यन, आपदा प्रबंधन, जहाजरानी तथा बंदरगाह व तट प्रबंधन आदि को सूचना सेवाएँ (इनफॉर्मेशन सर्विसेज) प्रदान करने में भी सहायक है।

VISION IAS

संस्थान का महत्त्व

- **अनुसंधान एवं विकास-** वर्तमान में अंतरिम व्यवस्था के तहत संचालित यह संस्थान अभी तक 681 से अधिक वैज्ञानिकों को प्रशिक्षित कर चुका है जिनमें भारत के 576 तथा 34 अन्य देशों के 105 वैज्ञानिक सम्मिलित हैं।
- यह दक्षिण एशियाई तथा अफ्रीकी देशों के मध्य आपसी सहयोग बढ़ाने में सहायक हो सकता है। अतः, यह भारत को **हिंद महासागर में एक नेतृत्वकर्ता के रूप में उभरने** का अवसर प्रदान करेगा।
- यह केंद्र, समुद्री व तटीय संधारणीयता के मुद्दों के साथ-साथ प्राकृतिक आपदाओं के कुशल प्रबंधन व अनुक्रिया के संबंध में **तकनीकी व प्रबंधकीय क्षमता निर्माण** की बढ़ती विश्वव्यापी आवश्यकता की पूर्ति करेगा।
- यह केंद्र सतत विकास लक्ष्य-14 (महासागरों, सागरों व समुद्री संसाधनों का संधारणीय उपयोग) की प्राप्ति में योगदान दे सकता है। इसके साथ ही छोटे द्वीपीय विकासशील देशों व अल्प विकसित देशों को सहायता प्रदान करने की प्रतिबद्धता को पूर्ण कर सकता है।

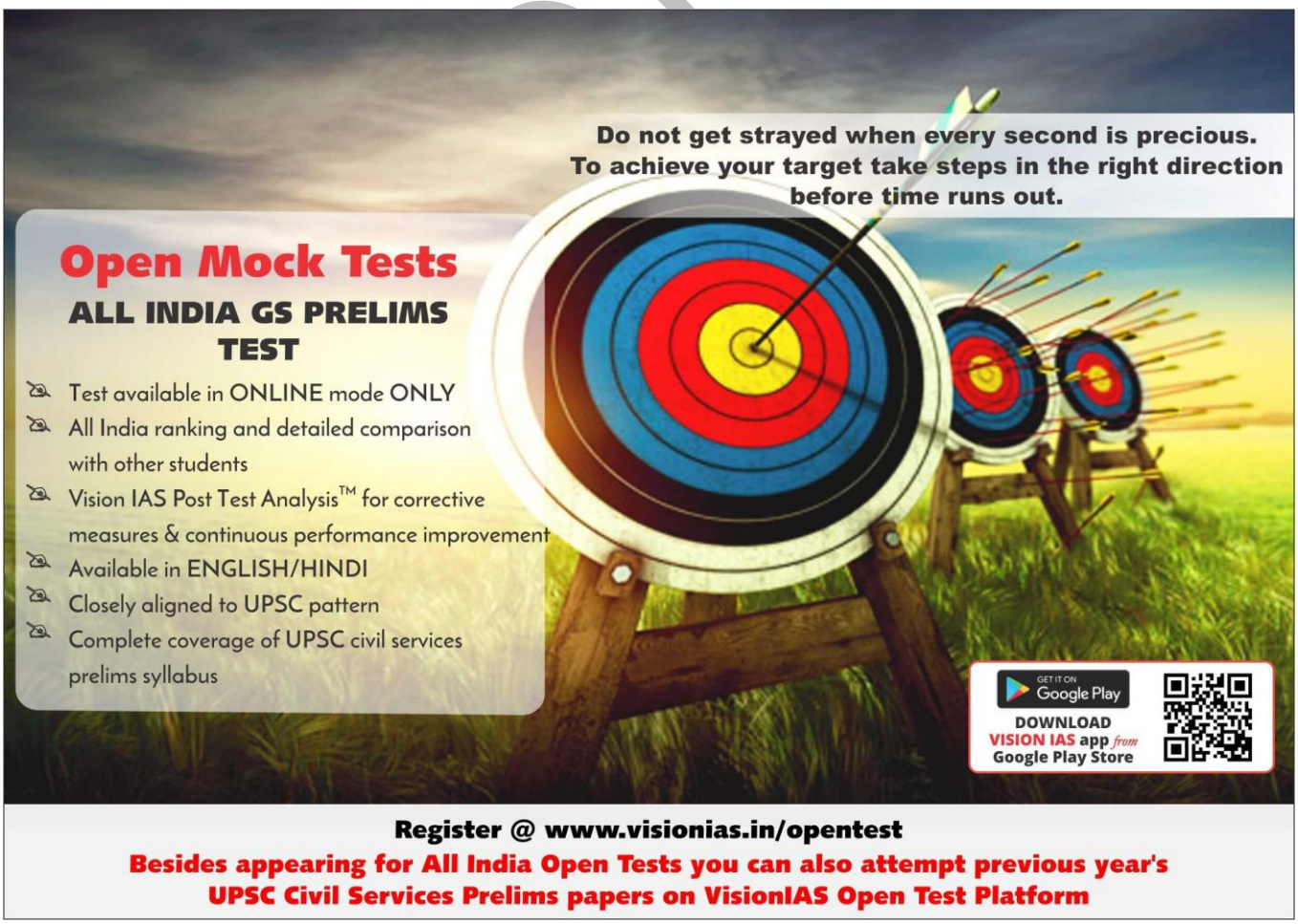

7. सामाजिक मुद्दे

(SOCIAL)

7.1. स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रेन रिपोर्ट 2017

(State of The World's Children Report 2017)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में यूनिसेफ द्वारा 'स्टेट ऑफ़ दी वर्ल्ड चिल्ड्रेन रिपोर्ट, 2017: चिल्ड्रेन इन डिजिटल वर्ल्ड' जारी की गयी है।

भूमिका

- बच्चों के जीवन के अनुभवों को आकार प्रदान करने में डिजिटलीकरण की क्षमता, उनकी आयु में वृद्धि के साथ-साथ बढ़ती जाती है। यह उन्हें असीमित अवसर प्रदान करती है।
- वहीं बच्चों और विभिन्न समूहों के मध्य प्रौद्योगिकी तक पहुँच का अभाव, उन्हें वंचन एवं निर्धनता के अंतर-पीढ़ीगत (इंटर-जेनेरशनल) चक्रों के प्रति सुभेद्य बना देता है।
- रिपोर्ट में प्रत्येक बच्चे तक लाभ पहुँचाने हेतु डिजिटल युग के अवसरों का उपयोग करते हुए, त्वरित कार्रवाई, केंद्रित(फोकस्ड) निवेश और अत्यधिक सहयोग पर बल दिया गया है। ऐसा किया जाना इसलिए आवश्यक है ताकि बच्चों को विश्व के घनिष्ठ आंतरिक जुड़ाव के कारण उत्पन्न होने वाले नुकसानों से सुरक्षित किया जा सके।

बचपन का डिजिटलीकरण (Digital Childhoods) - डिजिटलीकरण के परिणामस्वरूप बच्चों के, स्वयं को देखने और दूसरों का अनुकरण एवं आचरण करने (अच्छे और बुरे दोनों रूप में) के तरीकों में परिवर्तन आये हैं। ये परिवर्तन निम्नलिखित हैं-

- डिजिटल उपकरणों पर अत्यधिक समय व्यतीत किया जाना।
- एक नए पीढ़ी अंतराल का निर्माण- जहाँ वयस्कों को भय है कि बच्चों पर प्रौद्योगिकी का बुरा प्रभाव पड़ रहा है, जबकि बच्चों का मानना है कि वयस्कों द्वारा डिजिटल क्रांति से उत्पन्न अवसरों का उपयोग नहीं किया जा रहा है।
- मशीनों की विश्वसनीयता से सम्बंधित विवादों में वृद्धि।
- मित्रता की गत्यात्मकता एवं स्वरुप में परिवर्तन, जो सोशल मीडिया पर निर्भरता एवं वास्तविक पारस्परिक संपर्कों में कमी के कारण अत्यधिक निष्क्रिय हो गई है।
- कुछ अध्ययनों द्वारा स्पष्ट होता है कि शारीरिक गतिविधियों पर व्यतीत होने वाले समय में कमी आयी है।
- डिजिटल निर्भरता और मस्तिष्क तथा संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं पर डिजिटल निर्भरता के प्रभाव से संबंधित चर्चा में भी वृद्धि हुई है।

डिजिटलीकरण से प्राप्त अवसर

- **शिक्षा के बेहतर अवसरों तक पहुँच-** यह बच्चों को ई-लर्निंग में भाग लेने तथा विस्तृत शैक्षणिक एवं अध्ययन सामग्री तक पहुँच प्राप्त करने की अनुमति प्रदान करता है। इससे शिक्षा के भौगोलिक विस्तार में भी वृद्धि हुई है ।
- **व्यक्तिगत अनुभव के रूप में शिक्षा-** यह छात्रों को अपनी गति के अनुसार सीखने में सहायता प्रदान करता है। साथ ही शिक्षकों द्वारा सीमित संसाधनों में ही छात्रों को सीखने के बेहतर अवसर प्रदान किये जा सकते हैं।
- **बेहतर परिणामों के लिए शिक्षकों का प्रशिक्षण-** मिश्रित शिक्षा, अर्थात् ऐसी शिक्षा जहाँ उत्कृष्ट शिक्षकों द्वारा समर्थित ICT, लर्निंग ऑउटकम्स (सीखने के परिणामों) को बढ़ावा दे सकती है। ऐसे में, शिक्षकों के लिए आयोजित व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम से संबंधित क्षेत्रों हेतु, डिजिटल कनेक्टिविटी अत्यधिक महत्वपूर्ण है।
- **सोशल मीडिया की सक्रियता और समग्र एकीकरण-** बच्चे भी ब्लॉगिंग के माध्यम से अपना पक्ष रख सकते हैं, उदाहरण के लिए- मलाला यूसुफजई। इसके साथ ही, यह अल्पसंख्यक समूहों को अपने समुदायों में अधिक एकीकृत होने में सहायता प्रदान करता है। इसके साथ ही यह अभिव्यक्ति, नेटवर्किंग, राजनीतिक सक्रियता और सामाजिक समावेशन के लिए नए मार्ग प्रशस्त करता है।
- **रोजगार क्षमता में सुधार-** यह शिक्षा के बेहतर अवसरों के साथ-साथ प्रशिक्षण और कौशल सुधार कार्यक्रमों के माध्यम से रोजगार क्षमता में सुधार करता है।
- **विकलांग बच्चों के लिए अवसर -** मोबाइल एप्लिकेशन विकलांग बच्चों और युवाओं को अधिक आत्मनिर्भर बनाने में सहायता कर सकता हैं।

जोखिमों को निम्नलिखित रूपों में वर्गीकृत किया गया है-

- **सामग्री संबंधित जोखिम** - जहाँ बच्चा अवांछित और अनुचित सामग्री के संपर्क में होता है। इसमें यौन, अश्लील और हिंसक चित्र आदि, शामिल हो सकते हैं।
- **संपर्क संबंधित जोखिम -** जहाँ बच्चा जोखिमपूर्ण संचार (रिस्की कम्युनिकेशन) में भाग लेता है। इसमें किसी वयस्क द्वारा बच्चे के साथ अनुचित संपर्क या यौन उद्देश्यों के लिए आग्रह करना अथवा बच्चे को कट्टरपंथी बनाने का प्रयास करना इत्यादि कृत्य शामिल हैं।
- **आचरण संबंधित जोखिम -** जहाँ बच्चे द्वारा इस प्रकार का आचरण किया जाता है, जिससे जोखिमपूर्ण सामग्री या संपर्कों को बढ़ावा मिलता हो। इसमें बच्चे द्वारा अन्य बच्चों के बारे में घृणित सामग्री लिखने या जातिवाद को बढ़ावा देने या यौन चित्रों को पोस्ट करना या वितरित करना आदि, शामिल हो सकता है।

VISION IAS

***डिजिटल डिवाइड* से संबंधित मुद्दे**

- **डिजिटल डिवाइड,** अमीर और गरीब, पुरुषों और महिलाओं, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों तथा शिक्षित एवं अशिक्षित व्यक्तियों के मध्य **सामाजिक और आर्थिक विभाजन को प्रतिबिंबित** करता है।
- **आर्थिक असमानता** - विकसित देशों में **इंटरनेट का उपयोग** विकासशील देशों की तुलना में दोगुना और अल्प विकसित देशों की तुलना में कई गुना अधिक है।
    - इन देशों के मध्य उपस्थित ये असमानताएँ डिजिटल युग की माँगों को पूर्ण करने में असमर्थ बच्चों को उपर्युक्त वर्णित अवसरों का लाभ उठाने से वंचित कर देंगी। इस प्रकार यह बच्चों के मध्य उपस्थित असमानताओं में और वृद्धि कर सकती हैं।
- **द्वितीय स्तर के डिजिटल डिवाइड**- वर्तमान में पहुँच संबंधी प्राथमिक डिजिटल डिवाइड कम हो रहा है। ऐसे में डिजिटल कौशल और इसके प्रयोग में बढ़ती असमानताओं के आधार पर होने वाले डिजिटल डिवाइड को द्वितीय स्तर में रखा जा सकता है।
- **जीरो-रेटिंग साइट्स के प्रचलन के तहत** कुछ साइटों को ग्राहक की डेटा लिमिट से बाहर रखा गया है। यह प्रचलन चिंताजनक इसलिए है क्योंकि यह एक समावेशी इंटरनेट का माध्यम नहीं बनता है। बल्कि इस प्रचलन के बढ़ने से इंटरनेट व्यक्तियों के लिए केवल पोस्ट और तस्वीरें अपलोड करने का माध्यम बनके रह जाएगा। इसके फलस्वरूप प्रौद्योगिकी की क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाएगा।
- **मूल भाषा में उपयोगी ऑनलाइन सामग्री का अभाव-** यह कई लोगों के लिए इंटरनेट के उपयोग को हतोत्साहित कर सकता है। इससे लोगों तक इंटरनेट की पहुँच में कमी तथा ज्ञान-अंतराल में वृद्धि होती है।

डिजिटलीकरण से संबंधित चिंताएं

डिजिटल कनेक्टिविटी के कारण :

- असुरक्षित सोशल मीडिया प्रोफाइल के माध्यम से बच्चों तक पहुँचना और आसान हो गया है।
- अपराधियों को अपनी पहचान गुप्त रखने की सुविधा प्राप्त होती है। इससे उनके लिए पहचान और अभियोजन का खतरा कम हो जाता है तथा साथ ही उनके नेटवर्क का विस्तार होता है।

इस प्रकार, निम्नलिखित रूप में जोखिमों की पहचान की गयी है -

- **साइबर बुलिंग** अर्थात "कंप्यूटर, सेल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उपयोग के द्वारा जान-बूझकर और बार-बार क्षति पहुँचाया जाना।"
    - पिछली पीढ़ियों में, बच्चे घर जाकर या अकेले रह कर, ऐसे दुर्व्यवहार या उत्पीड़न से बच सकते थे। परन्तु डिजिटल विश्व में बच्चों के लिए ऐसा कोई सुरक्षित स्थान नहीं है।
- **ऑनलाइन बाल यौन दुर्व्यवहार और शोषण** में निम्न कारणों से वृद्धि हुई है-
    - पीयर-टू-पीयर (P2P) नेटवर्क और डार्क वेब द्वारा निरंतर बाल यौन शोषण सामग्री (CSAM) के आदान-प्रदान की सुविधा प्रदान की जा रही है। नई चुनौतियाँ, जैसे बाल यौन शोषण और स्व-निर्मित यौन संबंधी सामग्री की लाइव-स्ट्रीमिंग भी विद्यमान है; जिनके परिणामस्वरूप CSAM की मात्रा में वृद्धि हो रही है।
    - क्रिप्टोकरेंसी का बढ़ता उपयोग और मीडिया साझा करने के लिए एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड प्लेटफ़ॉर्म, बाल शोषण की लाइव-स्ट्रीमिंग में वृद्धि करने वाले अन्य कारक है।
- **ऑफ़लाइन वल्नेरेबिलिटी को प्रदर्शित करती ऑनलाइन वल्नेरेबिलिटी-** जो बच्चे ऑफ़लाइन अधिक सुभेद्य(वल्नेरेबल) हैं, (जैसे -लड़कियाँ, निर्धन परिवारों के बच्चे इत्यादि) वे ऑनलाइन भी इन मामलों के प्रति अधिक सुभेद्य होते हैं।

ऐसे दुर्व्यवहार के उन्मूलन हेतु उठाए गए कदम:

- ऑनलाइन बाल यौन शोषण की समाप्ति हेतु **WePROTECT वैश्विक गठबंधन**। इसके तहत अग्रणी प्रौद्योगिकी कंपनियों, अंतरराष्ट्रीय संगठनों और 77 देशों ने साथ मिलकर एक समन्वित प्रतिक्रिया के माध्यम से बाल यौन दुर्व्यवहार और शोषण समाप्त करने के लिए तात्कालिक रूप प्रतिबद्धता व्यक्त की है।
- **माइक्रोसॉफ्ट ने** लापता और शोषित बच्चों के लिए **अपनी PhotoDNA प्रौद्योगिकी** को इंटरनेशनल सेंटर को समर्पित किया है।

आगे की राह

- इंटरनेट, मानव प्रकृति के उत्कृष्ट एवं निकृष्ट स्वरूप को प्रतिबिम्बित और विस्तृत रूप से व्याख्यायित करता है। यह एक ऐसा उपकरण है, जिसका उपयोग सदैव अच्छे एवं बुरे दोनों के लिए किया जाएगा। हमारा कार्य क्षति को कम करना और डिजिटल तकनीक द्वारा संभावित अवसरों का विस्तार करना है।
- अवसरों का लाभ प्राप्त करने हेतु, निम्नलिखित कदम उठाये जाने की आवश्यकता है-
    - सभी बच्चों को उच्च गुणवत्ता वाले ऑनलाइन संसाधनों तक वहनीय पहुँच उपलब्ध कराना।
    - उपयुक्त मार्गदर्शन द्वारा ऑनलाइन खतरों से बच्चों को सुरक्षित रखना।
    - बच्चों की निजता को सुरक्षा प्रदान करना।

VISION IAS

- बच्चों को सूचित (informed), व्यस्त (engaged) और ऑनलाइन सुरक्षित रहने हेतु डिजिटल साक्षरता प्रदान करना।
- बच्चों को ऑनलाइन संरक्षण देने और उन्हें लाभ प्रदान करने के लिए नैतिक मानकों और प्रथाओं को उन्नत करने हेतु निजी क्षेत्र के सामर्थ्य का लाभ उठाना।
- बच्चों को डिजिटल नीति के केंद्र में रखना।

7.2. राष्ट्रीय पोषण मिशन

(National Nutrition Mission)

सुर्खियों में क्यों?

- भारत सरकार द्वारा **राष्ट्रीय पोषण मिशन** के आरंभ की मंजूरी प्रदान की गयी है।

संविधान के **अनुच्छेद 47** के अनुसार- **"पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊँचा करना तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार करना राज्य का कर्तव्य है।"**

वर्तमान स्थिति

- सशक्त संवैधानिक एवं विधायी नीतियों तथा कार्यक्रम प्रतिबद्धताओं के बावजूद, भारत निरंतर मातृ एवं बाल अल्पपोषण के उच्च स्तर से संघर्ष कर रहा है।
- **कुपोषण का दोहरा बोझ**
  - **अल्पपोषण -** एसोचैम और अर्नेस्ट एंड यंग के संयुक्त अध्ययन के अनुसार, भारत में पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चों में 37% अल्पभार , 39% ठिगनापन (stunting), 21% दुर्बलता (wasting) और 8% अत्यधिक कुपोषण से ग्रसित हैं।
  - **अधिक वजन (ओवरवेट) -** WHO की 2015 की रिपोर्ट के अनुसार, मोटापे से ग्रस्त लोगों की सर्वाधिक संख्या वाले देशों में, अमेरिका और चीन के बाद भारत तीसरे स्थान पर है।
- कुपोषण केवल भोजन के अभाव का परिणाम नहीं है। यह स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, स्वच्छता, संसाधनों तक पहुँच, महिलाओं के सशक्तिकरण जैसे विभिन्न सम्बंधित पहलुओं से जुड़ा हुआ है। अतः इसके सम्बन्ध में बहु-आयामी हस्तक्षेप की आवश्यकता है।
- भारत के कार्यबल में बाल्यकाल में अल्पविकास के शिकार व्यक्तियों की बड़ी संख्या है। इस कारण उत्पन्न हुई कार्यबल की क्षमता में कमी के कारण देश को लगभग 9% से 10% तक आय की हानि होती है।

राष्ट्रीय पोषण रणनीति

यह एक 10 सूत्री **पोषण कार्य योजना** है, जिसमें अभिशासन संबंधी सुधार शामिल हैं। इसके तहत एक ऐसे फ्रेमवर्क की परिकल्पना की गई है जिसमें पोषण के चार महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व भारत में अल्प पोषण के स्तर को तीव्रता से कम करने हेतु एकसाथ कार्य करेंगे। ये तत्व स्वास्थ्य सेवाएँ, भोजन, पेयजल एवं स्वच्छता तथा आय एवं आजीविका हैं।

रणनीति की मुख्य विशेषताएँ-

- इसमें 2030 तक कुपोषण के सभी प्रकारों को कम करने के लिए सर्वाधिक सुभेद्य और महत्वपूर्ण आयु वर्गों पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
- राज्य, जिला और स्थानीय स्तर पर अधिक लचीलेपन और निर्णय निर्माण के साथ विकेन्द्रीकृत दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया जाएगा।
- रणनीति में बच्चों में स्वास्थ्य देखभाल और पोषण में सुधार लाने तथा मातृ देखभाल को बेहतर बनाने पर ध्यान देने के साथ हस्तक्षेप करने का प्रस्ताव दिया गया है।
- रणनीति में शामिल किए गए अभिशासन संबंधी सुधारों में सम्मिलित हैं:
  - ICDS, NHM और स्वच्छ भारत के लिए राज्य और जिला कार्यान्वित योजनाओं का समन्वय,
  - बाल कुपोषण के उच्च स्तर वाले जिलों में सबसे सुभेद्य समुदायों पर ध्यान केंद्रित करना, और
  - प्रभाव के साक्ष्य के आधार पर सेवा वितरण मॉडल

मिशन के बारे में

- नीति आयोग की **राष्ट्रीय पोषाहार रणनीति** ने राष्ट्रीय पोषण मिशन की स्थापना के लिए रोडमैप निर्धारित किया है।
- इसका नोडल मंत्रालय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (WCD) होगा। इसके साथ ही इसे पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सहयोग से क्रियान्वित किया जाएगा।
- **कार्यान्वयन और लक्ष्य**
  - इस मिशन में प्रतिवर्ष ठिगनेपन (स्टंटिंग) या अल्पविकास, अल्पपोषण और जन्म के समय अल्पभार वाले बच्चों में 2% और एनीमिया में 3% तक कमी लाने का लक्ष्य तय किया गया है।
  - इसका उद्देश्य मुख्य रूप से 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं और किशोरियों पर ध्यान केंद्रित करना है।
  - यह 2022 तक ठिगनेपन या अल्पविकास के मामलों में 38.4% (NFHS -4) से 25% तक कमी लाने का प्रयास करेगा (2022 तक मिशन 25)।

- यह तीन चरणों में लागू किया जाएगा: 2017-18, 2018-19 और 2019-20)। 'अत्यधिक बोझ वाले' 315 जिलों को पहले चरण, 235 को अगले और शेष को आखिरी चरण में शामिल किया जाएगा।

- **विशेषताएँ**
  - एक शीर्ष संस्था के रूप में NNM निगरानी, पर्यवेक्षण एवं लक्ष्यों को निर्धारित करेगा तथा पोषण संबंधी हस्तक्षेपों को निर्देशित करेगा।
  - कुपोषण के अंतर्गत योगदान करने वाली विभिन्न योजनाओं की मैपिंग।
  - ICT (सूचना और संचार प्रौद्योगिकी) आधारित वास्तविक समय निगरानी प्रणाली।
  - लक्ष्यों को पूरा करने के लिए राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को प्रोत्साहित करना।
  - आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं (AWW) को IT आधारित उपकरणों का उपयोग करने और रजिस्टरों के उपयोग की आवश्यकता को समाप्त करने हेतु प्रोत्साहित करना।
  - आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों की लम्बाई का मापन।
  - बच्चों की स्वास्थ्य प्रगति की निगरानी हेतु सामाजिक लेखा परीक्षा।
  - पोषण संसाधन केंद्र की स्थापना।

7.3 राष्ट्रीय सामरिक योजना (2017-24) और मिशन संपर्क

(National Strategic Plan (2017-24) & Mission Sampark)

सुर्खियों में क्यों?

विश्व एड्स दिवस पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित पहलों का प्रारंभ किया गया -

- राष्ट्रीय सामरिक योजना (2017-24)
- मिशन संपर्क

अन्य महत्वपूर्ण तथ्य

- **राष्ट्रीय सामरिक योजना (2017-24)** - इसका उद्देश्य, भागीदारों के साथ, 2030 तक एड्स महामारी की समाप्ति हेतु फास्ट ट्रैक रणनीति के लिए प्रयास करना है। साथ ही इससे 90: 90:90 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रोडमैप हेतु मार्ग प्रशस्त करने की अपेक्षा है।
- **मिशन संपर्क-** इसका उद्देश्य उन लोगों की खोज करना है, जिनका फॉलो-अप नहीं किया गया है तथा जिन्हें एंटीरेट्रोवाइरल थेरेपी (ART) सेवाओं के तहत लाया जाना शेष है। "HIV पॉजिटिव" सभी लोगों की शीघ्र पहचान करने के लिए "समुदाय आधारित परीक्षण" को अपनाया जाएगा।

रणनीति की आवश्यकता

- भारत ने 2016 में, संयुक्त राष्ट्र की उच्च स्तरीय बैठक में 2030 तक एड्स महामारी को 'सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरे के रूप में समाप्त करने' के लक्ष्य की अपनी प्रतिबद्धता दोहरायी है। यह प्रतिबद्धता संयुक्त राष्ट्र के संयुक्त कार्यक्रम HIV/AIDS (UNAIDS) 2020 के लक्ष्य को तीव्रता से प्राप्त करने के साथ-साथ 2030 के सतत विकास लक्ष्य (SDGs) के अनुरूप है ।
- सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों (MDG) की प्राप्ति में सफलता (नए HIV संक्रमण और AIDS से संबंधित मौतों में वार्षिक रूप से 50% से अधिक की कमी) के पश्चात, NACO के लक्ष्यों को 'तीन शून्य'(थ्री ज़ीरोज़) के रूप में रखा गया। ये तीन शून्य- नये संक्रमण को शून्य करना, AIDS संबंधित मौतों को शून्य करना और शून्य भेदभाव, इस रणनीतिक योजना के आधार का निर्माण करते हैं।
- इससे 2030 के लक्ष्यों के मध्यावधि बिन्दु (2024) पर देश द्वारा की गई प्रगति की समीक्षा हो सकेगी।
- **एड्स प्रतिक्रिया को प्रभावित करने वाले संरचनात्मक कारक** - प्रवास के पैटर्न में परिवर्तन और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग में सुधारों ने लोगों की जीवनशैली को प्रभावित किया है। साथ ही इन रोगों के जोखिम के प्रति व्यक्तियों के व्यवहार में इसके विविध प्रभाव देखे गए हैं।

भारत में एड्स रोगियों की सुरक्षा हेतु किए गए प्रावधान

मौलिक अधिकारों के संदर्भ में विभिन्न प्रकार की संवैधानिक सुरक्षा के अतिरिक्त, एड्स रोगियों की सहायता करने के लिए अन्य प्रावधान भी किए गए हैं। जैसे-

1992 में आरंभ किए गए **राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम (NACP)** को भारत में HIV/AIDS की रोकथाम और नियंत्रण के लिए व्यापक कार्यक्रम के रूप में लागू किया जा रहा है।

NACP-4 घटक

घटक 1: उच्च-जोखिम समूह (HRG) और सुभेद्य जनसंख्या पर फोकस के साथ रोकथाम संबंधी सेवाओं को तीव्र और समेकित करना।

घटक 2: (a) सामान्य जनसंख्या और (b) उच्च जोखिम वाले समूह के व्यवहार परिवर्तन और माँग सृजन पर फोकस करते हुए IEC सेवाओं का विस्तार।

VISION IAS

घटक 3: व्यापक देखभाल, सहायता और उपचार।

घटक 4: संस्थागत क्षमता को मजबूत करना।

घटक 5: सामरिक सूचना प्रबंधन प्रणाली (SIMS)।

वर्तमान में भारत, **राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम** के चौथे (2012 से) चरण में है, जो दो प्रमुख उद्देश्यों के साथ प्रारंभ किया गया था -

- नए संक्रमणों में 50% की कमी (2007 को आधारवर्ष मानते हुए)
- HIV ग्रस्त लोगों के लिए व्यापक देखभाल और समर्थन का प्रावधान

- **राष्ट्रीय एड्स निवारण और नियंत्रण नीति** (2002, NACP II के तहत अपनायी गयी) - इस नीति का मुख्य उद्देश्य कार्य स्थल और समाज, चिकित्सा और वित्तीय स्थितियों में HIV ग्रस्त लोगों के साथ भेदभाव को रोकने हेतु वैध प्रतिबंधों को लागू करना था।
- **भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम-** (व्यावसायिक आचरण, शिष्टाचार और नैतिकता) विनियम, 2002 - यह HIV/AIDS रोगियों के प्रति डॉक्टरों के कुछ कर्तव्यों का निर्धारण करता है।
- **अनैतिक व्यापार(निवारण) अधिनियम, 1986 -** तस्करी के पीड़ितों में HIV/AIDS की पहचान हेतु अनिवार्य चिकित्सा परीक्षा आयोजित करने का प्रावधान करता है।
- **HIV/ AIDS रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम, 2017-** यह HIV/AIDS से पीड़ित लोगों के विरुद्ध किये गए भेदभाव को अपराध घोषित करता है। इसकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएँ निम्नलिखित हैं-
  - अधिनियम के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों की जाँच और गैर-अनुपालन के मामले में दंडात्मक कार्रवाई हेतु राज्य/ UT सरकारों द्वारा लोकपाल की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है।
  - यह HIV से संबंधित परीक्षण, उपचार और नैदानिक अनुसंधान के लिए सूचित सहमति और गोपनीयता सुनिश्चित करता है। इसके अतिरिक्त यह स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक पहुँच बढ़ाने हेतु अनुकूल परिवेश प्रदान करता है। सम्बंधित फिजिशियन अथवा परामर्शदाता (काउन्सलर) के अतिरिक्त कोई भी अन्य स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता किसी व्यक्ति के HIV पॉजिटिव स्टेटस को उस व्यक्ति के साथी के साथ साझा नहीं कर सकता। इसके उल्लंघन के मामले में, यह अधिनियम आरोपी स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही का प्रावधान करता है।

7.4. राष्ट्रीय ट्रेकोमा सर्वेक्षण रिपोर्ट :2014-17

(National Trachoma Survey Report 2014-17)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय ट्रैकोमा सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी कर भारत के ट्रैकोमा से मुक्त होने की घोषणा की।

ट्रैकोमा क्या है?

- यह **क्लैमाइडिया ट्रैकोमैटिस जीवाणु** के संक्रमण से होने वाला आँखों का दीर्घकालीन संक्रमण रोग है। यह संक्रमित व्यक्ति की आँख और नाक से होने वाले स्राव के साथ संपर्क के माध्यम से फैलता है। विशेष रूप से छोटे बच्चे इस संक्रमण के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं।
- यह संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने वाली मक्खियों के द्वारा भी फैलता है। अस्वच्छ वातावरण, व्यक्तिगत स्तर पर स्वच्छता के अभाव और जल तक अपर्याप्त पहुँच वाले क्षेत्रों में इस बीमारी का प्रसार सामान्य है।
- यह अंधता के मुख्य कारणों और 18 उपेक्षित ऊष्ण कटिबंधीय देशों में होने वाली बीमारियों (Neglected Tropical Diseases) में से एक है।
- 1950 के दशक के दौरान, भारत ट्रैकोमा के प्रति अति संवेदनशील था। इससे उत्तर-पश्चिम भारत के लगभग 50% -80% बच्चे संक्रमित थे।

रिपोर्ट के मुख्य तथ्य

राष्ट्रीय ट्रेकोमा प्रचार सर्वेक्षण और ट्रेकोमा रैपिड असेसमेंट सर्वेक्षण का आयोजन नेशनल **प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस एंड विज़ुअल इम्पेयरमेंट (NPCB)** के सहयोग से किया गया। इस सर्वेक्षण को 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 27 सबसे अधिक जोखिम वाले जिलों में आयोजित किया गया था।

- **WHO के मानकों के अनुसार**- ट्रेकोमा को उस स्थिति में समाप्त माना जाता है, यदि उसके सक्रिय संक्रमण की मौजूदगी 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों में 5 प्रतिशत से कम हो। भारत में इसकी मौजूदगी केवल 0.7 प्रतिशत है।
- इस प्रकार भारत को ट्रोकोमा मुक्त देश घोषित किया गया और WHO के GET 2020 कार्यक्रम के अंतर्गत निर्दिष्ट लक्ष्य के अनुसार ट्रेकोमा के उन्मूलन का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है।

नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस एंड विजुअल इम्पेयरमेंट (NPCB)

- यह 1976 में 100% केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में, दृष्टिहीनता के प्रसार को 1.4% से 0.3% तक कम करने के उद्देश्य से आरंभ किया गया था।
- अब इसे नेशनल हेल्थ मिशन के तहत गैर- संचारी रोगों में शामिल किया गया है।
- NPCB का वर्तमान लक्ष्य वर्ष 2020 तक अंधेपन के प्रसार को 0.3% तक कम करना है।

ट्रेकोमा को नियंत्रित करने के लिए उठाए गए कदम

- 2020 तक ट्रेकोमा के उन्मूलन के लिए WHO की सेफ (सर्जरी, एंटीबॉडीज़, फेशियल क्लीनलीनेस, एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन) स्ट्रैटेजी (1997) तथा ग्लोबल एलिमिनेशन ऑफ ब्लाइन्डिंग ट्रेकोमा।
- **GET 2020-** ट्रोकोमा के उन्मूलन हेतु कार्य करने के इच्छुक पार्टियों के साथ WHO का अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन है। इसे 2020 तक ट्रैकोमा के वैश्विक उन्मूलन हेतु गठबंधन (Alliance for Global Elimination of Trachoma) के रूप में भी जाना जाता है।
- **WHO के ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर द एलिमिनेशन ऑफ़ अवॉयडेबल ब्लाइंडनेस** के अंतर्गत ट्रैकोमा को रोग नियंत्रक घटक के रूप में **प्राथमिक रूप से** शामिल करना तथा **विज़न 2020-राइट टू साइट**।

7.5. मनरेगा का मूल्यांकन

(MGNREGS Assessment)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में आर्थिक विकास संस्थान, नई दिल्ली द्वारा मनरेगा और सतत आजीविका पर इसके प्रभाव का त्वरित मूल्यांकन किया गया।

मूल्यांकन के प्रमुख बिंदु :

- परिवारों की **आय** और कृषि **उत्पादकता** में वृद्धि हुई है।
- लघु और सीमांत किसानों के सार्वजनिक एवं निजी भूमि पर जल संरक्षण के कार्यों द्वारा **चारे की उपलब्धता** से भी परिवार लाभान्वित हुए हैं।

मनरेगा के बारे में

- मनरेगा एक भारतीय श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षोपाय है। इसका उद्देश्य ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों के साथ मिलकर 'काम करने के अधिकार (राइट टू वर्क)' की गारंटी प्रदान करना है।
- यह न्यूनतम वैधानिक मजदूरी पर सार्वजनिक कार्यों से संबंधित अकुशल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक किसी भी ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के रोजगार की कानूनी गारंटी प्रदान करता है।
- मनरेगा के तहत कार्यों को 10 व्यापक श्रेणियों में विभाजित किया गया है। जैसे वाटरशेड, सिंचाई और बाढ़ प्रबंधन से सम्बंधित कार्य, कृषि और पशुधन संबंधी कार्य, मत्स्य पालन और तटीय क्षेत्रों में कार्य तथा ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता संबंधी कार्य।

मनरेगा के अन्य सकारात्मक प्रभाव

- NCAER के एक अध्ययन के अनुसार, इस अधिनियम द्वारा 2004-05 से 2011-12 के मध्य निर्धनता में लगभग 32% की कमी हुई है। साथ ही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों में निर्धनता के स्तर में क्रमश: 38% और 28% की कमी आई है।
- मनरेगा ने ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों की सौदेबाजी की क्षमता में वृद्धि कर तथा उन्हें सुरक्षा प्रदान कर श्रमिक बाजार को अधिक सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
- इस कार्यक्रम ने ग्राम सभा को अपने कार्यो की योजना निर्माण के लिए अधिकार और इनके निष्पादन हेतु मुक्त (शर्त-रहित) निधि प्रदान कर, ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में कार्य किया है।
- इसके तहत निर्मित जल संबंधी परिसंपत्तियों या जल स्रोतों के परिणामस्वरूप सिंचाई हेतु जल की मात्रा और उपलब्धता, दोनों में वृद्धि हुई है।

मनरेगा को अधिक सशक्त बनाने हेतु हाल ही में किए गए प्रयास

- विगत 2 वर्षों में 2 करोड़ से अधिक परिसंपत्तियों की **जियो-टैंगिंग (बेहतर निगरानी हेतु)** की गयी है।
- लगभग 6.6 करोड़ श्रमिकों के पास **आधार** से जुड़े **बैंक खाते** हैं और 97% मजदूरी का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम (NeFMS) के माध्यम से किया जाता है।
- लेखापरीक्षा मानकों का निर्धारण कर तथा सामाजिक लेखापरीक्षा हेतु प्रमाणपत्र कार्यक्रमों को डिजाइन कर इसे जवाबदेह बनाया गया है। साथ ही सामाजिक लेखा परीक्षकों के रूप में SHG के महिला सदस्यों के चयन और 'प्रमाणित आंतरिक लेखा परीक्षकों (certified internal auditor) के संवर्ग बनाने के प्रयासों के माध्यम से इस कार्यक्रम की जवाबदेहिता में और अधिक सुधार किया गया है।

- योजनाओं के मध्य प्रभावी समन्वय के माध्यम से कई नवीन परिसंपत्तियों का निर्माण किया गया है। उदाहरण: शौचालय का निर्माण, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन, कम्पोस्ट पिट्स, सड़क के किनारे वृक्षारोपण आदि।

7.6. गंगा ग्राम परियोजना

(Ganga Gram Project)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में सरकार द्वारा गंगा ग्राम परियोजना आरम्भ की गई है।

पृष्ठभूमि

- अगस्त 2017 में, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में गंगा के किनारे अवस्थित सभी 4,470 गाँवों को खुले में शौच से मुक्त (ODF) घोषित किया गया था।
- इनमें से 24 गाँवों को दिसंबर 2018 तक आदर्श "गंगा ग्राम" के रूप में परिवर्तित करने हेतु चिह्नित किया गया है।
- गंगा ग्रामों में ODF लक्ष्य की प्राप्ति के पश्चात्, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन और अन्य एकीकृत गतिविधियों का क्रियान्वयन किया जाना शेष है।

नमामि गंगे योजना

- इसके तहत गंगा के किनारे अवस्थित 1600 से अधिक पंचायतों को खुले में शौच से मुक्त बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- यह गंगा की 'अविरल धारा' (निर्बाध प्रवाह) और 'निर्मल धारा' (स्वच्छ प्रवाह) पर केंद्रित है।
- यह प्रदूषण कम करने हेतु किये जाने वाले हस्तक्षेप पर केंद्रित है, जैसे-
  - जैव-उपचार (बायोरेमेडिएशन) के माध्यम से खुली नालियों से प्रवाहित होने वाले अपशिष्ट जल को रोकना, दिशा-परिवर्तन और उपचार
  - उचित इन-सीटू उपचार
  - उन्नत तकनीकों का प्रयोग
  - सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STPs)
  - एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट(ETPs)
- सीवेज आदि के प्रवाह को रोकने के लिए नदी के मुहाने पर स्थित स्थानों पर प्रदूषण के अवरोध (रोकने) हेतु तत्काल अल्पावधिक उपाय तथा मौजूदा STPs का पुनरुद्धार और संवर्द्धन

परियोजना के मुख्य बिंदु

- ग्रामीणों की सक्रिय भागीदारी के साथ गांवों के स्वच्छता आधारित एकीकृत विकास हेतु नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत इसका शुभारंभ किया गया है।
- परियोजना में ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन, तालाबों और जल संसाधनों का नवीकरण, जल संरक्षण परियोजनाओं, जैविक कृषि, बागवानी और औषधीय पौधों को बढ़ावा देना शामिल है।
- इसके कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय है।
- **गंगा स्वच्छता मंच:** इसका गठन जागरूकता के निर्माण, जानकारी को साझा करने, शिक्षा के प्रसार और गंगा ग्राम परियोजना के समर्थन हेतु किया गया है।

7.7. अंतर्जातीय विवाह के लिए योजना

(Scheme for Inter-Caste Marriages)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में सरकार द्वारा 'अंतर्जातीय विवाह के माध्यम से सामाजिक एकीकरण के लिए डॉ अम्बेडकर योजना' के तहत आय की अधिकतम सीमा के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- NCAER की रिपोर्ट (2016) के अनुसार 95% भारतीय अपनी ही जाति में विवाह करते हैं।
- इस योजना का प्रारंभ सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा उन नव-विवाहित दम्पतियों को प्रारंभिक अवस्था में आर्थिक समर्थन देने के लिए किया गया था जिन्होंने अंतर्जातीय विवाह करने का साहसपूर्ण कदम उठाया है।
- इस योजना की शुरुआत केंद्र द्वारा 2013 में, प्रति वर्ष अंतर्जातीय विवाह करने वाले कम से कम 500 दम्पतियों को 2.5 लाख रूपये की एकमुश्त प्रोत्साहन राशि प्रदान करने हेतु की गयी थी।
- ओडिशा, हरियाणा आदि जैसे कुछ राज्यों द्वारा पहले से ही अंतरजातीय विवाह के लिए समान प्रोत्साहन योजना अपनाई गयी है।

- इस योजना में इस बात का भी अनिवार्य प्रावधान है कि गलत सूचना देना कानूनी रूप से दंडनीय होगा।
- इस योजना का उद्देश्य "जातियों एवं उप-जातियों के पारंपरिक आधार" पर विवाह की हिंदू प्रथा का विरोध करना है। यह देश में जातिगत ढाँचे की समाप्ति की दिशा में उठाया गया प्रथम कदम है।
- अनेक कारणों से,अब तक प्रतिवर्ष 500 दम्पतियों का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका हैं, जैसे-
    - लोगों में जागरूकता का अभाव और अधिकांश प्रस्ताव आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एवं महाराष्ट्र जैसे कुछ राज्यों द्वारा ही किया जाना।
    - जिला कलेक्टर द्वारा प्रस्ताव की सिफारिश किए जाने की आवश्यकता।
    - यह योजना केवल हिंदू विवाह अधिनियम के तहत पंजीकृत विवाहों को प्रोत्साहित करती है। यह विशेष विवाह अधिनियम के तहत किए जाने वाले पंजीकरण से संबंधित नहीं है।

7.8. अल्पसंख्यक टैग

(Minority Tag)

सुर्ख़ियों में क्यों?

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (NCM) के अंतर्गत एक समिति का गठन किया गया। इसका उद्देश्य जिन क्षेत्रों में हिन्दू प्रमुख धार्मिक समूह नहीं हैं, वहाँ उन्हें अल्पसंख्यक का दर्जा दिए जाने के सम्बन्ध में जाँच करना था।

पक्ष में तर्क

- इसके पक्ष में प्रमुख तर्क यह दिया जाता है कि लक्षद्वीप (96.20% मुस्लिम) और जम्मू-कश्मीर (68.30% मुस्लिम) में मुस्लिम आबादी बहुसंख्यक है तथा मिजोरम, मेघालय और नागालैंड में ईसाई बहुसंख्यक हैं, फिर भी उन्हें अल्पसंख्यक दर्ज़ा प्रदान किया गया है।
- 2011 की जनगणना के अनुसार, आठ राज्यों में हिंदू समुदाय अल्पसंख्यक हैं। ये राज्य हैं: जम्मू -कश्मीर, लक्षद्वीप, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और पंजाब।
- परन्तु केन्द्र तथा राज्य सरकारों, दोनों के ही द्वारा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम की धारा 2(c) के तहत हिंदुओं को 'अल्पसंख्यक' के रूप में अधिसूचित नहीं किया गया है। अतः हिंदू इन क्षेत्रों में अल्पसंख्यकों को प्राप्त होने वाले मूल अधिकारों से वंचित हैं।

भारत में अल्पसंख्यकों के लिए किए गए रक्षोपाय

- वर्तमान में भारत में 6 अल्पसंख्यक समुदाय हैं; मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन।
- संविधान में अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया और न ही इस अवधारणा के भौगोलिक एवं संख्यात्मक निर्देश संबंधी विवरण प्रदान किए गए हैं। हालांकि, यह अल्पसंख्यकों और 'धर्म या भाषा पर आधारित अल्पसंख्यक वर्ग की व्याख्या करता है तथा उन्हें कुछ विशेष अधिकार प्रदान करता है। जैसे कि:
    - **अनुच्छेद 29 (1):** 'नागरिकों के किसी भी अनुभाग' को अपनी 'विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति' के संरक्षण का अधिकार।
    - **अनुच्छेद 29 (2):** राज्य द्वारा पोषित या राज्य-निधि से सहायता प्राप्त किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूलवंश,जाति या भाषा के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा।
    - **अनुच्छेद 30 (1):** सभी धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार।
    - **अनुच्छेद 30 (2):** राज्य द्वारा सहायता देने में अल्पसंख्यकों द्वारा प्रबंधित शैक्षणिक संस्थानों से भेदभाव से नहीं किया जाएगा।
    - **अनुच्छेद 347:** किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबन्ध।
    - **अनुच्छेद 350 A:** प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएँ उपलब्ध कराना।
    - **अनुच्छेद 350 B:** भाषाई अल्पसंख्यक-वर्गों के लिए विशेष अधिकारी एवं उसके कर्तव्य।

निष्कर्ष

- समग्रतः हिन्दुओं को अल्पसंख्यकों में शामिल किये जाने के पक्ष में यह तर्क दिया जाता है कि उन क्षेत्रों में हिंदुओं के अधिकारों की रक्षा करना आवश्यक है,जहाँ वे अल्पसंख्यक हैं। जबकि वहीं इसके विरोध में यह तर्क दिया जाता है कि किसी राज्य में धार्मिक विशिष्टता के आधार पर किसी विशेष समुदाय की जनसंख्या का संख्यात्मक अनुपात उन्हें स्वतः ही अल्पसंख्यक अधिकार प्रदान किये जाने का आधार नहीं है।
- सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने हेतु एक मध्यम मार्ग अपनाए जाने की आवश्यकता है कि किसी क्षेत्र विशेष में किसी भी समुदाय, जाति, धार्मिक या भाषाई समुदाय का उनकी कम संख्या के आधार पर शोषण न हो सके।

7.9. गेमिंग डिसऑर्डर

(Gaming Disorder)

सुर्खियों में क्यों?

WHO ने अपने 11वें **इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ़ डिजीज (ICD)** के तहत अत्यधिक गेमिंग (मोबाईल या किसी अन्य उपकरण पर गेम खेलने) को एक मानसिक विकार के रूप में वर्गीकृत किया है।

इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ़ डिजीज (ICD)

- **WHO की डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल (DSM)** मृत्यु दर और रोगों की संख्या (mortality and morbidity) के लिए वैश्विक स्वास्थ्य सूचना मानक है।
- इसका उपयोग रोगों और अध्ययन पैटर्नों को परिभाषित करने, स्वास्थ्य देखभाल के प्रबंधन, परिणामों की निगरानी तथा संसाधनों के आवंटन हेतु नैदानिक देखभाल एवं अनुसंधान में किया जाता है।
- 1893 में मृत्यु के कारणों की पहली अंतरराष्ट्रीय सूची जारी की गई थी। इसके पश्चात् ,1948 में WHO के गठन के बाद से ICD प्रकाशित किया जा रहा है।
- ICD-10 मई 1990 में प्रकाशित हुआ था। ICD11का प्रकाशन 2018 में किया जाएगा।

गेमिंग डिसऑर्डर के सन्दर्भ में

- ड्राफ्ट के अनुसार, गेमिंग डिसऑर्डर से आशय नियमित या आवर्ती गेमिंग व्यवहार के पैटर्न से है जो ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों हो सकता है।
- ICD -11 में केवल नैदानिक विवरण को शामिल किया गया है, रोकथाम तथा उपचार को नहीं।
- नियमित गेमिंग के प्रभाव -
  - व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, शैक्षिक, व्यावसायिक आदि महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कार्यशीलता संबंधी क्षति।
  - इंडियन जर्नल ऑफ साइकोलॉजिकल मेडिसिन द्वारा 2016 में प्रकाशित एक अध्ययन में पाया गया है कि नियमित गेम खेलने वालों में आक्रामकता की अभिव्यक्ति तथा कलाई एवं गर्दन में दर्द की समस्या में वृद्धि हुई है।
  - स्लीपिंग डिसऑर्डर और व्यवहारगत परिवर्तन सहित अवसाद, व्यग्रता (**anxiety)** तथा सोमैटीजेशन (somatization) अर्थात शारीरिक समस्याओं की प्रस्तुति के द्वारा मनोवैज्ञानिक संकट की अभिव्यक्ति; जैसी समस्यायें देखने को मिली हैं।
- ब्लू व्हेल और अन्य खतरनाक खेलों के दुष्प्रभावों व इससे सम्बंधित दुर्घटनाओं के आलोक में WHO का यह वर्गीकरण एक स्वागत योग्य कदम है।

7.10 उत्कृष्ट इंपैक्ट बॉन्ड

(Utkrisht Impact Bond)

सुर्ख़ियों में क्यों

यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (USAID) द्वारा हैदराबाद में आयोजित 'वैश्विक उद्यमिता शिखर सम्मेलन (Global Entrepreneurship Summit: GES)' में राजस्थान डेवलपमेंट इंपैक्ट बॉन्ड (उत्कर्ष प्रभाव बांड) का आरंभ किया गया।

- **नवजात शिशु मृत्यु दर (Neonatal mortality)** के तहत जन्म के पहले 28 दिनों में हुई नवजात शिशुओं की मृत्यु को शामिल किया जाता है।
- **शिशु मृत्यु दर (Infant Mortality Rate)** प्रति 1000 जीवित जन्मे शिशुओं में से एक वर्ष या इससे कम आयु के शिशुओं की मृत्यु को प्रदर्शित करती है। (2016 में यह दर प्रति 1000 जीवित जन्म पर 34 रही)।
- **बाल मृत्यु दर (Child mortality)**, प्रत्येक 1000 जीवित बच्चों में से 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु को प्रदर्शित करती है (2015-16 में यह दर प्रति 1000 जीवित बच्चों पर 50 रही)।
- **मातृ मृत्यु दर (Maternal mortality Rate)** से आशय, एक वर्ष में 100,000 जीवित जन्मों पर गर्भावस्था और प्रसव से संबंधी समस्याओं के परिणामस्वरूप मरने वाली महिलाओं की संख्या से है (वर्ष 2015 में यह दर प्रति 100,000 जीवित जन्म पर 174 रही)।

VISION IAS

बॉन्ड से सम्बंधित तथ्य

- इसे, निजी स्वास्थ्य सुविधाओं की गुणवत्ता में सुधार करने और सरकार के गुणवत्ता मानकों के पालन द्वारा राजस्थान में मातृ एवं नवजात मृत्यु दर को कम करने के लिए प्रारंभ किया गया है।
- यह स्वास्थ्य सेवा से सम्बंधित **विश्व का प्रथम डेवलपमेंट इंपैक्ट बॉन्ड (DIB)** है। इसे सार्वजनिक-निजी साझेदारी के तहत प्रारम्भ किया गया है तथा यह 440 छोटे हेल्थकेयर संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगा।
- **लक्ष्य:** प्रसव के दौरान बेहतर देखभाल सुविधाओं के साथ 600,000 गर्भवती महिलाओं को सेवा प्रदान करना और आगामी पाँच वर्षों तक 10,000 महिलाओं और नवजात शिशुओं के जीवन को सुरक्षा प्रदान करना।

डेवलपमेंट इम्पैक्ट बॉन्ड (DIB)

ये परिणाम आधारित बॉन्ड हैं जिनके तहत यदि सेवा प्रदाता पूर्व-निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं तो प्रदाता द्वारा निजी निवेशकों को ब्याज सहित उनका निवेश वापस कर दिया जाता है।

8. संस्कृति

(CULTURE)

8.1.कुंभ मेला

(Kumbh Mela)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में यूनेस्को ने कुम्भ मेले को **'मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर'** की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया है।

यूनेस्को (UNESCO) की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में भारत की प्रविष्टियां

- योग
- ठठेरों की ताम्र और पीतल के बर्तन बनाने की पारंपरिक शिल्प
- संकीर्तन
- लद्दाख में बौद्ध भिक्षुओं का मंत्रोच्चारण
- छऊ नृत्य
- कालबेलिया नृत्य
- कुटियट्टम
- संस्कृत रंगमंच
- वैदिक मंत्रोच्चारण की परम्परा
- रामलीला
- नवरोज़
- रम्माण
- मुडियेट्टु

कुम्भ मेला

- कुम्भ मेला (पवित्र कलश का त्योहार) विश्व में श्रद्धालुओं का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण समागम है। यह पवित्र नदियों में उपासना एवं स्वच्छता से संबंधित अनुष्ठानों के समन्वय का प्रतिनिधित्व करता है।
- यह हिन्दुओं का प्रमुख त्योहार है जिसे प्रत्येक बारह वर्षों के अन्तराल पर पौष माह (22 दिसंबर- 20 जनवरी) की पूर्णिमा के समय मनाया जाता है। इसमें पवित्र नदी में स्नान करने के साथ -साथ विभिन्न अनुष्ठानों का आयोजन किया जाता है।
- प्रत्येक चार वर्षों में चक्रीय आधार पर इसका आयोजन निम्न स्थलों पर किया जाता है:
  - **हरिद्वार** (गंगा नदी के तट पर),
  - **इलाहाबाद** (गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर),
  - **नासिक** (गोदावरी नदी के तट पर),
  - **उज्जैन** (क्षिप्रा नदी के तट पर)
- 'कुंभ मेले' से संबंधित ज्ञान साधु एवं संतों द्वारा गुरु-शिष्य परंपरा के माध्यम से प्रसारित हुआ है।
- इतिहास में 'कुम्भ मेले' के विषय में विवरण **ह्वेन सांग** की रचनाओं में मिलता है। ह्वेन सांग सातवीं सदी में हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। आठवीं सदी में **शंकराचार्य** के द्वारा भी इस त्योहार को सर्वसाधारण के मध्य प्रचलित किया गया था।

यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहरों की सूची:

- इस सूची को अमूर्त धरोहर को प्रोत्साहन देने और उनके महत्व के सम्बंध में जागरूकता के प्रसार के लिए तैयार किया गया है। इसका निर्माण **कन्वेंशन फॉर सेफगार्डिंग दि इनटैन्जिबल कल्चरल हेरिटेज** के प्रभाव में आने के पश्चात किया गया था।
- **अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर का अर्थ**- प्रथाएँ, अभिव्यक्तियाँ, वर्णन, ज्ञान व कौशल के साथ-साथ इनसे संबंधित उपकरण, वस्तुएँ, प्राचीन कलाकृतियाँ और सांस्कृतिक स्थल; जिन्हें समुदायों, समूहों और कुछ मामलों में, व्यक्ति-विशेष द्वारा अपनी सांस्कृतिक धरोहर के एक भाग के रूप में महत्व दिया जाता है, अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर कहलाती हैं।
- **अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के लिए गठित अंतर-सरकारी समिति**, सदस्य देशों द्वारा प्रस्तावित नामांकनों का मूल्यांकन करती है। इसके बाद इस सूची को प्रत्येक वर्ष प्रकाशित किया जाता है।
- यूनेस्को दो पृथक सूचियाँ प्रकाशित करती है:
  - **मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सूची** - इसमें उन अमूर्त धरोहरों को शामिल किया जाता है, जो सांस्कृतिक विविधता का प्रतिनिधित्व करती हैं।
  - **ऐसी अमूर्त सांस्कृतिक धरोहरों की सूची जिन्हें तत्काल संरक्षण की आवश्यकता है-** इसमें उन अमूर्त धरोहरों को शामिल किया जाता है, जिन्हें संरक्षण के लिए तत्काल उपाय किए जाने की आवश्यकता है। यह अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करने में भी सहायता करती है।

VISION IAS

यह **'रजिस्टर ऑफ़ गुड सेफगार्डिंग प्रैक्टिसेज' (Register of Good safeguarding practices)** का प्रकाशन भी करता है। इस रजिस्टर में वे कार्यक्रम, परियोजनाएँ और गतिविधियाँ सम्मिलित होती हैं जो कन्वेंशन के सिद्धांतों को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करती हैं।

8.2 हॉर्नबिल त्योहार

(Hornbill Festival)

सुर्खियों में क्यों?

- हाल ही में, **नागालैंड** में दिसंबर माह के आरंभ में **हॉर्नबिल त्योहार** मनाया गया।

भारत में हॉर्नबिल

भारत में हॉर्नबिल की नौ विभिन्न प्रजातियाँ निम्न स्थलों पर पायी जाती हैं:

- पश्चिमी घाट (महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल),
- उत्तराखंड में हिमालय की तलहटी,
- पूर्वोत्तर भारत,
- अंडमान और निकोबार द्वीप के उत्तरी सिरे पर नारकोंडम द्वीप (नारकोंडम हॉर्नबिल),
- मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल।

त्योहार के विषय में

- यह त्योहार नागालैंड के श्रद्धेय पक्षी हॉर्नबिल के नाम पर मनाया जाता है। यह त्योहार नागालैंड की स्थानीय जनजातियों का उत्सव माना जाता है।
- इसे नागालैंड के राज्य पर्यटन और कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित किया जाता है।
- इस त्योहार को प्रथम बार सन 2000 में मनाया गया था। इसके बाद से यह प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है।
- यह पारंपरिक संगीत, नृत्य और खेल के माध्यम से नागा संस्कृति का एक सशक्त प्रस्तुतिकरण है।
- हॉर्नबिल त्योहार को नागालैंड के राज्य दिवस के साथ मनाया जाता है।

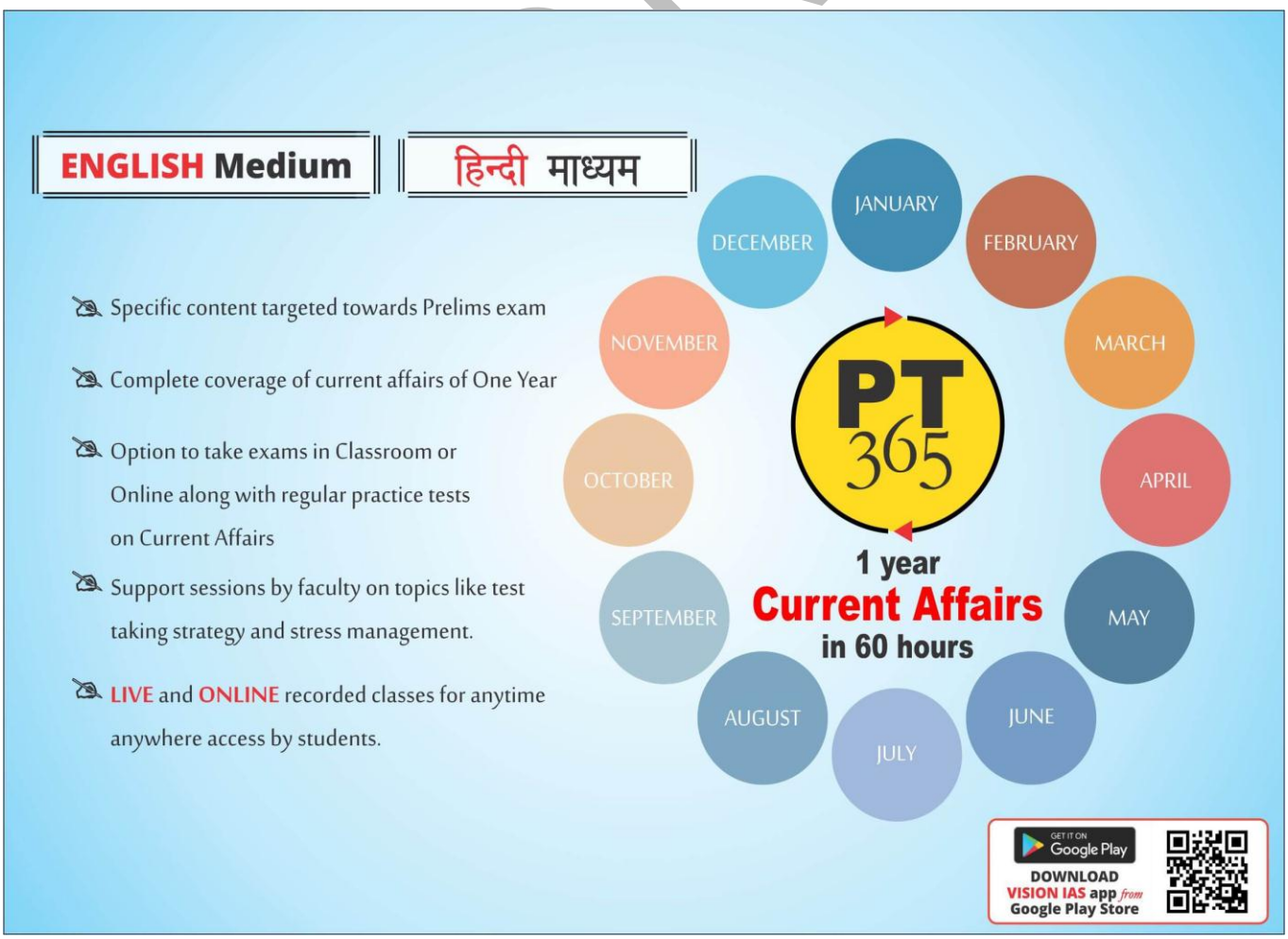

9. नीतिशास्त्र

(ETHICS)

9.1. हितों का टकराव

(Conflict of Interest)

विश्व स्तर पर सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में हितों का टकराव सार्वजनिक चिंता का एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा बन गया है। 'हितों के टकराव' से आशय है, जब किसी व्यक्ति के निजी विचारों में पेशेवर गतिविधियों जैसे अनुसंधान, प्रशासन, परामर्श आदि में पेशेवर निर्णयों को प्रभावित करने की क्षमता होती है। यह अनेक नैतिक मुद्दों को इंगित करता है, जैसे:

- **पेशेवर नैतिकता को कमज़ोर करना (Undermining Professional ethics) -** पेशे की गरिमा एवं स्वायत्तता को बनाए रखना तथा पेशे के स्व-निर्धारित मानकों को उचित रूप से स्वीकार करना और उनका अनुकरण करना पेशेवरों का उत्तरदायित्व होता है। हितों के टकराव की स्थिति में पेशेवर अपने इस उत्तरदायित्व को पूर्ण करने में असमर्थ हो सकते हैं।
- **संगठन के सिद्धांतों को कमज़ोर करना (Undermining organization's principles) -** गोपनीयता तथा अपने कर्तव्यों के निर्वहन के माध्यम से पेशे में ग्राहकों के विश्वास को सुरक्षित एवं संरक्षित करना किसी संगठन के लिए महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। हितों के टकराव की स्थिति में ये सिद्धांत कमजोर हो सकते हैं।
- **सत्यनिष्ठा पर संदेह (Questionable integrity) -** किसी भी संभावित हितों के टकराव का प्रकटीकरण न होने की स्थिति में व्यक्तिगत प्राथमिकताएँ संस्था में निर्णय लेने की प्रक्रिया को अनुचित रूप से प्रभावित कर सकती हैं। इससे व्यक्तिगत प्रतिष्ठा और विश्वसनीयता पर भी प्रभाव पड़ता है।
- **पूर्वाग्रह (Biasness) -** हितों के टकराव की स्थिति में व्यवहार पर प्रभाव डालने वाले बाह्य कारकों के कारण व्यक्ति किसी विशिष्ट परिस्थिति में अपना एक स्वतंत्र मत प्रस्तुत करने में असमर्थ हो सकता है।
- **विश्वसनीयता की कमी (Less reliability) -** हितों का टकराव वस्तुनिष्ठता को कमजोर कर सकता है तथा किसी मामले में प्रस्तुत की जाने वाली व्याख्या एवं तर्क को विकृत कर सकता है। इस प्रकार यह किसी व्यक्ति के कर्तव्यों के निष्पादन को प्रभावित करता है।
- **भ्रष्टाचार -** वित्तीय हित, हितों के टकराव के सबसे प्रचलित रूपों में से एक है। इस प्रकार, धन का गबन करने के लिए प्रायः शक्ति का दुरुपयोग किया जाता है।

लेकिन कभी-कभी, कुछ हितों के टकराव के सकारात्मक परिणाम भी प्राप्त हो सकते हैं; जैसे- ह्विसल्ब्लोअर के मामले में। ह्विसल्ब्लोअर को गोपनीयता और नियोक्ता के प्रति निष्ठा बनाम एक गंभीर नुकसान या खतरे के प्रति लोगों को सजग करने के कर्तव्य को लेकर हितों के टकराव का सामना करना पड़ता है।

हितों का टकराव, सामान्यत:, अनिवार्य रूप से गलत कार्य की तरफ ही संकेत नहीं करता है। हालांकि, यदि हितों के टकराव की उचित पहचान और प्रबंधन नहीं किया जाता, तो इसकी उपस्थिति के कारण लोगों के कार्य और संगठन की सत्यनिष्ठा से समझौता करना पड़ सकता है। इन कारणों से, जहाँ तक संभव हो, हितों के टकराव की स्थितियों से बचना चाहिए। जहां इन्हें टालना संभव न हो, वहाँ इनको एक पारदर्शी और सहयोगात्मक तरीके से प्रबंधित किया जाना चाहिए। इस संबंध में, **OECD** ने हितों के टकराव के प्रबंधन हेतु कुछ सिद्धांत दिए हैं:

- **जन हित में कार्य करना (Serving the public interest):** धार्मिक, पेशेवर, पार्टी-राजनीतिक, नृजातीय, परिवार या अन्य व्यक्तिगत प्राथमिकताओं के प्रति किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह के बिना आधिकारिक निर्णय-प्रक्रिया के प्रति सत्यनिष्ठा।
- **पारदर्शिता और जाँच को बढ़ावा देना:** सार्वजनिक संगठनों को अपने कार्य व व्यवहार में संगतता सुनिश्चित करनी चाहिए और उपयुक्त पारदर्शिता एवं सार्वजनिक जाँच या समीक्षा को बढ़ावा देना चाहिए।
- **व्यक्तिगत उत्तरदायित्व और व्यक्तिगत उदाहरणों को बढ़ावा देना:** सार्वजनिक अधिकारियों और सार्वजनिक संगठनों से अपेक्षा की जाती है कि वे हितों के टकराव के संबंध प्रभावी नीति और अपने व्यवहार के माध्यम से सत्यनिष्ठा और पेशेवर दृष्टिकोण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करें।
- **एक ऐसी संगठनात्मक संस्कृति को प्रोत्साहित करना जो हितों के टकराव के प्रति असहिष्णु हो या उन्हें स्वीकार न करे।**

9.2. निजता से संबंधित नैतिकता

(Ethics of Privacy)

भारत में न्यायालय के निर्णय के बाद निजता का अधिकार, मौलिक अधिकार के रूप में उभरा है जिसने निजता की अवधारणा को समझना आवश्यक बना दिया है। राज्य द्वारा किए जा रहे सत्ता के दुरुपयोग की जाँच किए जाने की आवश्यकता है, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में बड़े पैमाने पर की जाने वाली जासूसी। निजता को सामान्यत: अकेले छोड़ देने के अधिकार या किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप से स्वतंत्रता के रूप में देखा जाता है। यह व्यक्तियों के साथ-साथ संगठनों पर भी लागू है। इसमें एक-दूसरे के अधिकार क्षेत्र का सम्मान करना और किसी दूसरे व्यक्ति की प्रतिष्ठा की रक्षा करना सम्मिलित है। निजता से संबंधित नैतिकता में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **गोपनीयता (Confidentiality) -** किसी व्यक्ति या संगठन के गोपनीयता के नैतिक कर्त्तव्य का अर्थ है कि वह व्यक्ति या संगठन उसे सौंपी गई सूचनाओं की किसी अनधिकृत पहुँच, उपयोग या प्रकटीकरण से सुरक्षा करे।

VISION IAS

- **गुप्त रखना (Secrecy):** ऐसी व्यक्तिगत सूचनाओं को गुप्त रखने का अधिकार जिनका अन्य लोगों द्वारा उन्हें क्षति पहुँचाने के लिए उपयोग किया जा सकता है, जैसे भयमुक्त मतदान करवाने हेतु गुप्त मतदान की आवश्यकता होती है।
- **वैयक्तिकता और स्वायत्तता (Personhood and autonomy):** इसका आशय है, आत्म-निर्णय के संबंध में व्यक्ति का नैतिक अधिकार। जैसे - किसी व्यक्ति का यौन अभिविन्यास (sexual orientation) उसका अपना व्यक्तिगत मामला है।
- **सहमति (Consent) -** एक व्यक्ति के पास व्यक्तिगत सूचनाओं पर नियंत्रण रखने का अधिकार है और स्वयं के शरीर, संपत्ति के साथ-साथ अपनी पसंद पर भी पूर्ण स्वायत्तता है।
- **संवेदनशीलता (Sensitivity) -** विभिन्न प्रकार के व्यक्तिगत डेटा या सूचनाओं का प्रबंधन करना आवश्यक होता है, जैसे आधार के माध्यम से साझा किए गए डेटा को स्वास्थ्य सर्वेक्षण हेतु एकत्र किए गए डेटा की तुलना में अधिक संवेदनशीलता के साथ सुरक्षित रखना होता है।
- **विश्वास (Trust) -** इसमें व्यक्तिगत या पेशेवर हैसियत से किसी व्यक्ति के पास उपलब्ध किसी अन्य व्यक्ति से संबंधित सूचनाओं के लिए जवाबदेह होना शामिल है, जैसे - ग्राहकों की सूचनाओं की सुरक्षा।
- **एकांतता (Solitude) -** किसी व्यक्ति के दायरे (स्पेस) और व्यक्ति की एकांतता के अधिकार का सम्मान करना।
- **गरिमा एवं स्वतंत्रता (Dignity & Freedom) -** निजता किसी व्यक्ति के जीवन एवं स्वतंत्रता में अन्तर्निहित है। यह मानवीय गरिमा के लिए मूलभूत तत्व है।

हालांकि, बड़ी मात्रा में आंकड़ों के संग्रह से सभी को लाभ हो सकता है, जैसे- नैदानिक परीक्षणों से संबंधित आंकड़ों को एकत्र करने से एक दवा की प्रभावकारिता को निर्धारित करने में सहायता प्राप्त होती है। इसी प्रकार नागरिकों से संबंधित आंकड़ों को एकत्रित करके सरकार समाज में अराजक तत्वों पर नजर रख सकती है।

आधुनिक समय में, इंटरनेट प्रौद्योगिकी विशेषकर सोशल मीडिया, निजता की अवधारणा को बदल रही है। निजता के मूल्यों में परिवर्तन हो रहा है। निजता के मानदंड सार्वजनिक क्षेत्र में अधिक खुलेपन की ओर बढ़ रहे हैं। लोग स्वेच्छा से *पब्लिक डोमेन* में अपने विभिन्न मामलों, पसंद, नापसंद आदि को प्रकट कर रहे हैं। इस प्रकार का सूचनाओं का अत्यधिक प्रकटीकरण समाज के विभिन्न वर्गों में एक मानक बनता जा रहा है। प्राइवेट स्पेस के संबंध में अलग-अलग व्यक्तियों के इन अलग-अलग मूल्यों ने निजता से संबंधित नैतिकता को एक जटिल मुद्दा बना दिया है।

10. विविध

(MISCELLANEOUS)

10.1. दर्पण परियोजना

(Darpan Project)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

केंद्रीय संचार मंत्रालय द्वारा दर्पण परियोजना (**DARPAN : DIGITAL ADVANCEMENT OF RURAL POST OFFICE FOR A NEW INDIA**) को आरम्भ किया गया है।

विवरण

- दर्पण एक सूचना प्रौद्योगिकी (IT) आधुनिकीकरण परियोजना है। यह खाता धारकों को कोर बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करती है।
- यह परियोजना प्रत्येक शाखा पोस्टमास्टर (BPM) को कम उर्जा खपत वाला प्रौद्योगिकी समाधान उपलब्ध कराने का उद्देश्य रखती है। इससे लगभग 1.29 लाख शाखा डाकघरों (BOs) में प्रत्येक के सेवा वितरण में सुधार होगा।
- इस परियोजना से ग्रामीण आबादी तक डाक विभाग की पहुँच बढ़ेगी। यह BOs को सभी वित्तीय प्रेषणों, बचत खातों, ग्रामीण डाक जीवन बीमा और नकद प्रमाण पत्रों के संचालन में वृद्धि करने में सक्षम बनाएगी। साथ ही इससे स्वचालित बुकिंग की अनुमति तथा खाता योग्य सामग्री की डिलिवरी से मेल संचालनों में सुधार होगा।
- यह रिटेल पोस्ट व्यवसाय का उपयोग करके राजस्व में वृद्धि को प्रोत्साहित करेगी, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन उपलब्ध कराएगी तथा इससे मनरेगा जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए वितरण सहज होगा।
- अभी तक 1.29 लाख शाखा डाकघरों (BOs) में से 43,171 शाखा डाकघरों को" DARPAN" के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है।

10.2 किम्बर्ली प्रक्रिया प्रमाणन योजना

(Kimberly Process Certification Scheme)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में, ब्रिस्बेन (ऑस्ट्रेलिया) में **किम्बर्ली प्रक्रिया प्रमाणन योजना (*किम्बर्ली प्रोसेस सर्टिफिकेशन स्कीम)*** का समग्र आयोजन किया गया। इसमे समीक्षा और सुधार पर एक तदर्थ समिति गठित करने का संकल्प लिया गया ।

किम्बर्ली प्रोसेस सर्टिफिकेशन स्कीम (KPCS)

- यह सरकार, अंतर्राष्ट्रीय डायमंड इंडस्ट्री और सिविल सोसायटी की संयुक्त पहल है, जो *कॉन्फ्लिक्ट डायमंड्स* (संघर्षों का वित्तपोषण करने और स्थापित सरकार को अपदस्थ करने के लिए इस्तेमाल किये जाने वाले अपरिष्कृत हीरे) के प्रसार को रोकती है।
- यह संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2000 में अपरिष्कृत हीरों के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणन योजना बनाने का ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किये जाने के बाद 2003 में प्रारम्भ हुई थी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों में भी इसका उल्लेख मिलता है।
- भारत KPCS का एक संस्थापक सदस्य है। वर्तमान में, KPCS में 81 देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले 54 सदस्य हैं। इसमे 28 सदस्यीय यूरोपीय संघ भी सम्मिलित है।
- KPCS, सदस्य देशों को अपरिष्कृत हीरे के किसी शिपमेंट को '*कॉन्फ्लिक्ट -फ्री*' के रूप में प्रमाणित करने के लिए सक्षम बनाती है। इस प्रकार यह वैध व्यापार में *कॉन्फ्लिक्ट डायमंड* के प्रवेश को रोकती है।
- KPCS के नियमों के अनुसार, सदस्य देशों को 'न्यूनतम आवश्यकताओं' को पूरा करना होगा तथा राष्ट्रीय कानूनों; संस्थानों; निर्यात, आयात और आंतरिक नियंत्रण की स्थापना करनी होगी। साथ ही साथ उनके द्वारा पारदर्शिता के लिए प्रतिबद्ध होना और सांख्यिकीय आँकड़ों का आदान-प्रदान करना भी वांछनीय होगा।

अन्य महत्वपूर्ण तथ्य

- समीक्षा और सुधार संबंधी तदर्थ समिति (**भारत को अध्यक्ष तथा अंगोला को उपाध्यक्ष बनाया गया है**) की स्थापना KPCS के मुख्य दस्तावेजों की समीक्षा करने के लिए की गयी है ताकि प्रशासनिक और वित्तीय, दोनों तरह के कार्यों को बेहतर बनाया जा सके।
- भारत को दुबई में आयोजित पिछली प्लेनरी (बैठक) में 2018 के लिए किम्बर्ली प्रक्रिया (KP) का उपाध्यक्ष और 2019 के लिए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त भी किया गया है।
- KPCS के मिशन को जारी रखने तथा अपरिष्कृत हीरों के व्यापार को विनियमित करने की वचनबद्धता को पूरा करने के संबंध में बढ़ती चिंताओं के कारण KPCS में सुधार की आवश्यकता बढ़ गयी है।

VISION IAS

- समिति, कोर दस्तावेज़ में परिवर्तन करने, प्रमाणीकरण प्रक्रिया में सुधार करने और KPCS को मजबूत बनाने के लिए 2018 से अपनी समीक्षा प्रारंभ करेगी।

10.3 इको-निवास पोर्टल

(ECO-NIWAS Portal)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

हाल ही में, सरकार ने ECO-NIWAS ***(एनर्जी कंज़र्वेशन- न्यू इंडियन वे फॉर अफोर्डेबल एंड सस्टेनेबल होम्स)*** पोर्टल लॉन्च किया है।

महत्वपूर्ण तथ्य

- **उद्देश्य:** देश में संधारणीय इमारतों और ऊर्जा दक्ष आवासों के बारे में जागरूकता को बढ़ाना।
- इस पोर्टल को ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा विकसित किया गया है।

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE)

- यह ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत एक सांविधिक निकाय है, जिसका प्राथमिक उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था की ऊर्जा गहनता को कम करना है।
- इसने ऊर्जा प्रदर्शन सूचकांक (EPI) का विकास किया है। साथ ही यह इमारतों को 1 से 5 स्टार के स्केल पर रेटिंग प्रदान करता है।

भारत में *ग्रीन बिल्डिंग इनिशिएटिव*

- **ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता:** इसका उद्देश्य रहने वाले लोगों के लिए आराम का स्तर उपलब्ध कराने के साथ ही ऊर्जा की बचत करना है। यह व्यावसायिक इमारतों में ऊर्जा तटस्थता प्राप्त करने के लिए *लाइफ-साइकल कॉस्ट इफेक्टिवनेस* को वरीयता देता है।
- **GRIHA (*ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटैट असेसमेंट*):** यह किसी भवन की संसाधन खपत, अपशिष्ट उत्पादन और उसके पारिस्थितिक प्रभाव को कम करके राष्ट्रीय स्तर के कुछ स्वीकार्य बेंचमार्कों के भीतर रखने का प्रयास करता है।
- ***लीडरशिप इन एनर्जी एंड एन्वायरमेंटल डिज़ाइन* (LEED-INDIA):** यह इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की एक ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग प्रणाली है।

10.4. MSME के लिए सार्वजनिक खरीद पोर्टल

(Public Procurement Portal for MSME)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

- हाल ही में, सरकार द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) के लिए एक सार्वजनिक खरीद पोर्टल '**MSME SAMBANDH**' प्रारंभ किया गया है।

MSME के बारे में

- वस्तु और सेवाओं दोनों के लिए, संयंत्र और मशीनरी में निवेश (भूमि और भवन लागत को छोड़कर) के आधार पर MSMED अधिनियम, 2006 के अंतर्गत परिभाषित किये गये हैं।
- **महत्व**
  - यह क्षेत्र कृषि क्षेत्र के लिए रोजगार के अधिक अवसर पैदा करता है तथा उद्योग में 80% नौकरियाँ MSMEs द्वारा केवल 20% निवेश के माध्यम से उपलब्ध करा दी जाती हैं।
  - इसका देश के सकल घरेलू उत्पाद(GDP) में 31% योगदान है और समग्र निर्यात तथा विनिर्माण उत्पादन (2017 रिपोर्ट) में क्रमशः 45% और 34% की सहभागिता है।
- **चुनौतियाँ:** विस्तार का अभाव अर्थात् ये केवल ग्रामीण क्षेत्रों तक सीमित हैं, वित्त की कमी तथा शोध, विपणन, कच्चे माल आदि के संदर्भ में कम गुणवत्ता संबंधी मुद्दे।
- **सुझाव:** MSME के वर्गीकरण में परिवर्तन, एकीकृत सामाजिक सुरक्षा कानून का निर्माण, MSMEs के अनुषंगीकरण (**ancillarisation**) को बढ़ावा देना तथा भूमि बैंक का निर्माण आदि।

VISION IAS

अन्य महत्वपूर्ण तथ्य

- पोर्टल का उद्देश्य केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा MSMEs से सार्वजनिक खरीद किये जाने के कार्यान्वयन की निगरानी करना है।
- यह सार्वजनिक खरीद नीति, 2012 द्वारा कुल वार्षिक खरीद का न्यूनतम 20 प्रतिशत अनिवार्य रूप से MSMEs द्वारा उत्पादित या वितरित उत्पाद या सेवाओं से किये जाने के लक्ष्य को प्राप्त करने में भी मदद करेगा।

10.5. सऊदी अरब के स्थान पर इराक भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बना

(Iraq Overtakes Saudi Arabia as India's Biggest Oil Supplier)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- चालू वित्त वर्ष में 25.8 मिलियन टन (MT) तेल की आपूर्ति के साथ इराक पहली बार सऊदी अरब के स्थान पर भारत के लिए कच्चे तेल का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बन गया है।

तथ्य

- तेल की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भारत 80 प्रतिशत आयात पर निर्भर है।
- भारत की कच्चे तेल की आवश्यकता की पूर्ति के लिए मध्य-पूर्व देशों पर निर्भरता, वित्तीय वर्ष 2014-15 की 58 प्रतिशत से बढ़कर अप्रैल-अक्टूबर, 2017 की अवधि में 63.5 प्रतिशत हो गयी है।

कारण

- इसका मुख्य कारण यह है कि इराक अत्यधिक रियायती मूल्य पर कच्चा तेल उपलब्ध करा रहा है; जबकि सऊदी अरब द्वारा कच्चे तेल का विक्रय ओपेक (OPEC) द्वारा निर्धारित आधिकारिक बिक्री मूल्यों पर ही किया जाता है।
- OPEC द्वारा इस वर्ष के प्रारम्भ में उत्पादन में कटौती के पश्चात कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि हुई है। हालांकि, इराक अभी भी अत्यंत कम कीमतों पर तेल उपलब्ध करा रहा है क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था तेल राजस्व से प्राप्त पूँजी पर अत्यधिक निर्भर करती है।
- हाल के वर्षों में भारतीय तेल शोधनकर्ताओं ने निम्न श्रेणी के कच्चे तेल का शोधन अधिक कुशलता से करने के लिए संयंत्रों के आधुनिकीकरण में वृहद मात्रा में निवेश किया है। इससे उन्हें अधिक विकल्प उपलब्ध हुए हैं और वे अनेक श्रेणियों का तेल खरीदने में समर्थ बन सके हैं।
- अतः भारतीय आयातकों ने, सऊदी अरब से कच्चा तेल खरीदने की अपेक्षा इराक से अधिक मात्रा में बसरा का भारी कच्चा तेल खरीद कर धन की पर्याप्त बचत की है।

10.6. वेनेजुएला की आभासी मुद्रा

(Virtual Currency of Venezuela)

सुर्ख़ियों में क्यों?

वेनेजुएला ने हाल ही में अपनी आभासी मुद्रा (crypto currency) जारी की है जिसे **'पेट्रो'** (PETRO) नाम दिया गया है।

अन्य महत्वपूर्ण तथ्य

- पेट्रो मुद्रा, **वेनेजुएला के तेल, गैस, सोना और हीरा उद्योग द्वारा समर्थित होगी**।
- यह देश **संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा इस वर्ष के प्रारम्भ में इस पर लगाए गए प्रतिबंधों** की पृष्ठभूमि में विदेशी ऋणदाताओं और ऋणपत्रधारकों (bondholders) को भुगतान करने से संबंधित समस्याओं का सामना कर रहा है।
- इस वर्ष वेनेजुएला की आधिकारिक मुद्रा **बोलिवर** के मूल्यों में डॉलर की तुलना में अत्यधिक गिरावट दर्ज की गयी। विगत वर्षों से तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में गिरावट तथा संकट के समय अपर्याप्त सरकारी प्रयासों के कारण देश की अर्थव्यवस्था अव्यवस्था के दौर से गुजर रही है।
- यह कदम मौद्रिक संप्रभुता बनाए रखने, वित्तीय लेन-देन संभव बनाने और वित्तीय अवरोधों को समाप्त करने जैसे उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उठाया गया है।

VISION IAS

10.7. समीप

(SAMEEP)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में विदेश मंत्रालय द्वारा **समीप (SAMEEP) कार्यक्रम** का शुभारम्भ किया गया।

समीप (SAMEEP) कार्यक्रम

- **छात्र और विदेश मंत्रालय की सहभागिता कार्यक्रम- SAMEEP (student and MEA Engagement program)** भारतीय छात्रों को विदेश मंत्रालय की कार्य-पद्धति के विषय में परिचित कराने तथा भारत की वैश्विक संलग्नता व इसकी विदेश नीति को ज़मीनी स्तर तक पहुँचाने के लिये एक **आउटरीच प्रोग्राम** है।
- इस कार्यक्रम की प्रकृति स्वैच्छिक है जिसके अंतर्गत विदेश मंत्रालय के अधिकारी, अवर-सचिव तथा उससे ऊपर के अधिकारी अपने गृह नगरों, शहरों तथा जिन विद्यालयों/विश्वविद्यालयों से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की है (मातृसंस्था/Alma Maters), उनमें जाकर जन-सामान्य को विदेश नीति से अवगत कराएँगे और करियर विकल्प के रूप में कूटनीति में उनकी रुचि बढ़ाएँगे।

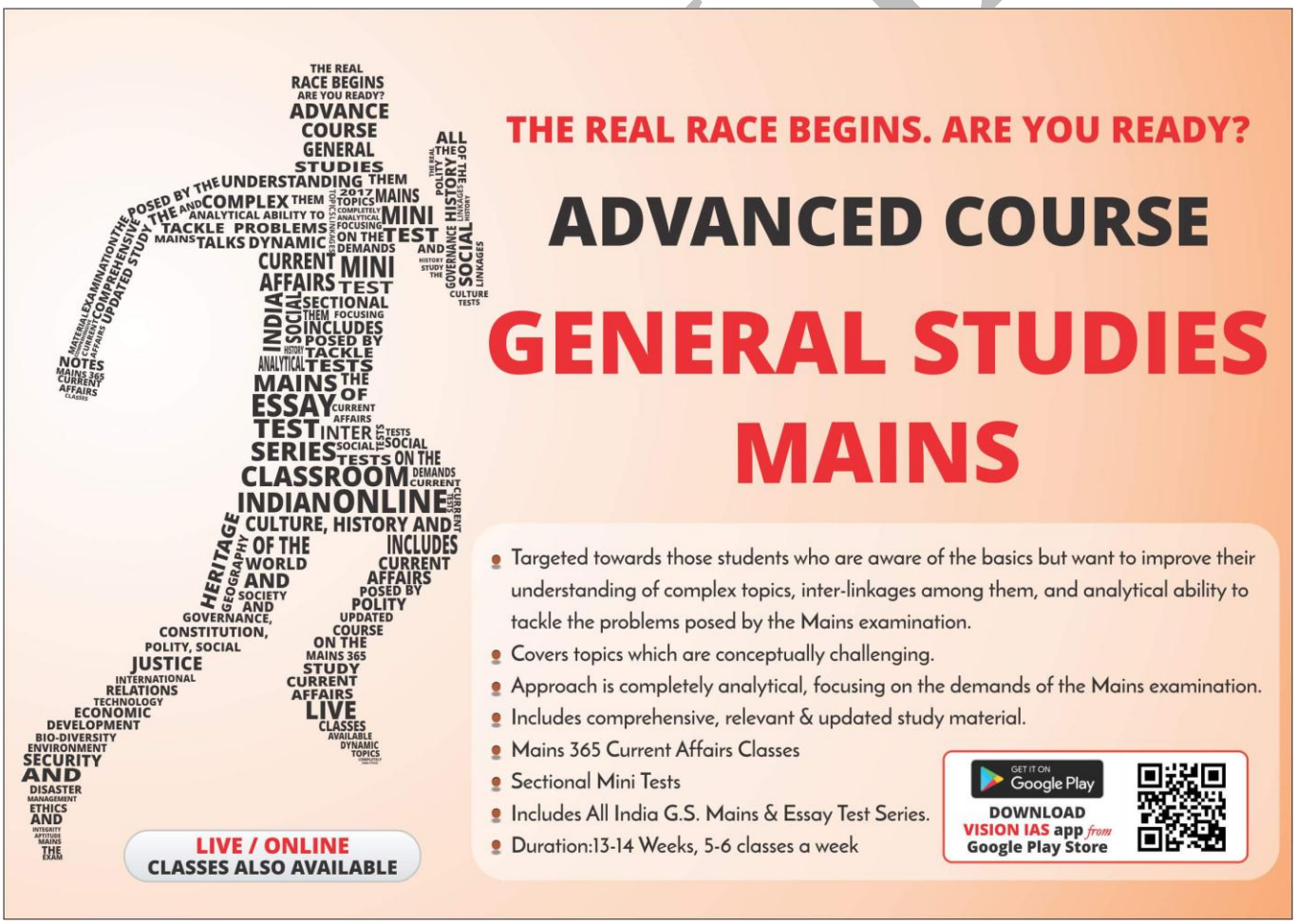

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS